बुधवार, 3 मार्च 1982

12 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 10, बुध-वार, 3 मार्च, 1982/ 12 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 146, 147, 149 और 152	...	2—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 145, 150, 151 और 153, से 165	...	26—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1617 से 1642, 1644 से 1734, 1736 से 1746, 1748 से 1769, 1771 से 1781, और 1783 से 1850	...	35—222
अतारांकित प्रश्न संख्या 1660 दिनांक 1-12-81 में शुद्धि करने वाला विवरण	...	223 – 226
सभापटल पर रखे गये पत्र	...	227—230
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		
छत्तीसवाँ प्रतिवेदन	...	230
लोक सेवा समिति		
सत्तरवां तथा बहत्तरवां प्रतिवेदन	...	230—234
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	....	234
बम्बई में एअर इंडिया के दो बोइंग 707 विमानों को रोके रखने का समाचार		
श्री कमला मिश्र मधुकर	...	234—237
श्री अन्नत प्रसाद शर्मा	...	234—256
श्री नवल किशोर शर्मा	...	240—244
श्री हरीश रावत	...	244—249
श्री रामावतार शास्त्री	...	250 –254
श्री सुधीर गिरि	...	254—255

* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति		
छब्बीसवां प्रतिवेदन	...	256—257
नियम 377 के अधीन मामले	....	257—262
(एक) नई दिल्ली में रेड क्रास भवन के पीछे कुडेदान, में खून के पेकेटों का मिलना		
श्री के० लकप्पा	...	257—258
(दो) पश्चिम बंगाल में पटसन मिल मालिकों द्वारा कथित तालाबंदी को ध्यान में रखते हुए पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण		
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	—259
(तीन) तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच कावेरी जल विवाद का निपटारा		
श्री के० राममूर्ति	....	259—260
(चार) होम गार्डों को पुलिस सिपाहियों के समान वेतन देना		
श्री मुकुन्द मंडल	...	—260
(पांच) सरकारी विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में धन का अंधाधुंध किया जाना		
प्रो० अजित कुमार मेहता	...	—261
(छः) छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधायें		
श्री रीतलाल प्रसाद शर्मा	...	261—262
(सात) कृषकों को बिजली सप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को निदेश देना		
श्री राजेश पाइलट	...	—262
(आठ) धोबियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना		
श्री कुमवुम एन० नटराजन	...	262—263

विषय		पृष्ठ
बजट (रेल) 1982-83-सामान्य चर्चा	...	263—336
श्री नारायण चोबे	...	263—270
श्रीमती मोहसिना किदवई	...	271 –276
श्री डी० पी० यादव	...	277—280
श्री उत्तम राठोर	...	280—282
डा० कृपा सिन्धु भोई	....	282—286
श्री राम विलास पासवान	...	286—291
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	...	292—295
श्री हरिकेश बहादुर	...	295 – 301
श्री अमर राय प्रधान	...	301—304
श्री रामनाथ दुबे	...	304—307
श्री एडुआर्डो फैलोरी	—	307—309
श्री ई• के० इम्बीचीबावा	...	309—311
श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन	...	311—312
श्री सी० टी० दंडपाणि	...	312—314
श्री के० कुन्हाम्बु	...	314—316
श्री ए० जी० सुब्बुरमण	...	—316
श्री सत्यनारायण जटिया	...	316 318
श्री चन्द्र जीत यादव	...	318—319
श्री जेवियर अराकल	...	—319
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	...	320—336

लोक सभा

बुधवार, 3 मार्च, 1982/12 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने 388 में नोटिस दिया है । पूरे राजेन्द्र प्रसाद रोड पर तीन दिन से पानी नहीं आ रहा है । न पानी आ रहा है, न नहा रहे हैं । नार्थ एवेन्यू में टेलीफोन खराब है और हम लोगों के यहां पानी नहीं आ रहा है । सारा पानी फाइव स्टार होटल में जा रहा है । हम लोगों के बगल में फाइव स्टार होटल के लिए दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात तो सुनिए । बैठिए, मेरी बात सुनिए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है । बैठिए, अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए ।...मै इस बारे में बहुत गम्भीर हूं ।

श्री नीरेन घोष : राजधानी में इतनी गड़बड़ी क्यों है ? आप इस सदन का संचालन कर रहे हैं (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा महकमा है पता नहीं । आपको नहाने का कष्ट न हो, इसलिए यह किया जा रहा है ।

श्री रामविलास पासवान : मन्त्रीजी, यहां बैठे हैं । कल हमने इस मामले को नहीं उठाया, क्योंकि मेंबर्स से मामला सम्बन्धित है । लगातार तीन दिन से ऐसा हो रहा है । क्या आप आश्वासन देगे कि कब तक ठीक करवाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, मैंने आप की बात सुन ली है, भीष्म जी, जरा इस मामले को देखिएगा । बात हो गई है, अब आप बैठिए । (व्यवधान) ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें यह पानी नहीं मिलना चाहिए, यह बहुत हानिकारक है ; इससे बहुत जल्दी पीलिया हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : इलाज से परहेज अच्छा है ।

श्री जगदीश टाइटलर : यदि वे स्वच्छ नहीं है, तो उन्हें संसद में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, मैं बाहर जाता हूं ।

(तब श्री रामविलास पासवान सदन से बाहर चले गए) ।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में औरतों को जलने से अस्वाभाविक मृत्यु

*146. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री रशीद मसूद : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस ने वर्ष 1981 और 1982 में अब तक औरतों की जलने से हुई अस्वाभाविक मृत्यु के कितने मामले शिकायत मिलने पर दर्ज किए हैं ;

(ख) दिल्ली पुलिस ने उक्त अवधि में दिल्ली में औरतों को सताने, पीटने और औरतों द्वारा आत्महत्या के प्रयास के कितने मामले शिकायत मिलने पर दर्ज किए हैं ;

(ग) पुलिस ने कितने मामलों में न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करके मुकदमें चलाये हैं ; और

(घ) कितने मामलों में कार्यवाही नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क)

1981	82 मामले ।
1982	7 मामले ।
(1.1.1982 से 15.2.1982 तक)	

इन आंकड़ों में 1981 में सूचित किए गए महिलाओं की अस्वाभाविक मृत्यु के 453 मामले और 1982 में 15.2.1982 तक सूचित किए गए 32 मामले, जिनकी जांच दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 174 के अधीन की गई थी, शामिल नहीं है ।

(ख) 1981 के दौरान महिलाओं द्वारा आत्महत्या के प्रयास के 24 मामले हुए और 1982 में 15 फरवरी तक 3 मामले सूचित किए गए हैं । सताने और पीटने की शिकायतों से संबंधित आंकड़े सहज उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) :—1981 में दर्ज किए गए जलने के कारण मृत्यु, तथा आत्महत्वा के प्रयास के मामलों में 25 मामले विचाराधीन हैं, 23 रद्द किए गए क्योंकि जांच पड़ताल में कोई सबूत नहीं मिला, 40 मामले पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण लापता फाइल कर दिए गए हैं और 18 मामलों में अभी जांच पड़ताल की जा रही है । 1.1.1982 से 15.2.1982 तक की अवधि के दौरान सूचित किए गए सभी 10 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से पता लगता है कि यह कितना गम्भीर मामला है। अभी 27 फरवरी को एक हाउस-वाइफ का अननेचुरल डैथ हुआ है, वह क्लर्क है होममिनिस्ट्री में। इन बातों से भी पता लगता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये जो 432 केसेस हैं, यह संख्या भी सही नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर क्या कोई सुधार किया जाएगा कि अगर कोई अननेचुरल डैथ होती है तो उसको मर्डर की तरह 302 का मामला दर्ज किया जाए और कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके बिना इस समस्या का हल नहीं हो सकता।

अगस्त माह में लोकसभा में प्रश्न उठाया गया था। जवाब में बताया गया था कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में इन मामलों के लिए एक खास सेल बनाया गया है। उसका क्या परिणाम हुआ ? इससे लोगों को कुछ राहत मिली है या मामले और बढ़ते जा रहे हैं ? इन सब बातों का पता चलना चाहिए।

अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था। पुलिस ने, जो कम्प्लेन्ट की गई थी उसका कोई नोटिस नहीं लिया, कोई दखल उस केस में नहीं किया। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन दीं, पैटीशन दी। मैं जानना चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री ऐसे केसिस के बारे में क्या करने जा रही है और देखने जा रही है कि प्रापर कैसिस का रजिस्ट्रेशन हो जाए और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन न देना पड़े।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सी० बी० आई० के द्वारा भी इस तरह के केसिस को जाँच पड़ताल कराने की कोई व्यवस्था की गई है ? ऐसे केसिस जिनमें यंग हाउस वाइव्स मारी जाती हैं लेकिन जिनको आत्महत्या का केस बता कर उनको खत्म कर दिया जाता है, उन केसिस की इन्वेसटीगेशन सी० बी० आई० के द्वारा आप कराने की व्यवस्था करेंगे या नहीं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से पूरक प्रश्न पूछे हैं।

गृह मन्त्रालय में हम स्वयं बहुत दुःखी और नाखुश हैं कि प्रयास किए जाने के बावजूद, अस्वाभाविक मौतें बढ़ती जा रही हैं और मैंने इनकी संख्या 453 बताई है। गृह मन्त्री ने इस मामले पर बहुत ही गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने विभिन्नि राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अस्वाभाविक मौतों और दहेज के कारण हुई मोतों के सम्बन्ध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है—

"स्त्रियों के विरुद्ध हो रहे अपराधों से निपटने के लिए किए जाने वाले कार्य के एक अंग के रूप में यह अनुरोध किया जाता है कि युवा स्त्रियों की मौत के सभी मामलों में कार्यपलिका की तरफ से भी उन मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाये। जो कदम उठा कर देख लिए हैं और जिन्हें आप भी उठायें वे इस प्रकार हैं : —

विवाहित युवा स्त्री द्वारा विवाह के प्रथम पांच वर्षों में संदेहास्पद परिस्थितियों में आत्महत्या के प्रयास या मृत्यु के सभी मामलों पर पुलिस द्वारा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इन मामलों की जाँच डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से छोटे अधिकारियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए ।

जिन मामलों में सब परीक्षा की जाये वह केवल दो डाक्टरों के दल द्वारा की जानी चाहिये ।

पुलिस से 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' मिले बिना शवों के दाह-संस्कार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त, पुलिस को 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' तब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि स्त्री पक्ष के माता-पिता अथवा अभिभावकों अथवा उसके अन्य निकटतम संबंधियों द्वारा सब को देख न लिया जाए ।"

ये कुछ कदम उठाए गए हैं जहां तक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में. माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का संबंध है हम इस सुझाव पर बड़े सक्रियरूप से विचार कर रहे हैं कि कारोनार प्रणाली, जैसी कि बम्बई में प्रचलित है । दिल्ली में भी अपनायी जाए । ऐसी प्रणाली में जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी वे इसकी सूचना कारोनार को दे देंगे । उस विषय की स्वतन्त्र रूप से जांच की जाएगी । अतः इस प्रणाली पर भी सरकार विचार कर रही है ।

इसके अतिरिक्त मात्र इसी उद्देश्य के लिए एक पृथक कक्ष की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है ताकि युवा महिलाओं की ऐसी सभी अस्वाभाविक मौतों पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जा सके ।

जहां तक केन्द्रीय जांच आयोग द्वारा जांच कराने का प्रश्न है, एक बार ऐसे कुछ मामले केन्द्रीय जांच आयोग को सौंपे गए थे और उसने उन मामलों की जांच की । 1980-81 में केन्द्रीय जांच आयोग को 6 मामले सौंपे गए थे और उसने मामलों की सावधानी पूर्वक जांच की । 1980 में दर्ज कराए गए मामलों में से कोई भी इस तरह का अपराध सिद्ध नही हुआ।

इस प्रकार ये सभी कदम उठाए जा रहे हैं ।

हम स्वयं, हमारे गृह मन्त्री, और प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रबन्ध से प्रसन्न नहीं हैं ।

वर्ष 1980 में इस सदन में लगातार मांग किए जाने पर दिल्ली में दहेज के कारण हुई मृत्यु के पांच मामले केन्द्रीय जांच आयोग को सौंपे गए थे। केन्द्रीय जांच आयोग ने इन मामलों की जांच की तथा दिल्ली पुलिस द्वारा की गई जांच की पुष्टि की कि ये मामले आत्म-हत्या और दुर्घटना में मृत्यु के मामले थे इस घातक व्यवस्था से, जिसमें महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण

और अस्वाभाविक परिस्थितियों में मृत्यु होती है, प्रभावी रूप से निपटने के लिए गृह मन्त्रालय द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : यह तो वोलेंटरी आर्गिनाइजेशन्स की मदद लेकर भी कुछ काम हो सकता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोई कानून बनाने का विचार किया है और क्रिमीनल प्रोसीजर कोड में सुधार करके इसको मर्डर समझ कर कुछ कड़ी सजा देने के लिए सोच रही है कि नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या :— इसके अतिरिक्त बहुत से मामले दहेज के कारण मृत्यु होते हैं। अतः इन मामलों की जांच करने के लिए तथा कानून को कठोर बनाने के लिए जिससे कि ऐसी घटनायें नहीं हों। एक संयुक्त प्रवर समिति गठित की गई है उसके अतिरिक्त, इस संबंध में जनमत बनाने के लिए स्वयं सेवा संस्थाओं को भी पहल करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में यदि मैं स्वर्गीय श्री संजय गांधी के नाम का उल्लेख न करूं तो मैं अपने कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उन्होंने इस घातक प्रथा के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने के लिए इस महत्वपूर्ण मामले को उठाया था। यह एक ऐसा मामला है जिसका सम्बन्ध केवल प्रशासन से ही नहीं है बल्कि स्वयं सेवा संगठनों से भी है जिन्हें ऐसे समाज-विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए सहयोग देना चाहिए जिससे कि ऐसी घटनायें न हों।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी। अब केवल महिला सदस्यों को ही अनुमति दी जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस बात के लिए मैं आपके विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके हितों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हमारे पक्ष में भी कुछ बातें हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं यह कहना चाहती हूं कि पुरुष सदस्य प्रश्न पुछते हुए बहुत सावधान रहें। मन्त्री महोदय ने कुछ इन उपायों का उल्लेख किया है जिन्हें उठाने के लिए उन्होंने प्रशासन से कहा है। जहां तक मुझे जानकारी है— ये निर्देश बहुत पहले दिए गए थे, इस वर्ष नहीं, इससे एक वर्ष पूर्व, उसके बाद, जैसा कि मन्त्री महोदय को ज्ञात है सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि अब समय आ गया है जबकि प्रशासन को आलस्य त्याग देना चाहिए तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद गृह मन्त्रालय द्वारा और कौन से कदम उठाए जा रहे हैं तथा

पहले जिन कदमों का सुझाव तो दिया गया था लेकिन आवश्यक रूप से उनके बारे में क्या निगरानी रखी जा रही है कार्यान्वियन नहीं किया गया था ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : ये निर्देश विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं । जहां तक संघ राज्य-क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, जो कि सीधे हमारे नियंत्रण में है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, हमने बहुत से कदम उठाए हैं, और हम समय समय पर राज्य सरकारों से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहते रहते हैं । बिहार, हरियाणा, पंजाब हिमाचल प्रदेश और पूर्वी बंगाल आदि राज्यों ने अपने राज्यों में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन किया है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : दिल्ली के बारे में क्या स्थिति है जो कि सीधी केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैंने अभी अभी बताया है कि दिल्ली प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं । मैंने सदन को इस बारे में जानकारी दे दी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नीरेन घोष । (व्यवधान) ।

प्रो० मधु दंडवते : वह अविवाहित हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सौभाग्य से मेरी शादी हो चुकी है । क्या मैं भी इस योग्य हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस योग्य नहीं है । केवल अविवाहित ही इस योग्य हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे आरम्भ में महिलाओं को नहीं चाहते ।

श्री नीरेन घोष : क्या मैं जान सकता हूं कि देश में महिला प्रधान मन्त्री का शासन होने पर भी राजधानी में ऐसे अपराध इतने अधिक क्यों हो रहे हैं तथा और औरतें हमले, बलात्कार इत्यादि ऐसी घटनाओं का शिकार क्यों हो रही हैं ? और प्रशासन उस स्थिति का सामना करने में आश्चर्यजनक रूप से असफल रहा है, यह एक प्रमुख काण्ड बन गया है । (व्यवधान) क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या प्रधान मन्त्री इसका उत्तर देंगी ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है ?

श्री नीरेन घोष : तो क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कोई ठोस प्रश्न पूछना चाहिए । मैं आपको यहां असंगत प्रश्न पूछने की अनुमति नही दे सकता । (व्यवधान) ।

श्री जगदीश टाइटलर : अभी-अभी मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि एक कदम..... ... ...(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय —कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा । मैं चाहता हूं कि प्रश्न प्रासांगिक हो ।

श्री जगदीश टाइटलर : मंन्त्री महोदय ने अभी यह कहा है कि एक कक्ष की स्थापना की गई थी । इसमें कोई संदेह नहीं, दिल्ली में होने के कारण कक्ष बना तो हुआ है लेकिन वह काम नहीं करता । वह काम नहीं करता, इसलिए नहीं कि वे काम करना ही नहीं चाहते बल्कि इसलिए कि उनके पास शक्तियां नहीं है । कई बार ऐसे मामले हुए हैं जब दहेज के कारण मृत्यु या आत्महत्या के प्रासय की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज कराई गई है और कार्यवाही नहींकी गई । जब वे लोग हमारे पास आते हैं, हम विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर बने कक्षों से बात करते हैं, तब जाकर कार्यवाही की जाती है । इसका अर्थ है पुलिस के पास शक्ति है और यदि उनके पास शक्ति है तो जब मामले की रिपोर्ट की जाती है तब वे प्रत्येक मामले पर कार्यवाही क्यों नहीं करते ? यदि इस कक्ष को शक्ति प्राप्त नहीं है तो उन्हे कार्यकारी आदेश दिए जाने चाहिएं ताकि वे इस प्रकार के मामलों से सीधे निपट सकें । यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत से मामले दर्ज कराये गए हैं, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिन्हें जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य ने बहुत ही उपयोगी सुझाव दिया है और निश्चय ही इस पर विचार किया जाएगा तथा उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर निश्चय ही हर संभव कदम उठाए जायेंगे ।

डा० कर्ण सिंह : महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार की बढ़ती हुई घटनाएं बहुत ही गंभीर विषय है और मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि—

(क) क्या वे यह महसूस करते हैं कि यह समस्या केवल दिल्ली की ही नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की समस्या है । और इसलिए यदि आवश्यक हो तो इसके लिए केन्द्रीय विधान भी लायेंगे क्या वे इस संबंध में कानून को अधिक कठोर बनाने का प्रयत्न करेंगे (ख) क्या इन कानूनों को केवल संघ राज्य दिल्ली में ही नहीं—क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है ; यह औरत के लिए हर जगह कलंक है—अपितु सारे देश में कठोरता से ही लागू किया जाएगा ; और (ग) और इस सम्बन्ध में लोकमत जाग्रत करने के लिए देश की स्वयंसेवी संस्थाओं महिला संगठनों, और अन्य सामाजिक संगठनों का संक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

यह बहुत गंभीर मामला है । जब इस तरह की घटना होती है, तब सरकार जो कुछ करती है इसके अतिरिक्त, समाज उस परिवार को अलग कर देता है और परिवार को समाज में अलग रहना पड़ता है । वे इस देश में लोकमत बनाने के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा उठाए जा रहे प्रशासनिक कदमों के अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सामाजिक कल्याण बोर्डों ने इस अपराध के

प्रति लोगों के विचारों को बदलने के लिये दहेज विरोधी अभियान शुरू किए हैं। तथापि, केवल सरकारी स्तर पर किए गए प्रयासों से ही दहेज के सामाजिक बुराई को नहीं रोका जा सकता। यह आवश्यक है कि सभी स्वयंसेवी संगठन और लोग दहेज न लेने के लिए स्वयं सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करें। समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रकाश डालने के लिए जन सम्पर्क के सभी साधनों, आल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का भी उपयोग किया जा रहा है। यह भी साथ साथ किया जा रहा है। केन्द्रीय विधान के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है वह एक विचारणीय सुझाव है।

महिलाओं के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसर

*147. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पचवर्षीय योजना के पैरा, 27, 32 में यह कहा गया है कि "उन क्षेत्रों एंव सैक्टरों का पता लगाया जायेगा जिनमें महिलाओं को कम रोजगार प्राप्त हैं अथवा जिनमें उनके आँकड़ों में गिरावट आ रही है और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने हेतु संशोधनात्मक कदम उठाये जायेंगे";

(ख) यदि हां, तो ऐसे सैक्टरों का पता लगाने के लिये क्या किया गया है और पिछले 2 वर्षों में क्या संशोधनकारी कदम उठाये गये ;

(ग) इस बात को देखते हुए कि संगठित उद्योग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं के अंश में 1971 से 1979 के बीच केवल 1.4 प्रतिशत वृद्धि हुई है ; इस क्षेत्र में स्थित को सुधारने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ; और

(घ) पिछले दो वर्षों में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ई० एम० आई० के आंकड़ों के अनुसार, संगठित क्षेत्रकों में महिलाओं के रोजगार का भाग 1971 से 1981 की अवधि में (अनंतिम) 11 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया है। तथापि 1975 से 1981 की अवधि में (अनंतिम) महिलाओं के रोजगार में निरपेक्ष संख्या में निर्माण को छोड़कर अन्य सभी संगठित क्षेत्रकों में वृद्धि हुई है। कुल रोजगार में महिलाओं के प्रतिशत भाग में भी, खनन और उत्खनन, निर्माण तथा थोक और खुदरा व्यापार को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रकों में वृद्धि दिखाई देती है।

महिलाओं की रोजगार-योग्यता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि, महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण की अधिक सुविधायें देना और अधिक वृत्तिकाएं देना, शिशुगृहों की स्थापना के लिए मौजूदा कानूनों का अधिक अच्छा कार्यान्वियन, सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत मकानों और भूमि पर संयुक्त अधिकार देना, आदि।

(घ) पिछले दो वर्षों में शुरू किए गए उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करना इस समय संभव नहीं है ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा प्रश्न छठी योजना से सम्बन्धित था । उत्तर का पहला वाक्य इस प्रकार है :—

"ई०एम०ई० के आंकड़ों के अनुसार, संगठित क्षेत्र को में महिलाओं के रोजगार का भाग 1971 से 1981 की अवधि में (अनन्तिम) 11 प्रतिशत से बढ़कर 12-3 प्रतिशत हो गया है ।"

आपकी अनुमति से मैं छठी योजना के दस्तावेज के पैरा 27.13 से उद्धृत करना चाहती हूं :

"संगठित क्षेत्र कों में महिलाओं का भाग 1971 में 11 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 1979 में 12 4 प्रतिशत हो गया है ।"

मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि जब 1979 में इसका प्रतिशत 12.4 प्रतिशत तक बढ़ चुका था तो यह 1981 में 12.3 प्रतिशत कैसे हो सकता है ? आपने अतिरिक्त वर्ष तो जोड़ दिया है लेकिन आँकड़े 0.1 प्रतिशत कम हो गए हैं । या तो छठी योजना के आँकड़े गलत हैं अथवा ई० एम० ई० के आँकड़े । हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई हो, लेकिन जहां तक आँकड़ों का सम्बन्ध है, संगठित क्षेत्रकों में वृद्धि या तो हुई ही नहीं या फिर नाममात्र की हुई है । आपके आंकड़ों से ऐसा लगता है । क्या आप हमें 1979 से 1981 तक संगठित क्षेत्रों और असंगठित क्षेत्रों में हुई वृद्धि के वास्तविक आँकड़े बतायेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य ने जो कहा है वह श्रमिक विभाग के ई. एम. आई. संगठन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार नहीं है । यदि माननीय सदस्य 1980 और 1981 के आँकड़े लेने में दिलचस्पी रखते हैं तो वे आंकड़े इस प्रकार हैं : 1980 में रोजगार में कुल वृद्धि 2 प्रतिशत हुई और महिलाओं के भाग में 3.3 प्रतिशत बृद्धि हुई । 1981 में रोजगार में कुल 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई और महिलाओं के रोजगार में 4.5 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछने से पूर्व, जहां तक इस अन्तर का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि छठी योजना के आंकड़ों को मान लिया जाता है तो ई० एम० आई० के आँकड़े गलत हैं या फिर छठी योजना के आँकड़े गलत हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है । आप दूसरा प्रश्न पूछिए ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह योजना मन्त्री है, उन्हें यह कहने दीजिए कि छठी योजना के आंकड़े गलत हैं । मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि वह छठी योजना के आँकड़ों को देखें और इस गड़बड़ी को ठीक करायें । हमें पता चलना चाहिए कि कौन से आंकड़े ठीक हैं ।

जहां तक इन्हें कार्यान्वित करने का प्रश्न है, पिछली सरकार के समय—जनता सरकार के राज्य में नहीं बल्कि इससे पहले श्रीमती गाँधी की सरकार के समय कमिशन आन स्टेटस आफ वीमैन नामक एक आयोग गठित किया गया था और आयोग ने महिलाओं के रोजगार की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय विकास में महिलाओं के योगदान संबंधी संवैधानिक निर्देशों और सरकार के दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक सुपारिभाषित स्पष्ट नीति अपनाई जानी चाहिए। वह नीति सरकारी संकल्प द्वारा बनाई जानी चाहिए।" आपको याद होगा कि यह बात 1974 में हुई थी। जहां तक मुझे जानकारी है अब तक इस नीति को विस्तार से बताने वाला कोई सरकारी संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या मन्त्री महोदय कृपया कोई ऐसा संकल्प सदन के समक्ष रखेंगे जिससे कि विद्यमान विसंगतियों को तथा इन कमियों को दूर किया जा सके।

श्री एस० पी० चव्हाण : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि छठी योजना में दिए गए आंकड़ों और मेरे द्वारा अभी उद्धृत किए गए आँकड़ों में कोई विसंगति है।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि वह यह प्रश्न समाज कल्याण मन्त्रालय से पूछे क्योंकि वे ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे पायेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मन्त्री महोदय ने खनन और उत्खनन, निर्माण तथा थोक और खुदरा व्यापार में महिलाओं के रोजगार में कमी हुई बताई है और जिस वृद्धि दर का उन्होंने दावा किया है वह अधिक महिलाओं की साक्षरता और दक्षता के आँकड़ों के अनुरूप नहीं हैं। जब वह योजना बना रहे हैं तो क्या उन्हें यह जानकारी है कि बहुत से सरकारी विभाग महिलाओं के रोजगार को निरुत्साहित करने के लिए गुप्त परिपत्र जारी कर रहे हैं? यहां तक कि प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि 35 वर्ष के बाद की औरतें सुन्दर नहीं रहतीं, वे विमान परिचारिकाएं नहीं बन सकतीं। (व्यवधान)।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन स्वामी जी का इससे क्या सम्बन्ध है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ******* मैं कह सकता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि पुलिस, सेना, विभिन्न प्रकार के व्यापारों, सरकारी क्षेत्र के संगठनों, आदि सेवाओं में एक आम प्रथा है। महिला संगठन इस बारे में शिकायतें कर रहे हैं कि महिलाओं को निरुत्साहित किया जा रहा है। वास्तव में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी, महिलाओं का अंश कम हो रहा है। इन योजनाओं को लागू करते हुए क्या योजना आयोग अथवा

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

योजना मन्त्रालय सभी मन्त्रालयों तथा सरकारी विभागों को नया परिपत्र जारी करने के लिए कदम उठाएगा कि उन्हें योजना काल में महिलाओं के रोजगार का भाग बढ़ाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : जहाँ तक मुझे जानकारी है महिलाओं को काम करने के लिए निरुत्साहित करने वाला कोई परिपत्र नहीं है। इसके विपरीत हम पुलिस तथा अन्य सेवाओं में महिला रोजगार पर निरन्तर बल दे रहे हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में उल्लेख किया गया था, महिलाओं के केवल अधिकार ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि हमें पुलिस तथा महिलाओं से संबंधित अन्य सेवाओं में भी महिलाओं की आवश्यकता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सरकार के संकल्प के बारे में क्या विचार है ? केवल आप ही हमें आश्वसन दे सकती हैं।

प्रधान मन्त्री श्रीमती (इन्दिरा गाँधी) : मैं इस पर विचार करूंगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन एक महिला को हम बेरोजगार करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : वह मैं जानती हूं। सौभाग्य से मेरा रोजगार सरकारी कार्य तक ही सीमित नहीं है। अतः मैं कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकती।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी,** या तो वे इसको गीता महाभारत से साबित करके दिखायें या फिर आप इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसको मैं देख लूंगा और आपका वाद-विवाद करवा दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : योजना मन्त्री ने महिला रोजगार और अन्य रोजगार में हुई वृद्धि के अनुपात के आँकड़े दिए हैं— कुल रोजगार में 2 प्रतिशत वृद्धि तथा महिला रोजगार में तीन दशमलव कुछ प्रतिशत वृद्धि हुई है। बढ़ती हुई बेरोजगारी आज राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय हैं।

प्रत्येक योजना में, बेरोजगारी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने रोजगार की बढ़ती हुई सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना तथा उससे अगली योजना का पुर्नविन्यास करने पर गम्भीरता से विचार किया है ? क्या सरकार औद्योगिक नीति में मूल भूत परिवर्तन करने तथा उन भारी उद्योगों, जो कि ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनका उत्पादन बड़ी आसानी से लघु उद्योगों अथवा कुटीर उद्योगों में किया जा सकता है। की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में गम्भीरता पूर्वक

**अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

विचार करेगी ? यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि अत्यन्त विकसित औद्योगिक देशों —जैसे जापान- आदि ने भी व्यापक स्तर पर लघु उद्योगों पर ध्यान दिया है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेगी ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुकाबला किया जा सके, जो कि हमारे देश के लिए एक चुनौती है ?

श्री एस. बी. चव्हाण : रोजगार में महिलाओं के अंश के सम्बन्ध में यह बहुत ही सीमित प्रश्न है । जो आंकड़े मैंने दिए हैं— यद्यपि मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं है और अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार देने के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा— उनसे यह स्पष्ट है कि स्थिति इतनी गंभीर भी नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य बताने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहाँ तक अन्य मामलों जैसे छठी योजना के पुर्नविन्यास आदि का संबंध है, इस समय उस बारे में मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राकेश ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, कृपया श्रीमती प्रमिला दंडवते को प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी वजह से मेरे खिलाफ तो प्रिवलेज मोशन आने लगा था ।

श्री आर० एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंसूरी में अभी एक आई० ए० एस० ट्रेनी जो कि लैडी थी, उसके साथ दूसरे आई० ए० एस० ट्रेनी ने बलात्कार किया । बलात्कार का केस रजिस्टर हुआ । जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री, ज्ञानी जी और केन्द्र के एक मन्त्री इन्वाल्व हैं, तो क्या ऐसी घटनाएं होती रहेंगे ? इसके बावजूद भी क्या आप यह समझते हैं कि आप महिलाओं को उसकी तरफ करेज कर रहे हैं या डिसकेरेज कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं ? इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री आर० एन० राकेश : गवर्नमेंट की तस्वीर साबित हो रही है, तो आप कह रहे हैं । ···(व्यवधान)··· ।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या पता है, मैं क्या करवाना चाहता हूं । इसका मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

श्री आर. एन. राकेश : यह एकदम प्रासंगिक है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न पूछिए ।

खेतिहर मजदूरों की मजूरी

*149. †श्री नरसिंह मकवाना :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजूरी की दर क्या तय की गई है और क्या मजदूरों को इस प्रकार तय की गई मजूरी दी जाती है और उनको नियमित रूप से मजूरी मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ख) सारे देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार समान मजूरी तय करने में क्या कठिनाई है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजूरी वाले राज्यों को इस बारे में कोई आदेश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) राज्य सरकारों और प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर, कृषि रोजगार के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी-दरों को दर्शाने वाला विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। यह-सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय स्तरों पर त्रिपक्षीय समितियों के जरिए प्रवर्तन मशीनरी को जिसमें राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षक हैं, सुदृढ़ करके और अन्य विभागों के अधिकारियों की सहायता लेने जैसे उपायों से श्रमिकों को वास्तव में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी-दरों का भुगतान किया जाए।

(ख) विभिन्न राज्यों में और एक ही राज्य के अन्तर्गत किसी क्षेत्र में भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं, उपभोग के विभिन्न पैटर्न तथा निर्वाह व्यय के कारण, समान न्यूनतम मजदूरी व्यवहार्य नहीं समझी जाती। जुलाई, 1980 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि हालांकि सम्पूर्ण एकरूपता संभव नहीं है, लेकिन बहुत अधिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए।

(ग) राज्य सरकारों/प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे जुलाई, 1980 में श्रम मंत्रियों के 31वें सम्मेलन की इन सिफारिशों को लागू करें कि न्यूनतम मजदूरी-दरों की यदि आवश्यकता हो तो कम से कम दो वर्षों में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्लाइंटों की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, पुनरीक्षा की जानी चाहिए और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय इस सम्बन्ध में कार्यवाही की प्रगति की निगरानी करता है।

विवरण

1.2.1982 की स्थिति के अनुसार कृषि (अकुशलन श्रमिकों के लिए) में न्यूनतम मजदूरी दरों का राज्य-वार विवरण, जैसा कि राज्य सरकारों/ प्रशासनों ने सूचित किया है ।

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख	मजदूरी दरें	टिप्पणियां
1	2	3	4
केन्द्रीय सरकार	15.9.1980	5.10 रु० से 7. 50 रु० क्षेत्र के अनुसार	और आगे संशोधन करने के लिए प्रस्तावों के मसौदे 19.11.81 को अधिसूचित किए गए ।
आंध्र प्रदेश	7.2.1981	4.25 रु० से 10.00 रु० प्रति दिन क्षेत्रों के अनुसार ।	
असम	28.12.1981	व्यवसाय के अनुसार 8.00 रु० से 9.00 रु० प्रति दिन बगैर भोजन के या 7.00 रु० प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ ।	
बिहार	जुलाई, 1975	*बगैर सिंचाई वाले क्षेत्रों में व 4. 50 रु० प्रतिदिन व एक समय का खाना/नाश्ता और सिंचाई वाले क्षेत्रों में 5.00 रु० बिना खाना/ नाश्ता ।	और आगे संशोधन करने के लिए प्रस्तावों के मसौदे 24.10. 1981 को जारी किए गए ।

*बिहार में न्यूनतम मजदूरी भूमि के प्रकार और क्षेत्रों के अनुसार निर्धारित की गई है, जहां मजदूरी नगद दी जाती है वहाँ ये उपयुक्त दर से कम नहीं होनी चाहिए ।

1	2	3	4
गुजरात	5.1.1976	5.50 रु० प्रतिदिन	न्यूनतम मजदूरी दरों में और आगे संशोधन करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए 5.9.1980 को सलाहकार समिति नियुक्त की गई है ।
हरियाणा	2.1.1980	कार्य के अनुसार 7.50 रु० से 10.00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 9.00 रु० से 12.00 रु० प्रतिदिन ।	संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।
हिमाचल प्रदेश	1.1.1981	7.25 रु० प्रतिदिन	
जम्मू और कश्मीर	—	अभी तक कोई न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित नहीं की गई हैं ।	
कर्नाटक	2.10.1975	संक्रिया की श्रेणी और भूमि के प्रकार के अनुसार 3.25 रु० से 5.60 रु० प्रतिदिन ।	और आगे संशोधन करने के लिए प्रस्तावों के मसौदे को 21.7. 1981 को अधिसूचित किया गया ।
केरल	1.8.1980	आसान कार्य के लिए 7.45 रु० प्रतिदिन और कठिन कार्य के लिए 9.20 रु० प्रतिदिन ।	
मध्य प्रदेश	1.1.1982	7.00 रु० और अर्ध-वार्षिक आधार पर संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध विशेष भत्ता (प्रतिदिन) ।	

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1.11.1978	4.00 रु० से 5.50 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार ।	और आगे संशोधन करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए 11 3 81 को सलाहकार समिति गठित की गई है ।
मणिपुर	1.11.1980	8.00 प्रतिदिन ।	
मेघालय	1.3.1980	7.50 रु० प्रतिदिन दोपहर के भोजन साथ ।	
नागालैण्ड	11.2.1981	7.00 रु० प्रतिदिन ।	राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने पर विचार कर रही है ।
उड़ीसा	दिसम्बर, 1980	5.00 रु० प्रतिदिन	
पंजाब	31.1 1982	11.00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 14.00 रु० प्रतिदिन भोजन के बिना ।	
राजस्थान	1.1.1980	क्षेत्र के अनुसार 6.25 रु० से 8 00 रु० प्रतिदिन ।	
सिक्किम	—	इस राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 लागू नहीं किया गया है ।	
तमिलनाडु	15.9.1979	5 00 रु० से 7.00 रु० प्रतिदिन और संक्रियाओं के प्रकार के अनुसार, पूर्वी थंजावर को छोड़कर, जहां मजदूरी दरें तमिलनाडु कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम, 1969 के अनुसार निर्धारित की गई है ।	आगे संशोधन करने के लिए समिति गठित की जा रही है ।

1	2	3	4
त्रिपुरा	1.12.1979	7.00 रु० प्रतिदिन ।	
उत्तर प्रदेश	9.1.1981	क्षेत्र के अनुसार 6.50 रु० प्रतिदिन से 8.50 रु० प्रतिदिन ।	
पश्चिम बंगाल	अक्टूबर, 1981 से सितम्बर, 1982 के लिए	व्यस्क—9.58 प्रतिदिन । बालक—6.89 प्रतिदिन ।	
अंडमान और निकोबार दीप समूह	1.10.1980	6.50 रु० प्रतिदिन ।	
अरुणाचल प्रदेश		न्यूनतम मजदूरी दरें अभी निर्धारित नहीं की गई है ।	
चण्डीगढ़ प्रशासन	28.4.1979	कार्य के अनुसार 7.70 रु० से 9.00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 9.70 रु० से 11.00 रु० प्रतिदिन ।	न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन के प्रस्तावों के मसौदे 14.9.1981 को अधिसूचित किए गए हैं ।
दादर व नगर हवेली	15.4.1676	5.50 रु० प्रतिदिन ।	न्यूनतम मजदूरी दरों में और संशोधन करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए सलाहकार समिति गठित की गई है ।
दिल्ली प्रशासन	1.1.1980	9.25 रु० प्रतिदिन ।	दिल्ली प्रशासन ने संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन 11.60 रु० कर दी है ।
गोवा, दमन और दीव	25.2.1976	कार्य की श्रेणी के अनुसार 4.00 रु० से 5.00 रु० प्रतिदिन ।	न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्तावों के मसौदे 6.2.1981 को अधिसूचित किए गए हैं ।

i	2	3	3
मिजोरम		कृषि में न्यूनतम मजदूरी का नियतन विचाराधीन है ।	
पांडिचेरी	1.5.1976	कार्य की प्रकृति और क्षेत्रों के अनुसार 4.75 रु० से 9.00 रु० प्रतिदिन ।	
i (माहे और यनम क्षेत्र			
ii (पांडिचेरी और कारकाइल क्षेत्र	24.1.1981	कार्य की प्रकृति और क्षेत्र के अनुसार 5.00 रु० से 7.80 रु० प्रतिदिन ।	कारइकल क्षेत्र में और आगे संशोधन के प्रस्ताव 12.1.82 को अधिसूचित किए गए हैं ।
लक्ष्यदीप		इस संघशासित क्षेत्र में कोई भी कृषि श्रमिक नहीं है ।	

श्री नरसिंह मकवाना : मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जुलाई, 1980 में श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था और उसमें जो निर्णय किये गये उस पर कई राज्य सरकारों ने अमल नहीं किया । 6 राज्यों में इस पर अमल किया गया, संशोधन किया, चार राज्यों ने सलाहकार समितियां बनाई हैं, वे कब अपना फैसला देंगी और कब वहाँ मजदूरी में संशोधन होगा, यह पता नहीं है । इसलिये मैं जानना चाहता हू-31वें श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में जो फ़ैसले हुए उन पर अमल कराने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : इस सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि विभिन्न राज्यों में जो कार्यान्वयन की मशीनरी है उस को मजबूत किया जाय । हम ने न केवल 31वाँ, बल्कि 32वाँ सम्मेलन भी बुलवाया था और इस बात पर जोर दिया था । प्राय: अधिकांश राज्यों ने अपने यहां मिनिमम-वेज में परिवर्तन कर लिया है । जहां पहले के एक्ट के अनुसार 5 वर्षों में संशोधन करने की बात थी, 31वें सम्मेलन में यह निर्णय किया गया कि दो वर्षों में कम से कम एक बार या कन्ज्यूमर प्राइस इन्डेक्स 50 प्वाइन्ट्स बढ़ जाय तो इस पर विचार किया जाय-इस पर सभी राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है, समय समय पर उन से बात की है, उनको पत्र भी लिखा है तथा उनकी मशीनरी को मजबूत करके इसको कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री नरसिंह मकवाना : हाल में जो मजदूरी तय की गयी है वह भी उनको नहीं मिलती है । मिसाल के तौर पर गुजरात में साढ़े पांच रुपये तय किए गए हैं लेकिन उनको नहीं मिलते हैं । ऐसी ही हालत दूसरे राज्यों में भी है । इसलिए जो मजदूरी तय की गयी है वह उनको मिले, क्या इसके लिए सरकार कोई तन्त्र बनाना चाहती है या क्या करना चाहती है ?

श्री भगवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह सम्भव है कि देश के विभिन्न भागों में जो न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकारों ने तय की है, कहीं कहीं ऐसे पाकेट्स हों जहां यह नहीं मिलती हो । इस बात की तरफ हमने राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया है कि कई ऐसे पाकेट्स हो सकते हैं जहां बढ़ी हुई मजदूरी न मिलने की सम्भावना हो, इस लिए उस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय । राज्यों की जो मशीनरी है, उनके इंस्पैकटर्स इसके कार्यान्वयन के लिए जाते हैं और अगर कहीं वायलेशन देखते हैं तो उसका सुधार करते हैं ।

जहां तक गुजरात का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उसको देखने के लिए हम राज्य का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय, खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन से हमारे देश की जनसंख्या के बहुत जरूरतमंद वर्ग-ग्रामीण मजदूर वर्ग जिसे कभी कभी सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है, पर प्रभाव पड़ता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन्हें 'सर्वहारा' वर्ग कहते हैं ?

श्री माधव राव सिंधिया : डा० स्वामी आपको ऐसे शब्दों इन बातों पर कोई एकाधिकार नहीं है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया ।

श्री माधव राव सिंधिया : यही एक ऐसा वर्ग है जिसे सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है और यदि सरकार किसी और अर्थपूर्ण ढंग से उन्नति करना चाहती हैं तो इसे प्राथमिकता मिलती रहनी चाहिए । महोदय, कुछ ही माह पूर्व राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक कार्यकारी दल ने सुझाव दिया था कि न्यूनतम वेतन निश्चित करने का मापदण्ड योजना आयोग द्वारा परिभाषित गरीब की रेखा के स्तर पर श्रमिकों को मूल आवश्यकताओं से सम्बद्ध होना चाहिए । सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में यह सिफारिश न्यूनतम मजदूरी के आधार को परिवर्तित कर देगी और इससे प्रथम बार ऐसा सामान्य न्यूनतम मजदूरी सूत्र लागू होगा जो रोजगार के सभी क्षेत्रों में सामान्य परिकलन सूत्र के रूप में होगा । योजना आयोग के अनुसार···का, मानदण्ड·····।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री माधवराव सिंधिया : पूछ रहा हूं । महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वे हमारे देश के सबसे अधिक शोषित वर्ग के लोग हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रश्न में पूछिए ।

श्री माधवराव सिंधिया : आपकी दिलचस्पी कृषि क्षेत्र में है ।

अध्यक्ष महोदय : उसमें मेरी दिलचस्पी है लेकिन अत्यन्त संगत प्रश्नों में भी मेरी दिलचस्पी है ।

श्री माधवराव सिंधिया : कल आपने प्रत्येक प्रश्न पर 25 मिनट दिए थे ।

जीवन-निर्वाह आवश्यकता पर आधारित योजना आयोग के मापदंड के अनुसार न्यूनतम मजदूरी 240 रुपया महीना बैठती है, जबकि अधिकतर राज्य 4.50 रु० से 6.50 प्रतिदिन के बीच दे रहे हैं जो कि इस स्तर से बहुत कम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या न्यूनतम वेतन को मूल आवश्यकताओं से सम्बन्धित करने के सूत्र पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार इस बारे में कब तक निर्णय ले लेगी ।

श्री भगवत झा आजाद : महोदय, हम पूर्णतः सहमत हैं कि न्यूनतम वेतन समाज के जरुरतमंद वर्ग से संबद्ध होना चाहिए और हमें निरन्तर इस पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए । यही कारण है कि पहले 20 सूत्री कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित दूसरे 20 सूत्री कार्यक्रम में इसे उच्च प्राथमिकता और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ।

माननीय सदस्य को मंत्रियों के सम्मेलन में दिए गए सुझावों के बारे में मात्र जो गलत फहमी है । वह यह है । दो वर्ग हैं । एक तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 है जिसके अन्तर्गत दो अनुसूचियां हैं जो समुचित सरकार को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है । जिस सामान्य मजदूरी के बारे में आप उल्लेख कर रहे हैं और मजदूरी को मूल्य के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं उसके बारे में श्रम मंत्रियों ने यह विचार किया था कि ऐसे बहुत से रोजगार हैं जो उस अनुसूची के अन्तर्गत नहीं हैं । वे राज्य सूची के 217 अथवा केंछ सूची के 34 के अन्तर्गत नहीं हैं । ऐसे रोजगारों की संख्या बहुत अधिक है जो इस सूची में नहीं आते । उन्होंने कहा है कि वे लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनकी मजदूरी और वेतन सारे देश में समान होने चाहिए । कम से कम वह एक होनी चाहिए और उससे कम नहीं होनी चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम सहमत हैं और यही कारण है कि हमने यह सुझाव दिया है कि राज्यों को, जो न्यूनतम मजदूरी घोषित करने अथवा उसे दो साल बाद संशोधित करने या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्येक 50 प्वाइंट वृद्धि पर बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है । उसके अतिरिक्त न्यूनतम मजदूरी का एक एक सिद्धांत होना चाहिए योजना आयोग द्वारा निश्चित की गई मजदूरी से कम नहीं होना

चाहिए । यही हमारा सुझाव है और इसी के लिए हम न्यूनतम मजदूरी अधिनि करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है और देता हूं ।

श्री मुकुंद मंडल : आप जानते हैं कि खेतिहर मजदूर वर्ष में नौ महीने हैं । और वर्ष में नौ महीने बेरोजगार रहने के कारण वे गांवों के जमींदारों के जाते हैं । जमींदार खेतिहर मजदूरी को बहुत कम मजदूरी देते है । इस व महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खेतिहर मजदूरों को बेरोजग तथा उनके लिए कल्याण कोष बनाएगी जिससे उनके लिए चिकित्सा, आवासी पेंशन सुविधा आदि की व्यवस्था की जा सके ? उन्हें इस कल्याण कोष से लाभ सरकार की ऐसा कोष बनाने में दिलचस्पी है तथा इसके साथ ही क्या वह खेतिह बेरोजगारी भत्ता देने में भी दिलचस्पी रखती है ।

श्री भगवत झा आजाद : यह सच है कि भारतीय गांवों के खेतिहर मज जुताई के मौसम के बाद अंशतः बेरोजगार होते हैं । यह सच है और हम सब कारण हमारा यह विचार है कि हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं वह हमें व महोदय, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के बारे में, हम ऐसा करना तो चाहते हैं, की जटिलता के कारण इन बातों पर सोचना बहुत कठिन है ।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेंट म द्वारा दिया गया है, उसमें उन प्रदेशों के नाम बताए गए हैं जहां पर लेबर के लिए यह कानून लागू किए गए हैं मुझे आश्चर्य है कि इसमें वेस्ट ब नहीं है । (व्यवधान) ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि इसमें इफेक्टिव डेट्स भिन्न-भिन्न में यह 1-1-82 से लागू किया गया है, परन्तु वहां पर दूसरे रजिस्टर रखे जाते अनुसार रजिस्टर रखे जाते हैं । मजदूरों को बढ़ी हुई तन्खवाह नहीं मिलती है तो में मजदूरों को बढ़ी हुई तन्खवाह नहीं मिलती है, उन्हें पिछले समय से बढ़ी हुई त या नहीं मिलेगी ?

श्री भगवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है और मैंने स्वीका अधिकांश मेंबर्स देश के ऐसे भागों से आते हैं जहां से वे जानते हैं कि ग्रामीण स्थिति है । मैंने इस समस्या की विशालता और बहुलता को स्वीकार किया है । देखा जा रहा है । जहां से शिकायत प्राप्त होती है वहां पर हम लिखते हैं, जांच और कार्यवाही भी की जाती है । इससे अधिक क्या किया जाना सम्भव हो सकता

श्री के० ए० राजन : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर चाहता हूं कि कुछ असंगठित उद्योग जैसे हथकरघा, बीड़ी, काजू आदि एक राज्य

चले जाते हैं। अपने उत्तर में उन्होंने बताया है कि उन्होंने यह निर्देश जारी किए हैं कि यथा संभव उस उत्तर को पूरा किया जाए। लेकिन, दुर्भाग्य से, वह अंतर अभी भी चल रहा है तथा कुछ राज्यों को जहां ये उद्योग चले गए हैं उस अंतर से हानि हो रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे एक समान बनाने के लिए कठोर कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उद्योगों से संबंधित है।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक को प्रश्न पूछने देना असंभव है। मैं एक सदस्य को सत्ता पक्ष से और एक सदस्य को विपक्ष से बुला रहा हूं। यदि आयश्यक हुआ, तो मैं चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। यही मेरा निर्णय है। मैं इसी का प्रयोग कर रहा हूं।

श्री राजेश पायलट : मुझे आशा है, आप मेरे विचारों से सहमत होंगे कि ग्रामीण खेतिहर मजदूरों और शहरी मजदूरों में अंतर है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार निर्धन ग्रामीण खेतिहर मजदूरों के लिए भी मूल्य सूचकांक सूत्र बनाने का विचार कर रही है जैसा कि संगठित मजदूरों के मामले में है। और यदि हां, तो कब ?

श्री भगवत झा आजाद : यह अत्यन्त स्पष्ट तथ्य है कि सूत्र के सम्बन्ध में असंगठित मजदूरों और संगठित मजदूरों में अन्तर है। संगठित मजदूरों का जो फार्मूला है उसमें मूल मजदूरी तथा महंगाई भत्ता है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ है। इस समय खेतिहर मजदूरों के मामले में ऐसा नहीं है। वह सच है। हम समझते हैं कि प्रत्येक दो वर्ष के बाद संशोधन करने, का सूत्र अथवा सूचकांक में 50 प्वांइट वृद्धि के बाद वृद्धि करने का सूत्र, जिसकी ओर श्री नरसिह मकवाणा ने संकेत किया है, संतोषजनक नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सुझाव है। क्या हम इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध करने के बारे में विचार कर सकते हैं ? राज्यों के श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में यही सुझाव दिया गया था। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री के० राममूर्ति : जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-सेवी संस्थाएं नहीं होंगी तब तक खेतिहर मजदूरों के मामले में न्यूनतम मजदूरी कार्यान्वित करना अम्सभव है। न्यूनतम मजूरी और उसे कार्यान्वित करने के अलावा मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय अधिनियम के बारे में मामला काफी अर्से से विचाराधीन है। बहुत सी समितियों का गठन किया गया था। उन्होंने भी अपने सुझाव और मसौदे दिए। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस विधेयक को संसद के इस सत्र में अथवा कम से कम अगले सत्र में अवश्य प्रस्तुत करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न का पहला भाग विवादास्पद है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी कार्यान्वित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि

हमारे पास मजबूत स्वयंसेवी संस्थायें हों और इसी संदर्भ में मैंने आई० एम० टी० यू० सी० द्वारा सम्मेलन आयोजित किए जाने के प्रयासों की प्रशंसा की थी। (व्यवधान)।

कल मैं उनके पास गया था, और इसीलिए मैंने प्रशंसा की है। (व्यवधान)।

आप बातें करते हैं। वे काम करते हैं। यही अंतर है। और, इसीलिए, मैं उनके द्वारा ग्रामीण मजदूरों के लिए 'ग्रामीण संगठनकर्त्ताओं का कैंप' संगठित करने के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग में विधेयक संबंधी प्रश्न है, आपने ठीक ही कहा है कि यह पुराना हो चुका है और इसीलिए हमने इसमें संशोधन करने के लिए इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का सुझाव दिया है।

श्री हीरालाल आर० परमार : मैं एक महत्व का सवाल पूछ रहा हूं। गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की सानन्द तहसील में 55 गाँव हैं जिन में दो रुपया पर डे मजदूरी लोगों को मिलती है। मैंने यह बात लिख कर भी मन्त्री जी को दे दी है लेकिन आज तक उसका कोई जवाब—नहीं मिला है। वहां दो रुपया रोज लेबरर्ज को मिलता है। क्या उन पर आपका लॉ लागू नहीं होता है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको शोषण से बचाने के लिए और रोजी रोटी देने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री भगवत झा आजाद : यह बात स्पष्ट है कि गुजरात में भी न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है। अगर माननीय सदस्य इसको जानते हैं कि वहां दो रुपये मजदूरी मिलती हैं और वह कहते हैं कि उन्होंने लिख कर दिया है तो इस चीज को वह वहां की राज्य सरकार को भी कह सकते हैं, उनको मिल कर भी उनको कह सकते हैं और जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है अगर यह बात सच है तो स्थिति को सुधारने का प्रयास हम करेंगे और किया जा रहा है।

लेबेनान से आये भारतीयों का एक रोजगार एजेन्सी द्वारा ठगा जाना

*152.†**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री डी० पी० यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लेबेनान से आये 31 भारतीयों को भारत में स्थित एक रोजगार एजेंसी द्वारा ठग लिया गया ;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) 31 भारतीय नागरिकों के एक दल को कुछ सिद्धान्तहीन एजेंटों द्वारा भर्ती किया गया था और उन्हें बेरुत में 3000/-रु० से 4000/-रु० के बीच मासिक वेतन पर कारखाने में नौकरी देने का वायदा किया गया था। इन एजेंटों ने प्रत्येक नौकरी चाहने वाले से अभिकथित रूप से 14000 रु० वसूल किए। एजेंटों के साथ उन्हें पर्यटक वीसा पर दो दलों में विमान द्वारा 27-28 दिसम्बर 1981 को कलकत्ता से ढाका ले जाया गया जहां से उन्हे मास्को, सोफिया और इस्तनबूल के रास्ते दमिश्क ले जाया गया। दमिश्क से उन्हें लेबनान के लिए बिना बीसा के इस आश्वासन पर उनकी मर्जी पर बस द्वारा बेरुत भेजा गया कि एजेंट उन्हें बेरुत में मिल जायेंगे। 10 जनवरी, 1982 को बेरुत पहुंचने पर, उन्होंने अपने आपको बिना नौकरी के असहाय पाया। उन्होंने 12 जनवरी, 1982 को भारतीय दूतावास से सम्पर्क किया और जैसे ही हवाई जहाज में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हुआ, उन्हें 31 जनवरी, 1982 को भारत वापस भेज दिया गया।

(ग) 2 फरवरी, 1982 को दिल्ली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता और उत्प्रवास अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन उन ट्रेवल एजेंटों के विरुद्ध मामला दर्ज किया जिनका अभिकथित रूप से भारतीय प्रवासियों को लेबनान भेजने में हाथ था। इस मामले की अभी जाँच-पड़ताल की जा रही है।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एजेंट कौन हैं और क्या उसने श्रम मंत्रालय में अपना पंजीकरण करवाया है या नहीं; और यदि नहीं, तो फिर वह व्यक्ति वीसा की व्यवस्था कैसे कर पाया तथा किस प्रकार का वीसा प्राप्त किया गया।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : उनके पास टूरिस्ट वीसा था। ये दोनों व्यक्ति पंजाब के थे। दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनकी खोज जारी है। इनको पहले ढाका भेजा. वहां से दमिश्क भेजा और घुमा फिरा कर वहां ले गए। दोनों व्यक्तिओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष जी, यह तो बड़ा अच्छा हुआ सरकार ने सब से अच्छी कार्यवाही और जल्दी कार्यवाही की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब टूरिस्ट वीजा लिए हुए थे तो इमीग्रेशन आफिसर्स को मालूम हो जाता है जब लोग वहां से जाते हैं उस समय ऐसे लोगों को पहचाना जा सकता है कि वाकई में यह लोग टूरिस्ट हैं कि नहीं। अगर कोई आदमी धोखा देकर ले जा रहा है तो पता लग जाता है। इसलिए में जानना चाहता हूं कि इमीग्रेशन लेविल पर उनको क्यों नहीं रोका गया ?

श्री भगवत झा आजाद : इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे सकता, यह तो संबंधित मंत्रालय ही दे सकता है।

प्रश्न यह है कि कभी-कभी आदमी को पहचानने में दिक्कत होती है और यह देख लेना कि टूरिस्ट है कि नहीं बड़ा मुश्किल है। अब स्थिति यह हो गई कि पहले तो यह एजेन्ट अपने

को श्रम मंत्रालय में रजिस्टर कराते थे । लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 20 मार्च, 1979 के जजमेंट के अनुसार अब वह सब आजाद हो गए हैं । कोई जरूरत नहीं हैं रजिस्टर कराने की । सिर्फ 4 कानून उन पर लागू हैं । इसलिए दिक्कत हो रही है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : क्या मंत्रीजी को यह पता है कि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो गरीब लोगों से पैसा लेकर, 10,000 रु० 20,000 रु० तक लेते हैं और उन्हें यह लालच देते हैं कि तुम्हें बाहर भेजा जाएगा नौकरी के लिए । वह बेचारे देहात से बड़े बड़े शहरों में आते है, जैसे दिल्ली या बम्बई में और यहां भटकते रहते हैं और ५, 6 महीने भूखे भी रहते हैं । फिर उन्हें पता नहीं चलता है कि वह किधर जायें और क्या करें । यह जो आदमी के साथ तिजारत हो रही है सरकार इसकी खोज करके कोई प्रतिबन्ध लगायेगी ताकी इसको रोका जाय ?

श्री भगवत झा आजाद : यह बात सही है कि यह व्यक्ति जो पहले रजिस्टर्ड एजेन्ट थे अब अनरजिस्टर्ड हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद और इस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं । वर्तमान केस में ही एक, एक व्यक्ति से 14,000 रु० लिये गए और बड़ी मुश्किल से वापस आये हैं । इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सबको अनरजिस्टर्ड किया है इसलिए एक बिल सदन में हम लायें जिससे इन बातों पर विचार किया जाय ताकि ऐसे चालाक लोग भोले भाले लोगों को ठगने न पायें । यथा शीघ्र ही ऐसा बिल लाया जाएगा । **(व्यवधान) ।

श्री दौलत राम सारण : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से आजाद हो गये, अब उनका नाम रजिस्टर नहीं होता, श्रम मंत्रालय से भी यही जवाब आज से करीब डेढ़ साल पहले भी दिया गया था और उस समय भी यही आश्वासन दिया गया था कि कानून में शीघ्र ही संशोधन ला रहे हैं । और आज भी वही जवाब है । इतनी बार सदन बैठ चुका है, तो यह बिल क्यों नहीं लाये ?

श्री भगवत झा आजाद : यह सवाल पूछना सही है । यह जजमेंट हुआ था मार्च 1979 में और वह वायदा जनता सरकार ने किया था जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया । लेकिन हमने जो वायदा किया है वह हम पूरा करके दिखायेंगे । (व्यवधान) ।

श्री दौलत राम सारण : कई केस तो हमने पकड़वाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : ऐसे मामलों को अलग नहीं रखा गया है । मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को इस तथ्य की भलीभाँति जानकारी है कि ..... (व्यवधान)** ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कानून पढ़िए, रुल पढ़िए और फिर आइये ।

वे दस्तावेज लाइये और मुझे बताइये । कानून पढ़िये, रुल आपके पास है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : छोटे छोटे ठेकेदारों द्वारा उड़ीसा और अन्य राज्यों से हजारों मजदूर मंगाए जा रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है···।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया । जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना कहा जाएगा वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या गृह मंत्रालय राज्य सरकारों को यह निर्देश देगा कि ऐसे ठेकेदारों को सजा दी जानी चाहिए तथा जो भी मामले विचाराधीन है, राज्य सरकार को शीघ्र ही उन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जो इस प्रकार से मानवीय श्रम का शोषण कर रहे हैं । यहां तक कि वे इन लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ·····।

श्री मूलचंद डागा : कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है ।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : हजार मजदूरों अरब तथा मध्य-पूर्व देशों को ले जाए जा रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है । सरकार का बेईमान एजेंसियों और ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री भगवत झा आजाद : माननीय सदस्य का यह कथन ठीक है उन्हें भर्ती किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है । ऐसा न होने देने के लिए सदन में प्रवासी विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रंगीन टी० वी० का विकास

*145. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि देश में स्वदेशी तकनीकी से 51 सें० मी० का रंगीन टी० वी० का विकास किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान" सी. ई. ई. आर. आई." उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिकी निगम तथा भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड "ई. सी. आई. एल." ने 51 सें० मी० आकार वाले पर्दे के रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों का विकास किया है। किन्तु वाणिज्यिक उपयोगिता की दृष्टि से इन रिसीवरों का अभी परीक्षण होना शेष है।

पाकिस्तान एजेंसी के रूप में खालिस्तान

*150. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1982 के दैनिक" ट्रिब्यून" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि खालिस्तान पाकिस्तान की एक एजेंसी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी, हाँ श्रीमान।

(ख) इसमें आने वाले धार्मिक नेताओं के-विचारों का उल्लेख है। इन विचारों को सरकार ने नोट कर लिया है।

नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में गिरावट

*151. श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में आई गिरावट तथा देश में मांग में हुई कमी से उत्पन्न संकट की स्थिति दूर करने के लिए केन्द्र सरकार को किन उपायों का सुझाव दिया है ;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से केरल सरकार ने निर्यात पर भाड़ा राजसहायता के भुगतान का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव की जांच की गई है तथा कंयर बोर्ड द्वारा नकद प्रतिपूर्ति सहायता संबंधी एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिस पर अब विचार किया जा रहा है।

2. देश के बाजारों में मांग की मंदी का सामना करने के लिए केरल सरकार ने निम्न-लिखित सुझाव दिए हैं ; अर्थात् :—

1. केरल राज्य सहकारी कंयर विपणन फैडरेशन की अंशपूंजी सहायता के लिए केन्द्र सरकार का अंशदान ;

2. देश में सहकारी समितियों के कंयर तथा कंयर के उत्पादों की बिक्री पर छूट ;

3. केरल राज्य सहकारी कंयर विपणन फैडरेशन को इसकी मूल्य उतार-चढ़ाव निधि में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले अंशदान की 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करना ; तथा

4. वर्ष 1978-79 से केन्द्रीय रूप से स्वीकृत राज्य सरकार की योजना पर केरल सरकार द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति करना ।

राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ इन सुझावों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया है । उनसे भारतीय रिजर्व बैंक और कंयर बोर्ड से परामर्श लेने तथा ऐसे विचार-विमर्श को ध्यान में रखकर अपने प्रस्तावों को पुनः तैयार करने का अनुरोध किया गया है । केरल सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं ।

श्रमिक कानूनों में संशोधन

*153. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उन श्रमिक संघों पर जो सार्वजनिक सम्पत्ति को जानबूझ कर क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को भारी वित्तीय हानि होती है मुकदमा चलाने और उनसे क्षतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं है ;

(ख) क्या सरकार इस बारे में हाल ही में ब्रिटेन और विश्व के अन्य देशों में बनाए गए नवीनतम कानूनों को उनमें हमारे देश के अनुकूल उचित परिवर्तन करके अपनाने पर विचार करेगी ? और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस समय सरकार इस संबंध में कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं करती है ।

जनजातीय विकास की नीति

*154. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनजातीय विकास की नीति संघटक योजना की अपेक्षा बहुत पहले विचार करके तैयार की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि जनजातीय उपयोजना के लिए छठी योजना के दौरान किए गए आवंटन संघटक योजना की तुलना में बहुत कम है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं जबकि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या से दुगुनी है ; और

(घ) जनजातीय उपयोजना को संघटक योजना के सदृश लाभ प्राप्त करने वालों के अनुकूल न बनाकर क्षेत्रोन्मुखी बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान ।

(ग) 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या से लगभग दुगुनी है ।

(घ) जनजाति उपयोजना नीति में अनुसूचित जनजातियों पर ध्यान केन्द्रित करके क्षेत्र विकास की परिकल्पना की गई है । क्षेत्र विकास योजनाओं और लाभोन्मुख योजनाओं, दोनों को हाथ में लिया जाता है । वास्तव में पांचवी योजना अवधि की तुलना में छठी योजना में लाभोन्मुख योजनाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास

*155. **श्री रीत लाल प्रसाद शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुचित प्रशासकीय यूनिट न होने के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है, कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद, राष्ट्रीय हित में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि सड़कों, उद्योग, कृषि, संचार, व्यापार आदि की दृष्टि से ये द्वीप उपेक्षित रहते हैं ; और

(ग) यदि हाँ तो क्या सरकार का विचार इन द्वीपों में रहने वाले भारतीय लोगों के जीवन के भरपूर विकास के लिए तथा उन्हें वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रगति तथा विकास के अवसर प्रदान करने के लिए "अंडमान-निकोबार विकास प्राधिकरण" स्थापित करने का है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) यह कहना सच नहीं होगा कि समुचित प्रशासकीय यूनिट न होने के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का समुचित विकास नहीं हुआ है। 1.88 लाख जनसंख्या वाले इस संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन एक प्रशासक के माध्यम से सीधा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है। प्रशासक को सलाह देने के लिए हाल ही में एक प्रदेश परिषद स्थापित की गई है और परिषद को अन्य बातों के साथ साथ संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने और पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजना प्रस्तावों के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार है। प्रदेश परिषद के चुने हुए सदस्यों में से पाँच को पार्षद नियुक्त किया गया है और उनको विशिष्ट विषय सौंपे गए हैं। जनता के प्रतिनिधियों को इस संस्था के होते हुए संघ शासित क्षेत्र के विकास कार्य में द्वीप ससूह के विकास के लिए एक अलग प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

2. भोगौलिक स्थिति, जन सांख्यिकी विशेषताएं और परिस्थिति सम्बन्धी विचार कुछ ऐसे मुख्य तत्व है जिनको इन द्वीपसमूहों के विकास के नियोजन के समय ध्यान में रखना होता है। परिवहन और संचार के सुधार, अन्य मूल संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था और परिस्थिति के संतुलन पर प्रभाव डाले बिना वन संसाधनों के उपयोग पर बल दिया गया है। केन्द्रीय सरकार के सभी सम्बन्धित मन्त्रालय इन कार्यक्रमों में सम्बन्धित हैं प्रशासन को अधिक शक्तियाँ दी गई हैं ताकि वह अधिक तत्परता और कारगर रूप से विकास कार्यक्रमों को तैयार और कार्यान्वित कर सकें। द्वीप समूह के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए स्वायतशासी निगमों के सृजन पर भी सरकार ध्यान दे रही है।

नारियल जटा उद्योग हेतु सहकारी उत्पादन एवं विपणन योजना

*156. **श्री ई० के० इम्बीचीबाबा :**

श्री एम० एम० लारेंस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में नारियल जटा उद्योग में ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए जिनको अब तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है राज्यों के साथ मिलकर एक सहकारी उत्पादन एवं विपणन ढांचा तैयार करने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) कयर उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में छठी योजना परिव्यय 15 करोड़ रुपए हैं। इसमें से, 9.5 करोड़ रुपए की राशि कयर उद्योग के सहकारीकरण के लिए आरक्षित

है । सहकारीकरण योजना अंशपूंजी सहायता, विपणन सहायता, प्रबंधकीय सहायता तथा उपस्करों के आधुनिकीकरण हेतु सहायता देने के लिए बनाई गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"ग्वालियर रेयन्स द्वारा चालियर नदी का प्रदूषण"

*157. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्वालियर रेयन्स, मवूर से निकलने वाले गन्दे पानी से केरल की चलियर नदी के प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे की जानकारी है : और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा पर्याप्त बहिश्राव उपचार संयत्र लगाने के लिए उपक्रम को निदेश दिए गए थे ताकि बहिश्राव राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुकूल हों । उपक्रम को यह भी निदेश दिया गया था कि फैक्टरी स्थल से 6.4 कि० मी० अनुप्रवाह की दूरी से शोधक बहिश्रावों को गिराएं । इन निदेशों का पालन न करने पर राज्य बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन न्यायालय में उपक्रम के विरुद्ध मुकदमा शुरू किया है ।

राज्यों में जिला स्तर पर योजना तंत्र

*158. श्री सन्तोष मोहन देव ।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने जिला स्तर पर योजना निर्माण और कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्यों में जिला स्तरीय योजना तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु एक योजना स्वीकार की थी;

(ख) क्या राज्यों द्वारा किए गए ऐसे व्यय की अंत:पूर्ति किए जाने का भी प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए छठी योजना में उपलब्ध कराया गया परिव्यय कितना है; और

(घ) इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग ने राज्यों में जिला योजना तंत्र को बढ़ाने की एक स्कीम तैयार की है ।

(ख) से (घ) इस स्कीम पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

आदिवासी प्रवासी श्रमिक

*159. श्री चिन्तामणि जेना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ समय समय पर आदिवासी श्रमिक काम की तलाश में काफी संख्या में प्रवास करते रहते हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि बंधुआ मजदूरी का एक दूसरा रूप "दादन" अब भी प्रचलित है जिसके द्वारा विशेषकर उड़ीसा में किसी भी कुशल अथवा अकुशल कार्य के लिए व्यक्तियों की ठेके के आधार पर भर्ती की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अधिकांश व्यक्ति कृषि श्रमिक हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आज़ाद) : (क) आदिवासी श्रमिक बिहार तथा उड़ीसा से रोजगार के लिए पंजाब व हरियाणा राज्यों में अधिकाँशत: उस समय जाते हैं जब उनके पास खेती का काम कम होता है।

(ख) जी, नहीं। बन्धुआ श्रमिक पद्धति 25.10.1975 से समाप्त कर दी गई है। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार व सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979, की धारा 36 (1) के अन्तर्गत, उड़ीसा दादन श्रमिक (नियंत्रण और विनियम) अधिनियम, 1975 और किसी भी राज्य में लागू इस अधिनियम का अनुरूपी कोई भी कानून रद्द हो जाता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, भाग (ग) और (घ) का प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट और जहाजों के निर्माण के लिए मैसर्स लारसन एण्ड ट्बरो को अनुमति देना

*160. श्री ई० बालानन्दन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लारसन एण्ड ट्बरो नामक एक बहुराष्ट्रीय फर्म को अपनी गतिविधियों के विविधीकरण के लिए सीमेंट बनाने और नौवहन कार्य की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त विविधीकरण में समुद्री जहाजों का निर्माण किया जाना भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो फर्म को दी गई स्वीकृति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता को स्वीकृति देने के मामले में लाइसेंसीकरण संबंधी सरकारी नीति के अनुसार महाराष्ट्र में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए एक भारतीय कंपनी मे० लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया था। सरकार की कोई भी सहायता लिए बिना भारतीय जहाजरानी बेड़े को बढ़ाने के लिए कम्पनी को कुल 180,000 डी० डब्ल्यू०टी० क्षमता तक जलयानों/जलपोतों का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई है। किन्तु जलयानों का निर्माण करने के लिए उन्हे कोई लाइसेंस अथवा अनुमति नहीं दी गई है।

सेवा के मामलों में तीसरे वेतन आयोग के आदेशों का क्रियान्वयन

*161. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा के मामलों में तीसरे वेतन आयोग की सभी सिफारिशें सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं चाहे वे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों; और

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि इसके द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को सभी विभागों द्वारा लागू किया जाये तथा उन अन्य विभागों पर भी लागू किया जाये जिन पर इसके द्वारा जारी किए गए आदेश स्वत: लागू नहीं होते हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बय्या): (क) जी नहीं, श्रीमान्। सामान्य रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित सिफारिशें, जब तक कि वे कर्मचारियों के विशेष वर्गों से सम्बन्धित न हों, कर्मचारियों के सभी वर्गों पर लागू होती हैं चाहे वे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों।

(ख) सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर जारी किए गए आदेश या तो स्वत: लागू हो जाते हैं अथवा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें लागू करें। जहां तक इन आदेशों के उन कर्मचारियों पर लागू किए जाने का सम्बन्ध हैं जो स्वत: इनके अन्तर्गत नही आते उनके मामले में इन्हें किस सीमा तक लागू/कार्यान्वित किया जाए विस्तृत जांच करके निर्णय करना सम्बन्धित विभागों पर छोड़ दिया गया है।

गंगा नदी के प्रदूषण का अध्ययन कर रहे विश्वविद्यालय

*162. श्री गुलाम मोहम्मद खाँ : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से विश्वविद्यालयों को गंगा नदी में प्रदूषण की सीमा का अध्ययन करने और उसे न्यूनतम करने के तरीकों का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य से सम्बद्ध विश्वविद्यालयों ने केन्द्रीय सरकार को अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) गंगा के साथ-साथ स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों के 21 दिसम्बर, 1981 को योजना आयोग में हुए सम्मेलन में प्रदूषण सहित गंगा के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं तैयार करने के लिए इन विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के तीन संगत समूह बनाए गए थे । इन दलों को अपने प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप देना है ।

एक यूनियन एक परियोजना का सिद्धान्त

*163. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**
श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा संचालित सेवाओं और परियोजनाओं में एक यूनिट में एक ट्रेड यूनियन के सिद्धान्त को लागू करने के लिए कार्य आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मुख्य सेवाओं और परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां यह कार्य आरम्भ किया जा रहा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बेलाडीला लौह अयस्क परियोजना के मुख्यालय का स्थानान्तरण

*164. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर की बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है जिसके परिणामस्वरूप बहुत धन और समय बर्बाद होता है;

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय और उपरोक्त परियोजना के स्थल के बीच कितनी दूरी है; और

(ग) क्या उक्त मुख्यालय को हैदराबाद से बदल कर रायपुर ले जाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और ऐसा कब तक किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं । बलाडिला लौह-अयस्क परियोजना का मुख्यालय बैलाडिला में ही है । हैदराबाद में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्यालय है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

मारुति लिमिटेड के साथ सहयोग

*165. **श्री चित्त बसु :**

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारुति लिमिटेड के किसी विदेशी आटोमोवाइल कम्पनी के साथ सहयोग करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) किन-किन विदेशी कम्पनियों के साथ बातचीत की गई है; और

(ग) विभिन्न विदेशी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में मूल्यांकन की तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) विभिन्न विदेशी कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है मारुति के निदेशक-मण्डल द्वारा उनके प्रस्तावों के तुलनात्मक गुणावगुणों की भी जांच की जा रही है ।

मैसर्स विमल और विनोद टैक्सटाइल, मिल्स, उज्जैन की ओर बकाया राशि

1617. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मैसर्स विमल और विनोद टैक्सटाइट मिल्स पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : उपलब्ध सूचना के अनुसार दो मिलों के पास नीचे दी गई राशियां बकाया थीं : —

	कर्मचारी राज्य बीमा देय राशि	कर्मचारी भविष्य निधि देय राशि
	(11/81 तक)	(6/81 तक)
मैसर्स विमल मिल्स	14,99,193.30 रुपये	32,55,812.78 रुपये
मैसर्स विनोद मिल्स	63,07,416.30 रुपये	1,35,17,372.39 रुपये

अरुणाचल प्रदेश में बर्मी लोगों की घुसपैठ

1618. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरुणाचल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि वह संघ-शासित क्षेत्र में सभी नागरिकों की घुसपैठ को रोकें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बर्मा के लोग गत अनेक वर्षों से अरुणाचल प्रदेश से पार आते रहे हैं अथवा प्रवेश करते रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो बर्मा के उन राष्ट्रिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया है ; और

(घ) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ)—नवम्बर, 1981 में 199 बर्मी राष्ट्रिक अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में सीमा पार करके आए थे। उनके अनुसार उन्होंने बर्मी क्षेत्र में सक्रिय भूमिगत नागाओं के खतरे से बचने के लिए भारत में शरण मांगी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी इस मामले में भारत सरकार को अवगत किया था। दस शरणार्थी वापस जा चुके हैं। शेष शरणार्थियों को शीघ्र वापस भेजने के प्रश्न पर भारत सरकार बर्मी सरकार के साथ कार्यवाही कर रही है।

समुद्र तटीय क्षेत्रों में खोये पोतों का पता लगाने की परियोजना

1619. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री युद्धों के कारण भारत के समुद्रतटीय क्षेत्रों में खोये सैंकड़ों जलपोतों का पता लगाने के लिए एक परियोजना शुरू करने जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है और यदि हां तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) इन प्रयोजनों के लिए किन-किन स्थलों का चयन किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एन.आई.ओ.) गोआ, ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अनुरोध पर "भारतीय जल में समुद्री पुरातात्विक अध्ययन" अनुसंधान योजना प्रारम्भ की है, (1) द्वारका और कावेरीपट्टनम के जल में डूबे भागों का अन्वेषण और उत्खनन तथा (2) भारतीय जल में डूबे भग्न जलपोतों को ज्ञात करने और उद्धार की संभावनाओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन पूरा किया गया ।

पहले गोआ, द्वारका और ट्रॉक्विबार के जल में भग्नजलपोतों का पता लगाया जायेगा, गोआ और द्वारका के समीप अन्वेषण किए जाने वाले समुद्री क्षेत्र ज्ञात किए गए, यह परियोजना दो वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 88,400/- रु० के प्रदत्त अनुदान द्वारा समर्थित है ।

दिल्ली में सरकारी गोदामों में सीमेंट की चोरी

1620. **प्रो० मधु दण्डवते :**
श्री पीयूष तिरकी :
श्री राम विलास पासवान :
श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस बात की जानकारी देने वाले समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली के सरकारी गोदामों से बहुत अधिक मात्रा में सीमेंट की चोरी और काले बाजार में बिक्री होती है ;

क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में अकेले खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों (एनफोर्समेंट स्टाफ) ने अनधिकृत सीमेंट की 3,500 बोरियां जब्त की जिसमें से एक तिहाई बोरियाँ दिल्ली विकास प्राधिकरण के गोदामों से चुराई गई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस तरह के कदाचारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सीमेंट के गोदामों से सीमेंट की छोटी मोटी चोरी होने की सूचना दी है । सीमेंट की चोरी तथा कालाबाजारी रोकने के लिए गोदामों से सीमेंट के लाने ले जाने पर कड़ी निगरानी रखी जाती है निर्माण कार्यों में लगे सभी सरकारी अभिकरणों विभागों को भी दिल्ली प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की चोरी को रोकने तथा संशोधित स्वामियों को दूर करने हेतु परामर्श दे दिया गया है ।

ऊर्जा उत्पादन के लिए 'हाट ड्राई राक टेकनीक

1621. श्री पीयूष तिरकी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में है कि जर्मन विज्ञानिक ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए 'हाट ड्राई राक टैकनीक' के साथ प्रयोग कर रहे हैं ;

(ख) क्या देश में चट्टानों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए सरकार इस तकनीक की ओर ध्यान देगी ;

(ग) क्या उत्तर-पूर्वी लवारिया में किए जा रहे कार्य के बारे में सरकार की कोई जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) जी हाँ । सरकार को संघीय जर्मन गणराज्य और अन्य यूरोपीय देशों में इस क्षेत्र में होने वाले कार्यों की जानकारी है । मूलरूप से इस तकनीक में, 300 मीटर या इससे अधिक नीचे डाले जाने वाले ताल पदार्थ द्वारा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ऊष्मा ऊर्जा निष्कर्षित की जाती है । यह तकनीक प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां कि ऐसी ऊष्म शुष्क चट्टानें होती हैं । इस प्रकार की भू-तापीय ऊर्जा की प्राप्ति और विभव के लिए देश में अध्ययन और सर्वेक्षण जारी हैं ।

चोरों और लुटेरों द्वारा अपनायी जा रही चतुराई

1622. श्री अर्जुन सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में चोर और लुटेरे जनता और पुलिस को चकमा देने के लिए बढ़चढ़कर चतुराई से काम ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा अपराधों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) यह निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार के पास कोई सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि देश भर में चोर और लुटेरे जनता और पुलिस को चकमा देने के लिए बढ़चढ़कर चतुराई से काम ले रहे हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अण्डमान में तांबे के भंडार

1623. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच पड़ताल से अण्डमान में तांबे के भंडार होने का पता लगा है ;

(ख) क्या इस बारे में उस क्षेत्र में विस्तृत जांच पड़ताल कराए जाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा की गई खोज से दक्षिणी अण्डमान के बीदनाबाद क्षेत्र में तांबा खनिजीकरण का पता चला है । यह खनिजीकरण यत्र-तत्र और बिखरा हुआ है इसलिए फिलहाल इस क्षेत्र में विस्तृत खोज करने का विचार नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

एल्यूमिनियम कांग्रेस की सिफारिशें

1624. श्री डी० पी० जदेजा :

श्री नवीन रवाणी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय एल्यूमिनियम कांग्रेस का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के क्या नाम थे ;

(ग) इसमें क्या सिफारिशें की गई ; और

(घ) उन पर भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां ।

(ख) कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नामों की, राष्ट्रीय युवा उद्यमी एलाएंस के आयोजनों द्वारा यथा प्रस्तुत सूची सलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल. टी. 3464/82]

(ग) चर्चा के दौरान निम्नलिखित मुख्य तथ्य प्रकट हुए :

1. भारत के पास विश्व का मुख्य एल्यूमिनियम उत्पादक देश बनने की क्षमता है ।

2. एल्यूमिनियम के अनेक क्षेत्रों में उपयोग की तथा अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन बनने की प्रचुर संभावनाएं हैं ।

3. देश में एल्यूमिनियम की मांग सन, 2000 तक लगभग एक मि० टन हो जाएगी ।

4. एल्यूमिनियम प्रद्रावकों को पर्याप्त और आवधिक बिजली पूर्ति की तत्काल जरूरत है ।

5. एल्यूमिनियम प्रद्रावकों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए भारत में अनुसंधान और विकास अध्ययन किए जा रहे हैं ।

6. अनुसंधान और विकास प्रयासों को तेज करने की जरूरत है ।

7. एल्यूमिनियम के अर्द्ध-तैयार माल तथा उपभोक्ता माल की उत्पादन प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को तत्काल दक्ष और वचतपूर्ण प्रक्रियाओं के अनुरूप बनाना होगा ।

8. एल्यूमिनियम, उसकी मिश्र धातु और निर्मित माल के बारे में बाजार अनुसंधान, सम्पन्न उपभोक्ताओं के शिक्षण, बाजार प्रवेश तथा एल्यूमिना, उनके उद्योगों के लाभ के बारे में आम जाग्रति पैदा करने के लिए व्यापक प्रयास करना आवश्यक होगा ।

9. प्राथमिक उत्पादकों, अर्द्ध-तैयार तथा तैयार माल के निर्माताओं को एकजूट होकर बाजार पैदा करने तथा व्यवस्थित ढंग से बाजार मांग की पूर्ति के लिए काम करना होगा ।

10. प्राथमिक उत्पादकों से अंतिम उत्पाद खपतकर्त्ताओं के बीच लागतों और मूल्यों को इस प्रकार से नियंत्रित करना होगा ताकि वे माँग को बढ़ाने वाले हों ।

11. सरकार द्वारा लागू मूल्य नियंत्रण, कर-विन्यास, उत्पादन नियंत्रण तथा अन्य नियमनकारी उपाय इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए ।

(घ) सरकार ने इन बातों को नोट कर लिया है ।

रायरंगपुर, उड़ीसा में फैरो बोनाडियम संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव

1625. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में रायरंगपुर में एक फैरो वोनाडियम संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह का फैरो वोनाडियम संयंत्र वित्तीय वर्ष 1982-83 में स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ग) नवीनतम अनुमानित लागत के बारे में ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मैसर्स इन्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (इपिकोल) को दिसम्बर, 1978 में, फैरो,वैनेडियम और फासफोरस की कम मात्रा वाले कच्चे लोहे का उत्पादन करने के लिए रायरंगपुर में एक कारखाना लगाने के लिए आशय-पत्र दिया गया था । आशय-पत्र को कार्यान्वित करने के लिए इसकी वैधता अवधि दिसम्बर, 1982 तक बढ़ाने के लिए इपिकोल का प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) कारपोरेशन द्वारा नवम्बर, 1981 में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार भूमि तथा भवन की नवीनतम अनुमानित लागत 0.30 करोड़ रुपए और संयंत्र और उपस्कर की अनुमानित लागत 14.00 करोड़ रुपए हैं । यह कारपोरेशन भूमि, जल तथा बिजली का प्रयत्न कर रही है और इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिए इसने एक भारतीय फर्म से फरार किया है । कारपोरेशन ने यह भी बताया है कि परियोजना के लिए तकनीकी जानकारी तथा संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

मणिपुर में अस्थिरता के पीछे विदेशी हाथ

1626. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुर में अस्थिरता पैदा करने के लिए विदेशों द्वारा प्रेरित कुछ निहित स्वार्थी युवकों को गुमराह करते देखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में सरकार विरोधी कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार को मणिपुर में कुछ गुमराह उग्रवादी संगठनों द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्रयासों की जानकारी है । पृथकतावादी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने वाले संगठनों को अवैध गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन गैर कानूनी संस्थाएं घोषित कर दिया गया है । सुरक्षा बल हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठा रहे हैं ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में 'उग्रवादियों" की गतिविधियाँ

1627. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर 1981 के दैनिक "जागरण" में एक्विटीआफ एक्सट्रोमिस्टस इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, (पूर्वीउत्तर प्रदेश में उग्रवादियों की गतिविधियां) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को समाचार की जानकारी है ।

(ख) और (ग) कानून और व्यवस्था प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का विषय है । केन्द्र सरकार राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है और जब आवश्यक होता है मार्ग दर्शन और सहायता देती है ।

सांप्रदायिक दंगों को रोकने हेतु एहतियाती उपायों के लिए राज्यों को मार्गदर्शी निदेश

1628. श्री हरिहर सोरन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने, उन समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों के विरुद्ध जो साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति पैदा करते हैं; एहतियाती उपाय करने के लिए, विभिन्न राज्यों को मार्गदर्शी निदेश भेजे हैं;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों को इस बात के कड़े निदेश दे दिए गए हैं कि वे तनाव की सम्भावना वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी हां श्रीमान ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार द्वारा किये गये उपायों के बारे में ब्यौरे

अपराधों इत्यादि की जांच-पड़ताल समेत (1) आसूचना ढांचे, (2) निरोधक कार्रवाई, (3) प्रशासनिक कार्रवाई के संदर्भ में साम्प्रदायिक दंगों पर विभिन्न आयोगों द्वारा किए गए निष्कर्ष/सिफारिशें मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जनवरी, 1980 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई थी।

2. सरकार ने विधि व व्यवस्था के सम्बन्ध में अप्रैल, 1980 में राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सतर्क रहने तथा सभी निरोधक उपाय करने को सलाह दी गई थी।

3. साम्प्रदायिक दंगों पर नियंत्रण रखने और साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित कार्यवाई हेतु अक्तूबर, 1980 में विशिष्टि मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ आसूचना ढांचा सुदृढ़ करना, निरोधक कार्रवाई, प्रशासनिक उपाय, आकस्मिक योजना, उपयुक्त कार्मिक नीतियां, प्रशिक्षण इत्यादि शामिल हैं।

4. राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समय समय पर किये जाने वाले सम्मेलनों में किये गये उपाय का पुनरीक्षण किया जाता है।

कागज निर्माण की स्वदेशी क्षमता

1629. **श्री अनादिचरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज निर्माण हेतु स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) 1978 और 1981 के बीच लघु कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए कागज निर्माताओं को अथवा आवेदकों को कुल कितने आशय पत्र जारी किए गए; और

(घ) कागज का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन लघु कागज संयंत्रों के कार्य निष्पादन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र में कागज परियोजनाएं चलाने के अलावा सरकार ने कागज के उत्पादन के लिए क्षमता की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. द्वितीयक कच्चे माल पर आधारित ऐसी कागज की मिलों की स्थापना को बढ़ावा देना जिनमें विदेशी मुद्रा व्यय निहित नहीं है उनको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है ।

2. 30 मी• टन प्रतिदिन की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्रों के आयात की सुविधा 31.3.81 तक दी गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप काफी अतिरिक्त क्षमता स्थापित हो गई । चूंकि पर्याप्त क्षमता स्थापित हो गई थी तथा देशी क्षमता का विकास करने की दृष्टि से यह योजना 31.3.1981 के पश्चात् वापिस ले ली गई थी ।

3. लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है ।

4. कागज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रद्दी पर से आयात शुल्क हटा दिया गया है ।

5. गैर परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने वाली छोटी कागज मिलों को उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है ।

6. कागज बनाने के लिए खोई के उपयोग करने पर विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं ।

(ग) वर्ष 1978 तथा 1981 के बीच 10,000 मी० टन प्रतिवर्ष या कम क्षमता वाली कागज मिलें स्थापित करने के लिए 117 आशयपत्र जारी किये गए थे ।

(घ) 10,000 मी०टन प्रतिवर्ष या कम क्षमता वाली छोटी कागज मिलों द्वारा कागज और कागज गत्ते के उत्पादन का प्रतिशत वर्ष 1978 में लगभग 15 प्रतिशत था वह बढ़कर वर्ष 1981 में 22 प्रतिशत हो गया है ।

पालेकर अवार्ड संवाददाताओं के प्रत्यापन का नवीकरण

1630. श्री राम बिहारी बहेरा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा प्रत्यापित संवाददाताओं के बारे में किए गए मूल्यांकन का, इन समाचारपत्र अधिकारियों द्वारा इस भय के कारण नवीकरण नहीं किया गया है कि संबंधित पत्रकारों के मामले में पालेकर अवार्ड का कार्यान्वयन करना होगा ;

(ख) यदि हाँ, तो किन किन संवाददाताओं के प्रत्यापन का समाचारपत्र अधिकारियों द्वारा नवीकरण नहीं किया गया, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक मामले में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ; और राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पत्रकारों के लिए पालेकर अवार्ड के समुचित कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं । प्रत्यापन के नवीकरण न करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) राज्य सरकारों/प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे पालेकर अधिकरणों की सिफारिशों के सम्बंध में सरकारी आदेशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित कराएं और दोषी समाचार-पत्र प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करें । श्रम मंत्रालय ने कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्ति की है ।

पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

1631. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग ने पंजाब राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन दल इस राज्य में भेजने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने किन किन स्थानों की यात्रा की और इस सम्बन्ध में पंजाब सरकार के साथ हुई उनकी बातचीत के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) इस दल ने संयंत्र स्थापित करने के लिए अस्थायी रूप से किस स्थान के बारे में विचार किया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) सरकार ने देश में नए परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थल चुनने के लिए एक समिति नियुक्त की है ।

(ख) तथा (ग) स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

कलाई की घड़ी के पुर्जों का निर्माण

1632. श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने, लघु क्षेत्र में पुर्जे जोड़कर घड़ी तैयार करने वाले एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

कम्पनियों द्वारा कलाई की घड़ियों के पुर्जों का निर्माण करने के लिए और आगे क्षमता बनाने को प्रोत्साहित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो नवीन क्षमता बनाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करने का ब्यौरा क्या है और लघु क्षेत्र के एककों को पुर्जों का कितना उत्पादन उपलब्ध कराया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) : जी, हां ।

(ख) सरकार ने हाल ही में प्रमुखतः कलाई घड़ियों के हिस्से पुर्जों का उत्पादन करने के लिए अग्रेतर क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है । यह निर्णय लघु पैमाने के एसेम्बली एककों की मांग पूरा करने के लिए देश में ही हिस्से-पुर्जों का उत्पादन करने संबंधी क्षमता का विकास करने के दृष्टिकोण से लिया गया है ताकि आयात की लगातार निर्भरता से बचा जा सके । इस प्रकार की सृजित क्षमता में से घड़ी के पुर्जों के उत्पादन के कम से कम 2/3 भाग का संभरण लघु एसेम्बली एककों को किया जाएगा तथा 1/3 भाग पूरी घड़ी बनाने वाले एककों के उपयोग के वास्ते सप्लाई किया जाएगा । औद्योगिक एककों के उपयोग के वास्ते सप्लाई किया जाएगा । औद्योगिक रूप से पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रस्तावों तथा ऐसे प्रस्तावों को जिनका उद्देश्य प्रथम वर्ष से ही स्वदेशीकरण पर जोर देने का रहा है, अधिमानता दी जायेगी । किन्तु एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार व विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की कंपनियों पर अतिरिक्त क्षमता की स्थापना हेतु विचार नहीं किया जाएगा ।

अमरावती महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना

1633. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में अमरावती में आदिवासियों की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वहां लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी ;

(ख) क्या सरकार अमरावती में, वहां के बेरोजगार आदिवासी पुरुषों और महिलाओं की बड़ी संख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एक बड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए पहल करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्रों की केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से अमरावती जैसे विशेष क्षेत्र में लघु उद्योग एककों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी, वित्तीय तथा अन्य दृष्टिकोणों से सहायता देने की व्यवस्था की जा रही है । जिला उद्योग केन्द्र यथा संभव निवेश पूर्ण तथा निवेश स्तर पर व निवेशोत्तर स्तर पर एक ही स्थान पर उद्यमकर्ताओं के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता व सेवाएं देते

हैं । जिला उद्योग केन्द्र अमरावती द्वारा आदिवासी क्षेत्र तथा जिले के अन्य क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा चुकी है । जिला उद्योग केन्द्र अमरावती द्वारा प्रारम्भ से की गई वास्तविक प्रगति इस प्रकार है :—

	1979-80	1980-81	1981-82 (दिसम्बर, 81 तक)
1. पता लगाए गए उद्यमियों की संख्या	183	718	उपलब्ध नहीं
2. नए पंजीकरणों की सं०	111	251	204
3. स्थापित किए गए नए एककों की संख्या			
कारीगर	283	174	191
लघु एकक	111	396	360
योग :	394	570	551
4. बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण (रु० लाखों में)	58.25	81.79	64.97
5. अतिरिक्त रोजगार के अवसर	1941	1173	1499
6. अन्य प्रकार की (तकनीकी सहायता सहित) सहायता प्राप्त एककों की संख्या	210	472	300

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं का स्थापना स्थल मोटे तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोणों पर निश्चित किया जाता है । इन्हीं धारणाओं के अन्तर्गत पिछड़े हुए क्षेत्रों को केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापनास्थल के बारे में अधिमानता दी जाती है । तथापि, इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए प्रमुख पूर्वापेक्षित बातें कच्चे माल की उपलब्धि, कुशल मजदूर, विपणन सुविधा, औद्योगिक विकास की अवस्थापना जैसे बिजली, पानी सड़कों की स्थिति, परिवहन, संचार के अन्य साधन, औद्योगिक कार्यशालाएं, वित्तीय संस्थाएं आदि हैं । भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश का समान रूप से वितरण किए जाने का सुनिश्चय करने में व्याप्त सीमाओं

को देखते हुए औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों से अधिकाधिक निवेश कराकर उद्योगों का संतुलित क्षेत्रीय विकास किया जाता है। पिछड़े हुए तथा कम विकसित क्षेत्रों में निवेश हेतु आकर्षण प्रदान करने की दृष्टि से भावी उद्यमकर्ताओं को अनेक रियायतें जैसे पूंजीगत निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, वित्तीय संस्थानों आदि से रियायती दर पर वित्त आदि दी जाती हैं।

पुलिस कर्मियों को चोट के लिए बीमा

1634. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशभर में जनवरी, 1980 से अब तक कितने पुलिस कर्मी ड्यूटी पर मारे गए ;

(ख) क्या सरकार अपनी ड्यूटी का पालन करते समय घायल होने और मरने वाले पुलिस कर्मियों को पर्याप्त बीमा सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मोरक्को में एक समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना

1635. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास, मोरक्को की उस देश में एक मिलियन टन की क्षमता वाला एक समेकित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने में, सहायता करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव का कब तक कार्यान्वियन करने की सम्भावना है;

(ग) प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए दोनों देशों के मध्य किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वियन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) जी, हां। वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन मंत्री, महामहिम अजद्दीन गैसकस के नेतृत्व में मोरक्को का एक शिष्टमण्डल नवम्बर, 1981 में भारत आया था और वाणिज्य, इस्पात और खान मंत्री के साथ हुई उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने मोरक्को में स्थानीय कच्चे माल पर

आधारित एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में शक्यता अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की सहायता देने के लिए अनुरोध किया था। यह मान लिया गया था कि इस बारे में अध्ययन करने के लिए मेकन के विशेषज्ञों का एक दल मोरक्को जाएगा। मोरक्को में भारतीय दूतावास मोरक्को के प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके दल के दौरे का कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार करेगा। इस मामले में लिखा-पढ़ी की जा रही है।

1981-83 में सीमेंट का उत्पादन

1636. श्री नवीन रवाणी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 में कारखाने-वार और मिनी सीमेंट संयंत्रों में सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1981 के दौरान सीमेंट का कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ग) वर्ष 1982 और 1983 में सीमेंट का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 14.43 लाख मी० टन।

(ग) 1982-83 में सीमेंट का उत्पादन 260 लाख मी० टन अनुमानित है।

विवरण

1981 में सीमेंट कारखाने-वार उत्पादन

क्रमांक	एकक का नाम		उत्पादन (मी० टन)
1.	ए० सी० सी० लि०,	बनमोर	67612
2.	,,	भूपेन्दीया	423138
3.	,,	चेबासा	531068
4.	,,	चांदा	487248
5.	,,	जामुल	1083327
6.	,,	द्वारका	210600
7.	,,	खलारी	95200

क्रमांक	एकक का नाम		उत्पादन (मी० टन)
8.	,,	किश्तना	250214
9.	,,	कैमोर	625670
10.	,,	लाखेरी	272075
11.	,,	मधुक्काराय	310159
12.	,,	मनचेरियल	294235
13.	,,	न्यू पोरबन्दर	128029
14.	,,	पोरबन्दर (सफेद)	26300
15.	,,	सेवालिया	204940
16.	,,	शाहबाद	390669
17.	,,	वादी	390104
18.	,,	सिन्दरी	165635
19.	आन्ध्र सीमेंट्स,	विशाखापट्नम	174658
20.	,,	विजयवाड़ा	229225
21.	वागलकोट उद्योग		170620
22	बिरला सीमेंट वर्क्स		415836
23.	चेत्तीनाद सीमेंट्स		367558
24.	सीमेंट कारपोरेशन,	बोकाजन	196680
25.	,,	कुरकुन्ता	187342
26.	,,	मन्धार	336475
27.	,,	राजवन	380379
28.	,,	अकालतरा	240935
29.	,,	नीमच	182960
30.	सैन्चूरी सीमेंट		645100
31.	डालमिया दादरी सीमेंट		10386

क्रमांक	एकक का नाम	उत्पादन
32.	डालमिया सीमेंट भारत	495839
33.	दुर्गापुर सीमेंट	365412
34.	हीरा सीमेंट	110647
35.	इन्डिया सीमेंट (संकारी दुर्ग)	582864
36.	,, (तलाययूथू)	621481
37.	जयपुर उद्योग	483720
38.	जे. एण्ड के. मिनरल्स, व्यूयान (मिनी)	6639
39.	जे. एण्ड के. सीमेंट वर्क्स	690807
40.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट	319521
41.	केसोराम सीमेंट	842516
42.	मद्रास सीमेंट	494647
43.	मावमलू-चेर्रा सीमेंट	92730
44.	मैसूर सीमेंट	407810
45.	उड़ीसा सीमेंट	421809
46.	पन्याम सीमेंट	403306
47.	रामाकृष्णा (के. सी. पी.)	237977
48.	रोहतास इंडस्ट्रीज	243881
49.	सौराष्ट्र सीमेंट	397918
50.	सतना सीमेंट	506446
51.	श्री दिग्विजय (सिक्का)	639000
52.	,, (अहमदाबाद)	112425
53.	,, (सोवरी)	142724
54.	सोनवाली पोर्टलैंड सीमेंट	164798
55.	तमिलनाडु सीमेंट (अलंगुलम)	293248
56.	,, (अरियालुर)	286465

क्रमांक	एकक का नाम	उत्पादन (मी० टन)
57.	तरावानकोर सीमेंट	39981
58.	उदयपुर सीमेंट	291197
59.	यू. पी. स्टटे सीमेंट कारपोरेशन, चरक	364499
60.	,, डाल्ला	129912
61.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील, भद्रावती	63479
62.	कुच सीमेंट (मिनी)	1855
63.	मेहार सीमेंट	405794
64.	येरागुल्सला	118867
65.	चुनार	157523
66.	रासी	146245
67.	मांगालम	177273
68.	लोकापुर (मिनी)	743
69	वेदा (मिनी)	उपलब्ध नहीं
70.	जे. एण्ड के. मिनरल्स, खरियू	40

अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के चयन ग्रेड के पदों पर पदोन्नतियों में आरक्षण

1637. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व की नगण्य प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए चयन ग्रेड के पदों पर जुलाई, 1974 के आदेशों के अनुसार पदोन्नतियों में आरक्षण लागू करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षित बहुत से पद अनुसूचित जातियों के अधिकारियों को दे दिये जाते हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में जुलाई, 1974 के आदेश समूह "क" (श्रेणी-1) पदों के निम्नतम पदों पर इस प्रकार की पदोन्नतियों के सभी मामलों पर जिनमें इस ढांचे के भीतर रखे गए चयन ग्रेड पद भी शामिल हैं, लागू होते हैं। वर्ष 1974 के इन आदेशों के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जनातियों के लिए अलग-अगल आरक्षणों की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में आरक्षणों को बाद के तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत किया जाता है और अग्रेनीत किए जाने के अन्तिम वर्ष में समूह "ग" से समूह "ख" समूह "ख" के ही बीच तथा समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी (रंग) में चयन द्वारा पदोन्नति के मामलों को छोड़कर जहां उसी वर्ष के दौरान ही आरक्षणों की अदला-बदली हो सकती है, अन्य सभी मामलों में आरक्षणों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के बीच परस्पर अदला-बदला जा सकता है। आरक्षण की वर्तमान योजना इन दोनों ही आरक्षित समुदायों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा करती है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा न्यायालयों में गृहकर के मामलों में बचाव कार्यवाही पर किया गया व्यय

1638. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मकान मालिकों द्वारा उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायाधीश के न्यायालय में 1981 के दौरान 20 दिसम्बर, 1979 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को गैरक्रियान्वित के बारे में दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध दायर किए गए गृहकर के मामलों में दिल्ली नगर निगम द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) वर्ष 1981 में उपरोक्त न्यायालयों द्वारा ऐसे कितने मामले अंतिम रूप से निर्णीत किए गए; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के 20 दिसम्बर, 1979 के निर्णय को गैर-क्रियान्वित के बारे में उपरोक्त न्यायालय द्वारा निर्णीत कितने मामले दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध गये तथा कितने मामलों में नगर निगम के मूल्यांकन आदेश रद्द किये गये तथा इन न्यायालयों द्वारा नये मूल्यांकन का आदेश दिया गया ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 31.12.1981 को दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में ऐसे 8758 मामले लम्बित पड़े थे जिनमें निगम एक पार्टी है। इन मामलों में सम्पत्ति कर मूल्यांकन से संबंधित मामले भी शामिल थे। 1981 में लम्बित पड़े और निगम के

पक्ष में अथवा विरोध में निपटाए गए मामलों की संख्या तथा इन मामलों पर किए गए व्यय की राशि के संबंध में सूचना के लिए 31.12.1981 को लम्बित पड़े मामलों और वर्ष 1981 के दौरान निपटाए गए मामलों को भी जांच करने की आवश्यकता होगी ।

फ्लाई एश से सीमेंट बनाने की नई प्रौद्योगिकी

1639. श्री आर० के० महालगी : क्या उद्योग मंत्री फ्लाई एश से सीमेंट बनाने की नई प्रोद्योगिकी के बारे में 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3571 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लाई एश से सीमेंट बनाने की नई प्रोद्योगिकी की वे कौन सी हानियां है जिनके कारण उसे नहीं अपनाया जा सका है;

(ख) ये तथाकथित हानियां कब ध्यान में लाई गई और किसके द्वारा लाई गई; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रोद्योगिकी को वाणिज्यिक दृष्टि से सफल बनाने के विचार को अंतिम रूप से छोड़ दिया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नई प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत चूना पत्थर से सिन्थेटिक स्लैग के जरिये तथा सोडियम आक्साइड द्वारा फ्लाईएश एक्टिवेशन करके सीमेंट तैयार करने का विचार है । इस प्रक्रिया के अपनाये जाने में सीमेंट का वाणिज्यिक उत्पादन करने में निम्नलिखित हानियां बताई गई हैं :—

(1) सोडियम हाइड्राक्साइड का सीलनयुक्त तथा क्षरणशील होना ।

(2) भारत में सोडियम हाईड्राइक्साइड की लागत ।

(3) वेट पेस्ट बाइन्डर की बिक्री में व्यावहारिक कठिनाइयां ।

(4) प्रत्येक अभिकरण द्वारा कार्यस्थल पर प्राप्ति में तथा एक्टीवेटर के व्यावहारिक समस्याएं ।

(5) इस प्रकार के बाइन्डरों के टिकाऊपन पर सन्देह है तथा विषयगत आंकड़ों की अपर्याप्तता ।

(6) भारत के फ्लाईएश में कुछ लोहा होने के कारण लोहा निकालने की प्रक्रिया कठिन और महंगी हो जाती है ।

(7) प्रक्रिया वाणिज्यिक स्तर पर सफलता पूर्वक विकसित हुई नहीं बतायी गई है ।

(ख) 1977 में बिल्डिंग रिसर्च एसटेब्लिसमेंट ग्रेट ब्रिटेन में एक रिसर्च संस्थान तथा 1981 में सीमेंट निर्माण पर अखिल भारतीय संगोष्ठी में सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इंडिया ।

(ग) इस तथ्य को देखते हुए कि देश में हमारे पास चूना पत्थर ग्रेड सीमेंट का पर्याप्त संभरण है । तथा प्रोद्योगिकी संबंधी उपर्युक्त कमियों को देखते हुए, सरकार इस समय प्रोद्योगिकी को अपनाकर सीमेंट तैयार करने के पक्ष में नहीं है ।

मृत्यु दण्ड के लिए बिजली की कुर्सी/औषध पद्धतियों का उपयोग

1640. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान की प्रगति के बावजूद फांसी पर लटकाने की मृत्यु दंड देने की आदिकालीन और क्रूर पद्धति अभी भी जारी रखे हुए हैं; और

(ख) यदि हां तो बिजली की कुर्सी अथवा औषधि के प्रयोग जो कम दुःखदायी है, जैसी वैज्ञानिक तरीके न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) मृत्यु दण्ड देने की पद्धति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 (5) के अधीन निर्धारित की जाती है । इस धारा के उपबंध के अनुसार जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड की सजा दी जाती है तो न्यायालय यह निदेश देता है कि उसके गले में फांसी लगाकर उसे मरने तक लटकाया जाय ।

किसी मृत्यु दण्ड कैदी के जीवन को उसे बगैर दुख दिये तथा शीघ्र से शीघ्र तरीके से किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है तथा रस्सी से फांसी पर लटकाने के तरीके के औचित्य से संबंधित प्रश्न पर विगत में विचार किया गया था और डाक्टरी राय द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायिक फांसी पर लटका कर मृत्यु दण्ड देने की वर्तमान पद्धति में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई । विधि आयोग ने भी अपनी पैंतीसवीं रिपोर्ट में विस्तार से इस प्रश्न की जांच की और इस मुद्दे पर कानून में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की ।

पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी

1641. **श्री एच०एन० नन्जे गौंडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हथियारों की तस्करी की जा रही है;

(ख) क्या हाल ही में पाकिस्तान में बनी बंदूकें जम्मू तथा काश्मीर में पकड़ी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार को अन्य सीमा-वर्ती राज्यों से भी ऐसी सूचनाएं मिली हैं और यदि हां, तो उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये हथियार समाज विरोधी तत्वों तथा डकैतों के हाथों में न जायें और यदि हां तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इस हथियार व्यापार में लगे कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में ग्रामीण और नगरीय रोजगार की सापेक्ष स्थिति

1642. **श्री भीकू राम जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रोजगार की सापेक्ष स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि नगरीय दिल्ली की अपेक्षा ग्रामीण दिल्ली में बेरोजगारी अधिक है ; और

(ग) ग्रामीण जनसंख्या जो प्रायः गरीबी की स्थिति में आ रही है के लिए रोजगार बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मबीर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कार्यक्रम (32वें दौर) के भाग के रूप में जुलाई, 1977 से जून, 1978 के दौरान संघ शासित राज्य दिल्ली में आयोजित किए गए रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, कार्य करने योग्य जनसंख्या (15-59 वर्ष) में बेरोजगारी की प्रतिशतता शहरी क्षेत्रों में 6-36 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 9-13 है । 1977-78 के बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) रोजगार अवसरों का सृजन सभी विकास योजनाओं का एक स्थापित लक्ष्य है, जिन्हें दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है । कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, इस प्रकार है — ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य शैड, स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण (ट्राइसम), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा औद्योगिक सर्वेक्षण और व्यापार (औ० सर्वे० व्या०), सीमान्त और छोटे किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों, आदि को सहायता । इसके अतिरिक्त, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, जैसे कि ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि, में रोजगार सम्याव्यता अत्यधिक है ।

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

1644. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी नियमित करने का पांच सूत्री फार्मूला तैयार किया है । यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या देश के कृषि श्रमिकों के लिए समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो इसे क्रियान्वित करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) कृषि रोजगार में न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की योजना तैयार की गई है :—

(i) उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कार्यवाही करने के लिए लिखना, जिन्होंने अभी तक न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित की हैं ।

2. . उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करवाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करना, जिन्होंने या तो पहले मसौदा प्रस्तावों को अधिसूचित किया है या इस उद्देश्य हेतु समितियां गठित की है ;

3. उन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्श दिया जिन्होंने न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन करने के लिए अभी तक कार्यवाही नहीं की है कि वे इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करें ;

4. कृषि रोजगार के लिए कार्यान्वयन मशीनरी को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र द्वारा संचालित प्लान स्कीम तैयार करने की संभावना की जांच करना । इस स्कीम में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने के लिए श्रम विभागों में कारगार मानीटरिंग यूनिट गठित करने के प्रस्ताव भी हो सकते हैं ; और

5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन करना ताकि इसकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सके ।

(ख) जी, नहीं ।

एलुमिना संयंत्रों के वित्त पोषण के लिए रूसी सहायता

1645. श्री के० प्रधानी :

श्री डी० पी० जदेजा :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान कुल कितने एल्यूमिना संयंत्र बनाने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने कुछ एलूमिना संयंत्रों के वित्त पोषण के लिए सोवियत रूस से सहायता मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो उन एलूमिना संयंत्रों के नाम क्या हैं जिनका सोवियत रूस द्वारा वित्त पोषण किए जाने की संभावना है ;

(घ) उन एलूमिना संयंत्रों की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ङ) उन एलूमिना संयंत्रों में से प्रत्येक के लिए सोवियत रूस द्वारा दी जाने वाली कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) 800,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना, जो उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमिनियम काम्पलैक्स का एक अंग है, को सरकार द्वारा छठी योजना के एक भाग के रूप में स्वीकृति दी गई है । परियोजना चल रही है तथा इसकी अधिकांश वित्त-व्यवस्था फ्रांसीसी उधार से और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के संघ के यूरो-करेंसी ऋण से की गई है ।

आंध्र प्रदेश में 6-8 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिनियम संयंत्र के लिए सोवियत सलाहकारों द्वारा साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है । परियोजना की अनुमानित लागत रु० 556.643 करोड़ रुपए है, जो इसके आकार तथा चुने गए अन्य विशिष्ट पैरामीटरों पर निर्भर होगी । सोवियत पक्ष से परियोजना के लिए अधिकांश धन प्रदान करने और उत्पादित होने वाले समूचे या अधिकांश एल्यूमिना की खरीद करने का अनुरोध किया गया है । मामले पर बातचीत चल रही है । चूंकि निवेश निर्णय लेने से पूर्व अभी विभिन्न मामलों पर निर्णय लिया जाना है, इसलिए छठी योजना में इस प्रोजेक्ट हेतु केवल एक करोड़ रुपए की सांकेतिक व्यवस्था की गई है ।

देश में क्षेत्रीय असन्तुलन कम किया जाना

1646. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छठी योजना अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में क्षेत्रीय असंतुलन कम करने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) छठी योजना को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है । संसाधनों की बाध्यकारिताओं, रखे गए परिव्ययों और योजना में बताए गए नीति सम्बन्धी उपायों का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने की ओर ध्यान देना है । इनमें संसाधनों के अंतरणों के विभिन्न उपाय, विशिष्ट समस्या वाले क्षेत्रों और लक्ष्यित समूहों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें, न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था तथ औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में रियायती वित्त/पूंजी राज्य सहायता के रूप में उद्यमियों को प्रोत्साहनों की व्यवस्था शामिल है ।

डी० के० एजेंसीज में व्याप्त अनियमितताएं

1647 श्री हीरालाल आर० परमार : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डी० के० एजेंसीज, दिल्ली, जो बहियों में प्रमुख निर्यात कम्पनी है, निर्यात सम्बन्धी सरकार के नियमों और विनियमों का पालन नहीं कर रही है ;

(ख) क्या इसने समूचे भारत में अपनी अनेक शाखाएं खोल रखी हैं ;

(ग) "डी० के०" शीर्षक के अंतर्गत कार्यरत सभी ऐसी शाखाओं के नाम क्या हैं तथा भागीदारों का ब्यौरा क्या है और एक दूसरे के साथ उनके क्या संबंध हैं ;

(घ) क्या इन फर्मों के कर्मचारियों को जितना वेतन वास्तव में मिल रहा है उससे अधिक राशियों के वेतन वाउचरों पर हस्ताक्षर करने के लिए उनको विवश किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार के ध्यान में डी० के० एजेंसीज दिल्ली के विरुद्ध ऐसी कोई अनियमितता नहीं आई है ।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली में इस फर्म की पांच शाखाएं हैं । उनका ब्यौरा तथा भागीदारों के एक दूसरे के संबंध सलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

	शाखाएं	भागीदार
1.	मैसर्स डी० के० पब्लिशर्स, अन्सारी रोड, नई दिल्ली	1. श्री ईश्वर चन्द मित्तल, सुपुत्र श्री खजान चन्द 2. श्री प्रमिल मित्तल, सुपुत्र श्री जे० सी० मित्तल 3. श्री प्रवीन सुपुत्र श्री जे० सी० मित्तल
2.	मैसर्स डी. के. पब्लिशर्स 29/9 शक्ति नगर, दिल्ली	1. श्री आई. सी. मित्तल सुपुत्र श्री खजान चन्द 2. श्री प्रवीन मित्तल सुपुत्र श्री आई. सी. मित्तल 3. श्री प्रमिल मित्तल सुपुत्र श्री आई. सी. मित्तल
3.	मैसर्स डी. के. प्रोसेसिंग सर्विस, 313/73-सी, इन्द्रलोक, दिल्ली	1. श्री जसवन्त राय सुपुत्र श्री खजान चन्द 2. श्रीमती मधु बाला पत्नी श्री रमेश कुमार 3. श्री द्वारिका दास सुपुत्र श्री कुलवन्त राय
4.	मैसर्स डी. के. वक आर्गेनाइजेशन 313/74-डी, इन्द्रलोक, दिल्ली	1. श्री कुलवन्त राय मित्तल सुपुत्र श्री खजान चन्द 2. श्री खजान चन्द सुपुत्र श्री द्वारिका दास 3. श्री रमेश कुमार, सुपुत्र श्री खजान चन्द 4. श्रीमती विद्या देवी, पत्नी श्री जसवन्त राय

5. मैसर्स डी. के. एजेंसीज,
एच.-12, बाली नगर, दिल्ली

1. श्री जसवन्तराय
सुपुत्र श्री खजान चन्द
2. श्री कुलवन्त राय
सुपुत्र श्री खजान चन्द
3. श्री रमेश कुमार
सुपुत्र श्री खजान चन्द

संबंध

श्री खजान चन्द, श्री द्वारिका दास के सुपुत्र हैं, सर्व श्री ईश्वर चन्द मित्तल, जसवंत राय रमेश कुमार और कुलवन्त राय श्री द्वारिका दास के सुपुत्र है, श्रीमती मधुबाला, श्री रमेश कुमार की धर्म पत्नी हैं, अर्थात श्री खजान चन्द की पुत्रवधु, श्रीमती विद्या देवी, श्री जसवन्त राय की धर्मपत्नी हैं श्री खजान चन्द की पुत्रवधु है ।

"टिस्को" ग्रुप में कार्यरत पच्चीस बड़े ठेकेदारों के नाम

1648. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "टिस्को" ग्रुप आफ कोलियरीज में 1 जनवरी, 1982 को कार्यरत बड़े-बड़े पच्चीस ठेकेदारों के नाम क्या है ;

और उन ठेकेदार कम्पनियों के मालिकों या शेयर होल्डरों के नाम क्या हैं;

(ख) जमशेदपुर स्थित "टिस्को" के उद्योग-समूह में कार्यरत ठेकेदारों के नाम क्या हैं और इन कम्पनियों के मालिकों या शेयर होल्डरों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी ठेकेदार फर्में "टिस्को" के उन अधिकारियों की बेनामी कम्पनियां हैं जो सरकारी राजस्व का अपवंचन करने के लिए गुप्त रूप से कार्यरत हैं; और

(घ) क्या सरकार इस मामले की जाँच करवायेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) यह जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्र करना सम्भव होने पर भी इस जानकारी की उपयोगिता इसको एकत्र करने में लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगी ।

राज्यों द्वारा 1981 की जनगणना के सारणीयन कार्य के लिये व्यक्तियों को रोजगार

1649. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में "1981 की जनगणना" के सारणीयन कार्य के लिए राज्यवार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य सरकारों ने इन कर्मचारियों को अपने अधीन सेवाओं में खपा लिया है ?

गृह मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 28-2-1982 तक की अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

खानों में सुरक्षा के बारे में पांचवां सम्मेलन

1650. श्री राम विलास पासवान :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खानों में सुरक्षा के बारे में पांचवें सम्मेलन की सभी सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सभी सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) खानों में सुरक्षा सम्बन्धी पांचवें सम्मेलन की अधिकांश सिफारिशें विभिन्न खनन कम्पनियों/संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं । ये सिफारिशें कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं । सिफारिशों के कार्यान्वियन की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति खान सुरक्षा महानिदेशक की अध्यक्षता में तथा जिसमें श्रमिकों, नियोजकों और अन्य संबन्धित संगठनों के प्रतिनिधि रखे गए हैं, जनवरी 1982 में गठित की गई ।

मैसर्स टेलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स द्वारा खराब टेप रिकार्डों की बिक्री

1651. श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की मैसर्स टेलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० खराब टेप-रिकार्डर बेच कर और उसके बाद दी गयी गारण्टी पूरी न करके लोगों को धोखा दे रही है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) जैसा कि प्रश्न में कहा गया है सरकार को मैसर्स टैलिविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(क) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी राज्यों में उद्योगों की स्थापना

1652. डा० आर० रोथूआभा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम, नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में लघु, मध्यम तथा बड़े कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ;

(ख) 1982-83 में इन राज्यों में ऐसे उद्योगो की स्थापना के लिए आरम्भ किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का विचार मिजोरम में कागज मिल स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जानकारी विवरण में दी गई है ।

(ख) उत्तर पूर्वी अंचल की औद्योगिक वस्तियों के बारे में गठित एक विशिष्ट दल ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक को इस अंचल के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्येक बैंक द्वारा ऋण प्रवाह को मानिटर करने के लिए ठोस भूमिका निभानी चाहिए और वे संबंधित बैंकों को निर्देश दे कि अधिक माल की वस्तु सूची से उत्पन्न कठिनाई से लघु उद्योग एककों को उबारने में सहायता करें । निम्नोक्त 3 श्रेणियों के अन्तर्गत औद्योगिक विकास की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये 3 कृतिक दलों का गठन करने का भी निर्णय लिया गया है :—

(क) उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए औद्योगिक आयोजन और परियोजना चयन ;

(ख) उद्यमिता, संगठन और अवस्थापना,

(ग) निविष्ट आपूर्तित, व्यवस्था और ऋण ।

1982-83 में लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चालू किये जाने वाले कार्यक्रमों में मुख्य रूप से, गुण नियंत्रण योजना, जनजातीय उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास निगमों को ऋण, लघु एककों को ऋण डी० आई० सी० के माध्यम से बिक्री कर ऋण/मूल मार्जिन राशि ऋण सहायता, निम्न प्रजातीयफलों का वाणिज्यिक निसवन करने वाले एककों, फलों को डिब्बा बंद करने वाले एककों को प्रशिक्षण के लिए प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

(ग) तथा (घ) मिजोरम सरकार के अनुसार 10 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाला एक कागज मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	31-12-1981 को उद्योग निदेशालय में पंजीकृत लघु एककों की संख्या (इकट्ठी)	वर्ष 1979-81 के दौरान जारी किए गए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस:					
		1979		1980		1981	
		आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
मिजोरम	599	—	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	366	—	—	—	—	6	—
मणिपुर	2860	—	—	—	—	—	1
मेघालय	393	1	—	—	—	11	—
त्रिपुरा	1188	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	145 (परिकल्पित)	—	—	—	—	1	—

पश्चिमी घाट का विकास

1653. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम 1981-82 की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो सड़कों, पुलों और घाट सड़कों के लिए उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) 118.24 लाख रुपए ।

मध्य प्रदेश में हीरों की खोज के लिए सर्वेक्षण कार्य

1654. श्री मूल चन्द वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की पन्ना जिले की हीरों की घाटी में हीरों की खोज के लिए सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में पन्ना तथा संलग्न जिलों में हीराधारी चट्टानों की क्षमता का पता लगाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1981-82 में खनिज गवेषण निगम लि० तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के सहयोग से एक तीन वर्ष का कार्यक्रम चलाया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, जी० एस० आई० ने जनवरी, 1982 तक 2680 वर्ग कि० मी० का फोटो भूवैज्ञानिक मानचित्रण, 538.00 वर्ग कि० मी० का लार्ज-स्केल मैपिंग तथा 6.95 वर्ग कि० मी० का विस्तृत मैपिंग किया है । पन्ना क्षेत्र में निर्धारित खंडों की खुदाई के लिए खनिज गवेषण निगम लि० ने अब तक 517.8 मीटर ड्रिलिंग की है । इसके अतिरिक्त इस निगम ने अजयगढ़ कंकड़ क्षेत्रों में 2180 घन मीटर गर्त्तन किया है । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अब तक 372 टन खनिज सामग्री का संसाधन किया है । गवेषण कार्य चल रहा है ।

वाहनों पर हिन्दी में नम्बर प्लेटों का उपयोग

1655. श्री केशव राव पारधी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1982 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यातायात नियमों के अन्तर्गत ड्राइवरों को अपने पास लाइसेंस रखने चाहिएं ;

(ख) क्या इस समाचार में यह भी बताया गया है कि उनके वाहनों पर नम्बर प्लेटें अंग्रेजी में होनी चाहिए;

(ग) क्या यह राजभाषा अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के विरुद्ध है;

(घ) क्या राजभाषा विभाग ने उनको ऐसा करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन को कहेगी कि वह लोगों को हिन्दी में नम्बर प्लेटों का उपयोग करने दें जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में नम्बर लिखे हों ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायेगी ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए राज्यों में केन्द्र

1656. श्री बी० आर० नहाटा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए भारत के किन-किन राज्यों में परीक्षा केन्द्र नहीं हैं और किन-किन राज्यों में परीक्षा केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) जहां ऐसे केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं उन राज्यों में ऐसे परीक्षा केन्द्र स्थापित न करने का क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती के लिये परीक्षा हेतु मध्य प्रदेश में केन्द्र स्थापित करने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं के केन्द्र सिक्किम राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में हैं । केन्द्रों की एक सूची विवरण रूप में संलग्न है ।

(ख) परीक्षा केन्द्र, इस मामले में अपेक्षित, विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, सामान्यत: राज्यों की राजधानियों में ही खोले जाते हैं । पंजाब और हरियाणा राज्यों का केन्द्र उन दोनों की एक ही राजधानी चण्डीगढ़ में है । आयोग राज्य सरकार के परामर्श से सिक्किम में एक केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

(ग) राज्य सरकार के परामर्श से मध्य प्रदेश में एक अन्य केन्द्र खोलने का विचार है ।

विवरण

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रों के नाम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्र का स्थान
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
असम	1. दिसपुर (गोहाटी)
	2. जोरहाट
बिहार	1. पटना
	2. रांची*
गुजरात	अहमदाबाद
हरियाणा	चण्डीगढ़
हिमाचल प्रदेश	शिमला
जम्मू-कश्मीर	1. जम्मू
	2. श्रीनगर
कर्नाटक	1. बंगलोर
	2. धारवाड़*
केरल	1. त्रिवेन्द्रम
	कौचीन
मध्य प्रदेश	भोपाल
महाराष्ट्र	1. बंबई
	2. नागपुर
	3. औरंगाबाद*
मणिपुर	इंफाल
मेघालय	शिलांग
नागालैंड	कोहिमा
उड़ीसा	कटक
पंजाब	चण्डीगढ़

राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	1. मद्रास
	2. मदुराई*
त्रिपुरा	अगरतल्ला
उत्तर प्रदेश	1. इलाहाबाद
	2. लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	पोर्टब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
दिल्ली	दिल्ली
गोवा, दमन और दिव	पणजी (गोआ)
मिजोरम	ऐजल

*केवल सिविल सेवा (आरम्भिक) परीक्षा के लिए ।

1980-81 के बीच प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

1657. श्री रेणु पद दास :

श्री ए० के० राय : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 और 1981 के बीच प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी थी;

(ख) क्या कोई भी निसन्देह यह अन्दाजा लगा सकता है कि पिछले पांच सालों में मूल्यों की तीव्र, वृद्धि को देखते हुए वास्तव में आय बढ़ने के स्थान पर कम हुई है ।

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कुछ गिने चुने धनवान व्यक्तियों की तुलना में नितांत गरीबी को किस प्रकार उचित ठहराती है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) तथा (ख) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए स्थिर भावों (1970-71) पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुमान क्रमशः 661.0 रु० (अनन्तिम) तथा 696.3 रु० (शीघ्र अनुमान) है । इस प्रकार मूल्य वृद्धि होने पर भी 1980-81 में वास्तविक अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1979-80 से अधिक थी ।

(ग) प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के स्तर पर केवल परिवर्तन ही आय के वितरण तथा आर्थिक सम्पन्नता का असमान वितरण के मापदण्ड नहीं हैं। फिर भी वर्ष 1972-73 तथा 1977-78 के लिए योजना आयोग ने गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के नवीनतम तुलनीय अनुमान पारिवारिक उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर तैयार किए हैं जो निम्न प्रकार है :

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता

क्षेत्र	1972-73	1977-78
ग्रामीण	54.09	50.82
शहरी	41.22	38.19
अखिल भारत	51.49	48.13

वर्ष 1972-73 की तुलना में 1977-78 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता में कमी आई।

दतिया और भिण्ड (मध्य प्रदेश) में उद्योग खोलना

1658. **श्री काली चरण शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकूग्रस्त क्षेत्रों की डकैती समस्या का मूल कारण उन क्षेत्रों का पिछड़ापन है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसे क्षेत्रों में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े उद्योग खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश के भिण्ड और दतिया क्षेत्रों में बड़े उद्योग खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जोकि डाकू ग्रस्त क्षेत्र हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) पिछड़ापन डकैती समस्या के अनेक कारणों में से एक है। यह एक प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में ही अन्य अनेक पिछड़े हुए जिले हैं जो कि डकैतीग्रस्त नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना स्थल संबंधी निर्णय तकनीकी आर्थिक मुद्दों पर लिए जाते हैं तथा जैसा विवरण से देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अनेक केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना इन्हीं विचार धाराओं पर की गई हैं। इसके अलावा राज्य में एक

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है। स्थापना स्थल का निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने भिंड तथा दतिया जिले की औद्योगिक संभावनाओं का सर्वेक्षण भी किया है तथा रुचि रखने वाले उद्यमकर्त्ताओं को यह जानकारी दी जाती है। इन जिलों में बड़े उद्योग स्थापित करने का राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन तहसीलों में एक भी बड़ा/मध्यम उद्योग नहीं है, वहां राज्य सरकार अग्रणी (पायनियर) उद्योग एककों की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है ये विशेष प्रोत्साहन उद्योगों को दिये जाने वाली सामान्य रियायतों के अलावा हैं।

भिंड तथा दतिया जिलों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार ने इन दोनों जिलों को अखिल भारतीय आवधिक ऋण दाती वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर ऋण लेने के पात्र के रूप में औद्योनिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया है। साथ ही दतिया तथा सिओध्य क्षेत्र (दतिया जिले से) तथा भिंड मेहगांव तथा मोहद क्षेत्र (भिंड जिले से) केन्द्रीय निवेश राजसहायता के लिए पात्र घोषित कर दिए गए हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान मध्यप्रदेश में चल रही केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची

	1980-85 परिव्यय (करोड़ रुपये)
1. इस्पात विभाग	916.77
1. भिलाई स्टील प्लांट	915.27
2. महा नदी परियोजना (मध्य प्रदेश सरकार को ऋण)	1.50
लोह धातुएं	80.51
1. एन० एम० डी० सी०	63.26
(क) बेलाडिला सं० 5 खान	1.12
(ख) विदोहन एवं संभाव्यता अध्ययन	3.00
(ग) प्रतिस्थापन एवं पुर्ननवीकरण	13.50

	(1980-85) परिव्यय (करोड़ रुपए में)
(घ) बेलाडिला स्थित नयी खानें	20.00
(ङ) बेलाडिला सं० -IIसी खान	11.78
(च) बेलाडिला सं० 5, खान स्थित फाइन ऑर हैंडलिंग प्लांट	12.86
2. मैंगनीज ऑर इन्डिया लिमिटेड	17.25
(2) खान विभाग	130.83
1. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड-मलार्जखण्ड तांबे की खानों का विकास	70.72
2. भारत अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड	130.83
(क) कोरबा अल्युमीनियम काम्पलैक्स	41.00
(ख) कोरबा-अल्युमीनाप्लांट रिवेम्पिंग एण्ड प्रोप्रोजी मिल	3.36
(ग) प्रतिस्थापन एवं पुर्ननवीकरण	10.00
(घ) एस० तथा टी० कार्यक्रम	4.75
3 बंजर नदी योजना (मलंज खण्ड खानों को जल संभरण)	1.00
(3) पैट्रोलियम विभाग	
(पैट्रो-रसायन, विस्फोटक सामग्री तथा इंजीनियरी एकक)	
1. इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड	5.88
(क) रसायन प्रभाग, प्रथम तथा द्वितीय विस्फोटक सामग्री संयंत्र आदि	2.13
(ख) रसायन प्रभाग, तृतीय विस्फोटक सामग्री संयंत्र, एस० एम० एस० संयंत्र आदि	3.75
(4) रसायन तथा उर्वरक विभाग	0.65
1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	0.65

	(1980-85) परिव्यय करोड़ रुपए में
(5) औद्योगिक विकास विभाग	113.96
1. सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	93.58
(क) नया गांव परियोजना	2.87
(ख) नया गांव परियोजना	79.40
(ग) अकलतरा परियोजना	3.95
(घ) अकलतरा तथा नया गांव स्थित प्री-केल्सीनेशन	5.95
(ङ) मांढर परियोजना	0.08
(च) पथरी खान विकास	1.33
2. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०	20.38
(6) भारी उद्योग विभाग	
1. भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल	74.11
(क) औद्योगिक मशीनें विनिर्माण	14.70
(ख) ट्रेक्सन विस्तार परियोजना चरण-2	14.04
(ग) हाइड्रो सैट उत्पादन	6.42
(घ) ट्रैक्शन मशीन परियोजना	1.41
(ड़) क्वाइल ब्लाक	4.52
(च) इन्सुलेशन सामग्री परियोजना	2.05
(छ) ओ० आई० पी० विश परियोजना	1.78
(ज) केप्टिव पावर सप्लाई	2.00
(झ) हाइड्रो सैटों को उन्नत बनाना	1.80

	(1980-85) परिव्यय करोड़ रुपए में
(ञ) पावर ट्रांसफार्मर विस्तार, एस० एफ० 6, संयंत्र की देखभाल के लिए ब्रेकर इम्प्रूवमेंट टेप चेंजर के लिए सुविधाएं	1.89
(ट) एस० एण्ड टी० कार्यक्रम	6.00
(ठ) प्रतिस्थापन पुर्ननवीकरण, आधुनिकीकरण बस्ती आदि	17.50
(7) परमाणु ऊर्जा विभाग	0.40
क्रेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बोदल, जजावल स्थित नई खान तथा मिल	0.40
(8) राजस्व विभाग	0.19
अल्कालायड परियोजना, नीमच	0.19
(9) आर्थिक कार्य विभाग	
(मुद्रा, ढलाई और टकसाल)	17.73
1. सैक्युरिटी पेपर मिल, होसंगाबाद	16.31
2. बैंक नोट प्रेस, देवास	1.42
कुल योग	1341.03

केसतारा मध्य प्रदेश में हरिजन परिवारों पर आक्रमण

1659. श्री बापू साहिब परुलेकर :
श्री रामविलास पासवान :
श्री मगन भाई बारोट :
श्री बी० डी० सिंह :
श्री हरिनाथ मिश्र :
श्री सूरज भान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 जनवरी को मध्य प्रदेश के केसतारा गांव में एक सशस्त्र हमले में एक हरिजन परिवार के 13 सदस्य मारे गये :

(ख) क्या यह सच है कि तीन औरतों और तीन बच्चे जिन्होंने एक झोंपड़ी में शरण ली थी उसमें आग लगाकर उन्हें जिन्दा जला दिया गया और हमलावरों ने एक सतनामी हरिजन परिवार के छः आदमी और एक औरत के सिर काट दिये; और

(ग) घटना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 24 जनवरी, 1982 को साहू, ब्राह्मण, यादव, केवात, कोतवार और सतनामी समुदायों के ग्रामीणों के एक दल ने श्री कदार सतनामी के घर पर हमला किया। 6 पुरुष 4 महिलाएं और 4 बच्चे मारे गये। श्री कदार सतनामी के परिवार के मकान को आग लगा दी गई। हमले के प्रेरक और पृष्ठभूमि के कारणों का जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, उल्लेख नहीं किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है, जिसे श्री ए० के० पांडे, जिला और सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा किया जाएगा।

घटना के कारण एक अपर तहसीलदार, एक पुलिस उप निरीक्षक और दो रीडरों को निलम्बित किया गया है। 10,000 रु० का अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्वीकृत किया गया है। और परिवार के सदस्यों को भूमि आंबटित करने और रोजगार देने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

1660. प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : क्या योजना मंत्री राज्यों में पेयजल योजनाओं, सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के बारे में 23 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5239 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में विद्युतीकरण योजनाओं के लिए अखिल भारतीय मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस अध्ययन के किस तारीख तक पूरे होने की संभावना है और यह किस तारीख से शुरू किया गया था ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) इस अध्ययन में सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार हो रही है । तथापि 'संगठन, संवृद्धि और समावेशन' विषयक खंड 1 को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे मार्च, 1982 के अन्त तक जारी कर दिया जाएगा । यह अध्ययन वर्ष 1979 में शुरू किया गया था ।

उड़ीसा और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप

1661. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री राज्य सभा में उड़ीसा और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप के बारे में 26 नवम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों और उनके मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जैसा कि राज्य सभा के दिनांक 26.11.1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 (प्रतिलिपि विवरण रूप में संलग्न) के उत्तर में उल्लेख किया गया था हरियाणा के मुख्य मंत्री तथा उड़ीसा और हरियाणा के मन्त्रियों के विरुद्ध कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं । सारहीन पाई गई कुछ शिकायतों को फाइल कर दिया गया था और अन्य शिकायतों पर मन्त्रियों के लिए आचार संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की गई थी अथवा की जा रही है ।

विवरण

उड़ीसा और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप

*61. श्री हरे कृष्ण मल्लिक : क्या गृह मन्त्री 10 सितम्बर, 1981 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 370 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और हरियाणा के मुख्य मन्त्रियों और उनके मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों के विरुद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोपों के सम्बन्ध में अब कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु कोई जांच आयोग नियुक्त करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जैसा कि 10.9.1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 370 के उत्तर में उल्लेख किया गया था, हरियाणा के मुख्य मन्त्री तथा उड़ीसा और हरियाणा के मन्त्रियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं कुछ शिकायतों को फाइल कर दिया गया है और अन्य शिकायतों पर मंत्रियों के लिए आचार संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

तारापुर संयंत्र के लिए समृद्ध यूरेनियम हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

1662. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर संयंत्र के लिए समृद्ध यूरेनियम के फैब्रीकेशन वाले हैदराबाद स्थित न्यूक्लीयर ईंधन काम्पलेक्स का फैब्रीकेशन संयंत्र अपनी क्षमता के बराबर काम नहीं कर रहा है ;

(ख) यह संयंत्र किस क्षमता तक काम कर रहा है ; और

(ग) क्या तारापुर संयंत्र के लिए किसी अन्य स्रोत से समृद्ध यूरेनियम प्राप्त करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका से सप्लाई न मिलने के कारण, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र का समृद्ध यूरेनियम आक्साइड संयंत्र इस समय स्क्रैप को ही संसाधित कर रहा है तथा अपनी क्षमता के लगभग पांचवें भाग का ही उपयोग कर पा रहा है। नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र का समृद्ध ईंधन निर्माण संयंत्र भी, जो ईंधन बनाता है, अपनी क्षमता से काफी नीचे काम कर रहा है।

(ग) अमरीका से आगे ईंधन मिले चाहे न मिले, भारत सरकार तारापुर परमाणु बिजलीघर को लगातार चालू रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

आसाम आन्दोलन कर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय झण्डे का अपमान

1663. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में आन्दोलन कर्ताओं ने राष्ट्रीय झण्डे का बहुत अपमान किया ;

(ख) क्या सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाही की ; और

(ग) क्या सरकार आल आसाम स्टूडेन्ट यूनियन और गण संग्राम परिषद् को यह बताने का प्रयास करगी कि उनके समर्थकों को ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिये जिससे राष्ट्र की बदनामी हो, और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) और (ख) असम सरकार के अनुसार 26 जनवरी, 1982 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब आल असम स्टूडेंट यूनियन/आल 'असम गण संग्राम परिषद, ने "जनता कर्फ्यू" का आह्वान किया था असम में राष्ट्रीय झण्डे के अपमान की 67 घटना सूचित की गई थी। कुछ स्थानों पर झण्डे को उतारा गया, ले जाया गया और जला दिया गया। गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के इच्छुक व्यक्तियों के अपहरण और उनको रोकने की घटनाएं भी सूचित की गई। पुलिस ने शीघ्र कार्रबाई की और इन व्यक्तियों की सहायता के लिए पहुंची। इन मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

(ग) फरवरी, 1982 में आल असम स्टूडेंट यूनियन/आल असम गण संग्राम परिषद ने सरकार और विपक्ष के नेताओं के साथ हुई संयुक्त बैठक में ऐसी घटनाओं की निन्दा की है।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की श्रेणी 4 से श्रेणी 3 में पदोन्नति

1664. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा के अनेक अधिकारियों की पदोन्नति नहीं की गई है जबकि अनेक कनिष्ठ अधिकारियों की श्रेणी 4 से श्रेणी 3 में पदोन्नत किया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो भारतीय आर्थिक सेवा में श्रेणी 4 से श्रेणी 3 में प्रोफार्मा पदोन्नति देने के लिए क्या नियम हैं ;

(ग) उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जो प्रोफार्मा पदोन्नति के योग्य हैं और जिन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी जानी चाहिए थी परन्तु उन्हें वह नहीं दी गई ; और

(घ) प्रोफार्मा पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं और इनमें से प्रत्येक अधिकारी की कब से पदोन्नति होनी थी?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान । भारतीय अर्थ सेवा के ग्रेड-III में पदोन्नति के लिए प्रबर सूची में शामिल किए गए इस सेवा के ग्रेड-4 अधिकारियों की पदोन्नति/प्रोफार्मा पदोन्नति के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।

(क) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता

1665. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पिछड़ेपन के लिए उड़ीसा राज्य को अधिमानता दी जाती है ; इसको दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के अलावा उड़ीसा में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों जैसे कुछ प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी हैं ।

बालासोर, बोलांगीर, धैनकनाल, कलहंडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज और फूलबनी जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले माना जाता है जो वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र हैं । इन जिलों में से कलहंडी, मयूरभंज, बालासोर, धैनकनाल, क्योंझर और कोरापुट जिले विशेष राज सहायता की केन्द्रीय स्कीम के लिए भी पात्र हैं ।

मयूरभंज, सुन्दरगढ़ और कोरापुट जिलों तथा अन्य जिलों में कुछ तहसीलों और खण्डों के राज्य के जनजातीय क्षेत्र जनजातीय उप योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए चुने गए क्षेत्र हैं ।

गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले और एक सौ करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति वाले लोगों की संख्या

1666. **श्री राम लाल राही** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक करोड़ रुपये और एक सौ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सम्पत्ति वाले लोगों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1948 से पूर्व उन लोगों के पास जो सम्पत्ति थी उसका ब्यौरा और मूल्यांकन क्या है ;

(ग) देश में इस समय गरीबी के स्तर से नीचे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं ; और

(घ) सरकार असमानता को दूर करने के लिए और पूंजीवादी घरानों की बढ़ती हुई सम्पत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) यह सूचना योजना मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत के बारे में योजना आयोग में लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1979-80 के लिए यह 48 प्रतिशत है । बाद के वर्षों के लिए अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) छठी योजना में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्वकता कार्यक्रम, आदि । छठी योजना के इन कार्यक्रमों और नए 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से आर्थिक असमानता को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी । योजना-निर्माण का एक प्रमुख उद्देश्य विकास के फलों के लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करना और कुछ ही लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकना है । सरकार की राजकोषीय, औद्योगिक तथा एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापारिक पद्धति अधिनियम जैसे कानूनों सहित अन्य आर्थिक नीतियाँ इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं ।

दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा पार्कों और उद्यानों के लिए ट्यूब वैल लगाना

1667. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग ने पार्कों और उद्यानों को हरा भरा रखने के लिए वर्ष 1981 में 75 ट्यूब वैल लगाने के बारे में निर्णय लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ट्यूब वैलों के लिए बोरिंग की गई थी उनके लिए पम्प, मोटर और पाइप भी खरीदे गये थे ; यदि हाँ, तो इस समय कितने ट्यूब वैल चालू हालत में हैं और शेष ट्यूब वैलों की हालत क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक संगठनों द्वारा अनेक बार विभाग के उपायुक्त को शिकायत करने के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1979 में स्लम विभाग को जब वह विभाग निगम का अंग था, पार्कों और उद्यानों को सिंचाई के लिए 70 हल्के ट्यूब वैल लगाने से सम्बन्धित कार्य सौंपा गया था। इस विभाग ने 59 ट्यूबवैल के सम्बन्ध में बोरिंग कार्य किया था तथा उनको मोटर और अन्य उपकरणों सहित 65 विद्युत पम्प भी खरीदे थे। इस समय केवल चार ट्यूबवेल चालू हालत में हैं। 1980 में स्लम विभाग को दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने के बाद कार्य को धक्का लगा। कार्यों को शीघ्र पूरा करने और शेष ट्यूबवैलों को चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में मंजूरशुदा सीमेंट बैगों की संख्या

1668. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने जनवरी से दिसम्बर 1981 तक सीमेंट के कितने परमिट जारी किए और कितने सीमेंट बैग मंजूर किए ;

(ख) संसद सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों की सिफारिशों पर उपर्युक्त परमिट और सम्बन्धित सीमेंट बैगों में से कितने परमिट और सीमेंट बैग सप्लाई किए गए ;

(ग) क्या उपर्युक्त परमिटों में सप्लाई किए गए सीमेंट का अधिकांश भाग बुद्ध बिहार और कृष्ण बिहार की कृषि योग्य भूमि पर बन रही अधिकृत कालोनी के आवासीय निर्माण पर लगाया गया ;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त सार्वजनिक भंडाफोड़ के बारे में कोई जांच बिठाई (दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 के "इन्डियन ऐक्सप्रैस" के अनुसार) ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्माण तथा मरम्मती कार्यों के लिए इस अवधि में 57,65,767 सीमेंट की बोरियों के लिए 2,73,213 परमिट जारी किए गए थे।

(ख) 81,270 बोरियों के लिए 12715 परमिटों के मामले में संसद सदस्यों तथा अति विशिष्ठ व्यक्तियों की सिफारिशों पर भी अन्य बातों के साथ-साथ विचार कर लिया गया था।

(ग) जी, नही।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खरीदारों की समाचारपत्रों के माध्यम से व अन्यथा भी चेतावनियाँ जारी कर दी हैं कि कृषीय हरित क्षेत्रों में भूमि की खरीदारी गैर कानूनी है तथा ऐसे खरीदारी वे अपने जोखिम पर कर रहे हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में अनधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए दिल्ली प्रशासन ने उचित उपचारात्मक तथा निवारक अम्युपाय किए हैं।

तमिलनाडु भूमि सुधार विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति

1669. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित भूमि सुधार विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति रोक ली है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी- वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सम्भवत: इसमें तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि सीमा का निर्धारण) द्वितीय संशोधन विधेयक, 1980 का उल्लेख है। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति रोक ली गई है क्योंकि इसे भेदमूलक और असंवैधानिक पाया गया।

केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित विधेयक

1670. **श्री मुकुन्द मण्डल** :

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित कितने विधेयक मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक विधेयक किस किस्म का है और यह सरकार के पास कब से लम्बित है ;

(ग) मंजरी में इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उनकी मंजूरी के लिए विशेष उपाय करेगी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य बिभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के विधेयक जो अभी स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं :

क्रम स०	विधेयक का नाम	विधेयक के प्राप्त होने की तारीख	टिप्पणी
1.	मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1969	13.11.69	इन विधेयकों पर विचार किया जा रहा है और इन मामलों में शीघ्र ही निर्णय किए जाने की सम्भावना है । फिर भी ऐसी कोई निश्चित तारीख बताना संभव नहीं है जिस तक इन विधेयकों को स्वीकृति दे दी जाएगी ।
2.	दा सीटि सिविल कोर्ट्स (आमेंडमैंट) बिल, 1980	3.10.80	
3.	भारतीय कला और नक्शा-नवीशी कालेज (प्रबंध हाथ में लेना) (संशोधन) विधेयक, 1981	11-5.81	
4.	नेताजी नगर कालेज अधिग्रहण विधेयक, 1981	16.6.81	
5.	भारतीय कला और नक्शा-नवीशी कालेज अधिग्रहण विधेयक, 1981	16.681	
6.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981	1.7.81	
7.	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	21.5.81	

क्रम सं०	विधेयक का नाम	विधेयक के प्राप्त होने की तारीख	टिप्पणी
8.	बंगाल तटबंधन (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	21.10.81	इन विधेयकों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ स्पष्टीकरण माँगे गए हैं। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात इन विधेयकों पर आगे कार्यवाही की जाएगी।
9.	नहर (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	13.10.81	
10.	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	6.11.81	
11.	दा वैस्ट बंगाल. मजदूर, ठिंडल लीडर, गोडाउन मैन एन्ड अदर वर्कस (रेग्यूलेशन आफ एम्पलायमेंट) बिल, 1981	26.12.81	ये विधेयक हाल ही में प्राप्त हुए हैं और इनको यथा अवधि स्वीकृति दिए जाने की संभावना है।
12.	पश्चिम बंगाल, मोटर वाहन कर (संशोधन) विधेयक, 1981	28.1.82	परन्तु ऐसी कोई निश्चत तारीख बताना संभव नहीं है जिस तक इन विधेयकों को स्वीकृति दे दी जाएगी।
13.	कलकत्ता किराए के वाहन (संशोधन) विधेयक, 1981	2.12.81	

ज्वार-भाटा लहरों सौर वायु शक्ति से ऊर्जा

1671. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ज्वार-भाटा लहरों, सौर और वायु शक्ति से उत्पन्न ऊर्जा के उपयोग के लिए एक अलग शीर्ष संगठन बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) पूर्ण रूप से कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के साथ 12 मार्च, 1981 को सरकार के संकल्प के द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के

आयोग (सी० ए० एस० ई०) का गठन किया गया था ; आयोग इन कार्यों के लिए जिम्मेवार होगा ।

1. नयी और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना ;

2. नयी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और तीव्र करना ;

3. नयी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित मामलों में सरकार की सभी नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ; और

4. आयोग के लिए बजट तैयार करना ।

एस. सी. फार स्पीडी ट्रायल इन ब्लाडिंग्स केस शीर्षक से समाचार

1672. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 फरवरी, 1982 के "इंडियन ऐक्सप्रेस" में "एस० सी० फार स्पीडी ट्रायल इन ब्लाडिंग्स केश" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भागलपुर में अन्धे बनाने के मामले में 40 पुलिस अधिकारी और डाक्टर शामिल हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक अधिकारी का ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक अधिकारी के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सदन के सभा पटल में रखने का विचार है, यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान ।

अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट को सार्वजनिक बनाना वांछनीय नहीं समझा जाता क्योंकि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन/विभागीय कार्यवाही के आधार रिपोर्ट से तैयार किए जाएंगे ।

विवरण

क अभियोजित किए गए पुलिस/अन्य अधिकारियों के पदवार उद्धरण:

उप पुलिस अधीक्षक	1
निरीक्षक	3
उप निरीक्षक	8
आर० उप निरीक्षक	1
सहायक उप निरीक्षक	2
हैड कांस्टेबल	3
कॉंस्टेबल	12
होम गार्ड	4
चौकीदार	4
चिकित्सा अधिकारी	2

ख ऐसे अधिकारियों के पदवार उद्धरण जिनके विरुद्ध विभागीय तौर से कार्रवाई की जा रही है :

पुलिस अधीक्षक	1
अपर पुलिस अधीक्षक	1
उप पुलिस अधीक्षक	1
चिकित्सा अधिकारी	4
निरीक्षक	2
उप निरीक्षक	7
सहायक उप निरीक्षक	3
हैड कॉंस्टेबल	1

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कार्यरत निकाय

1673. प्रो० अजित कुमार मेहता :
प्रो० अजित कुमार साहा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अल्पसंख्यक समुदायों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यरत कितने आयोग/निकाय/समितियां हैं (उनकी नामावली सहित) ।

(ख) सरकार का इनमें से प्रत्येक आयोग/निकायों/समितियों पर कितना वार्षिक खर्च होता है ; और

(ग) जब से इन आयोगों/निकायों/समितियों का गठन हुआ है उन्होंने कितने प्रत्यावेदन दिए हैं और इन प्रत्यावेदनों पर सरकार ने क्या महत्वपूर्ण कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क), (ख) और (ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस समय मुख्य रूप से निम्नलिखित निकाय कार्य कर रहे हैं :—

1. संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय-अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के रूप में पदनामित किया गया ।

2. संविधान के अनुच्छेद 350 (बी) के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय-भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में पदनामित किया गया ।

3. भारत सरकार द्वारा उसके तारीख 12 जनवरी, 1978 के संकल्प के तहत स्थापित किया गया अल्पसंख्यक आयोग ।

4. भारत सरकार द्वारा उसके तारीख 21 जुलाई, 1978 के संकल्प के तहत स्थापित किया गया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ; और

5. भारत सरकार द्वारा उसके 10 मई, 1980 के संकल्प के तहत गठित अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त पैनल ।

2. गत तीन वित्तीय वर्षों में उपर्युक्त प्रत्येक निकाय पर सरकार द्वारा किया गया वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	निकाय का नाम	किया गया व्यय		
		1978-79	1979-80	1980-81
		(लाख रुपए)		
1.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी	8.39	9.03	9.02
2.	भाषाई अल्पसंख्यक विशेष अधिकारी	6.12	4.64	4.83
3.	अल्पसंख्यक आयोग	8.04	14.23	11.36
4.	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग	15.93	23.68	30.57
5.	अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग उच्चाधिकार पैनल ।	शून्य	शून्य	7.65

3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विशेष अधिकारी ने अब तक 27 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । इनमें से 26 रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है । 1979-80 और 1980-81 की अवधि से संबंधित विशेष अधिकारी की 27वीं रिपोर्ट छप रही है । वर्ष 1975-77 तक विशेष अधिकारी की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई के विवरण संसद के पुस्तकालय में रख दिए गए हैं । वर्ष 1977-78 और 1978-79 की रिपोर्टों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण उक्त रिपोर्टों में निहीत विभिन्न सिफारिशों के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से सूचना न मिलने के कारण संसद के समक्ष नहीं रखे गए हैं ।

4. भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी ने अब तक 1957 से 30 जून, 1981 तक 21 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं ; इन रिपोर्टों में से 30-6-1978 तक की 19 रिपोर्टें संसद के समक्ष रख दी गई हैं । 1-7-1978 से 30-6-1980 तक की अवधि की 20वीं रिपोर्ट की

मुद्रित प्रतियां हाल ही में प्राप्त हुई हैं तथा रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है । 1-7-1980 से 30-6-1981 तक की अवधि की 21वीं रिपोर्ट के संबंध में मुद्रित प्रतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

5. अल्पसंख्यक आयोग ने अब तक वर्ष 1978-79 और 1980 की तीन वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । वर्ष 1978 और 1979 की अवधि की रिपोर्ट को की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दिया गया है । वर्ष 1980 की रिपोर्ट की मुद्रित प्रतियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं ।

6. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अब तक वर्ष 1978-79 और 1979-80 की दो रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं । वर्ष 1978-79 की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं वर्ष 1979-80 की रिपोर्ट छप रही है ।

7. उच्चाधिकार प्राप्त पैनल ने 31 जनवरी 1981 को अल्पसंख्यकों के संबंध में अपनी प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और वह सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में उद्योग लगाने के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को लाइसेंस न देना

1674. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालुम है कि एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम और विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को पश्चिम बंगाल में व्यय करने के लिए लाइसेंस लेने से मना कर दिया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल के प्रति हो रहे इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम वाली किसी भी कम्पनी से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन पत्र केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया गया है कि प्रस्तावित निवेश पश्चिम बंगाल के लिए था । औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में पश्चिम बंगाल के साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है ।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

1675. श्री डी० एम० पुत्तेगौडा :

श्री के० लकप्पा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के घरेलू और औद्योगिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज का कोई काम हाथ में लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस क्षेत्र में कब तक सफलता अपेक्षित है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) कृषि, उद्योग, घरेलू और अन्य क्षेत्रों में नयी और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग का संवर्द्धन और उपयोगीकरण करने के लिए ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा अनुसंधान और विकास का एक व्यापक क्षेत्रीय कार्यक्रम हाथ में लिया जा चुका है । इसमें सौर ऊर्जा, जैव गैस, जीव भार; पवन ऊर्जा, जल शक्ति आदि को शामिल किया गया है । इन अनुसंधान और विकास के प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब देश में ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विभिन्न युक्तियों और प्रणालियों को तैयार किया जा रहा है । इनमें घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिए सौर जल तापक, सौर शुष्कक और भट्टे, सौर पम्प, सौर कुकर, छोटे और बड़े जैव गैस संयंत्र और पवन चक्कियां शामिल हैं । इन यूनिटों की कार्यकुशलता को बढ़ाने और आरम्भिक लागतों को कम करने के लिए और इनके नए अनुप्रयोगों का विकास करने के लिए कार्य जारी है ।

कुमारधुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स का अधिग्रहण

1676. श्री जयपाल सिंह : क्या उद्योग मन्त्री कुमार धुबी इन्जीनियरिंग वर्क्स के अधिग्रहण के बारे में 25 नवम्बर, 1981 और 2 और 9 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 625, 626, 1817, 1818 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है जो इतने लम्बे समय से चला हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं : और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) से (ग) रुग्ण एककों के बारे में सरकार की नीति के अनुसार कुमारधुवी इन्जीनियरिंग वर्क्स (के०ई०डब्ल्यू०) को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकार में लेने का प्रश्न तभी खड़ा होगा यदि इस एकक को उपयुक्त अवधि के अन्दर जीव्य बनाया जा सकता हो। के०ई०डब्ल्यू० के सम्बन्ध में विस्तृत जांच के आधार पर व्यवहार्य नहीं पाया गया है। फिर भी बिहार सरकार ने इस एकक को फिर से चालू करने में रुचि दिखाई है और ऐसी कार्रवाई जिसे वे ठीक समझते हैं, करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विचारों से उन्हें अवगत कर दिया गया है।

हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि० के प्राधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार के निदेश

1677. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि० के प्राधिकारियों को उस कम्पनी के उन सभी कामगारों को भेजने के निर्देश दिए थे जो मध्य प्रदेश के भिलाई इस्पात संयंत्र में लाए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करेगी ;

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले को राज्य सरकार के साथ सुलझायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र

1678. **श्री रामकृष्ण मोरे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में सरकार को औद्योगिक लाइसेंसों के लिए उद्योग-वार कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस वर्ष में कुल कितने आवेदन पत्र निपटाए गए हैं ; और

(ग) इस समय कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) 1.4.1980 से 31.3.1981 तक की अवधि में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को 2011 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। ये आवेदन सभी प्रमुख उद्योग समूहों से सम्बन्धित थे, यथा धातुकर्मी उद्योग, विद्युतीय उपस्कर, दूरसंचार, परिवहन, औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स, कृषि सम्बन्धी मशीनरी, औद्योगिक उपस्कर, रसायन, औषधियां और भेषजें, वस्त्रोद्योग, कागज और कागज उत्पाद, चीनी, वनस्पति तेल और वनस्पति, कांच, चीनी मिट्टी उद्योग, सीमेंट और ईमारती लकड़ी उत्पाद आदि। इन में से 22.2.82 तक 1834 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन निपटा दिए गए थे। शेष 177 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं।

देश में रंगीन तथा काला सफेद दूरदर्शन निर्माता एकक

1679. **श्री अजीतसिंह दाभी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में रंगीन व काला एवं जफेद दूरदर्शन सैट निर्माता एककों के नामों के बारे में अलग-अलग ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कितने एकक अपने सैटों को विदेशों में निर्यात करते हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) देश में सार्वजनिक, संयुक्त तथा निजी क्षेत्रों में श्याम एवं श्वेत (ब्लैक एंड व्हाइट) दूरदर्शन सैटों का निर्माण करने वाली युनिटों के नामों से संबंधित ब्यौरा विवरण 1, 2 तथा 3 में अलग-अलग दिए गए हैं। रंगीन दूरदर्शन सैटों के निर्माण के लिए अभी तक किसी भी युनिट को अनुमोदित नहीं किया गया क्योंकि सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन प्रसारण शुरू करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) मैसर्स इलैक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम (जो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है) ने अगस्त, 1981 में संयुक्त राज्य अमरीका को 960 दूरदर्शन रिसीवरों की प्रथम खेप का निर्यात किया है। ये रिसीवर मद्रास स्थित मैसर्स ओरियन्ट विजन लि० ने बनाए हैं। इस समय दूरदर्शन रिसीवरों का निर्यात करने वाली कोई अन्य युनिटें नहीं हैं।

विवरण -1

दूरदर्शन सैटों का सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण करने वाली कंपनियों की सूची

1. मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, हैदराबाद
2. हिमाचल प्रदेश खनिज तथा औद्योगिक निगम
3. मैसर्स केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम, त्रिवेन्द्रम

4. मैसर्स कोणार्क टेलीविजन, भुवनेश्वर

51 मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा पूंजी-निवेश निगम लि०, जयपुर

6. मैसर्स अपट्रोन इंडिया लि०, लखनऊ

7. मेसर्स पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम लि०, कलकत्ता

8. मैसर्स कर्नाटक राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम, बंगलौर

विवरण-2

संयुक्त क्षेत्र में दूरदर्शन सेटों का निर्माण करने वाली कंपनियों की सूची

1. मैसर्स ओरियन्ट विजन लि०, मद्रास ।

2. मैसर्स टेलीरामा, कलकत्ता ।

विवरण-3

दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए अनुमोदित निजी क्षेत्र की कम्पनियों की सूची

1. मेसर्स टेलीराड, बम्बई ।

2. मेसर्स ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, बंगलौर ।

3. मेसर्स ऊषा टेलीविजन (प्रा०) लिमिटेड, नई दिल्ली ।

4. मेसर्स पंजस्टार सटेंडर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर, फेज vi (मोहाली) ।

5. मेसर्स बेल्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रानिक्स, एस०ए०एस० नगर, फेज vi (मोहाली) ।

6. मेसर्स सोलिडायर इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, एस०ए०एस० नगर, फ़ेज vi (मोहाली) ।

7. मेसर्स ग्रेवाल रेडियोज कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, फोकल प्वाइंट, लुधियाना ।

8. मेसर्स नेबको इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना ।

9. मेसर्स टेलीविजन कम्बाइन,गोल्डस्पाट कैम्पस, झोटवाड़ा, जयपुर ।

10. मेसर्स केनन इलेक्ट्रॉनिक्स, नं० 1, डी०एस०आई० डी०सी० सैंड, वजीरपुर, दिल्ली ।

11. मेसर्स सेटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, गणेश कालोनी, पिलानी ।

12. मेसर्स वाइडीऑन, 841, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली ।

13. मेसस् वेस्ट्न इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, 48-ए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली ।

14. मेसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, 239, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, नई दिल्ली ।

15. मेसर्स डिस्को इलेक्ट्रानिक्स, ए-83 ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेज II, नई दिल्ली ट्रेड मार्क "डिस्को)" ।

16. मेसर्स जुपिटर रेडियोज (रजि०), सी-16, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेज XII, नई दिल्ली 1 ट्रेड मार्क "टेक्सला" ।

17. मेसर्स ऐसके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, बी-86/1, ओखला इंडस्ट्रियल ऐरिया, फेज, II, नई दिल्ली 1 ट्रेड मार्क ("बिग्सटन") ।

18. मेसर्स डी.टी. गांधी (टेली) प्राइवेट लिमिटेड, 2/14, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।

19. मेसर्स बैल्टेक इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, ए-80, नरायणा इंडस्ट्रियल ऐरिया, नई दिल्ली ।

20. मेसर्स किंग्सटन इलेक्ट्रानिक्स, डब्ल्यू एच-61, फेज I, मायापुरी, नई दिल्ली ।

21. मेसर्स जी०सी०जी० रेडियो कारपोरेशन, 1, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली ।

22. मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड, 5ए/123, अंसारी रोड़ दरियागंज, नई दिल्ली ।

23. मेसर्स गोयल इलेक्ट्रानिक्स, दी माल, शिमला ।

24. मेसर्स मुकेश खंडेवाल, 18 लोधी मोहाला, इंदौर (म०प्र०) ।

25. मेसर्स रेडियोक्राफ्ट ऑफ इंडिया (प्रा०) लिमिटेड, 7, हाल रोड़, रिचर्डस्टोन, बंगलौर ।

26. मेसर्स के०एल०वंडोई, ए-56, इंडस्ट्रियल एस्टेट II फेज, पीनया, बंगलौर ।

27. मेसर्स डाईनेमिक एक्सटेंशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सातवां के०एम० ओल्ड मद्रास रोड़, बंगलौर ।

28. मेसर्स जेयरसी इलेक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड, ग्यारहवां क्रॉस, मिलेश्वरम, बंगलौर ।

29. मेसर्स ऐसोसिएटिड इलेक्ट्रिकल एजेन्सीज, अरूना मेनसिग्रंस 78 जे०सी० रोड़, बंगलौर ।

30. मेसर्स रसौराष्ट्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, 151, चौथी मैन, डीफेन्स कालोनी, बंगलौर ।

31. मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कम्यूनिकेशन सर्विसिज, 21, ब्रिगेड रोड, बंगलौर ।

32. मेसर्स जी०एन०वी० राजू, 6/6, प्राइमरोज रोड़ रिचमंड टाउन, बंगलौर ।

33. मेसर्स एशोसिएटिड इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (बंगलौर) प्राइवेट लिमिटेड, 113-ए, ब्रिगेड रोड बंगलौर ।

34. मेसर्स वाइडिआनिक्स, 162/ सी छठा मेन, III ब्लाक, टी०आर० नगर, बंगलौर ।

35. मेसर्स जे०पी०टी० सिस्टम (प्रा०) लिमिटेड, नं० 22, ग्यारहवां मेन वारंट नगर, बंगलौर ।

36. मेसर्स एस०एल०वी० आनंद, केयर ऑफ प्रेम सिल्क हाउस, 7/29-ए, III मेन रोड़, अनुमन्तनगर, बंगलौर ।

37. मेसर्स कोपरोनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, नं० 50, वानी विलाश रोड़, बाशवागुडी, बंगलौर ।

38. मेसर्स रिइलेक्ट्रॉनिक्स, 9, ब्लिटरी लायोट, बंगलौर ।

39. मेसर्स पूर्णिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, 72, चौथा मेन शिवरामपुरम, कुमार पार्क, बंगलौर ।

40. मेसर्स साउथर्न इलेक्ट्रॉनिक्स बंगलौर (प्रा०) लिमिटेड, 16-ए, इंडस्ट्रियल ऐरिया, फस्ट फेज, पीनया, बंगलौर ।

41. मेसर्स भारत टी०वी० मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बालानगर, हैदराबाद 37 (आ० प्र०)

42. मेसर्स आनंदिगि इन्स्ट्रूमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नामपाल्ली, हैदराबाद ।

43. मेसर्स वी०वी० रामा राव कम्पनी, मालकपेठ, हैदराबाद ।

44- मेसर्स डुके सर्विसिज, एलेक्स कॉम्पलेक्स, हैदराबाद ।

45. मेसर्स एपट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, पुवानी हावेली, हैदराबाद ।

46. मेसर्स सोनोडॉन टेलीविजन कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड 7, सौरन राय रोड़, कलकत्ता-34 ।

47. मेसर्स प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक्स, 35/1, डाइमंड हारबर रोड़, कलकत्ता ।

48. मेसर्स परिसिजन इलेक्ट्रिॉनिक्स, पी-81, सी आई० टी० रोड़, एन्टेली, कलकत्ता ।

49. मेसर्स डेटा रेडियो एंड टी०वी० कम्पनी, 44, भुपेन्द्रा बोश ऐवेन्यू कलकत्ता ।

50 मेसर्स के० बी०सी० इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, गेरिआ, कलकत्ता ।

51. मेसर्स कृष्णा कुमार पोद्दार, पी-345, सी० आई०टी० रोड़, कलकत्ता-54 ।

52. मेसर्स मुसटांग इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, 78 लेटिस ब्रिज रोड़, अडयार, मद्रास ।

53. मेसर्स इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड देव कम्पनी, प्लाट नं० 41/1/1 लालटिस ब्रिज रोड़, थिरुवेनमियुर, मद्रास ।

54. मेसर्स के०बी० इलेक्ट्रानिक्स, 84, स्वामी वेइका स्ट्रीट, चिन्ताद्रिपेट, मद्रास ।

55. मेसर्स ओरिएन्ट्रोनिक्स इंक्यूपमैंट्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड आफिस हेडंग रोड़, मद्रास ।

56. मेसर्स स्टेरलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, 109, स्टेरलिंग रोड़, मद्रास ।

57. मेसर्स टेलविन टेलीविजन (प्रा०) लिमिटेड, 140/1, वी०एम० स्ट्रीट, रायापेट्टाह, मद्रास ।

58. मेसर्स हे-बीम इलेक्ट्रॉनिक्स (प्रा०) लिमिटेड, 10, फस्ट मेन रोड़, गांधीनगर, अडयार, मद्रास ।

59. मैसर्स बी०एल०आर०एस० 129/1, एम०जी० रोड़, तिरूवामीयूर, मद्रास ।

60. मैसर्स सुपरनेवीजन प्रावेट लि०, टाइप-II/24, डा० वी० एस० आई० इस्टेट, मद्रास ।

61. मैसर्स साकरा इलेक्ट्रॉनिक्स (पी०) लि०, 11 फस्ट क्रोस स्ट्रीट, सैसथुर नगर, अडयार, मद्रास ।

65. मैसर्स करजयट्रौनिक्स (पी.) लि०, डोर न० 66, 1 एवन्यू, इंदिरा नगर, अडयार, मद्रास ।

63. मैसर्स अम्बर टेलीविजन (पी.) लि० ए-53, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अंधेरी (इ), बम्बई ।

64. मैसर्स कवत्री इलेक्ट्रोनिक्स, ए-386, रोड़ न० 28, वेगल, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, थाना ।

65. मैसर्स टेलीस्टार इलेक्ट्रौनिक्स (पी०) लि०, 98, गोमेंट इंडस्ट्रीयल इस्टेट, केन्डीवली (डब्लयू) बम्बई ।

66. मैसर्स सुदर्शन इलेक्ट्रोनिक्स एंड. टी.बी. लि०, डी-23/24, उद्योग सदन न०, 2 एम. आई.डी.सी. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, महाकाली केप्स रोड़, अंधेरी (इ) बम्बई ।

67. मैसर्स क्यूजर इलेक्ट्रोनिक्स, 20/21, नंडयोट इंडस्ट्रीयल इस्टेट, कुर्ला, अंधेरी रोड़, बम्बई ।

68. मैसर्स नवभारत रेडियो एजेंसिज, 350, लेमिंगटन रोड़, बम्बई ।

69. मैसर्स सुढ़ार संस इंजीनियरिंग (प्राईवेट) लि०, ए-1/8 विजय विहार, को-आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी, एस.टी. रोड़ , चम्बूर, बम्बई ।

70. मैसर्स ओरियन्टल रेडियो (प्राईवेट) लि०, 394/सी. लेमिंगटन रोड़, बम्बई ।

71. मैसर्स महाराष्ट्र इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लि० (मैल्ट्रोन) रहेजा सेंटर, पहली मंजिल, नारीमन पोइन्ट, बम्बई ।

72. मैसर्स इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रोनिक्स, 508, पार्वती इंडस्ट्रीयल इस्टेट, लोअरपारेल बम्बई ।

73. मैसर्स आचार्य इलेक्ट्रोनिक्स लि०, 38 सी, एम.आई.डी.सी. इंडस्ट्रीयल एरिया, हंगारे रोड़, बम्बई ।

74. मैसर्स इंटरनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स लि०, 81-83, सुथारचोल, बम्बई ।

75. मैसर्स गुड एंड सुटेबल रेडियो क्लासिस, 170 बुडावर पेठ, पुणे ।

75. मैसर्स फोनिक्स टेलिविजन (प्राईवेट) लि, 49, अशोक नगर पुणे ।

77. मैसर्स भारत रेडियो एंड इलेक्ट्रोनिक्स, 12 सदाशिव पेठ, पुणे ।

78. मैसर्स आर. के. इलेक्ट्रोनिक्स, के 48/8 जी. आई. डी. सी. इस्टेट फेन-3 नरोदा, अहमदाबाद ।

79. मैसर्स टेलीविजन, एंड कम्पोनेन्टस प्राइवेट लि, प्लोट न० 57, जी. आई. डी. सी. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नरोदा, अहमदाबाद ।

80. मैसर्स अमेरिकन इलेक्ट्रिोनिक्स, 91 जी. आई. डी. सी. इस्टेट मकरपुरा रोड़, बड़ोदा ।

81. मैसर्स ओरियन्टल इलेक्ट्रोनिक्स, इंडस्ट्रीयल इस्टेट, श्रीनगर, बारजुल्ला, श्रीनगर ।

82 मैसर्स ताज इलेक्ट्रोनिक्स, बंग्रेथ, श्रीनगर ।

83. मैसर्स वेसटन इलेक्ट्रोनिक्स लि०, बंग्रेथ, श्रीनगर ।

84. मैसर्स ओरियन्ट विजन लि० मद्रास ।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के निलम्बित मामले

1680. **श्री ए०टी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में सरकार के पास-निलम्बित पड़े मामलों की संख्या (राज्यवार) क्या है और वे कितनी अवधि से निलम्बित पड़े हैं ; और

(ख) उन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आरम्भिक छान-बीन के लिए कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं हैं । तथापि व्यक्तियों और/या राज्य सरकार भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के कार्मिकों के सम्बन्ध में मिलिट्री रिकार्ड कार्यालयों से अपेक्षित सूचना और/या रिपोर्ट के अभाव में इन मामलों पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका । इन मामलों को व्यक्तियों से अपेक्षित सूचना और/या राज्य सरकार/मिलिट्री रिकार्ड कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा । एक राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(ख) सभी मुख्य मंत्रियों से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, जिसे पहले स्वतंत्रता सैनानी पेंशन योजना 1972 के नाम से जाना जाता था, का तेजी से कार्यान्वियन करने को सुनिश्चित करने और निम्नलिखित उपाय करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ।

(1) स्वतंत्रता सैनानी एककों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ।

(2) स्वतंत्रता सैनानी पैंशन मामलों के निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित करना और उनके पास लम्बित सभी मामलों को निपटाने के लिए अभियान चलाना ।

(3) केवल स्वतंत्रता सैनानियों के दावों के शीघ्र छान बीन के लिए वरिष्ठ अधिकारी के अधीक्षण में विशेष एककों का गठन ।

(4) उच्च प्राथमिकता के अनुसार पेंशन मामलों पर सलाह देने/सिफारिश करने के लिए एक राज्य स्तरीय समित का गठन करना ।

भारत सरकार ने भी गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सैनानी प्रभाग के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति दी है ।

विवरण

31.1 82 तक प्राप्त हुए और निपटाये गए पत्रों का विवरण (राज्य-वार)

प्राप्त और स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों के निपटान का विवरण :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.8 80 से पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल सं०	1.8.80 के बाद प्राप्त	कालम 2 और 3 का योग	स्वीकृत की गयी पेंशन	बहाल की गयी	अस्वीकृत की गयी	निलम्बित की गयी	रद्द की गयी	शेष जिनमें राज्यों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. असम	16445	8267	24712	3940	510	9157	1507	19	9579
2. आन्ध्र प्रदेश	13679	7535	21214	5415	—	7828	107	—	7864
3. बिहार	47894	39563	87457	19684	60	29377	448	71	37817
4. गुजरात	5636	468	6104	2921	—	3100	60	—	23
5. हरियाणा	2029	471	2500	1338	1	609	35	19	498
6. हिमाचल प्रदेश	773	318	1091	383	4	471	13	2	218
7. जम्मू व कश्मीर	1653	481	2634	819	3	943	—	—	869
8. केरल	9332	19586	28918	2013	1	8570	757	14	17576
9. करनाटक	12911	4763	17674	7725	4	3001	1459	—	5485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. महाराष्ट्र	18247	12697	30944	10321	1	8372	238	—	12012
11. मध्य प्रदेश	5877	1397	7274	2824	52	3680	31	51	636
12. मनीपुर	125	25	150	58	3	44	7	–	38
13. मेघालय	124	23	147	67	3	35	15	13	14
14. नागालैण्ड	15	4	19	3	3	3	—	—	10
15. उड़ीसा	7555	6232	13787	3575	154	3767	18	86	6187
16. पंजाब	9680	2407	12087	5285	33	4915	67	18	1769
17. राजस्थान	1091	434	1525	618	4	385	16	7	495
18. तमिलनाडु	7070	2179	9249	3649	—	3768	116	—	1716
19. त्रिपुरा	1911	398	2309	688	37	703	200	35	646
20. उत्तर प्रदेश	24229	2323	26552	15836	13	4112	372	144	607
21. पश्चिम बंगाल	28062	35910	63972	14953	51	7921	518	131	40398
संघ शासित क्षेत्र									
1. अण्डमान व नि०	34	20	54	36	—	14	—	—	4
2. अरुणाचल प्रदेश	1	40	41	2	2	10	—	—	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. चण्डीगढ़	99	39	138	77	—	34	—	—	27
4. दिल्ली	2199	519	2718	1687	—	801	67	—	163
5. गोआ	1908	955	2863	599	—	1463	11	—	790
6. मिजोरम	3	1	4	—	3	—	1	—	—
7. पांडिचेरी	1051	444	1495	246	—	906	13	3	327
8. आजाद हिंद फौज	29561	4517	34078	16969	221	10047	238	72	6531
जोड़	249194	152510	401710	121731	1163	114036	6301	685	157794

सीमेंट उद्योग का विस्तार

1681. श्री मगनभाई बरोट : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि अब तक लागू अलाभप्रद संधारण मूल्य के कारण सीमेंट उद्योग के विस्तार तथा इसके पुराने संयंत्रों और प्रद्योगिकी को बदलने का काम पूरी तरह पूर्ण हो गया है;

(ख) विद्युत और कोयले की कम सप्लाई, कोयले की घटिया किस्म तथा आदानों की लागत में वृद्धि जैसी अन्य बातों को मिलाकर मूल्य निर्धारण नीति के कारण कितने एकक रूग्ण हो गए हैं ;

(ग) मांग और वर्तमान सप्लाई के बीच कितना अन्तर है और पांच वर्षों के बाद कितना अन्तर होगा; और

(घ) सीमेंट के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नई मूल्य निर्धारण और वितरण नीति में आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है ।

(ख) बिजली की उपलब्धता में कमी आने सम्बन्धी बाहरी बाधाओं के फलस्वरूप क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाना अनेक सीमेंट एककों में संतोष जनक रूप से कार्य निष्पादन न होने के लिए मुख्यत: जिम्मेदार है । सीमेंट उद्योग को निविष्टियों की लागत बढ़ जाने की अवस्था में संधारण मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दे दी जाती है ।

(ग) इस समय अनुमानित मांग तथा पूर्ति के बीच 70 लाख मी० टन अन्तर होने की आशा है । किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सीमेन्ट की संभरण स्थिति काफी सुधार होने की आशा है और मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर काफी कम हो जायेगा ।

(घ) वर्ष 1977-78 से 15 फरवरी, 1982 तक की अवधि में 391.29 करोड़ रुपये व्यय किए गए है ।

विदेशी प्रौद्योगिकीय सहयोग

1682. श्री के०टी० कोसलराम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोगों की संख्या वर्ष 1976 में 277 से बढ़कर वर्ष 1980 में 526 हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से क्षेत्रों और विषयों में ऐसे विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोगों की संख्या बढ़ी है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1976 से 1980 की अवधि में उद्योगवार स्वीकृत किए गए विदेशी सहयोगों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार द्वारा 1976 से 1980 की अवधि में स्वीकृत किये गये विदेशी सहयोग के प्रकरणों के उद्योगवार ब्यौरे की सूची

क्र० सं०	उद्योग का नाम	1976	1977	1978	1979	1980
1	2	3	4	5	6	7
1	धातुकर्मिक उद्योग	12	7	18	12	31
2	ईंधन	—	1	4	—	6
3	बायलर्स तथा वाष्प जनित्र संयंत्र	1	4	—	1	4
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनरेटरों से भिन्न)	1	—	5	—	—
5.	विद्युत उपकरण	63	67	46	50	107
6.	दूरसंचार	—	—	2	2	7
7.	परिवहन	18	18	20	26	40
8.	औद्योगिक मशीनें	57	74	76	72	121
9.	मशीन टूल्स	19	10	20	14	26
10.	कृषीय मशीनें	—	—	—	—	1
11.	भूमि उत्खनन मशीनें	1	1	2	—	1
12.	विविध यांत्रिकीय तथा इंजीनियरी उद्योग	13	4	7	15	29

1	2	3	4	5	6	7
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	1	1	2	2	2
14.	चिकित्सकीय तथा शल्यक्रिया उपकरण	1	1	1	1	—
15.	औद्योगिक सूक्ष्म यंत्र	4	9	19	10	15
16.	वैज्ञानिक सूक्ष्म यंत्र	1	1	2	1	3
17.	गणितीय, सर्वेक्षण तथा ड्राइंग सूक्ष्म यंत्र	—	—	—	—	—
18.	उर्वरक	—	—	—	—	—
19.	रसायन (उर्वरक से भिन्न)	32	23	30	24	52
20.	फोटोग्राफी की कच्ची फिल्म तथा कागज	1	1	—	—	—
21.	रंगाई का सामान	—	—	—	—	—
22.	दवाई तथा भेषजीय पदार्थ	1	3	2	2	8
23.	टेक्सटाइल (छपाई तथा अन्य प्रक्रियाओं से रंगे गये सहित)	2	2	2	—	6
24.	कागज उत्पादों सहित कागज तथा लुगदी	2	3	4	4	—
25.	चीनी	—	—	—	—	—
26.	किण्वन उद्योग	—	2	—	—	—
27.	खाद्य परिष्करण उद्योग	2	2	2	—	6
28.	वनस्पति तेल तथा बनस्पति	1	—	1	—	—
29.	साबुन, सौंदर्य तथा प्रसाधन पदार्थ	—	1	—	1	—
30.	रबड़ का सामान	4	4	7	2	7

1	2	3	4	5	6	7
31.	चमड़ा, चमड़े का सामान तथा पिकर्स	1	3	6	2	4
32.	सरेस तथा जिलेटिन	—	—	1	—	—
33.	कांच	5	5	1	2	9
34.	चीनी मिट्टी का सामान	7	1	6	6	4
35.	सीमेंट तथा जिप्सम का सामान	4	3	3	2	—
36.	इमारती लकड़ी उत्पादन	—	—	—	1	1
37.	रक्षा उद्योग	-	—	—	-	
38.	सिगरटें	—	—	—	—	—
39.	परामर्श	—	2	4	—	5
40.	विविध उद्योग	23	13	24	15	31
	योग	277	267	307	267	526

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

1683. **श्री अनन्तरामुलू मल्लु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राइमरी जोनल कोक ओवन धमन भट्टियों स्टील मेल्टिंग शाप्स और सिन्तरित योजना के दूसरे चरण में अन्तर्ग्रस्त आवृति मूल के विस्तृत कार्यों को छोड़ने के सम्बन्ध में सोवियत रूस की अनिच्छा के कारण विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

कारों के मूल्य

1684. श्री एस०वी० सिदनाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यात्री कारों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के बारे में चिन्ता व्यक्त की है जो वर्ष 1976 और 1981 के दौरान दुगने से भी ज्यादा हो गये हैं;

(ख) एक अम्बेस्डर, प्रीमियर तथा पद्मनी कार के विद्यमान बाजार मूल्य क्या है; और

(ग) कार के मूल्यों को नियमित करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) निर्माताओं ने बताया है कि अन्तर्वस्तुओं की लागत, निर्माण लागत, उपरिव्यय आदि में वृद्धियों के कारण समय-समय पर कीमतों में वृद्धि की गई है। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य-वृद्धि पर बल दिया है। इसके साथ ही औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। 1-1-1982 को दिल्ली में अम्बेसेडर और प्रीमियर पद्मिनी कारों की शो-रूम से निकलते समय की खुदरा कीमत निम्नलिखित थी :—

		1-1-1982 को कीमत (रुपयों में)
अम्बेसेडर	:	73,525
प्रीमियर पद्मिनी	:	69,427

वर्ष 1981 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियां

1685. श्री एन०के० शाजवलकर :
प्रो० रूपचन्द पाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान तथा अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्यवार कितने भारत के नागरिक गिरफ्तार (हिरासत में) किये गये हैं;

(ख) क्या हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में सुझाये गये सभी रक्षापायों को ऐसे सभी मामलों में ध्यान में रखा जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनका अनुपालन नहीं किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 28.12.1981 के अपने निर्णय में की गई टिप्पणियों/निदेशों के क्रियात्मक भागों को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही भेज दिया गया है ।

दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा वितरित किए गए बधाई पत्र

1685. **श्री आर० आर० भोले** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली यातायात पुलिस ने सड़क पर चलने वाली जनता को नव-वर्ष के दिन भारत सरकार मुद्रणालय द्वारा मुद्रित हजारों बधाई पत्र वितरित किए थे और उन पर यहां तक कि उनमें सड़क पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, अथवा यातायात निर्देश भी नहीं दिए गए थे ;

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ;

(ग) क्या इसके लिए पुलिस आयुक्त तथा गृह मन्त्रालय की स्वीकृति ले ली गई थी ; और

(घ) बधाई पत्रों पर मार्ग दर्शी सिद्धांत अथवा यातायात निर्देश न छापने के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) भारत सरकार मुद्रणालय में मुद्रित बधाई पत्र, जिनमें हिन्दी और अंग्रेजी में "कीप अस इन मॉईन्ड वाईल आन रोड" नारे लिए गए थे । ये सड़क सुरक्षा शिक्षा के एक भाग के रूप में सड़क पर चलने वालों में वितरित किए गए थे । यातायात नियमों का पालन करने के प्रति सड़क पर चलने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारों का मुद्रण एक बढ़िया तरीका है । इस पर 5,831 रु० खर्च हुए । पुलिस उप आयुक्त (यातायात) जिसे वित्तीय शक्ति नियमों के प्रत्यायोजन के अंतर्गत कार्यालय का प्रधान घोषित किया गया है, इस व्यय की स्वीकृति दे सकता है ।

मारुति-निस्सान सहयोग

1687. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार परियोजना सहयोग के बारे में मारुति-निस्सान वार्ता को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, कब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कौन-सा मण्डल चुना गया है और जापान की निस्सान मौटर्स द्वारा प्रस्तावित सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

उयोग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) विदेशी कम्पनियों में निस्सान मोटर कम्पनी भी एक कम्पनी हैं जिसके साथ मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है । प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद निर्मित की जाने वाली कार के माडल और सहयोग के बारे में निर्णय लिए जाने की आशा है ।

ग्रामीण ऋण संबंधी शिवरामन समिति

1688. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री भीकू राम जैन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों के विचारार्थ ग्रामीण ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया तैयार करने के लिए गक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया था ;

(ख) क्या केन्द्र ने शिवरामन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा प्रारम्भ की थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शिवरामन समिति की सिफारिशों पर राज्यों के मंत्रियो के सम्मेलन में विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है ।

गन्दी बस्तियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त सीमेंट का आवंटन

1689. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बम्बई में गन्दी बस्तियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त सीमेंट का आवंटन करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार से बम्बई में गन्दी बस्तियों के पुनर्वास के लिए सीमेंट के आवंटन हेतु इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हरियाणा में स्टाक-यार्ड

1690. **श्री चिरन्जीलाल शर्मा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हरियाणा में कितने स्टाक-यार्ड हैं ;

(ख) क्या हरियाणा में नए स्टाक-यार्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है 1

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) हरियाणा में सेल का एक स्टाकयार्ड है और टिस्को का एक प्रेषण-अभिकरण है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ से भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रमुख) परीक्षा, 1981 की उत्तर पुस्तिकाओं तथा खाली मार्क शीट का खोया जाना

1691. **श्री धर्मबीर सिंह** :
श्री जयनारायण रोट : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रमुख) परीक्षा, 1981 की कुछ उत्तर पुस्तिकाएं तथा खाली मार्क शीट चण्डीगढ़ से खो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 से सम्बन्धित चार उत्तर पुस्तिकाएं तथा तीन खाली अंक तालिकाएं, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चण्डीगढ़ में एक परीक्षक को बीमाशुदा पैकट में

भेजा गया था, मार्ग में गुम हो गई बताई गई थीं। उक्त मामले की डाक प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। आयोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 में संबंधित चार उम्मीदवारों की 3 मार्च, 1982 को दिल्ली केन्द्र में पुनः परीक्षा ले रहा है।

दिल्ली सशस्त्र पुलिस के लिए भर्ती

1692 **श्री सुभाष यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में दिल्ली सशस्त्र पुलिस में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किए गए; और

(ख) वर्ष 1980-81 में दिल्ली पुलिस के लिए भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है और गुरुदासपुर तथा अमृतसर जिलों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	दिल्ली पुलिस की कुल आवश्यकता	गुरुदासपुर जिले से सम्बन्धित	अमृतसर जिले से सम्बन्धित
1	2	3	4
1980	1407	232	18
1981	466	1	2

टिप्पणी: आरम्भिक भर्ती केवल दिल्ली सशस्त्र पुलिस में ही की जाती है।

दिल्ली नगर निगम के सफाई तथा इंजीनियरी विभाग में सब इन्स्पेक्टरों तथा सहायक सब-इन्स्पेक्टरों के पदों का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

1693. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम के सफाई तथा इन्जीनियरी विभाग में सब-इन्सपेक्टरों तथा सहायक सब-इन्सपेक्टरों के पदों की कुल संख्या कितनी है और क्या इन पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि, नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस समय सहायक सब इन्स्पेक्टरों के रिक्त पदों की संख्या कितनी हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात क्या है और इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) सहायक सब इन्सपेक्टरों के उन पदों की संख्या कितनी है जिन पर सफाई गाइड्स कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) क्या मलकानी समिति तथा सफाई कर्मचारी प्रथागत अधिकार समिति की सिफारिशों को इस बीच कार्यान्वित किया गया है, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रहीहैं और दिल्ली नगर निगम से इसके प्राप्त होने पर लोकसभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1988-89 तक सीमेंट की अनुमानित खपत

1694. **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) राष्ट्रीय आर्थिक अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गए उत्तरी जोन के एक सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1988-89 तक सीमेंट की कुल अनुमानित खपत कितनी होगी;

(ख) सीमेंट की खपत के इस अनुमान को ध्यान में रखते हुए राजस्थान द्वारा सीमेंट की कितनी मात्रा का उत्पादन किए जाने की अपेक्षा है ;

(ग) क्या यह सच है कि सीमेंट एककों की स्थापना करने के लिए राज्य अथवा केन्द्र के पास अनेक आवेदन पत्र निपटाने के लिए निलम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के पास निलम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या क्या है और उन पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई "राजस्थान की 1974-89 की भावी परियोजना" संबंधी रिपोर्ट के अनुसार 1988-89 तक उत्तरी क्षेत्र में लगभग 130 लाख मी० टन सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तथा राजस्थान के बृहत चूना पत्थर निक्षेपों को देखते हुए इस आवश्यकता का 50 प्रतिशत इससे पूरा किया जा सकता है ।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के आवेदनों पर राज्य सरकारों द्वारा नहीं अपितु केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाता है । केन्द्र सरकार के पास

इस समय राजस्थान में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु केवल दो आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं। इन आवेदनों के संबंध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है।

बिहार में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या

1695. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री बिहार में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या के बारे में दिनांक 9 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2905 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 की जनगणना के आधार पर बिहार में विभिन्न भाषाओं सम्बन्धी आंकड़ों की इस बीच तालिका बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं के आंकड़े क्या हैं जैसा कि स्वतन्त्रता से पहले और बाद इस शताब्दी में की गई सभी जनगणनाओं में पाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार में विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, जैसा 1901 से 1971 तक (अर्थात इस शताब्दी में स्वतन्त्रता से पहले तथा बाद) की जनगणनाओं में पाया गया, संलग्न विवरणों में दी है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०3465/82]

सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए आर्थिक स्थिति सुनिश्चित करना

1696. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या "आरक्षित श्रेणी" के अन्तर्गत सरकारी सेवा में नियुक्ति तथा किसी अन्य किस्म की सरकारी-सहायता के लिए "जाति अथवा जनजाति" की बजाए आर्थिक स्थिति निर्धारित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय श्रमिक संघों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक से की गई शिकायत

1697. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठनों की स्वतन्त्रता और संगठित होने तथा सामूहिक सौदाकारी के अधिकार के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दो मूल अभिसमय के अनुमोदन में देरी के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या हाल में हुई औद्योगिक हड़ताल के दौरान 50000 श्रमिक संघ कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बारे में भारतीय श्रमिक संघों की शिकायतों की जांच करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्वतन्त्रता समिति को कहा गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) संघ की स्वतन्त्रता तथा संगठन बनाने के अधिकार का रक्षण, 1948 से संबंधित अभिसमय संख्या 87 तथा संगठन बनाने का अधिकार तथा सामूहिक सौदाकारी, 1949 से संबंधित अभिसमय संख्या 98 में समाविष्ट आधारभूत सिद्धान्तों का वास्तविक रूप से अनुपालन किया जा रहा है । तथापि, कुछ प्रशासनिक तथा तकनीकी कठिनाइयों के कारण इन अभिसमयों का अनुसमर्थन करना भारत के लिए संभव नहीं हो सकता है ।

(ख) जी हां ।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग बनाया जाना

1698 **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग का गठन कर दिया गया है;

(ख) हिन्दी अनुवादकों की अन्तर्विभागीय वरिष्ठता कब तक निर्धारित कर दी जाएगी; और

(ग) महानिदेशक डाक तार कार्यालय के कितने अनुवादकों को इस संवर्ग में शामिल किया जायेगा ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) व (ख) वरिष्ठ/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पदों, जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के समूह "ग" में शामिल किए जा रहे हैं, के लिए नियम भारत के राजपत्र में 19.9.81 को अधिसूचित कर दिए गए हैं । इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा के प्रारम्भिक गठन और सेवा के सदस्यों की आयु में वरीयता निश्चित करने की कार्रवाई तत्परता से की जा रही है ।

सेवा के समूह 'क" और "ख" के पदों के लिए नियमों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) डाक-तार महानिदेशालय में अनुसंधान सहायक (हिन्दी) का 1 पद, अनुवादक, श्रेणी-1 के 2 पद और अनुवादक, श्रेणी-2 के 15 पद सेवा में शामिल किए गए हैं।

संसद सदस्यों द्वारा मन्त्रियों को लिखे पत्र

1699. डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मन्त्री संसद सदस्यों द्वारा मन्त्रियों को लिखे जाने वाले पत्रों के बारे में 22 अप्रैल और 16 सितम्बर, 1981 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 8225 तथा 4507 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तुरन्त ध्यान देने के लिए अनुदेश हैं, तब इस समय क्या कारण हैं कि उनका उत्तर मंत्रियों द्वारा ही नहीं अपितु कर्मचारियों द्वारा भी शीघ्र नहीं दिया जाता है और निर्धारित अनुदेशों का ठीक-ठीक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने हैं;

(ख) क्या एक बार फिर से सभी मंत्रालयों/विभागों उनसे सम्बद्ध तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों को ये अनुदेश जारी किये जायेंगे जिसमें उन्हें कड़ाई के साथ पालन करने की आवश्यकता और प्रमुखता तथा उनका पालन न करने वाले चूककर्त्ता के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने पर बल दिया जायेगा; और

(ग) क्या प्राप्त पत्रों की संख्या, उनमें से कितनों का उत्तर दिया गया और कितने लम्बित पड़े हैं, तथा उन पर ध्यान रखने के लिए देरी का कारण सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने के लिए कोई विवरणी लागू करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों पर मंत्री तथा सभी स्तरों के अधिकारियों द्वारा तत्काल ध्यान दिया जाता है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में उपबन्ध दिए गए हैं। विभिन्न अनुभागों और संयुक्त सचिव/निदेशक के वैयक्तिक अनुभागों को संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों के निपटान पर निगरानी रखने के लिए अलग से रजिस्टर रखने होते है और जिन मामलों में 15 दिन के भीतर उत्तर न भेजे गए हों उन्हें दर्शाते हुए एक विवरण पुनरीक्षा के लिए संयुक्त सचिव/निदेशक को प्रस्तुत किया जाता है।

निर्धारित कार्याविधि का निष्ठापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर अधिकारियों द्वारा की जा रही पुनरीक्षा के अलावा अनुभागों के वार्षिक निरीक्षणों की व्यवस्था भी कर दी गई है। इन निरीक्षणों के दौरान संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के निपटान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता को समय समय पर दोहराया जाता रहा है। फरवरी, 1981 में कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में एक उपबन्ध जोड़ा गया है जिसमें संयुक्त सचिव के स्तर पर पाक्षिक पुनरीक्षा की व्यवस्था की गई है ।

नारियल जटा उद्योग में भूसी नियन्त्रण आदेश

1700. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा उद्योग में भूसी नियन्त्रण आदेश को सफलतापूर्वक लागू करने के सम्बन्ध में शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में केरल सरकार के अनुरोध पर कोई निणय न लेने के क्या कारण हैं; और

(ख) अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में गठित कंयर उद्योग संबंधी उच्च स्तरीय अध्ययन दल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कंयर उद्योग में हस्क नियंत्रण आदेश कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार के शक्तियों के प्रत्यायोजित किये जाने के अनुरोध पर निर्णय लिया जाएगा ।

कर्नाटक लौह अयस्क परियोजना

1701. श्री के० लकप्पा : क्या इस्पात और खान मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक लौह अयस्क परियोजना के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए अभी हाल में एक ईरानी दल ने भारत का दोरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सम्भवत माननीय सदस्य का अभिप्राय कर्नाटक राज्य में स्थित कुद्रेमुख आयरन ओर परियोजना से है। कुद्रेमुख आयरन ओर परियोजना के बारे में बातचीत करने के लिए ईरान के एक प्रतिनिधि मण्डल ने 23 जनवरी, 1982 से 4 फरवरी, 1982 तक भारत का दौरा किया था। बातचीत पूरी नहीं हुई है और आशा है बकाया मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का एक और दौर चलेगा ।

निर्यातोन्मुख प्रगति की नीति

1702. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी स्थिति में जबकि विकासशील देश अधिकाधिक सुरक्षात्मक रवैया अपना रहे हों, निर्यातोन्मुख प्रगति नीति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वर्तमान स्थिति के नितांत प्रतिकूल है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) विदेश व्यापार नीति के प्रति सरकार का मूल दृष्टिकोण और कार्यनीति आयात प्रतिस्थापन और निर्यात पर उस सीमा तक निर्भर करना है जो अर्थ-व्यवस्था के लिए लाभदायक हो। इस प्रकार उसने आयात प्रतिस्थापन के जरिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए, ऊर्जा, उर्वरक, धातु, सीमेंट और तिलहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन के विस्तार के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं इसके साथ ही ऐसे क्षेत्रकों में निर्यात के विस्तार पर भी जोर दिया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी हैं और जिनके लिए विश्व में मांग बढ़ रही है। बढ़ती हुई संरक्षणात्मक अवस्थिति, जिससे कुछ क्षेत्रों में निर्यात की संवृद्धि सीमित हो सकती है, विकास शील राष्ट्रों को बजाए औद्योगिक देशों की विशेषता है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जनगणना कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

1703. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हजारों जनगणना कर्मचारियों की छटनी की जानी है और वे आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इन कर्मचारियों की ओर से कोई प्रस्ताव अथवा ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से; और

(घ) इनको केन्द्रीय सरकार की किन्हीं अन्य सेवाओं में खपाये जाने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान। भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनगणना आकंड़ों के सारणीयन के लिए समेकित वेतन पर विशिष्ट अवधि के लिए भर्ती किए गए व्यक्तियों के एक बड़े अनुपात की छंटनी की जा रही है और उनमें से कुछ ने अभिवेदन किया है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) नीचे उल्लिखित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से समेकित वेतन कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

1. आध्र प्रदेश
2. बिहार
3. दिल्ली
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. कर्नाटक
7. केरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10 उड़ीसा
11. राजस्थान
12. तमिलनाडु
13. त्रिपुरा
14. उत्तर प्रदेश
15. पश्चिमी बंगाल

(घ) समेकित कर्मचारियों की भर्ती करते समय उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप की है । तथापि सहानुभूतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया और उनके पुनर्वास के लिए कुछ उपाय शुरू किए गए हैं । जिन कर्मचारियों ने जनगणना संगठन में 6 महीने से अधिक सेवा कर ली हो वे नियमों के अनुसार आम प्रतियोगिता परीक्षा के अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा पदों पर नियुक्ति के लिए तीन साल जमा जनगणना संगठन में की गई सेवा अवधि तक की आयु सीमा में छूट के पात्र हैं । वे रोजगार कार्यालयों की भर्ती नामावली में उच्च प्राथमिकता के पात्र भी हैं । राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से भी छटनी किए गए इन कार्मिकों को पुनः रोजगार देने में मदद करने का अनुरोध किया गया है और कई सरकारों ने इस प्रकार की आयु सीमा में छूट दी है और कुछ ने इस प्रकार के कार्मिकों को प्राथमिक आधार पर पुनःरोजगार देने के आदेश भी जारी किए हैं ।

त्रिपुरा में कागज उद्योग की स्थापना

1704. **श्री अजय विश्वास :**

श्री बाजूबन रियान : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना अवधि के दौरान त्रिपुरा में एक कागज उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) त्रिपुरा सरकार ने राज्य के बांस स्रोतों पर आधारित एक कागज/लुग्दी मिल की स्थापना का प्रस्ताव किया है। किन्तु कागज मिल जैसी बड़ी परियोजना के लिए यह आवश्यक है कि समुचित व स्थापना सुविधाओं का विकास किया जाए। चूंकि विद्यमान अवस्थापक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए चालू योजना में परियोजना लगाने का कोई विचार नहीं है।

राजनीतिक हत्यायें

1705. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1981 और जनवरी, तथा फरवरी, 1982 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में कितनी राजनीतिक हत्यायें हुई हैं; और

(ख) हत्याओं की दुखद घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तथा सिक्किम सरकारों और सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार तत्संबंधी अवधि के दौरान उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई राजनैतिक हत्या नहीं हुई। अन्य राज्य सरकारों से सूचना प्रत्याशित है।

(ख) विधि व व्यवस्था बनाये रखना तथा "पुलिस" राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय है। तथापि, जब कभी केन्द्र सरकार को जान व माल की खतरे के कोई विशिष्ट आरोप प्राप्त होते हैं, तो उन्हें उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

सारन, बिहार में उद्योगों की स्थापना

1706. **प्रो० सत्यदेव सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तरी बिहार के सारन जिले में उद्योगों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगायेगी जिससे कि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में निर्धन लोगों की आर्थिक दशा सुधारी जा सके ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : सारन जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण सावद्धि ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त संबन्धी सुविधाएं पाने का पात्र माना गया है। बैंक रियायतें ब्याज की निम्न दर,

प्रारम्भिक लम्बी अनुग्रह अवधि ऋण शोधन की लम्बी अवधि प्रवर्तकों के अंश दान में ढील तथा ऋण इक्विटी सिद्धान्तों के रूप में है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सारन जिले के औद्योगिक एककों के लिये जून, 1981 के अन्त तक 213.74 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

वहां पर खाद्य उत्पादों, रसायन उद्योगों, यांत्रिक इंजीनियरी बीडी तैयार करने, चमड़े का सामान लुहारी बढ़ईगीरी कुम्हारी, बांस की टोकरियों गत्ते का कारखाना आधुनिक चावल मिल, आधुनिक किस्म की आटे की चक्की, शीत भंडारण, आधुनिक चर्मशाला, बैलगाड़ी के टायर, हौजरी उद्योग, प्लास्टिक, ढलाई उत्पाद, पशुचारा मिश्रित, मुर्गी दाना, कृषि उपकरण आदि जैसे उद्योगों के विकास की संभावनाएं विद्यमान हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का जिले को एक प्रधान बैंक बना दिया गया है। उसने 1980-82 की ऋण योजना के अनुसार दो कार्यक्रम बनाये अर्थात एक ग्राम एवं कुटीर उद्योगों के लिये तथा दूसरा लघु उद्योगों के लिये है। पहले के अन्तर्गत 28.90 लाख रुपये का परिव्यय करने की परिकल्पना है। जिसके अंतर्गत 2915 औद्योगिक एकक आते हैं, जबकि दूसरे कार्यक्रम में 367 एककों को शामिल करते हुए 242.58 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

सारन जिले में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को करों में रियायत देने लघु उद्योगों द्वारा किराया खरीद पर मशीन दिलाने तकनीकी सेवाओं के लिये परामर्श देने ब्याज में राजसहाता देने, कच्चे माल का आयात करने के लिये बिशेष सुविधाएं देने ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र तथा प्रारम्भिक सीमान्त धनराशि सहायता संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए भी पात्र माना गया है।

सिंगापुर में भारतीय कर्मचारी

1707. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी कर्मचारियों को रोजगार के बारे में लिए गए नये निर्णय के कारण सिंगापुर में लेगए हजारों कर्मचारियों के जिनके पास अस्थाई कार्य के लिए पर्मिट हैं बेरोजगार हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सिंगापुर में इस समय कितने भारतीय कर्मचारी हैं;

(ग) क्या इस मामले पर उस देश के साथ बातचीत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सिंगापुर सरकार ने निर्णय किया है कि विदेशी श्रमिकों को कार्य के लिए दिए गए पर्मिटों के समाप्त होने पर उनका नवीनीकरण

नहीं किया जाएगा । तथापि, यह निर्णय, शिपयार्ड तथा घरेलू श्रमिकों पर लागू नहीं होगा । सिंगापुर सरकार ने बताया है कि "गैर-परम्परागत स्रोतों" (भारत सहित) से भर्ती 1982 में बन्द कर दी जाएगी 1 जनवरी, 1983 से, जब कार्य के लिए पर्मिट समाप्त हो जाएंगे, तो श्रमिक जाना शुरू कर देंगे । इससे लगभग 3 से 4 हजार तक भारतीय श्रमिकों पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) सिंगापुर में भारतीय श्रमिकों की ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है । तथापि, यह अनुमान है कि इस समय सिंगापुर में लगभग 8 हजार भारतीय काम कर रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं, क्योंकि यह उस देश का आन्तरिक मामला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

योजना व्यय का दुबारा अनुमान लगाने के बारे में राजस्थान सरकार का अनुरोध

1708. **श्री अशोक गहलोत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार की ओर से पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना व्यय का दुबारा अनुमान लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रस्ताव की जांच करा ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

पश्चिम बंगाल को कच्चे माल की सप्लाई

1709. **श्री अजित बाग** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लघु उद्यमियों ने राज्य के उद्योगों को कच्चा माल सप्लाई न करने, कम सप्लाई करने और आवंटन के बारे में सरकार से शिकायतें की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शिकातों का ब्योरा क्या है; और

(ग) शिकायतों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) चालू वित्तीय वर्ष में पश्चिम बंगाल के उद्यमियों से लोहे और इस्पात, पैराफिन मोम और भेड़ की चर्बी की कम आपूर्ति के संबंध में कुछ शिकायतें मिली थीं ।

(ग) इस साल के शुरुआत में देश भर में अनुभव की जा रही पिग आयरन की कमी पिग आयरन के आयात द्वारा और देश में अधिक उत्पादन द्वारा कुछ दूर हुई है। इसी प्रकार स्टील की वस्तु की कमी से भी राहत मिली है और बहुत सी वस्तुओं को जे०पी०सी० सूची से निकाल दिया गया है चूंकि स्टील के असाधारण उत्पादन और कुछ श्रेणियों के प्रणालीकरण अभिकरणों द्वारा आयात के परिणामस्वरूप ये वस्तुएं बाजार में सुगमता से उपलब्ध हैं। पैराफिन मोम की आपूर्त्ति भी सुधरी है। मांस चर्बी के संबंध में स्टोरेज टेंक में टूट-फूट के कारण विगत समय में अनुभव की जा रही कठिनाई दूर हो गई है चूंकि कलकत्ता के स्टोरेज टेंक की मरम्मत हो गई है और फरवरी 1982 से कलकत्ता से मांस चर्बी प्राप्त होने लगी है।

यूरेनियम की तस्करी

1710. **श्री जेवियर अराकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरेनियम अथवा अन्य आणविक सामग्री अवैध रूप से रखने अथवा तस्करी करने के लिये कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अथवा उन पर मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) इस मामले की जांच रिपोर्ट क्या है और इन मामलों में कितने अधिकारियों का हाथ है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) तथा (ख) इस बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

अपने जीवन की सुरक्षा चाहने वाले संसद सदस्य

1711. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82 के दौरान कितने संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान अपने जीवन के खतरे की ओर दिलाया तथा सुरक्षा मांगी है ;

(ख) उन संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनके अनुरोध पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या रंजन लास्कर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 1981-82 (15 फरवरी 1982 तक) के दौरान निम्नलिखित 14 संसद सदस्यों ने संरक्षण मांगा था :—

1. श्री के० सी० पाण्डे

2. श्री फ्रैंक एन्थानी

3. श्री एच०के एल० भगत

4. श्री आर० एन० राकेश

5. श्री राम विलास पासवान

6. श्री गनपत हीरालाल भगत

7. श्री जगजीवन राम

8. हीरालाल आर० परमार

9. श्रीमती कैलाशपती

10. श्री मंगल राम प्रेमी

11. श्री रामावतार शास्त्री

12. डा० गोलाम याजदानी

13. श्री राजनाथ सोनकर

14. श्री जयपाल सिंह

(ग) संबंधित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से संबंधित संसद सदस्यों को आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। सुरक्षा के लिये अन्य एहतियाती उपाय भी किए गए थे।

प्रति व्यक्ति व्यय

1712. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी योजना के दौरान (राज्यवार) प्रति व्यक्ति व्यय कितना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : छठी योजना में हरेक राज्य के योजना व्यय वर्ष 1985 में छठी योजना के समाप्त होने पर ही उपलब्ध होंगे।

भारतीय श्रम संघों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक से की गई शिकायत

1713. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रम संघों के नेताओं ने भारत में संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदाकरी के अधिभार का हनन करने के बारे में 14 दिसम्बर, 19 1 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कोई संयुक्त शिकायत भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) शिकायत में लगाए गए कुछ आरोप ये हैं :—

(1) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कतिपय अभिसमयों का अनुसमर्थन नहीं किया है ।

(2) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम को लागू करके ट्रेड यूनियनों के अधिकारों का उल्लंघन किया है और ;

(3) विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार किया गया है ।

सरकार सम्बद्ध ब्यौरा एकत्र कर रही है और यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को उत्तर भेज देगी ।

छठी योजना के अन्त में गरीबी का स्तर तथा रोजगार की स्थिति

1714. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने के बाद देश में आमतौर से और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से भी गरीबी का स्तर कितना नीचे चले जाने की आशा है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : छठी योजना के अभ्यास के अनुसार, वर्ष 1977-78 के खपत के वितरण के स्वरूप को अपरिवर्तित मानते हुए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत आधार वर्ष (1979-80) में 48 44 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 1984-85 में, 38.93 प्रतिशत हो जाएगा । परन्तु छठी योजना में सरकारी क्षेत्रक परिव्यय में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, आदि । इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप गरीबों के हित में आय और खपत का काफी पुनर्वितरण होगा । इस पुनर्वितरक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, छठी योजना (1984-85) के अंत में गरीबी के नीचे रहने वाली जनसंख्या के 30 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है ।

योजना के विभिन्न कार्यक्रमों से 340 लाख मानक श्रम-वर्ष के अतिरिक्त रोजगार के उत्पन्न होने की संभावना है जो योजना की अवधि में श्रमिकों की संख्या में वृद्ध के लगभग

बराबर होगा । तथापि, सभी नए रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के पूर्ण-कालिक आधार पर होने की संभावना नहीं है, इसलिए ऐसी आशा है कि बेरोजगारी की पहले से शेष स्थिति में कुछ कमी होगी ।

सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सीमेंट का सीधा आवंटन

1715. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राज्य को रिलीज किए गए तदर्थ कोटे में से सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को सीमेंट का सीधा आवंटन करने के लिए कोई मार्ग-निर्देशन हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत-बंगला देश सीमा से घुसपैठ

1716. **श्री राम प्यारे पनिका :**
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :
श्री कमल नाथ :
श्री जार्ज फर्नांडीज :
श्री माधव राव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बंगला देश की सीमा पर घुसपैठ के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच महीनों के दौरान कितने लोगों ने भारत में अवैध प्रवेश किया है ;

(ग) क्या इस घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार कुछ नए उपाय करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है । भारत-बंगला देश सीमा पर अनधिकृत प्रवेश को कारगर ढंग से रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों को अधिक सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार करने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है । समिति विभिन्न सुझावों और प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

शाहदरा की बिहारी कालोनी में पक्के सब-स्टेशन का निर्माण

1717. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा की बिहारी कालोनी के निवासियों ने उस कालोनी में सड़क पर पक्के "सब-स्टेशन" के निर्माण के विरुद्ध दिल्ली नगर निगम और भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) क्या यह सच है कि पक्के "सब-स्टेशन" से आस-पास के क्षेत्र के निवासियों के सरलतापूर्वक इधर-उधर आने जाने में बाधा पड़ेगी ;

(ग) क्या यह भी सूचित किया गया है कि जिस स्थान पर "सब-स्टेशन" का निर्माण किया जाने वाला है, वह स्थान नगर निगम का नहीं है और वह एक चौड़ी सड़क का भाग है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार निवासियों की शिकायत को देखते हुए मामले पर पुनर्विचार करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि बिहारी कालोनी, शाहदरा में बिजली का सब-स्टेशन जिसने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, को कालोनी की प्रस्तावित विनियमन योजना में दिल्ली नगर निगम के नगर नियोजक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विधिवत निर्धारित स्थान पर निर्मित किया गया है । इसके अतिरिक्त सब-स्टेशन और आवास खण्डों के बीच 5 मीटर की स्पष्ट दूरी है । कालोनी के कुछ निवासियों ने सब-स्टेशन के निर्माण के विरुद्ध दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अभ्यावेदन देने के अतिरिक्त न्यायालय में मुकदमा भी चलाया था । परन्तु न्यायालय ने निवासियों के तर्क स्वीकार नहीं किए और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सब-स्टेशन का आगे निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी है । इस सब-स्टेशन का जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्माण कर दिया गया है और इसको चालू कर दिया गया है ?

राज्यों के पुलिस-बल में पिछड़े वर्ग के लोगों की भर्ती

1718. **श्री उत्तम राठौर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस-बल में पिछड़े वर्ग के लोगों और अल्प-संख्यकों की भर्ती करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने लोगों की भर्ती की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) पुलिस बलों में भर्ती संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति सहित नागरिकों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अपेक्षित है । राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि किसी भी स्तर पर भर्ती करने में किसी समुदाय के प्रति कोई पक्षपात न हो ।

देश में इस्पात की जरूरत

1719. **श्री जैनुल बशर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान देश को इस्पात की कितनी जरूरत होगी ;

(ख) इस अवधि में देश में इस्पात का कितना उत्पादन होने की आशा है ; और

(ग) क्या आयात की आवश्यकता पड़ेगी, यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) योजना आयोग द्वारा पाँच वर्ष की अवधि (1980-85) के लिए लोहे और इस्पात के बारे में गठित किए गए कार्यकारी दल ने अक्टूबर, 1980 में योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 में तैयार इस्पात की मांग इस प्रकार होगी :—

(आंकड़े लाख टनों में हैं)

वर्ष	मांग के अनुमान
1982-83	108
1983-84	117
1984-85	127

हाल में लगाए गए अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 1982-83 में इस्पात की मांग 109.5 लाख टन होगी ।

(ख) आशा है वर्ष 1982-83 में विक्रेय इस्पात का उत्पादन लगभग 98.2 लाख टन होगा । कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1984-85 में तैयार इस्पात का उत्पादन 113.95 लाख टन होगा ।

(ग) कुछ श्रेणियों, साइज और क्वालिटी के इस्पात की कमी को पूरा करने के लिए आयात करना जरूरी होगा और इस बात को देखते हुए कि इस्पात की किस्में बहुत हैं, इस समय प्रत्येक वर्ष के लिए आयात की मात्रा और ब्यौरे का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

सीमा-सुरक्षा-बल के जवानों को मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करना

1720. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 में उनके मंत्रालय ने सीमा-सुरक्षा-बल के जवानों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करने के बारे में क्या उपाय किए हैं; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उन्हे मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इस समय उपलब्ध सुविधाओं को और बढ़ा दिया गया है सेवा से हटाए गए/विकलांग हुए सी० सु० बल के कार्मिकों और सी० सु० बल के दिवंगत कार्मिकों की विधवाओं को उनके पुनर्वास के लिए एक मुश्त अनुदान दिए गए हैं । वर्ष में प्रतिमास 10 रु० तक राशन मनी को बढ़ाया गया है जिससे अर्हता प्राप्त क्षेत्रों में इसकी दर प्रति मास प्रति व्यक्ति 121 रु० हो गई है और अनर्हता प्राप्त क्षेत्रों में यह दर 99 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास हो गई है । क्वार्टरों के बदले में प्रतिपूर्ति को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है । दुर्गम स्थानों में अलग पारिवारिक निवास स्थानों की व्यवस्था की गई है । सेवारत/दिवगंत कर्मचारियों के स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वाले 6400 से अधिक बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई है । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के लिए विद्यमान कल्याण और मनोरंजन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष कल्याण अनुदान के रूप में 15 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है ।

(ख) सीमा सुरक्षा बल के सभी स्थायी परिसरों में 35 मि० मी० फिल्म प्रोजेक्टरों की व्यवस्था की गई है । प्रत्येक स्थान पर पुस्तकें और पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है । कुछ यूनिटों को टेलीविजन सैट भी दिए गए हैं । कर्मचारियों में खेलों की बढ़ौतरी करने के लिए

विशेष ध्यान दिया जाता है ; सैनिकों के मनोरंजन के लिए समय समय पर नाटकों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को सरकार के निदेश

1721. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड से यह अनुरोध किया है कि वह बिक्री योग्य इस्पात और ढलवें लोहे के उत्पादों का अधिकतम उत्पादन करने की दृष्टि से परियोजनाओं और समेकित इस्पात संयंत्रों में उत्पाद संबंधी प्रबंध की ओर अधिकाधिक ध्नान दें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि अनुसंधान और विकास विंग को मजबूत करके प्रौद्योगिक विकास के लिए तेज अभियान शुरू किया जाना चाहिए ताकि आयात का विकल्प प्राप्त किया जा सके और संयंत्रों का चलाया जाना अधिक लाभप्रद हो ;

(ग) यदि हाँ, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने सरकार के निदेशों को कहां तक कार्यान्वित किया है; और

(घ) इस्पात संयंत्रों की क्षमता में कितना सुधार हुआ है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) "सेल" इस सलाह पर कार्रवाई कर रही है । यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और ठोस परिणाम कुछ समय के बाद ही दिखाई पड़ेंगे ।

वर्ष 1982 83 के लिए राजस्थान का वार्षिक योजना-परिव्यय

1722. **श्री जयनारायण रौत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 1982-83 का अपना वार्षिक योजना-परिव्यय भेज दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण); (क) जी, हां ।

(ख) यदि यह सूचना वर्ष 1982-83 के लिए राज्य के बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद दी जाए तो उपयुक्त होगा ।

प्रमुख इकाइयों द्वारा रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1723. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों को अपने-अपने रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की अनुमति देने का कोई नीति निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । किन्तु विशेष प्रस्तावों पर संवेदनशील उद्योगों विद्युत की आवश्यक भार संबंधी जरूरत को पूरा करने के लिए कभी कैप्टिव संयत्रों पर विचार किया जाता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल द्वारा पारित विधेयक

1724. **श्री ए० के० बालन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा पारित कितने विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचारधीन है; और

(ख) ये कब भेजे गए थे और इन्हें कब तक स्वीकृति मिल जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) 11-10-1977, 9-10-1978, 28-1-1980, और 8-5-1980 को प्राप्त चार विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं । उनके दो विधेयक अभी भारत सरकार के विचाराधीन हैं । जबकि अन्य दो के संबंध में राज्य सरकार को पत्र भेजे गये हैं, जिनमें उनका सुविचारित मत मांगा गया है जिसकी अभी प्रतीक्षा है ।

वर्ष 1982 की छुट्टियों की सूची में चूक

1725. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए सरकार द्वारा जारी की गई छुट्टियों की सूची में दशहरा, दिवाली और गुरु नानक जन्म-दिवस से सम्बन्धित छुट्टियों के विषय में चूक की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन चूकों के बारे में कब पता चला; और

(ग) क्या इन्हें ठीक कर दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं श्रीमान । चालू वर्ष के लिए दशहरा दिवाली और गुरु नानक जन्म-दिवस से सम्बन्धित छुट्टियों की तारीखें पहले की तरह ही भारत सरकार के मौसम विभाग के पोजीशनल खगोलीय केन्द्र कलकत्ता द्वारा जारी किए गए भारतीय खगोलीय पंचांग में दी गई तारीखों के आधार पर नियत की गई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में अनियमित श्रमिकों की सेवा को नियमित करना

1726. **श्री दौलतराम सारण :**

श्री जगपाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रम में निरन्तर छः महीने की सेवा पूरी करने के बाद नैमितिक श्रमिकों को संस्थापना में नियमित करना अपेक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई प्रयास किया है कि क्या यह प्रणाली सरकारी उपक्रमों में अपनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) श्रम मंत्रालय द्वारा सभी नियोजक मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किए गए आदर्श स्थायी आदेशों के अनुसार, ऐसे नैमितिक कर्मकार को प्रतिष्ठान के नियमित कर्मकारों में शामिल किया जाएगा जिसने एक ही प्रतिष्ठान में या एक ही नियोजक के अधीन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25ख के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) के आशय के अन्तर्गत छः महीनों की लगातार सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) और (ग) मसौदा आदर्श स्थायी आदेशों का रेल मंत्रालय द्वारा पालन किया जा रहा है; निर्माण और आवास मंत्रालय (के० लो० नि० वि०) के नियमावली के रूप में अपने विस्तृत निर्देश हैं जिसमें आदर्श स्थायी आदेशों में निर्दिष्ट अधिकांश मुद्दों को समाविष्ट किया गया है ; श्रम मंत्रालय ने बन्धुआ प्रवासी तथा नैमितिक श्रमिकों के संबंध में एक केन्द्रीय स्थायी समिति गठित की है ताकि वह इनके पुनरीक्षण, समस्याओं/कठिनाइयों को निपटाया जा सके और प्रगति पर निगरानी रखी जा सके ।

मंत्रालयों में समयोपरि भत्ते का भुगतान

1727. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सदैव और बार-बार सुनिश्चित किया जाता रहा है कि समयोपरि काम के लिए रोके गए कर्मचारियों का पर्यवेक्षण किसी पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जाय ;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान समयोपरि भत्ते की कितनी धनराशि का मंत्रालय-वार भुगतान किया गया, और वह उससे पिछले वर्ष की तुलना में कितना न्यूनाधिका है ; और

(ग) समयोपरि भत्ते के भुगतान को रोकने/समाप्त करने और उसके बजाय अधिक लोगों को नियुक्त करने के लिए, जिससे बेरोजगारी कम हो सके, क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) समयोपरि काम के लिए यथापेक्षित कम से कम कर्मचारियों को रोका जाता है चाहे वे प्रचालक हों अथवा पर्यवेक्षी ।

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1980-81 के दौरान समयोपरि भत्ते पर हुए व्यय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । 1979-80 के दौरान समयोपरि भत्ते पर हुए व्यय की कुल रकम लगभग 80 26,54, 000 रुपये थी ।

(ग) समयोपरि काम के लिए कर्मचारियों को केवल उन आपवादिक मामलों में ही रोका जाता है जिनमें कार्य ऐसे तत्काल स्वरूप का होता है जिसे अगले कार्य-दिवस तक टाला नहीं जा सकता हो । इस सम्बन्ध में पहले ही से निदेश विद्यमान हैं कि मन्त्रालयों/विभागों को कर्मचारियों का उपयुक्त समायोजन करके कार्य की इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कार्य के सामान्य समय के बाद कर्मचारियों को रोकने की आवश्यकता से बचा जा सके । आस्थगित न किए जा सकने वाले कार्य के निष्पादन के लिए कम से कम आवश्यक कर्मचारियों को ही समयोपरि ड्यूटी के लिए को रोका जाता है । समयोपरि काम यदाकदा और निरन्तर रूप से न आने वाले कार्य के स्वरूप का होता है इसलिए उसके लिए नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है ।

पश्चिम बंगाल के लिए औद्योगिक लाइसेंस

1728. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए अनेक प्रस्ताव काफी लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) पश्चिम बंगाल को औद्योगिक लाइसेंस और आशय-पत्र जारी करने में होने वाले अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वर्ष 1981 में पश्चिम बंगाल सरकार के विभिन्न उपक्रमों से प्राप्त आठ औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों में

से चार पहले ही स्वीकृत किये जा चुके है और आशय पत्र जारी कर दिये गए हैं ; तथा तीन अस्वीकृत कर दिये गये हैं, केवल एक आवेदन ही इस समय विचाराधीन है। इस आवेदन के यथाशीघ्र निपटान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

सिरोही जिले के बसन्तगढ़ डेयरी क्षेत्र में तांबे पर आधारित संयंत्र की स्थापना

1729. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरोही जिले के बसन्तगढ़ डेयरी क्षेत्र में तांबे पर आधारित संयंत्र की स्थापना करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो यह उद्योग वहां कब तक स्थापित हो जाएगा ; और

(ग) उसमें कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राजस्थान के सिरोही जिले में बसन्तगढ़ ताम्र निक्षेप के खनन हेतु हिन्दुस्तान कापर लि० को राजस्थान सरकार से एक खनन पट्टा मिला है। निक्षेप में अयस्क मात्रा और ग्रेड का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग कार्य और प्राप्त नमूनों का रासायनिक विश्लेषण चल रहा है। स्थलाकृति सर्वेक्षण भी चल रहा है। इन निक्षेपों के दोहन हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय इन भंडारों की प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्जे जोड़ कर छोटे टेलीविजन सेट तैयार करना

1730. **श्री मुहम्मद असरार अहमद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या "इलेक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टैक्नोलोजी डेवेलपमेंट कार्पोरेशन" (इ०टी०टी०डी० सी०) एक ऐसी पेकेज-योजना शुरू कर रहा है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पुर्जे जोड़ कर छोटे टेलीविजन सेट तैयार किए जाएंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) प्रौद्योगिकी विकास से सम्बन्धित अपने कार्य कलापों के एक भाग के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने 31/35 सेंटीमीटर आकार के पर्दे वाले कम कीमत के मिनी दूरदर्शन सेटों के लिए प्रौद्योगिकी जानकारी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे उद्यमकर्त्ताओं/लघु पैमाने के उद्योगों एकमुश्त योजना के रूप में उपलब्ध करायी

जाएगी, जिनके विनिर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों की नीति सम्बन्धी वर्तमान कार्य-विधि के अनुसार ऐसे उत्पादों के लिए सरकार ने अनुमोदन प्रदान किया है ।

सरकार की सीमेंट वितरण सम्बन्धी नीति

1731. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट के वितरण से सम्बन्धित सरकार की वर्तमान नीति क्या है ; और

(ख) सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने, इसके उचित वितरण का प्रबन्ध करने तथा सीमेंट व्यापार में कालाबाजारी रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा हाल ही में सीमेंट के वितरण सम्बन्धी एक नई नीति की घोषणा की गई है । इसके अनुसार सीमेंट पर से आंशिक नियंत्रण हटा लिया गया है जिसके अंतर्गत सीमेंट एककों को अपनी अधिष्ठापित क्षमता का एक निर्धारित प्रतिशत वसूली सीमेंट (लेवी सीमेंट) के रूप देना आवश्यक होगा तथा उत्पादन की शेष मात्रा को बिना किसी मूल्य नियंत्रण के अथवा वितरण नियंत्रण के बेचने के लिए वे स्वतंत्र होंगे । लेवी सीमेंट केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, राज्य और केन्द्रीय सरकार के निगमों, स्थानीय निकायों कारखाना निर्माण हेतु बड़े, मझोले तथा लघु उद्योगों, तथा 80 वर्ग मीटर तक के उसी क्षेत्र वाले रिहायसी एककों का निर्माण करने वाले लघु उपभोक्ताओं, तथा रिहायशी मकानों की मरम्मत के लिए कम मात्रा में सीमेंट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए दिया जाएगा । ग्रामीण मकानों, गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए मकानों हरिजनों, आदिवासियों व समाज के अन्य कमजोर वर्गों ग्रामीण जलसंभरण योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित अन्य विषयों जैसी समाजोन्मुख योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में लेवी सीमेंट प्रदान करने की सलाह दी गई है ।

आशा है कि नई वितरण नीति से सीमेंट उद्योग में नई क्षमता की स्थापना तथा वर्तमान संयंत्रों के मामले में बेहतर उत्पादकता की गति में काफी तेजी आएगी । सरकार यथासम्भव अपेक्षित अवस्थापना सम्बन्धी निविष्टियां उपलब्ध कराने, उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कार्रवाई कर रही है ।

रुग्ण इकाइयां और रुग्णता के कारण

1732. **श्री के०ए० राजन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु मध्यम दर्जे की और बड़ी रुग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या औद्योगिक रुग्णता सम्बन्धी कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अपनाई गई रुग्ण एककों की परिभाषा तथा उसके द्वारा एकत्रित किए आंकड़ों के अनुसार बैंक द्वारा सहायता पहुंचाये गए रुग्ण एककों की 31 मार्च, 1981 को संख्या इस प्रकार थी :—

1) लघु एकक	23,093
2) मध्यम श्रेणी के एकक अर्थात् जिन्हें एक करोड़ रुपये से कम की ऋण सुविधा मिली हुई है ।	955
3) बड़े एकक जो एक करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की ऋण सुविधा का लाभ ले रहे हैं ।	420
योग :	24,468

(ख) और (ग) बैंकों की धारणा के अनुसार प्रबन्धकीय कमियां (कुप्रबन्ध, निधियों का स्थानान्तरण आदि), प्रारम्भिक दोषपूर्ण योजना, तकनीकी खामियां, श्रमिक अशांति, बाजार में मंदी, विद्युत कटौती तथा कच्चे माल की कमी आदि उद्योगों में रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण हैं ।

भारत बंध-पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका

1733. **श्री एच०के०एल० भगत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जनवरी, 1982 को हड़ताल के आह्वान और हड़ताल में पश्चिम बंगाल सरकार की क्या भूमिका रही ; और

(ख) क्या उस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किये थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने 14.1.1982 को विभिन्न अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश भेजे, जिनमें

अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि सरकार का 19.1.1982 के बन्द में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है। यह सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय गृह मन्त्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को यह सूचित करते हुए पत्र लिखा कि आवश्यक सेवाओं और रेलवे और अन्य परिवहन सुविधाओं सहित सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलापों को बनाए रखना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है, ताकि नागरिकों का सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त न हो। सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने को सुनिश्चित करने और जो श्रमिक हड़ताल से सम्बद्ध नहीं होना चाहते उन्हें सुरक्षा और संरक्षण देने की सलाह भी दी गयी।

राज्य सरकार कर्मचारी फैडरेशन, पश्चिम बंगाल और अन्यों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है कि बन्द के दिन सामान्य दैनिक कार्य के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई की और 16.1.1982 को निर्देश दिया कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इच्छुक श्रमिक अपने कार्यालयों में उपस्थित होने और राज्य परिवहन वाहन और रेलगाड़ियों को चलाने में समर्थ हो सकें और उन्हें इस उद्देश्य के लिए पुलिस संरक्षण प्रदान किया जाए। न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट देने के लिए न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता को विशेष अधिकारी नियुक्त किया। विशेष अधिकारी ने रिपोर्ट 28.1.1982 को कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की। बताया जाता है कि न्यायालय ने इस मामले में 26.2.1982 को अवमानना का आदेश दिया, जिसमें न्यायालय द्वारा 16 जनवरी, 1982 को दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने के संबंध में न्यायालय का अपमान करने के लिए, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल सरकार को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया।

रंगीन टेलीविजन प्रौद्योगिकी

1734. **श्री कमल नाथ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक अनुसंधान संस्थान, पिलानी द्वारा विकसित रंगीन टेलीविजन की प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक उपयोग के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लोगों को बढ़िया और सस्ते रंगीन टेलीविजन सैट उपलब्ध कराने के लिए इस प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम०एस० संजीवी राव) : (क) पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने 56 सें०मी० आकार वाले परदे के एक रंगीन दूरदर्शन सेट का विकास किया है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने इस सेट की वाणिज्यिक-उपयुक्तता की दृष्टि से जांच नहीं की है।

(ख) पिलानी स्थित केंन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार संस्थान द्वारा विकसित 56 सें०मी० आकार के परदे वाले पी०ए०एल० मानक रंगीन दूरदर्शन रिसीवर में परिशुद्ध (प्रिसिजन) इन-लाइन पिक्चर ट्यूब (एकीकृत योजक (योक) के बगैर) का उपयोग किया जाता है। इस सेट की कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं मॉडयुलर निर्माण, 10 एकीकृत परिपथों (आई०सी०) का प्रयोग जिनमें से तीन का स्वदेश में उत्पादन किया गया है, बहुचैनल वाले अति उच्च आवृति के इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर तथा उपयोग में लाई गई स्विच मोड पावर सप्लाई (एस०एम०पी०एस०) का केंद्रीय इंजीनियरी/इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान संस्थान में विकास किया गया है:, वे लघु-परिपथों तथा साथ ही अधिक वोल्टता और कम वोल्टता की स्थितियों में स्वयंमेव अंतः निर्मित सुरक्षा प्रदान करते हैं।

(ग) चूंकि सरकार ने देश में रंगीन दूरदर्शन प्रसारण शुरू करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

1736. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन सम्पदा, प्राकृतिक संशाधनों के उपयोग, संचार सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण के लिये सुनियोजित वैज्ञानिक विकास की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वात्तर क्षेत्र में अड़चनों को दूर करने और परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा उत्तर-पूर्वी परिषद की विकास योजनाओं का उद्देश्य प्राकृतिक और वन संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, संचार सहित आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास तथा पारिस्थितिकीय पुनः स्थापन और संरक्षण के अनुरूप उक्त क्षेत्र का समग्र योजनाबद्ध विनास करना है।

अधिकारी स्तरीय एक समिति की सहायता से मंत्रियों की एक समिति तेजी से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण विकास उपायों की प्रगति की समीक्षा करती है।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का विस्तार

1737. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों के दौरान देश में निरन्तर बढ़ती हुए दूरसंचार पद्धति के विस्तार को आगे बढ़ाने को पूरा करने के लिए निकट भविष्य में राज्य स्वामित्व वाले हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड के भारी विस्तार की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भविष्य की आवश्यकता को पूरी करने के लिये सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है ;

(ग) भावी वर्षों में देश को केबल की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता है जैसा कि सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना न बनी हो और अब तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया हो तो उसके क्या कारण है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने हिन्दुस्तान केबल्स लि० की क्षमता 30 लाख सी०के०एम० तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है । इसके अलावा अन्य राज्य के स्वामित्वाधीन तथा निजी क्षेत्र के कारखानों में सृजित किए जाने हेतु लगभग 45 लाख सी० के० एम० क्षमता की अनुमति प्रदान कर दी गई है ।

(ग) डाक व तार विभाग दूरसंचार केबलों का प्रमुख खरीदार होता है । डाक व तार विभाग द्वारा इन केबलों के लिए की गई मांग इस प्रकार है :—

1982-83	35.57 लाख सी०के०एम०
1983-84	50.55 लाख सी०के०एम०
1984-85	41.06 लाख सी०के०एम०
1985-86	68.09 लाख सी०के०एम०
1986-87	81.60 लाख सी०के०एम०
1987-88	101.94 लाख सी०के०एम०
1988-89	129.99 लाख सी०के०एम०
1989-90	129,99 लाख सी०के०एम०

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के एक लड़के की मृत्यु के बारे में जांच

1738. श्री नारायण चौबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1981 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली के 8 वर्षीय लड़के अश्विनी कुमार के अपहरण और बाद में उसकी हत्या करने के कारण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कहा गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अपराधी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या पुलिस की असफलता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. बेंकटसुब्बय्या): (क) तथा (ख) 18 दिसम्बर, 1982 को त्रिनगर के श्री नथ्थी लाल शुक्ल ने पुलिस चौकी शांतिनगर में अपने पुत्र अश्विनी कुमार उर्फ बबलू आयु लगभग 8 वर्ष के गुम होने के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 21 दिसम्बर, 81 को बबलू की माता ने संदेह किया कि लड़के का अपहरण किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 326 दर्ज किया गया था और जांच-पड़ताल आरम्भ कर दी गयी। 1 जनवरी, 1982 को बबलू का शव किंगजवे कैम्प थाने के क्षेत्र में एक नाले में पाया गया।

2. मामले की जांच पड़ताल प्रारम्भ में 4 जनवरी, 1982 को अपराध शाखा को हस्तांतरित की गई थी और 20 जनवरी, 1982 को यह जांच-पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई है। रविन्द्र कुमार नामक एक व्यक्ति को संदेह में गिरफ्तार किया गया।

(ग) शांतिनगर पुलिस चौकी के प्रभारी उप-निरीक्षक जो मामले की जांच कर रहे थे को, 4 जनवरी, 1982 को इस मामले में उसके आचरण की जांच होने तक निलम्बित कर दिया गया है।

सेलम इस्पात संयंत्र के लिए भूमि देने वाले परिवारों की संख्या

1739. श्री के० अर्जुनन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने परिवारों ने सेलम इस्पात संयंत्र को भूमि दी थी;

(ख) कितने परिवारों ने सेलम इस्पात संयंत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया; और

(ग) कितने परिवारों को सेलम इस्पात संयंत्र में रोजगार नहीं दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सेलम इस्पात कारखाने के लिए 3 02 परिवारों से भूमि अर्जित की गई थी । अब तक इन परिवारों में से 128 व्यक्तियों को इस कारखाने में रोजगार दिया गया है ।

सेलम इस्पात कारखाने की ठंडी वेलन मिल में काफी संश्लिष्ट प्रौद्योगिकी अपनाई गई है इसलिए अकुशल-श्रमिकों की भर्ती की गुंजाइश कम है । ऐसे पदों की भर्ती, जिनका अधिकतम वेतन 800 रुपए से अधिक नहीं होता, स्थानीय रोजगार कार्यालय की मार्फत की जाती है । सेलम के स्थानीय रोजगार कार्यालय ने 3002 विस्थापित परिवारों में से 483 व्यक्तियों के नाम भेजे थे, उनमें से 128 व्यक्ति उपयुक्त पाए गए थे और सेलम इस्पात कारखाने ने उन्हें रोजगार दे दिया है ।

उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में दो कागज मिलों की स्थापना करना

1740. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान कागज निगम ने उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में बायोगैस पर आधारित दो कागज मिलों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या इस निगम ने उसमें यह भी उल्लेख किया है कि इसे इन कारखानों के लिए बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कारखाने स्वयं बिजली का उत्पादन करेंगे; और

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों की कब स्थापना की जायेगी और इन्हें किन स्थानों पर निर्मित किया जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वैमानिक विज्ञान में सहयोग के लिए पश्चिम जर्मनी के साथ करार

1741. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में वैमानिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अनुसंधान और विज्ञान में सहयोग हेतु पश्चिम जर्मन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) वैमानिक विज्ञान के क्षेत्र में केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) और जर्मन एअरो स्पेस एण्ड एअरो-नाटिकल रिसर्च एजेंसी (डी० एफ० वी० एल० आर०) के बीच एक "विशेष व्यवस्था" पर हस्ताक्षर किए गए ।

इस 'व्यवस्था' पर दोनों सरकारों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए अंत सरकारी करार के अन्तर्गत हस्ताक्षर किए गए ।

(ख) इस "व्यवस्था" में दोनों संगठनों के बीच वैज्ञानिक सूचना और वैज्ञानिकों के विनिमय तथा वायुगतिक संरचनाओं, टर्बो मशीनरी, प्रणाली और पदार्थ व अन्य क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाए, के क्षेत्र में आपसी हित की सहयोग परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रावधान है ।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना

1742. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रधान उद्योगों की स्थापना करने के लिए दिए जाने वाले नये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असंतुलन कम किया जा सके ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । रियायती वित्त और अन्य सुविधायें प्राप्त करने के लिए और देश में 246 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है । इनमें से, 101 जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना का लाभ पाने के लिए अर्ह-अधिसूचित किया गया है । पिछड़े क्षेत्रों में बड़े, मझौले और लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :—

1- निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना ।

2- अखिल भारतीत सावधिक ऋण वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त सुविधाएं ।

3- परिवहन राजसहायता ।

4- कर सम्बन्धी रियायतें ।

5- राष्ट्रीय लघु उद्योगी निगम से किराया खरीद आधार पर लघु उद्योगों को मशीनें ।

6- तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श सेवाएं ।

7- ब्याज राज सहायता ।

8- कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं ।

9- जिला उद्योग केन्द्र योजना ।

उद्योग, सेवाएं और व्यापार संघटक (आई॰ एस॰ बी॰) को आई॰ आर॰ डी॰ कार्यक्रम में गठित किया गया है, जिसके अन्तर्गत देश के सभी खण्ड (ब्लाक) जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष आने वाले 600 परिवारों में से 100 परिवार ग्राम और कुटीर उद्योग के माध्यम से तथा अन्य 100 परिवार सेवा कार्यकलाप के माध्यम से लिए जायेंगे आशा है कि छठी योजना के दौरान लगभग 25 लाख परिवारों को ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करने में और इतने ही लोगों को सेवा क्षेत्र में स्वनियोजन हेतु सहायता प्राप्त हो सकेगी ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी क्षेत्रों में कारीगरों को प्रोत्साहन और सहायता उपलब्ध कराता है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के असंतुलन को कम किया जा सके ।

बैंकों को सलाह दी गई हैं कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के अपने कार्य में तेजी लायें ताकि 1985 तक इसे बढ़ाकर उनकी कुल जमा का 40 प्रतिशत तक किया जा सके ।

लघु उद्योगों के अन्तर्गत 25,000 रुपए तक की सीमा में जमा वाले एककों को कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा गया है । बैंकों को सलाह दी गई है कि 1985 तक इनके द्वारा दिये जाने वाले कुल उधार का 12½ प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र के कमजोर वर्ग को मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिये । उपस्कर वित्त अथवा चल पूंजी के लिए 25,000 रुपये तक क ऋण किसी एक कारीगर को व्यक्तिगत रूप से अथवा ग्राम/कुटीर एकक को मिले जुले सावधिक ऋण के रूप में दिया जाता है और इस पर ब्याज की दर पिछड़े क्षेत्रों में 10.25 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों में 12.50 प्रतिशत है । विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा या मान्यता प्राप्त संवर्धक और विपणन द्वारा स्थापित संगठनों को कामगारों, ग्रामीण और उद्योगों हेतु निविष्टियों की खरीद करने तथा आपूर्ति करने अथवा उनके तैयार माल के विपणनार्थ दिये जाने वाले अग्रिमों पर 13.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की रियायती दर लगाई जाती है । क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के अभ्युपाय के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को अपनी ग्रामीण और अर्धशहरी शाखाओं में पृथकता जमा ऋण अनुपात को कम से कम 60 प्रतिशत तक पहुंचाने की सलाह दी गई है ।

सौर ऊर्जा के स्रोत

1743. श्रीमती संयोगिता राणे : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जनवरी में एक राष्ट्रीय और ऊर्जा सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो जो सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाने के लिए इस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकाले गये ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भारत की सौर ऊर्जा सोसायटी का, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सम्मेलन 1981, इण्डियन इनस्टीट्यूट आफ साइन्स बंगलौर में 22 से 24 जनवरी, 1982 को हुआ था। सम्मेलन के तकनीकी सत्र के दौरान विभिन्न प्रकार के लेखों को, सौर ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों के पोस्टरों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित किये गये कार्यवृत्त में इन लेखों को शामिल किया गया था। यह इस क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों द्वारा आंकड़ों और जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक वैज्ञानिक सम्मेलन था।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और सम्बद्ध संवर्ग की परीक्षाओं के लिए आयु सीमा का बढ़ाया जाना

1744. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सम्बद्ध संवर्गं की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होगी; और

(ग) यह निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सिविल सेवा परीक्षा, जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा समूह "क" और समूह "ख" की केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती की जाती है, के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत-बर्मा सीमा बन्द करने का प्रस्ताव

1745. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सीमा पर आवश्यक सुरक्षा प्रबंध निरन्तर किए जा रहे हैं। इनका समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बन्धुआ श्रमिक

1746. **श्री पीयूष तिरकी :**
श्री मगन भाई बरोट : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 20,0,000 बंधुआ श्रमिक हैं ;

(ख) क्या सरकार ने देश में बन्धुआ श्रमिकों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ग) बन्धुआ श्रमिकों को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां। लेकिन रिपोर्ट में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनके आधार पर यह आरोप लगाया गया है। ब्यौरे के अभाव में, इस आरोप की सत्यता का पता लगाना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) 31.12. 1981 तक पता लगाए गए, मुक्त कराए गए तथा पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या संबंधी राज्यवार विवरण संलग्न है, जैसाकि राज्य सरकारों ने सूचित किया है।

श्रम मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वह पूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दें, ताकि इस पद्धति को अविलम्ब पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। राज्य श्रम मंत्रियों तथा राज्य श्रम सचिवों की बैठक में इस कार्य की अत्यावश्यकता के संबंध में राज्य सरकारों पर बार-बार जोर डाला गया है। इस संबंध में प्रगति पर निगरानी रखने के लिए बंधुआ, उत्प्रवासी तथा नैमित्तिक श्रमिकों संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति भी गठित की गई है।

विवरण

बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा उनका पुनर्वास (31.12.81)

राज्य	पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	अन्य चालू योजनाओं के अधीन	केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अधीन अब तक पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या				इनके अंतर्गत नए आने वालों की कुल संख्या	पुनर्वासित किए जाने वालों की शेष संख्या जिसमें 1981 के दौरान पता लगाए गए बन्धुआ श्रमिक शामिल हैं
			1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आन्ध्र प्रदेश	13399	2680	2920	1586	2268	913	10567	2832
2. बिहार	4958	952	816	369	1876	361	4374	584
3. गुजरात	42	42	—	—	—	—	42	—
4. कर्नाटक	62699	39960	527	1521	13436	61	55505	7194
5. केरल	1682	138	110	60	—	—	308	854
6. मध्य प्रदेश	1531	—	58	—	—	77	135	1396
7. उड़ीसा	7096	—	321	16	517	4938	5792	1304
8. राजस्थान	6036	4256	700	700	344	—	6000	36
9. तमिलनाडु	27874	27311	—	—	359	—	27670	204
10. उत्तर प्रदेश	8753	1268	495	2606	500	3664	8633	120
कुल	1,33,550	76,906	5,947	6,858	19,300	10,014	1,19,026	14,524

जहांगीरपुर दिल्ली में छत गिरने के कारण एक श्रमिक की मृत्यु

1748. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान उद्योगनगर, जहांगीरपुरी, दिल्ली के एक कारखाने की छत गिर गई थी और इसमें एक श्रमिक मर गया था और सात अन्य श्रमिक जख्मी हुए थे ; और

(ख) इस बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, भवन के मालिक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 337 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है । भवन के मालिक ने मृतक के परिवार को 8,000/-रुपए की राशि का भुगतान किया है । आयुक्त (कर्मकार प्रतिकर) से अनुरोध किया गया है कि वह कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मृतक के परिवार को मुआवजे का भुगतान दिलाने के लिए कार्यवाही करें ।

गृह मंत्रालय के स्वागत अधिकारियों को बूटों और जुर्राबों की सप्लाई

1749. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय के स्वागत अधिकारियों को सरकारी वर्दी सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्वागत अधिकारियों को बूट और जुर्राबें नहीं दी गई हैं ;

(ग) क्या गृह मन्त्रालय स्वागत अधिकारियों की सरकारी वर्दी के अंग के रूप में बूटों और जुर्राबों को नहीं मानता है जैसा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के मामले में माना जाता है ; और

(घ) स्वागत अधिकारियों को बूट और जुर्राबें सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी हां । श्रीमान ।

(ख) से (घ) मंत्रालय के स्वागत अधिकारियों को जूते और मौजे सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि ये इस समय उनकी औपचारिक वर्दी की मदों की सूची के भाग नहीं हैं ।

गृह मंत्रालय के स्वागत अधिकारियों को गर्मी की वर्दियों की सप्लाई

1750. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के लिए गृह मन्त्रालय के स्वागत अधिकारियों को गर्मी की वर्दियां दी जानी हैं ;

(ख) क्या स्वागत अधिकारियों को 4 वर्ष के लिए टेरीकाट वर्दियों के दो जोड़े दिए जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो वर्दियो के लिए समयावधि का निर्णय करने का मानदण्ड क्या है ; और

(ध) क्या इन वर्दियों का कपड़ा घटिया किस्म का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) सूती के बदले टेरीकाट की वर्दी दिए जाने से सम्बन्धित निर्णय होने तक कुछ समय के लिए वर्दियों की आपूर्ति को रोक दिया गया था । अब टेरीकाट की वर्दी दिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है और इन वर्दियों को उन्हें दिया जा रहा है ।

(ख) और (ग) टेरीकाट की वर्दी का प्रतिमान 4 साल में दो जोड़े हैं, जिसे कपड़े की टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान ।

गृह मंत्रालय के स्वागत अधिकारियों को धुलाई भत्ता

1751. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मन्त्रालय के स्वागत अधिकारियों को सरकारी वर्दियों के लिए कोई धुलाई भत्ता/ड्राईक्लीनिंग खर्च नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या गृह मन्त्रालय के ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों और ग्रुप 'ग' के कर्मचारियों अर्थात् गेस्टेट्नर ओपरेटरों और स्टाफ कार ड्राइवरों को धुलाई भत्ता दिया जाता है ; और

(ग) स्वागत संगठन के इन अधिकारियों को यह सुविधा न प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान । इस समय वे ऐसे किसी भत्ते के पात्र नहीं हैं ।

थोरियम से नाभिकीय ईंधन प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक मार्ग

1752. श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परमाणु आयोग ने त्वरक (एक्सीलरेटर) में आवेशितकणों के उपयोग करने के माध्यम से नाभिकीय ईधन प्राप्त करने की कोई नई परियोजना शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वविद्युत पद्धति (सेल्फ फवर्ड सिस्टम) जो उर्वर सामग्री को विखण्डनीय सामग्री में बदलती है, थोरियम से, जिसके देश में प्रचुर संसाधन हैं और प्राकृतिक यूरेनियम हैं, नाभिकीय ईधन प्राप्त करने का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करा सकती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या हमारे देश ने संगलन (फ्यूजन) अनुसंधान में भी कोई शुरूआत की है अथवा कोई सफलता प्राप्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिद्धांत रूप में, त्वरित्रों तथा विण्खडन स्रोतों से निकले न्यूट्रानों को काम में लाकर थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है । तथापि, ऐसी टैक्नोलाजी अभी विकसित नहीं हुई है ;

(ग) तथा (घ) ऐसा प्रस्ताव है कि लेसर किरण-प्रेरित जडत्वीय रूप से परिरुद्ध संलयन पर आरम्भिक अध्ययन शुरू किया जाए ।

इलेक्ट्रोमोबाइल टू-ह्वीलर

1753. **श्री के० मालन्ना : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार और एक प्राइवेट फर्म के संयुक्त उद्यम से प्रथम ध्वनि रहित और प्रदूषण मुक्त 'इलेक्ट्रोमोबाइल टू ह्वीलर' सड़क पर आ चुका है; और

(ख) यदि हां तो इसकी लागत और कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है और क्या यह केवल भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है अथवा अन्य देशों के सहयोग से निर्मित किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) यह बताया गया है कि मे० इलेक्ट्रोमोबाइल्स इंडिया लिमिटेड, कर्नाटक द्वारा फरवरी, 1982 में बंगलौर में बैटरी-चालित दो पहिए का वाहन चलाया गया है । मे० इलेक्ट्रोमोबाइल्स कर्नाटक सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसकी स्थापना बैटरी-चालित दो पहिए तथा तिपहिए वाहनों के निर्माण के लिए की गई है इस उत्पाद के लिए इस पार्टी को स्वीडन की एक फर्म के साथ तकनीकी सहयोग करने

की अनुमति दी गई है । दो पहिये के वाहन का फैक्टरी से निकलते समय का मूल्य, जैसा कम्पनी ने बताया है, 7,250/-रुपये हैं । दो पहिए वाले वाहन का आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इंडिया द्वारा विधिवत परीक्षण कर लिया गया है तथा सड़क पर चलने योग्य घोषित कर दिया गया है ।

उड़ीसा में पारादीप संयंत्र के लिए फ्रांस द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला निर्यात ऋण

1754. **श्री बी० वी देसाई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप संयंत्र को अन्तिम रूप देने के लिए फ्रांस द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले निर्यात ऋण के बारे में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने का समाचार मिला है;

(ख) यदि हां, तो पारादीप इस्पात संयंत्र के लिए सहायता न देने में फ्रांस सरकार द्वारा दिए गए मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या फ्रांस के इस निर्णय से इस परियोजना को भारी हानि होगी; और

(घ) क्या इस संयंत्र के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु फ्रांस सरकार की अनिच्छा के कारण उत्पन्न हुई इस स्थिति का सामना करने के लिए कोई वैकल्पिक स्रोत अपनाया जा रहा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) प्रस्तावित इस्पात कारखाना लगाने के बारे में करार की तकनीकी विशिष्टियों, वाणिज्यिक और वित्तीय शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिए मेसर्स डेवी मेकी के साथ बातचीत चल रही है । चूंकि फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला ऋण समूचे वित्तीय प्रबंध के अन्तर्गत ही आता है, अतः बातचीत पूरी हो जाने के बाद ही स्थिति का पता चलेगा ।

बन्धुआ श्रमिक

1755. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्य सरकारों को कहा है कि वे बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के कार्य में तीव्रता लायें;

(ख) यदि हां , तो क्या यह भी सच है कि 1975 में उद्घोषित इस अधिनियम, जिसमें बंधुआ श्रमिक पद्धति समाप्त की गई है; धीमे कार्यान्वयन के कारण केन्द्रीय सरकार की आलोचना की गई है ।

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों में बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने का कार्य अब तक पूरा हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कितने राज्यों ने अब तक केन्द्रीय सरकार को अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं; और

(ङ) सरकार का विचार उन राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का है जिन्होंने इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू नहीं किया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां । मंत्री जी ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे सम्पूर्ण सर्वेक्षणों को आदेश दें ताकि बिना बिलम्ब के बंधित श्रम पद्धति को पूरी तरह से समाप्त करने को सुनिश्चित किया जा सके ।

(ख) से (घ) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 को राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है । दस राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश से बंधित श्रम पद्धति के विद्यमान होने की सूचना प्राप्त हुई है । एक विवरण संलग्न है जिसमें 31.1-82 तक पता लगाए गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है । तथापि, पता लगाने की प्रक्रिया सतत है ।

(ङ) इस कार्य की अत्यावश्यकता के बारे में राज्य श्रम मंत्रियों और राज्य श्रम सचिवों की बैठकों में राज्य सरकार पर बल डाला गया है । राज्य सरकारें इस अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए सभी उपाय कर रही है ।

बंधुआ; प्रवासी और नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में एक केन्द्रीय स्थाई समिति भी गठित की गई है जो इस संबंध में प्रगति पर निगरानी रखती है ।

विवरण

वन्धुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा उनका पुनर्वास (31-02-82)

राज्य पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	अन्य चालू योजनाओं के अधीन	केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अधीन अब तक पुनर्वासित किए गए वंधुआ श्रमिकों की संख्या				इनके अंतर्गत आने वालों की कुल संख्या।	पुनर्वासित किए जाने वालों की शेष संख्या जिसमें 1981 के दौरान पता लगाए गए बन्धुआ श्रमिक शामिल हैं।
		1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	13399	2880	2920	1586	2268	913	10567	2832
बिहार	4958	952	816	369	1876	361	4374	584
गुजरात	42	42	—	—	—	—	42	—
कर्नाटक	62699	39960	527	1521	13486	61	55505	7194
केरल	1162	139	110	60	—	—	308	854
मध्य प्रदेश	1531	—	363	—	—	77	135	1396
उड़ीसा	7096	—	321	16	517	4938	5792	1304
राजस्थान	6036	4256	700	700	344	36	6036	—
तमिलनाडु	27874	27311	—	—	359	—	27670	204
उत्तर प्रदेश	8753	1368	495	2606	500	3664	8633	120
जोड़	1,33,550	76,907	5,947	6,850	19,300	10,050	1,19,062	14,488

वैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना से गल निस्त्राव द्वारा बस्तर में शंकनी नदी में प्रदूषण

1756. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैलाडिला लौह अयस्क परियोजना से मल स्त्राव द्वारा बस्तर जिले में शंकनी नदी का पानी प्रदूषित हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी रोक-थाम के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र के लोगों को पेय जल उपलब्ध की व्यवस्था कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय दो लौह-अयस्क खानें चालू हैं । एक खान ने सम्पूर्ण बहिश्राव उपचार संयंत्र की स्थापना की हुई है । दूसरी खान में कणिकाओं को निर्धारित करने का एक निर्मलकारी संयंत्र लगा हुआ है । इस खान के लिए भी प्रभावी प्रदूषण शोधन यन्त्र लगाने के लिए प्रयास किये जा रहे है ।

(ग) वैलाडिला लौह-अयस्क परियोजना ने 22 प्रभावित गांवों को स्वच्छपेय जल प्रदान करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की हुई थी ।

बस्तर को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

1757. श्री लक्ष्मण कर्मा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर को आदिवासी पिछड़ा जिला होने के बावजूद अब तक औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस जिले को कब तक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बस्तर को अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्रदान करने हेतु औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जा चुका है । तथापि, बस्तर जिले के किसी भी भाग को निदेश राज सहायता की केन्द्रीय योजना के लिए पात्र माने गये पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

(ख) योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने हेतु स्थापित की गई राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक विखराव के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसकी राज्य सरकारों

तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से योजना आयोग में जांच की जा रही है। पिछड़े जिलों/क्षेत्रों की विद्यमान सूची में कोई भी परिवर्तन करना इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच और उस पर सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में नये उद्योग स्थापित करने में रुचि न लेना

1758. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहन तथा रियायतें दिये जाने के बावजूद वे भारत में उद्योग स्थापित करने में इच्छुक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केवल वे कंपनियां जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी लगी हुई है तथा जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन हैं, प्रैस टिप्पण दिनांक 2 फरवरी, 1973 के परिशिष्ट-1 में समाविष्ट उद्योगों की स्थापना कर सकती हैं। इस प्रकार की कंपनियों को कोई विशेष प्रोत्साहन तथा रियायतें न मिलने के बावजूद उन्होंने उद्योग क्षेत्र में जिनमें उन्हें भाग लेने की अनुमति दी गई है, अनेक एककों की स्थापना की है।

(ग) और (घ) इस संबंध में उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकार का लापता होना

1759. **श्री एन०ई० होरो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग के एक सलाहकार डा० लक्ष्मी सिंह नेगी 23 नवम्बर, 1981 को प्रातः सैर के लिए गए थे और वे उसी समय से लापता हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या प्रयास किये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) डा० नेगी के लिए सभी मंदिरों, जहां वे जाया करते थे और वाराणसी, नासिक तथा सिद्री में भी तलासी की गई है। डा० नेगी के पुत्र को बिना टिकट लगा एक पत्र प्राप्त

हुआ था, जो जिला अस्पताल, टाउन हाल, मुरादाबाद के रामसिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखा माना गया था। थाना डिफेंस कालोनी का एक सहायक उप-निरीक्षक तुरन्त 6-12-1981 को मुरादाबाद भेजा गया। रामसिंह से पूछताछ की गई परन्तु कोई लाभप्रद सुराग नहीं मिला।

लापता व्यक्ति दस्ता, मानसिक चिकित्सालय, पूअर हाउस और अपराध अभिलेख कार्यालय के रिकार्डों की जांच की गई है। दिल्ली में सभी थाना अधिकारियों और पड़ौसी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बेतार संदेश भेज दिये गये हैं। मामला अपराध शाखा के पास है और श्री नेगी का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्यों द्वारा सरदार सरोवर (जलाशय) के निर्माण कार्य की बकाया धनराशि की अदायगी

1760. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने गुजरात सरकार को आश्वासन दिया है कि वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों पर इस बात के लिए दबाव डालेगा कि नर्मदा पर सरदार सरोवर (जलाशय) के निर्माण कार्य की बकाया धनराशि के अपने भाग की अदायगी कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने गुजरात सरकार को यह आश्वासन दिया था कि आयोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपने-अपने भाग की व्यवस्था करने के लिए राजी करेगा।

(ख) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने 1982-83 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए उपर्युक्त राज्यों में से प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्त्री से विचार-विमर्श के समय उन्हें यह सुझाव दिया था कि वे दि० 31-3-82 को बकाया समेत अपना पूरा भाग देने की व्यवस्था करें। इसके परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र सरकार अपने 6.68 करोड़ रु० के अपने पूरे भाग की वर्ष 1982-83 में व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार संसाधनों की बाध्यकारिता के कारण, 20.44 करोड़ रु० की कुल आवश्यकता के मुकाबले वर्ष 1982-83 में 9.60 करोड़ रु० की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई। राजस्थान सरकार भी संसाधनों की बाध्यकारिता के कारण, 6.11 करोड़ रु० की कुल आवश्यकता के मुकाबले वर्ष 1982-83 के लिए 0.50 करोड़ रु० की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गई।

गुजरात उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना

1761. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में उद्यम के विकास के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी और अन्य तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास निगम तथा इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि० जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के पास अहमदाबाद में लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से उद्यमिता के विकास हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है । गुजारात राज्य सरकार ने भी केन्द्र को यथासंभव समर्थन देने का प्रस्ताव किया है ।

न्यायालयों में विचाराधीन गृहकर के मामले

1762. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध 20 दिसम्बर, 1979 निर्णय को लागू न करने के विरुद्ध गृहकर के कितने मामले 1 जनवरी, 1981 को उच्चतम न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला जज के पास विचाराधीन पड़े थे ;

(ख) उच्चतम न्यायालय के 20 दिसम्बर, 1979 के उक्त निर्णय को लागू न करने के विरुद्ध मकान मालिकों ने दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध जनवरी 1981 और अक्तूबर, 1981 के बीच कितने नए मामले उच्च न्यायालयों में दायर किए हैं ; और

(ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू न करने के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में 1 जनवरी, 198। को विचाराधीन पड़े हुए गृहकर के कितने मामले जनवरी, 1981 और अक्तूबर, 1981 के बीच इन न्यायालयों द्वारा निपटाए गए ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि 1-1-1981 को लम्बित पड़े मामलों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है । फिर भी 31-12-1981 को लम्बित पड़े मामलों की संख्या 8758 थी । इनमें सम्पत्ति कर से संबंधित मामले भी शामिल थे । जनवरी, 1981 से अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कथित रूप से लागू न करने के विरुद्ध मकान मालिकों द्वारा दायर किए गए मामलों की संख्या और उनमें से निपटाए गए मामलों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए इस अवधि के दौरान दायर किए सभी मामलों की जांच करने की आवश्यकता होगी ।

महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

1763. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों को 1566 बकाया मामलों के बारे में निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने मामले अभी भी सरकार के पास बकाया पड़े हैं और इसके क्या विशेष कारण हैं ; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इन मामलों में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ श्रीमान । इन 1566 मामलों में से 169 मामलों में सम्मान पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है ।

(ख) शेष 1397 मामलों के सम्बन्ध में संबंधित व्यक्तियों से अपेक्षित सूचना अथवा दस्तावेजों तथा/अथवा राज्य सरकार से रिपोर्टों के न प्राप्त होने के कारण अन्तिम निर्णय किये जाने है । प्रसंगवश यह भी सूचित किया जाता है कि अब तक महाराष्ट्र से 10,912 व्यक्तियों ने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं ।

(ग) राज्य सरकार से स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के दावों पर कार्रवाई करने के लिए पृथक कक्ष का गठन करने के लिए अनुरोध किया गया है । उनको, एक विनिर्दिष्ट अवधि में उनके पास लम्बित पड़े सभी मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के लिए अनुदेश दिए गए हैं । गृह मंत्रालय के अनुरोध पर महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के दावों की जांच में सहायता करने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन किया है । राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर लम्बित पड़े मामलों को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

इस्पात संयंत्रों में 10 लाख टन अन-बिका माल

1764. **श्री एच०एन० नन्जे गौड़ा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के इस्पात संयंत्रों में चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में 10 लाख टन अन-बिका मालपड़ा हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में इन आंकड़ों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इनके कारण कितने ब्याज की हानि हुई ; और

(घ) जमा-भण्डार के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सर्वतोन्मुखी इस्पात कारखानों और स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का स्टाक नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

	1 4.1981 को	1.2.1982 को
सेल	561.4	949.0
टिस्को	94.8	156.4

(ग) इस बारे में पता लेखा-वर्ष की समाप्ति पर ही लगेगा ।

(घ) इस्पात की अधिकांश मदों की वितरण प्रणाली में ढील दी गई है और व्यापारियों की भी मार्फत पहले से अधिक इस्पात दिया जा रहा है । उत्पादक अपनी वाणिज्यिक नीति में बाजार की स्थिति के अनुसार उचित फेर-बदल कर रहे हैं ।

राज्यों द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन

1755. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अतिरिक्त कुछ राज्य सरकारें भी स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देती है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ अन्य सुविधाएं भी देती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी- वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ग) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (घ) आवश्यक सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन परामर्शदात्री समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू करना

1766. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन परामर्शदात्री समिति ने अपनी पिछली बैठक में कुछ निर्णय लिए थे जो महीनों से सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की है और कार्यबाही में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन सलाहकार समिति ने अप्रैल, दिसम्बर 1981 के दौरान हुई चार बैठकों में कई सिफारिशें की हैं। जब प्रशासनिक स्वरूप की सिफारिशें, की जाती हैं तो उनको स्वीकार कर लिया जाता हैं। आन्दोलनों को मान्यता देने और वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें दिसम्बर, 1981 तक समिति के विचाराधीन थी और इन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

अप्रैल, जून, सितम्बर और दिसम्बर, 1981 में पहले हुई सलाहकार समिति की बैठकों में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का पुनरीक्षण

सिफारिश	की गई कार्रवाई
1. अपात्र दावेदारों को गलत आधारों पर स्वीकृत की गई पेंशन की पिछली सभी अदायगियों की वसूली समाप्त की जाय।	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं
2. राज्य सत्यापन रिपोर्टों की प्रतीक्षा किए वगैर सभी पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की पेंशन 1.10.76 से बढ़ाकर 200/-रुपये मासिक करना (स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के मामले में 100/-रुपये मासिक) और 1-8-1980 से 300/-रुपये मासिक करना (विधवाओं के मामले में 200/-रुपये मासिक) करना।	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

सिफारिश	की गई कार्रवाई
3. शिकायत के मामले में अस्थायी पेंशन तब तक स्थगित न की जाय जब तक सत्यापन पूरा न हो।	आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।
4. सम्मान पेंशन के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31-7-1981 से 31-1-1982 को अब 31-3-1982 तक छः महीने के लिए बढ़ाया जाय।	मंत्रिमण्डल के अनुमोदन के बाद शीघ्र अनुदेश जारी किये जाने की संभावना है।
5. जेल सजा/नजरबन्दी के समर्थन में स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य के मामले में छः महीने की छूट। किन्हीं दों प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों से सहबंदी प्रमाण-पत्र, जिन्होंने एक वर्ष से अधिक की सजा काटी है और जो सम्मान पेंशन तथा ताम्रपत्र के प्राप्तकर्ता हैं।	यह मामला अतिरिक्त व्यय के संबंध में वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जाना है।
6. जिन व्यक्तियों ने स्वेज कैनाल अम्बाला छावनी के सम्बन्ध में सजा काटी है, उनको विशेष मामले के रूप में 1-8-1980 से सम्मान पेंशन की मंजूरी।	—तदैव—
7. जिन व्यक्तियों ने सी०आई० एच० बगावत और इन्जिप्ट बगावत के मामलों के सम्बन्ध में सजा काटी है, उनको सरकारी नीति तथा इन मसलों में निर्णय को बदले बगैर विशेष मामले के रूप में 1-8-1980 से सम्मान पेंशन की स्वीकृति।	—तदैव—
8. युवा आन्दोलन (1971) को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग के रूप में मानना।	—तदैव
9. होलवैल स्मारक हटाओं आंदोलन (1940) को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आंदोलन के भाग के रूप में मानना।	—तदैव—

सिफारिश	की गई कार्रवाई
10. रानी झांसी रेजिमेंट की भूतपूर्व आजाद हिंद फौज महिला सदस्यों को, जो युद्ध के मोर्चों पर लड़ी थी, पेंशन योजना के उपबन्ध में छूट देकर पेंशन की स्वीकृति ।	यह मामला अतिरिक्त व्यय के संबंध में वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद मन्त्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जाना है ।
11. जेलों में स्वतन्त्रता सेनानी माता-पिता के उत्पन्न हुए बच्चों अथवा जो अनर्हक अवधि के लिए उनके साथ जेलों में रहे, उनको पेंशन योजना के उपबन्ध में छूट देकर सम्मान पेंशन के लिए पात्रता ।	—तदैव—
12. हांगकांग के स्टील हैलमैट मामले में भाग लेने वालों को सम्मान पेंशन की स्वीकृति ।	—तदैव—
13. झांसी के सैनिक विद्रोह में भाग लेने वालों को सम्मान पेंशन की स्वीकृति ।	—तदैव—
14. मद्रास तोपखाना सैनिक विद्रोह के विद्रोहियों को पेंशन की स्वीकृति ।	—तदैव—
15. भूमिगत यातना की पुष्टि में प्रतिष्ठित स्वतन्त्रता सेनानियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति के उपवन्ध में संशोधन ।	— तदैव—
16. न्यू गियाना और अन्य द्वीपों को भेजे गए भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों को पेंशन की स्वीकृति ।	—तदैव—
17. सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 195-52 तक प्रकाशित स्वतंत्रता सेनानियों की पुस्तकें/सूचियों पर विचार ।	—तदैव—
18. सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए पुन्नाप्राव्यालर (केरल) संघर्ष को मान्यता ।	—तदैव—

सिफारिश	की गई कार्रवाई
19. सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए तेलगाना विद्रोह (आ० प्र०) को मान्यता।	यह मामला अतिरिक्त व्यय के संबंध में वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत किया जाना है।
20. सम्मान पेंशन की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए बेंत/कोड़े मारने की मान्यता।	— तदैव—
21. लम्बित आवेदनों को तेजी से निपटाने के लिए जिला मुख्यालयों को गैर-सरकारी परामर्शदात्री समिति के सदस्यों और गृह मन्त्रालय के अधिकारियों द्वारा दौरा।	मामले कर कार्रवाई की जा रही है।
22. सम्मान पेंशन की स्वीकृति के लिए अरण्य सत्याग्रह मैसूर कर्नाटक को मान्यता।	अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

घोषित फरारों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

1767. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फरार घोषित स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन (स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन) के लिए अभ्यावेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31 जनवरी, 1982 निर्धारित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्तिम तारीख न बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान फरार घोषित उन स्वतन्त्रता सेनानियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन्हें स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन (स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन) मंजूर की गई है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन सभी अभ्यावेदनों पर विचार किए जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। आवेदन अभी प्राप्त हो रहे हैं। अन्तिम तारीख निश्चित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

(ग) तथा (घ) संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ङ) सम्मान पेंशन के ऐसे मामलों जिनका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, को राज्य से सत्यापन रिपोर्टें और/अथवा आवेदकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

विवरण

राज्य का नाम	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जहां 1-8-1980 के पश्चात् भूमिगत स्वतंत्रता सैनानियों के रूप में पेंशन दी गई है
1	2	3
असम	24712	—
आन्ध्र प्रदेश	21214	—
अरुणाचल प्रदेश	41	—
अण्डमान और निकोबार	54	—
बिहार	87457	4
चण्डीगढ़	138	—
दिल्ली	2718	2
गुजरात	6104	—
गोवा	2863	—
हरियाणा	2500	—
हिमाचल प्रदेश	1091	17
जम्मू और कश्मीर	26 4	11
कर्नाटक	17674	—
केरल	28918	—
महाराष्ट्र	30944	—

1	2	3
मेघालय	147	—
मणिपुर	150	—
मध्य प्रदेश	7274	2
मिजोरम	4	—
नागालैंड	19	—
उड़ीसा	13787	—
पंजाब	12087	—
पांडिचेरी	1495	—
राजस्थान	1525	—
तमिलनाडु	9249	1
त्रिपुरा	2309	1
उत्तर प्रदेश	26552	—
पश्चिम बंगाल	24712	—
भूतपूर्व आ० हि० फो० के आवेदक	34078	—
जोड़	401710	38

दुर्घटनाओं में मारे गए तथा अपंग हुए व्यक्ति

1768. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया था;

(ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के दौरान बहुत सी दुर्घटनाओं में काफी व्यक्ति मारे गए और बहुत से विकलांग हो गए; और

(ग) यदि हां, तो पूरे वर्ष के दौरान मारे गए तथा अपंग हुए व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आधार पर वर्ष के दौरान अनेक दुर्घटनाओं में मारे गए और अपंग हुए व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई आँकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है ।

बोनस की 20 प्रतिशत की सीमा समाप्त करना

1769. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादकता के साथ जुड़े बोनस की 20 प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) यह माना गया है कि बोनस को बहुत ऊंची दर से सब ओर मजदूरियों में वेषम्य और गड़बड़ी पैदा हो सकती है तथा बिभिन्न यूनिटों एवं उद्योगों में आय में होने वाली व्यापक विषमताओं से अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं । किसी भी अवस्था में, अधिकतम बोनस देने के पश्चात आवंटनीय अधिशेष को आगे ले जाया जाता है और जब कभी आवंटनीय अधिशेष उपलब्ध न हो तब इसका उपयोग किया जा सकता है ।

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठन

1771. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में उन संगठनों की संख्या कितनी है जिन्होंने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में सहायता प्राप्त की है या कर रही है; और

(ख) उन संगठनों के नाम तथा पते क्या हैं; किन स्रोतों से उन्हें सहायता मिलती है और किस उद्देश्य के लिए यह धनराशि प्राप्त की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) प्रत्येक राज्य में ऐसे संगठनों की संख्या, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी धन प्राप्त करने के संबंध में विवरणियां भेजी, इस प्रकार है :—

राज्य	संगठनों की संख्या
तमिलनाडु	852
केरल	996
कर्नाटक	437

(ख) इन संगठनों के सम्बन्ध में मांगी गई विस्तृत सूचना बहुत बड़ी है और यह विदेशी अंशदान की बिवरणियों को संगणीकृत करने के बाद उपलब्ध होगी। संगणक कार्य किया जा रहा है और इसमें कुछ और समय लगेगा।

चर्म उद्योग में क्षेत्रीय असन्तुलन

1772. श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चर्म उद्योग चुनींदा लाइसेंस नीति के जरिये क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो नीति की विशेष बातें क्या हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस बात के लिए आपत्ति उठाई है कि इससे चर्म व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) तमिलनाडु द्वारा प्रकट किये गये विरोध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय असंतुलन को यथा संभव ठीक करना सरकार की लाइसेंस नीति का एक स्वीकृत उद्देश्य है। जहां तक चमड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, चालू लाइसेंसिंग नीति में, सृजन की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित वर्गों के लिए अतिरिक्त क्षमता अधिष्ठापित करने हेतु लाइसेंस देने की व्यवस्था है :—

1. सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्य चमड़ा विकास निगमों तथा लघु टैनरों की सहकारी समितियों को,
2. उन राज्यों को जिनमें इस समय चमड़ा कमाने की क्षमता उपलब्ध नहीं है अथवा जिनमें चमड़ा कमाने की कुछ सुविधा तो है, पर पूर्णरूपेण चमड़ा तैयार करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है;

3. अर्ध-निर्मित चमड़े का परिष्करण करके उसे तैयार चमड़े के रूप में बदलने के कार्य में इस समय कार्यरत लघु एककों को;

4. विद्यमान एककों को पर्याप्त विस्तार करके उन्हें आर्थिक रूप से जीव्यक्षम बनाने के लिए; तथा

5. विद्यमान लाइसेंस शुदा अर्धनिर्मित चमड़ा तैयार करने वाले एककों के सहयोग से चमड़ा तैयार करने की क्षमता स्थापित करने के लिए नए एककों को नई कम्पनियों में 51 प्रतिशत वित्तीय निवेष हो तथा वे अपनी विद्यमान इकाइयों से नई कम्पनियों को कच्ची सामग्री का सम्भरण करने के लिए भी तैयार हों।

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस बारे में तमिनाडु सरकार से कोई भी सरकारी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार शरीफ में लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखा खोलना

1773. **श्री बिजय कुमार यादव**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 जनवरी, 1978 को नालंदा जिले में राजगीर के अपने दौरों के दौरान भारत सरकार के तत्कालीन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने उप निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना को लिखित आदेश दिये थे कि बिहार शरीफ में लघु उद्योग सेवा संस्थान की एक शाखा खोलने के लिए एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बिहारशरीफ में लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखा खोलने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) नालन्दा जिले के औद्योगिक उद्यमकर्ताओं का एक शिष्टमंडल तत्कालीन विकास आयुक्त (लघु उद्योग) से 6 जनवरी, 1978 को राजगीर में मिला था और बिहार शरीफ में एक शाखा संस्थान खोलने का अनुरोध किया था। यद्यपि प्रश्न के भाग (क) में यथा उल्लिखित कोई लिखित आदेश उपलब्ध नहीं है तथापि इस मामले पर बाद में विचार किया गया था तथा अखिल भारतीय स्थिति तथा साधनगत बाधाओं को देखते हुए इस अनुरोध को मान लेना संभव नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि बिहार में पटना, राँची तथा मुजफ्फरनगर में 3 लघु उद्योग सेवा संस्थान पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

1774. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पिछले एक वर्ष में बीड़ी श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उन्हें नहीं दी जा रही है और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी न मिलने के कारण अमिकों की कितनी धनराशि देय है; और

(ग) न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) राज्य सरकारें बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण/संशोधन और उन्हें लागू करने के मामले में सम्बन्धित सरकारें हैं। सितम्बर, 1981 में श्रम मंत्रियों की बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी राज्य सरकारों का बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधित करने के लिए तत्काल उपाय करने चाहिएं। ये 7/- रुपए और 8/- रुपए प्रतिदिन के बीच होगी और पहली जनवरी, 1982 से लागू होंगी। इस बैठक ने यह भी सिफारिश की कि राज्य सरकारों को अपने प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक कारगार बनाने के लिए उपाय करने चाहिएं। अधिकांश राज्यों ने पहले ही सितम्बर, 1981 से न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन कर दिया है।

कार्यान्वयन न किए जाने के मामले में कार्यवाही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तभी की जा सकती है जब ऐसे मामले उनके ध्यान में लाए जाएं।

1942 में भूमिगत आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

1775. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1942 में भूमिगत आन्दोलन में भाग लेने वाले बहुत से स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन नहीं दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का बिचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं श्रीमान। भूमिगत स्वतन्त्रता सेनानी स्वन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित रूप में छः महीने के लिए भूमिगत रहे;

(1) घोषित अपराधी, अथवा

(2) जिनको गिरफ्तारी/सिर के लिए इनाम घोषित किया गया था, अथवा

(3) जिनकी नजरबन्दी के आदेश झारी किये गये थे परन्तु तामिल नहीं हुए ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कोरापुट जिले (उड़ीसा) में ई० एस० आई० अस्पताल

1776. **श्री के० प्रधानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने ई० एस० आई० अस्पताल खोले गये हैं;

(ख) क्या सरकार ला विचार देश के जनजातीय जिलों में. विशेषकर खान क्षेत्रों में. कुछ और ई०एस० आई० अस्पताल खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में 1982-83 में ई० एस० आई० अस्पताल खोलने पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) राज्य में 4 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल और 2 उपभवन स्थापित किए गए हैं ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सम्पूर्ण देश में चुने हुए स्थानों में नए अस्पताल स्थापित किए जायेंगे, जिसमें जनजातीय आबादी वाले जिले भी शामिल हैं तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना खानों पर लागू नहीं होती ।

(ग) और (घ) कोरापुट जिले के जेकेपुर में पहले ही 25 पलंगों वाला कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कार्य कर रहा है और उस क्षेत्र में इस समय तक कोई नया अस्पताल स्थापित करने का विचार नहीं है ।

केंसिगा, कालाहांडी के स्थलों का दौरा

1777. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने ओद्योगिक न्यूक्लीय परियोजनाओं के लिए कंसिगा, जिला कालाहांड़ी, उड़ीसा के स्थलों का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत गहन औद्योगीकरण के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के कहने पर कालाहाण्डी जिले सहित पांच जिलों/क्षेत्रों को मान्यता दी गई है । परियोजना संभाव्यताओं पर जिन्हें औद्योगीकरण के लिए हाथ में लिया जा सकता है रिपोर्ट देने के लिए एक कृतिक बल, जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी सम्मिलित हैं, का गठन किया गया था । कालाहाण्डी जिले में केसिंगा सहित राज्य के अन्य स्थापना स्थलों का भी कृतिक बल द्वारा 14 से 19 जनवरी, 1982 की अवधि में दौरा किया गया था । वर्तमान में कृतिक बल अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रहा है ।

बीड़ी श्रमिकों में क्षय रोग

1778. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी श्रमिक क्षय रोग के अधिक प्रवण है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) बीड़ी श्रमिकों में क्षय रोग को रोकने और इस रोग के उपचार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) बीड़ी श्रमिकों को इस रोग से बचाने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) बीड़ी श्रमिकों में क्षय-रोग की घटनाएं ध्यान में आई हैं ।

(ख) कोई भी अध्ययन विशेष रूप से बीड़ी श्रमिकों के बीच क्षय रोग की सांक्षेप विद्यमानता को मालूम करने के लिए नहीं किया गया है, जो अन्य श्रमिकों के बीच क्षय रोग की विद्यमानता के प्रतिकूल हो ।

(ग) बीड़ी कर्मकार कल्याण विधि के अन्तर्गत स्थापित किए गए स्थिर और चलते-फिरते औषधालयों द्वारा बीड़ी श्रमिकों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त निधि के अन्तर्गत मैसूर में दो पलंगों वाला एक अस्पताल और नीमटीटा, पश्चिम बंगाल में एक चैस्ट क्लिनिक है । क्षय रोग से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों को विशिष्ट इलाज प्रदान करने के लिए टी० बी० अस्पताओं में पलंगों को आरक्षित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है । इस

योजना में संबंधित श्रमिकों को पलंगों संबंधी खर्च, निर्वाह भत्ता, भोजन की कीमत और द्वितीय श्रेणी रेल किराया देने की व्यवस्था है ।

(घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि द्वारा प्रदान की गई चिकित्सीय सुविधाओं का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सामान्य सुविधाओं को अनुपूरित करना है । सरकार की यह नीति है कि उन स्थलों पर सुविधाओं को अनुपूरित किया जाय जहां बीड़ी श्रमिक बहुत अधिक संख्या में हैं, जिन्हें अन्यथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सीय सुविधाओं से पर्याप्त लाभ नहीं पहुंचता है ।

रासायनिक और औद्योगिक एककों द्वारा प्रदूषण का नियंत्रण

1779. श्री भीकू राम जैन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार रासायनिक तथा औद्योगिक एककों द्वारा पर्यावरण नियंत्रण के लिए किये जाने वाले व्यय को कराधान प्रयोजनों के लिए अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के समान मानने का है और उपशिष्ट परिष्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) सरकार का प्रदूषण को नियन्त्रित करने में अधिक रुचि पैदा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी० एन सिंह) : (क) जी नहीं, विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में उपबन्ध विद्यमान है जिनके अनुसार कोई व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी मल जल अथवा व्यापारिक वहिस्राव के उपचार के लिए किसी संयंत्र को लगाता है तो वह 70 प्रतिशत उपकर की छूट के लिए पात्र होता है जो ऐसे व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा देय होता है । इसके अतिरिक्त, कोई दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

योजना आयोग की पुनरीक्षण बैठक द्वारा योजना निधियों का पुनः आवंटन

1780. श्री डी० पी० यादव :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल में एक पुनरीक्षण बैठक आयोजित की थी और विभिन्न प्राथमिकताओं के लिए योजना राशियों के पुनः आवंटन का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) क्या योजना निधियों के आवंटन के पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप संसाधनों की कमियों के कारण समान योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) दि० 28-12-1981 को हुई योजना आयोग की बैठक में वर्ष 1981-82 के योजनागत कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में छमाही समीक्षा की गई थी । तथापि योजनागत धनराशियों के पुनः आवंटन के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थिति नहीं होते हैं ।

लघु और बड़े सीमेंट संयंत्रों को लाइसेंस

1781. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जिन लघु और बड़े सीमेंट संयंत्रों को लाइसेंस दिये गए उनकी पूरी सूची क्या हैं ; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये अधिकतर मामले क्षमता को पूर्वक्रम से साथ में लेने का प्रयास न हो ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न हैं ।

(ख) औद्योगिक विकास विभाग में स्वीकृत सीमेंट परियोजनाओं द्वारा की गई प्रगति की कड़ाई से मॉनीटरिंग की जा रही ।

विवरण

उन सीमेंट परियोजनाओं का ब्यौरा जिनके लिए वर्ष 1978-81 के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल जिला	वार्षिक क्षमता लाख मी० टन
1.	मे० उदयपुर सीमेंट वर्क्स	उदयपुर	2 (विस्तार)
2.	मे० नर्मदा सीमेंट्म लिमिटेड	अमरेली	10 (विस्तार के बाद)

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल जिला	वार्षिक क्षमता लाख मी० टन
3.	मे० सेंचुरी सीमेंट्स लिमिटेड	रायपुर	2 (विस्तार)
4.	मे० मैसूर सीमेंट्स लिमिटेड,	तुमकूर	1.1 (विस्तार)
5.	मे० पण्यस सीमेंट्स लिमिटेड	कुरनूल	5.31 (विस्तार)
6.	मे० डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड	विरुचि	0.70 (विस्तार)
7.	मे० कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट इंडस्ट्रीज	रोहतास	6.5 (विस्तार के बाद)
8.	मे० दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लिमिटेड	पुरुलिया	2.6
9.	मे० रासी सीमेंट लिमिटेड	नालगौंडा	3
10.	मे० के० सी० पी० लिमिटेड	गुन्तूर	0.96 (विस्तार)
11.	मे० लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड	चन्द्रपुर	11.09
12.	मे० विरला जूट मैन्यू० कं० लि०	सतना	8 (विस्तार)
13.	मे० रेमण्ड वूलेन्स लि०	बिलासपुर (म० प्र०)	4
14.	मे० आन्ध्रा सीमेंट लि०	बिजाग	2.5
15.	मे० एल० सी० सी० लि०	गुलबर्ग	10 (विस्तार)
16.	मे० डेकन सीमेंट्स लि०	नालगौंडा	0.66 (मिनी)
17.	मे० काकालतिया सीमेंट्स लि०	नालगौंडा	0.66 (मिनी)
18.	मे० आन्ध्रा सीमेंट लि०	गुन्टूर	2.5 (विस्तार)
19	मे० सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०	आदिलाबाद	4
20.	मे० ए० सी० सी० लि०	दुर्ग	5 (विस्तार)
21.	– वही—	चन्द्रपुर	1.6 (विस्तार)
22.	मे० नागार्जुन सीमेंट्स	नालागौंडा	0.66 (मिनी)
23.	मे० ए० आर० सी० सीमेंट लि०	देहरादून	0.60 (मिनी)
24.	मे० हरिगंगा सीमेंट लि०	चन्द्रपुर	0.66 (मिनी)
25.	मे० स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०	सिरोही	5

क्र० सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल जिला	वार्षिक क्षमता लाख मी० टन
26.	मे० राजस्थान इण्स्ट्रियल इनवेस्टमेंट कारपोरेशन (स्वदेशी सीमेंट्स)	जयपुर	0.66 (मिनी)
27.	मे० कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	कुड्डपा	10
28.	मे० ए० सी० सी० लि०	विलासपुर (हि. प्र.)	1.6 (विस्तार)
29.	मे० सोमेश्वर सीमेंट एण्ड कैमीकल्स लि०	आदिलाबाद	0. 66 (मिनी)
30.	मे० मंगलम सीमेंट्स लि०	कोटा	4
31.	मे० केशोराम इण्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लि०	करीम नगर	2 (विस्तार)
32.	मे० आरियंट पेपर मिल्स लि०	आदिलाबाद	9
33.	मे० मद्रास सीमेंट्स लि०	रामानाथपुरम	1.25 (विस्तार)
34.	मे० श्रीराम सीमेंट्स लि०	बांसकंठा	0.66 (मिनी)
35.	मे० ए० सी० सी० लि०	गुलबर्ग	2 (विस्तार)

एक विशेष एजेंसी के रूप में यूनिडो

1783. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में यूनिडों की स्थापना का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) जो संयुक्त राष्ट्रों का एक विशेष अभिकरण है, उसके संविधान में यह व्यवस्था है कि संविधान तभी लागू हो सकेगा जबकि कम से कम 80 समर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन देने वाले राष्ट्र जिन्होंने परस्पर परामर्श करके सहमति हासिल कर दी हो, उसे लिखित रूप में जमा कर दिया हो। भारत संविधान को शीघ्र ही समर्थन प्रदान करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सदस्य राष्ट्रों से विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अनुरोध करता रहा है। अब तक भारत सहित 70 राष्ट्रों ने सविधान को स्वीकृति दे दीहै।

केन्द्र सरकार कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत देना

1784. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रति वर्ष दिए गए छुट्टी यात्रा रियायत के समेकित आंकडे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाते हैं ; और

(ग) रेलवे को इस पर कितनी हानि उठानी पड़ती है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) इस सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत आधार पर नहीं रखी जाती ।

(ग) रेलवे को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारी निःशुल्क यात्रा नहीं करते, बल्कि वे अपनी यात्रा के लिए टिकट खरीदते हैं ।

कैबरे शो

1785. श्री माधव राव सिंधिया :

श्री तारिक अनवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालय के निर्णय द्वारा "अश्लीलता" की व्याख्या में अधिक लचीलेपन की अनुमति देने को देखते हुए राजधानी तथा अन्य महानगरों में कैबरे शो की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य बिभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) न्यायालय के फैसले से पहले अर्थात् 11-1180 से पूर्व दिल्ली में 8 रेस्टोरेंट "फ्लौर-शो" प्रदर्शित कर रहे थे । दिल्ली मे इस समय 14 रेस्टोरेंट "फ्लौर-शो" चला रहे हैं जिसमें से पांच लाइसेंस शुदा हैं और एक को लाइसेंस देने का मामला विचाराधीन है । 2 रेस्टोरेटों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है, जिसके परिणामस्वरूप या तो ये बन्द हो गए हैं या उन्होंने ऐसे प्रदर्शन बन्द कर दिए हैं । शेष 6 रेस्टोरेटों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है । अन्य महा-नगरों के विषय में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को छुट्टियों के नकदीकरण की अनुमति

1786. श्री राम विलास पासवान :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारिसों को छूट्टियों के नकदीकरण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा विधि के दौरान छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दिए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीन से लोहे एवं इस्पात का आयात

787. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीन से लोहे एवं इस्पात का आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो चीन से प्रति वर्ष कुल कितने लोहे तथा इस्पात का आयात किया जाता है ;

(ग) क्या दोनों द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ;

(घ) यह आयात किस वर्ष से आरम्भ किया जायेगा ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) चीन से लोहे और इस्पात का आयात करने के बारे में भारत और चीन की सरकारों के बीच कोई करार नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है, परन्तु 'सेल' द्वारा जारी किए गए टेंडरों के जवाब में कुछ विदेशी सम्भारकों ने चीन में बनी सामग्री देने की पेशकश की है । चूंकि इन टेंडरों में दिए गए मूल्य दूसरे टेंडरों के मुकाबले में कम थे इसलिए 'सेल' ने चीन में बनी लोहे और इस्पात की निम्नलिखित मदों की सप्लाई के लिए आर्डर दिए हैं : —

वर्ष	मद	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1980-81	बिलेट	82,346	2027.43
1981-82	कच्चा लोहा	1,00,000	1212.1
1981-82	संरचनात्मक	1,23,811	3331.00

(घ) और (ङ) बिलेट का पोत-लदान पूरा हो गया है। कच्चे लोहे का पोत-लदान भी आरम्भ हो गया है और आशा है संरचनात्मकों का पोत-लदान अगले महीने से आरम्भ हो जाएगा।

बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि की हानि

1788. **श्री दयाराम शाक्य : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि को मंत्रालय की अकर्मण्यता के कारण 5 करोड़ रुपये की हानि हुई ; और

(ख) सरकार ने ऐसी अकर्मण्यता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 में 1981 में किए गए संशोधन से पूर्व बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 के प्रयोजन के लिए उपकर लगाने तथा उसे एकत्र करने की व्यवस्था थी, जो कि उतने ही तम्बाकू पर लगाया जाता था जितना किसी व्यक्ति को किसी गोदाम से बीड़ी के निर्माण से सम्बन्धित किसी भी प्रयोजन के लिए किया जाता था। 1979 में तम्बाकू से उत्पाद कर को समाप्त करने के फलस्वरूप तम्बाकू पर उत्पाद नियंत्रण के लिए गोदामों को लाइसेंस देने की पद्धति समाप्त कर दी गई और बीड़ी के उत्पादन के लिए गोदामों से किए जाने वाले तम्बाकू पर उपकर लगाने या उसे एकत्र करना संभव नही रहा। कल्याण निधि के लिए धन व्यस्वथा करने के लिए सरकार ने 1981 में तम्बाकू पर उपकर लगाने की जगह तैयार बीड़ी पर उपकर लगाने का निर्णय किया। तदनुसार अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और तैयार बीड़ी पर उपकर पहली जनवरी, 1982 से लागू हो गया है। अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण यह था कि इसमें नीति-निर्णय अन्तर्ग्रस्त था और मामला सरकार के विचाराधीन था।

(ख) प्रश्न नही उठता।

तस्करी एवं अपराधों की रोकथाम के लिए हवाई अड्डों पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

1789. श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जहां तक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न है अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन कूनबापरस्ती के अड्डे बन गए हैं और जिनकी ऊंचे स्थानों तक पहुंचे हैं और ऐसे लोगों को ही इन विमान पत्तनों पर नियुक्त किया जाता है है, जिन पर विश्वास होता है कि वे उनका काम करेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कदाचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का है जिससे तस्करी एवं अपराधों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दिल्ली पुलिस और सम्बन्धित राज्य पुलिस बल के व्यक्ति तैनात किए जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर तैनात किए गए पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की सम्बन्धित राज्य सरकारों और दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

लारेंस रोड के निम्न आय वर्ग फ्लोटों के लिए गृह कर

1790. श्री राम लाल राही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के गृह कर विभाग ने करोल बाग जोन, नई दिल्ली के अधीन आने वाली लारेंस रोड कालोनी में निम्न आय वर्ग के सभी डी. डी. ए. फ्लैटों का निर्मित क्षेत्र एक समान है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि वहां रहने वाले विभिन्न परिवारों से गृह कर की अलग-अलग राशियां ली जाती है और इस बारे में ब्यौरे क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकारी ने सूचित किया है कि लारेंस रोड कालोनी में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों की 4 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं और प्रत्येक श्रेणी में निर्मित क्षेत्र अलग है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों पर देय सम्पत्ति कर का निर्धारण करने का मानदण्ड केवल निर्मित क्षेत्र नहीं है । कई अन्य घटक हैं जिनके आधार पर कर निर्धारित किया जाता है, जैसे निर्माण की लागत और निर्माण प्रारम्भ करने की तारीख को भूमि की बाजार कीमत या इस प्रकार के फ्लैटों का उचित किराया ।

"गंगाजल का प्रदूषण"

1791. श्री माधव राव सिंधिया :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा हाल ही में किये गये गंगा के व्यापक अध्ययन के आरम्भिक निष्कर्षों से एक दुखदायी विरोधाभास प्रकट हुआ हे अर्थात कि सब से अधिक पूज्य नदी गंगा शायद देश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो गंगा के जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारणों का ब्यौरा क्या है : और

(ग) प्रदूषण को समाप्त करने तथा उत्तर भारत के अधिकतर भागों की प्रायः जीवन रेखा के रूप में इस नदी की पावनता तथा शुद्धता को बनाए रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं, अध्ययनों से पता चलता है कि गंगा के कुछ ग्राह्य क्षेत्र बुरी तरह प्रदूषित है, परन्तु यह देश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी नहीं है ।

(ख) इस नदी के प्रदूषण के लिये प्रदूषित करने वाला मुख्य कारण श्रेणी I और श्रेणी- II नगरों से असंसाधित मल-जल तथा कूड़े कचरे का गिरना है । उद्योगों के बहिश्रावों का असंसाधित बहाव भी कुछ सीमा तक, इस प्रदूषण के लिये जिम्मेदार है ।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण बोर्ड गंगा नदी के प्रदूषण के निवारण और नियन्त्रण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में की गई व्यवस्था के अनुसार आवश्यक उपाय कर रहा है । उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड ने खानपुर में चर्मशोधन शालाओं से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय बोर्ड सहयोग से एक अध्ययन प्रारम्भ किया है ।

पुनः प्रयोग किये जाने वाले ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उपकरण

1792. श्री भोकू राम जैन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी सैक्टरों में कौन-कौन से संस्थान पुनः प्रयोग किये जाने वाले ऊर्जा स्रोतों के विकास के कार्य में संलग्न हैं ;

(ख) इन संस्थानों को यदि कोई केन्द्रीय राज सहायता दी गई तो कितनी ;

(ग) पुनः प्रयोग किये जाने वाले ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उपकरण कौन से हैं ;

(घ) इनमें से कितने उत्पाद उपयोग के लिये बाजार में उपलब्ध है ; और

(ङ) परम्परागत ईधनों के उपयोग में बचत लाने के लिये उस प्रकार के उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये जाने हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार के व्यापक आधारित नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान, अभिकल्प, विकास, प्रदर्शन और उपयोगीकरण संबंधी गतिविधियां आती हैं और इसमें देश में वहुसंख्या में अनुसंधान और शिक्षा संस्थाओं, उद्योगों, उपयोक्ता और विस्तार अभिकरण द्वारा भाग लिये जाने की अपेक्षा की जाती है। सरकार इन संस्थाओं में इन गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए अनुदान प्रदान करती है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के तीव्र वाणिज्यीकरण का सम्वद्र्धन करने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन भी आरम्भ किये हैं। जिन प्रोत्साहनों की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है वे है, बढ़ी हुई दरों पर मूल्यह्रास की छूट, उत्पादन शुल्क से उन्मुक्ति, और घटी दरों पर ऋणों की व्यवस्था। विभिन्न राज्य सरकारें भी बिक्री कर से उन्मुक्ति की व्यवस्था कर रही हैं। सौर कुकरों की खरीद के लिए और पारिवारिक प्रकार के जैव गैसों के संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के लिए छूट उपलब्ध हैं।

(ग) विकास की जा रही नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों में सौर जल तापक प्रणालियों, सौर शुल्क और इमारती लकड़ी के भट्टे, सौर शीत संग्रहागार प्रणालियां, सौर आसवन यूनिट, सौर कुकर, पम्पन के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां, प्रकाश व्यवस्था और अन्य अनुप्रयोग, सौर विद्युत संयंत्र, जल पम्पन पवन चक्कियाँ, और पवनचालित विद्युत जनित्र, सामुदायिक जैव गैस संयंत्र, माल गैस संयंत्र, ऊर्जा रोपण, बैटरीचालित गाड़ियां आदि शामिल हैं। पहले से ही विकसित की गई प्रौद्योगिकियों के आधार पर, अब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और घरेलू क्षेत्रों में मुख्य रूप से विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के आधार पर ऊर्जा की व्यवस्था करना और वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में निम्न और मध्यम तापमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा की व्यवस्था करना अब संभव हो गया है।

(घ) सौर जल तापन प्रणालियां और सौर कुकर अब बाजार में उपलब्ध है। कई अभिकरणों द्वारा अनुरोध किये जाने पर जैव गैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की जा सकती है। सौर शुष्कन प्रणालियों, इमारती लकड़ी के भट्टों, सौर आसवन यूनिटों और जल पम्पन पवन चक्कियों के औद्योगिक उत्पादन को आरम्भ किया जा चुका है।

(ङ) इंजीनियरी उद्योगों और विनिर्माताओं के सभी संघों से ऊर्जा संरक्षण उपायों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कहा गया है। ऊर्जा के संरक्षण के प्रोत्साहन और इसके लिए

आवश्यक किसी विशेष उपस्कर के उत्पादन के लिए और आगामी उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण की एक समिति की स्थापना की गई है ।

ऊर्जा स्रोतों के लिये अनुसंधान

1793. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऊर्जा स्रोतों अर्थात ज्वार भाटा, सौर तथा वायु के लिये अनुसंधान के क्षेत्रों में हमारी आयोजना निर्दिष्ट तथा उपयुक्त नहीं है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र में अनुसंधान के ब्यौरे क्या हैं और उसकी संभावनाएं क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं । मार्च 1981 में गठित ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने हमारी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से हमारे स्रोतों के अनुरूप ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों, जैसे सौर, जैव ऊर्जा, पवन ऊर्जा के विकास आदि के योजना कार्य को एक उल्लेखनीय और समन्वित रीति से हाथ में लिया है ।

(ख) अब तक किए गये प्रयासों के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित अनेक युक्तियां और प्रणालियां विकसित की गयी हैं और देश में इनका निर्माण किया जा रहा है । इसमें घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिए सौर जल तापक, सौर शुष्कक और भट्टे, सौर पम्प, सौर कुकर, छोटे और बड़े जैव गैस संयंत्र और पवन चक्कियां शामिल हैं । इन एककों की कार्यक्षमता में सुधार लाने तथा इनकी प्रारंभिक लागतों को कम करने तथा इनके नए अनुप्रयोगों तथा नवीकरणीय ऊर्जाओं के नवीनतर स्रोतों के लिए कार्य जारी है । जैसे जैसे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों की लागत में वृद्धि होती जाती है और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों से उत्पन्न ऊर्जा की लागत में कमी आती जाती है तो यह संभावना है कि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की भूमिका अधिकाधिक होती जाएगी ।

भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्रों के सामने बिजली की कमी

1794. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के दो प्रमुख इस्पात कारखानों-भिलाई और राउरकेला को बिजली की गम्भीर कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र को, जिसको कभी भी बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ा था, बिजली की कमी के कारण कुछ समय के लिये बन्द करना पड़ा था और राउरकेला भी इसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप हाल के महीनों में भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से मिलने वाली बिजली की सप्लाई 10 और 11 फरवरी, 1982 को लगभग 7 घंटे तक पूरी तरह फेल हो जाने के कारण भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा।

(घ) इन कारखानों के लिए सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों से बिजली की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं।

सौर जल तापन प्रणाली

1795. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के डिजाइन के अनुसार प्रमुख औद्योगिक नगरों में सौर जल तापन प्रणाली का उपयोग करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या गैर सरकारी उद्योगों की जानकारी उपलब्ध की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के द्वारा सौर जल तापन प्रणाली के विनिर्माण की जानकारी को विकसित किया गया है। इस जानकारी को नेशनल रिसर्च डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन को स्थानान्तरित किया गया है जिसने इस जानकारी को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए विभिन्न कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग के प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत बड़ी संख्या में पहले से ही जल तापन प्रणालियों को होटलों, चिकित्सालयों, बेकरियों, कपड़ा मिलों आदि में प्रतिष्ठापित किया जा चुका है। देश में अब इस प्रकार की जल तापन प्रणालियां व्यापारिक रूप से उपलब्ध हैं।

"पावर कर्ब लोकोल स्टाक्स वरी सेल" शीर्षक समाचार

1796. श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इंडिया 5 फरवरी, 1982 को "पावर कर्ब, लोकोल स्टाक्स वरी सेल" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेल के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में कोककर कोयले का स्टाक घट रहा है। फरवरी, 1982 को इस्पात कारखानों में स्टाक 2,34,800 टन था जबकि 1 अक्तूबर, 1981 को स्टाक 3,38,700 टन था। उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्डों ने क्रमशः राउरकेला और भिलाई के इस्पात कारखानों को बिजली की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। इन दोनों कारणों से चिन्ता हो रही है और स्थिति में सुधार लाने के लिए सभी स्तरों पर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अतिरिक्त परमाणु बिजली संयंत्र

1797. श्री प्रताप भानु शर्मा :
श्री आर०पी० गायकवाड़ :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने देश में अगले 15 वर्षों के दौरान 12 और परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए परिकल्पना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस समय हमारी मूल अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

चमड़ा विकास निगम द्वारा कच्ची खालों के परिष्करण के लिए अनुमति

1798. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चमड़ा विकास निगम जो कि पश्चिम बंगाल में राज्य क्षेत्र का एक उद्यम है, कच्ची खाल के परिष्करण तथा तैयार चमड़ा बनाने के लिए काफी समय से केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगता आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे अनुमति दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि जिन प्राइवेट फर्मों के पास तैयार चमड़ा बनाने के लिए लाइसेंस हैं वे उनका पूरा उपयोग नहीं कर रही हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वैस्ट बंगाल स्टेट लैदर इण्डस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन को कुटीर तथा लघु एककों के कामार्थ तैयार चमड़ा निर्माण के लिए एक सेवा केन्द्र की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 17-11-79 को स्वीकृत किया गया था। कारपोरेशन से वाणिज्यक आधार पर तैयार चमड़े का उत्पादन करने हेतु सेवा केन्द्र के एक भाग की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

(घ) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1981 के दौरान खालों तथा चामों से तैयार चमड़े का उत्पादन करने हेतु क्षमता के उपयोग के बीच 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच रहा है।

महिलाओं के लिए रोजगार

1799. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के पैरा 27.32 में यह कहा गया है कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण गोदामों आप्रेशन फ्लड-दा, डेरी विकास तथा शाश्यफारेस्ट्री और शसस्त्र सेनाओं में उन्हें (अर्थात महिलाओं को) अधिक रोजगार देने के प्रयास किये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उपरोक्त क्षेत्रों में से प्रत्येक में महिलाओं के लिए नौकरियों की संख्या में कुल कितनी तथा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार पर उपर्युक्त स्कीमों के प्रभाव के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है।

हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का अभ्यावेदन

1800. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने भिलाई इस्पात संयंत्र में इस संगठन की रोजगार नीति के प्रति मध्य प्रदेश सरकार के रवैये के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उस अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) उक्त अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बोकारो इकाई के कामगारों, जिनकी बदली कम्पनी की भिलाई इकाई में की गई थी, के प्रति मध्य प्रदेश सरकार के रवैये के बारे में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (न कि हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि०) से कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) उपर्युक्त पत्रों में उठाई गई मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

(1) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० की बोकारो इकाई से बदली किए गए कामगारों को कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के कारण भिलाई में ड्यूटी पर नहीं आने दिया ।

(2) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को निदेश दिया गया कि वे अपनी बोकारो इकाई से और कामगारों की भिलाई इकाई में बदली करनी बन्द कर दें ।

(3) इससे पहले कि बोकारो से भेजे गये कामगारों को भिलाई में काम पर रखे जाने के प्रश्न पर विचार किया जाए, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को स्थानीय लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती करनी चाहिए ।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कामगारों को अखिल भारतीय स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के बारे में सरकार मध्य प्रदेश सरकार, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० आदि से परामर्श करके इस मामले पर विचार कर रही है । इस समस्या का कोई सम्मत समाधान ढूंढने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में भारी जल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1801. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में एक भारी जल संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पूर्वी क्षेत्र में मन्दी से ग्रस्त उद्योग

1802. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्र में पटसन, कपास वस्त्र कागज तथा इंजीनियरी उद्योग हाल ही के महीनों में मन्दी से कुप्रभावित होते आ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को मन्दी से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कागज और इंजीनियरी उद्योगों के हाल ही के उत्पादन के आंकड़ों से इन उद्योगों में किसी प्रकार की मंदी का रुख नजर नहीं आता ।

देश में सूती वस्त्र उद्योग कुछ समय से माँग में कमी का सामना करता रहा है । रुई के मूल्य स्थिर हो जाने से उद्योग मूल्य में उपयुक्त समन्वय करके मन्दी का सामना करने योग्य हो जायेगा । पटसन उद्योग इस समय माँग में कभी का सामना कर रहा है । सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक अभ्युपायो में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सितम्बर, 1981 से पटसन के सामान के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता देना ।

2. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से एक बार में काम चलाने के लिए ट्रिवल बोरियों की एक लाख गाँठों की आयातकालीन खरीद करना तथा पटसन की बोरियों की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की ओर से बार-बार क्रयादेश देना ।

3. सीमेंट की पैकिंग के लिए 90% तक नई बोरियों का अनिवार्यरूप से उपयोग करना ।

4. अन्य उपभोक्ता विभागों जैसे उर्वरक' चीनी एवं अनाज की पैकिंग के लिए सिथेटिक के स्थान पर पटसन की अधिक से अधिक बोरियों का उपयोग करने के लिए अनुरोध करना ।

5. दिसम्बर, 1981 के लिए 10% तथा जनवरी, 1982 के 15% लाभ को घटा कर कच्चे पटसन की खरीद के लिए अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करना ।

6. सचिवों की एक समिति ने मांग और पूर्ति की स्थिति प्रौद्योगिकीय सुधार की दीर्घावधिक समस्याओं बाजार संवर्दन तथा निर्यात नीति के सम्बन्ध में पटसन की वस्तुओं पर कृतिक बल की सिफारिशों की जाँच की है इन सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

7. पटसन उत्पादक देशों में मूल्य स्थिर करने तथा उनकी निर्यात से आय बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने हेतु ई० एस० सी० ए० यू० एन० टी० ए० डी० तथा एफ० ए० ओ० के तत्वाधान में पटसन उत्पादक और पटसन उपभोक्ताओं के बीच क्षेत्री और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श करना ।

नारियल जटा उद्योग के बारे में शिवरामन समिति की सिफारिशें

1803. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1976 में श्री बी. शिवरामन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने नारियल जटा उद्योग के क्षेत्र में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार कयर उद्योग पर श्री बी० शिवारमन की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय अध्ययनदल की रिपोर्ट की जांच कर रही है । सरकार को अध्ययन दल की रिपोर्ट पर अन्तिम राय निश्चित करने के उपरान्त रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों पर उचित कार्रवाई की जायेगी ।

केरल में नारियल जटा उद्योग का विकास

1804. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल जटा उद्योग के विकास के लिए व्यापक योजना भारत सरकार को कब पेश की गई थी ;

(ख) भारत सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) प्रस्तुत की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वर्ष 1978-83 की अवधि में राज्य कयर उद्योग का विकास करने के लिए केरल सरकार ने 1979 में केन्द्र सरकार को 61.62 करोड़ रु० के परिव्यय वाली एक योजना प्रस्तुत की थी जिसमें केन्द्र से प्राप्त 24-24 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता राशि 32.38 करोड़ रु० का संस्थागत वित्त तथा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का 5 करोड़ रु० का अंशदान सम्मिलित है। योजना का लक्ष्य 600 प्राथमिक सहकारी समितियों, 10 उत्पादन समितियों, एक विपणन संगठन का गठन करना; बिक्री डिपुओं का खोलना, केरल राज्य कयर निगम को वित्तीय सहायता देना तथा कल्याण अभ्युपायों आदि को अपने हाथ में लेना है। जुलाई, 1980 में उपर्युक्त व्यापक योजना के अंतर्गत केरल सरकार ने राज्य योजना परिव्यय को पूर्व में परिकल्पित 5 करोड़ रु० की तुलना में 14.88 करोड़ रु० तक बढ़ाने हेतु पंचवर्षीय योजना 1980-1985 में संशोधन करने के वास्ते प्रस्ताव भेजा था। केरल सरकार से इस बारे में विचार विमर्श किया गया था तथा इस विचार विमर्श को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावों पर पुनः तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु उनसे अनुरोध किया गया है।

योजना में केरल का अंश

1805. श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :
श्री ए० के० बालन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुई चर्चा के दौरान केरल सरकार ने योजना-अंश में कितनी राशि की मांग की थी ;

(ख) भारत सरकार ने योजना-अंश के रूप में कितनी राशि स्वीकार की थी ; और

(ग) केरल को योजना-अंश के आवंटन में कमी के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) यदि यह सूचना वर्ष 1982-83 के लिए राज्य के बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद दी जाए तो उपयुक्त होगा।

श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फार मैडिकल साइंसिज टैक्नोलोसी, त्रिवेन्द्रम का राष्ट्रीयकरण

1806. श्री ए. नीलालोहियादसन नाडार : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फार मैडिकल साइंसिज टैक्नालाजी त्रिवेन्द्रम का राष्ट्रीयकरण कब किया था ;

(ख) अधिग्रहण के पश्चात भारत सरकार ने उस में कितना निवेश किया था ;

(ग) उक्त निवेश का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा केन्द्र जो कि मूल रूप से 1974 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत एक स्वायतशासी संस्था के रूप में गठित किया गया था, को संसद के अधिनियम (1980 का 52वां अधिनियम) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। इसका नाम श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम रखा गया है। यह अधिनियम, 1 मार्च, 1981 से लागू किया गया है।

(ख) 1 मार्च, 1981 से अब तक, केन्द्रीय सरकार ने संस्थान को 105 लाख रुपये योजनागत और 60 लाख रुपए योजनाभिन्न के अंतर्गत सहायतानुदान के रूप में निर्मुक्त की।

(ग) निर्मुक्त की गयी योजनागत निधि को मुख्यतः नयी इमारतों, जैसे कि शल्यक्रिया खण्ड (सर्जिकल ब्लाक) स्नातकोत्तर होस्टल, प्रयोगशाला उपकरण, चिकित्सालय यंत्रों, पुस्तकालयों की पुस्तकें और स्टाफ को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों के आवर्ती खर्चों के लिए व्यय किया गया। योजनाभिन्न निधियां चिकित्सालय के खर्चों की पूर्ति, अधिकारियों और स्थापना के वेतन और मौजूदा इमारतों के रखरखाव तथा दूसरे आकस्मिक कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे।

(घ) इस समय संस्थान में कुल 503 कर्मचारी हैं, जिनमें से 229 वैज्ञानिक, डाक्टर, प्रौद्योगिकविद् ओर पर चिकित्सा कार्मिक हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचति जनजातियों के लिए आरक्षित डाक्टरों के पदों को अनारक्षित करना

1807. श्री भीखा भाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1979 को उनके मन्त्रालय में डाक्टरों की संख्या कितनी थी और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोगों की संख्या कितने प्रतिशत थी ;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान उक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल कितने पद अनारक्षित किए गए ;

(ग) गत तीन वर्षों के दोरान उक्त पदों को अनारक्षित करने के क्या कारण रहे ;

(घ) क्या यह सच है कि आरक्षण के आदेश उनके मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1971 में जारी किए गए थे जबकि संविधान तो 1950 में लागू हो गया था ;

(ङ) क्या सरकार इन आरक्षित समुदायों को नौकरियों के मामले में हुए उक्त घाटे को पूरा करने जा रही है ; और

(च) यदि हां, तो कब ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जहां तक मुख्य मन्त्रालय तथा उसके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों का संबंध है, उनमें डाक्टर का कोई पद नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) और (च) । उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

अश्लील साहित्य के प्रकाशन तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध

1808. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल अश्लील साहित्य रेलवे बुक स्टालों; रोडवेज बुक स्टालों और पुस्तक विक्रेताओं के पास खुले आम बिक रहा है और पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर लड़कियों के नंगे चित्र छापे जाते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ऐसे साहित्य के प्रकाशन और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए क्या उपाय कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्र सरकार को अश्लील साहित्य की ऐसी खुली बिक्री के बारे में हाल में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) अश्लील साहित्य के प्रकाशन; बिक्री तथा परिचालन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 292 तथा 293 और दण्ड प्रक्रिया संहिता ; 1973 की धारा 95 में पर्याप्त कानूनी उपबंध हैं । अश्लील साहित्य का आयात भी सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन निषिद्ध है । अश्लील प्रकाशनों को जब्त करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं । ऐसे अपराधों के लिए मुकदमा भी राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाता है ।

जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत

1809. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961 से 1971 तक तथा 1971 से 1981 के दौरान देश में हिन्दुओं, मुस्लमानों, सिक्खों, ईसाईयों, बौद्धों तथा जैनियों की जनसंख्या में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन परिवारों पर "जन्म कर" लगाने का है जिनमें बच्चों की संख्या, समानता के सिद्धान्त तथा धर्म निर्पेक्षता के विचार से, राष्ट्रीय नीति में परिकल्पित संख्या से अधिक है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1961 से 1971 तक की अवधि के दौरान हिन्दुओं, मुसलमानों, सिक्खों, ईसाइयों, बौद्धों और जैनियों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण में दी गयी है। 1971 से 1981 तक की अवधि के दौरान इन धर्मों के लिए प्रतिशत वृद्धि उपलब्ध नहीं है क्योंकि धर्म के आधार पर जनसंख्या का 1981 की जनगणना का सारणीकरण किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 1961-1971

धर्म	1961 से 1971 तक प्रतिशत वृद्धि*
कुल	24.80
हिन्दू	23.69
मुसलमान	30.84
सिक्ख	32.28
ईसाई	32.58
बौद्ध	17.33
जैन	28.49

*इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है जिसके 1961 के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1961 की जनगणना के समय सामान्य अखिल भारतीय सारणी की बजाय 297,853 व्यक्तियों की एक संक्षिप्त सारिणी बनाई गई थी।

असम के लिए 1982-83 के लिये वार्षिक योजना का आकार

1810. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के लिए वर्ष 1982-83 हेतु वार्षिक योजना का क्या आकार निश्चित किया गया है ;

(ख) असम के लिए छठी योजना का कुल परिव्यय कितना है;

(ग) क्या राज्य में नई बिजली तथा सिंचाई परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग असम के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेगा;

(घ) क्या बोंगईगांव तथा नामरूप परियोजनाओं और बोरोगोलाई ताप संयंत्र परियोजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) असम के लिए 1980-85 की छठी योजना का परिव्यय 1115 करोड़ रु० है। 1982-83 की वार्षिक योजना के ब्यौरों के संबंध में यदि यह सूचना राज्य का बजट विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद दी जाए तो उपर्युक्त होगा।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा तथा बिहार को वित्तीय अनुदान

1811. श्री चिन्तामणि जैना : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने बन्धुआ श्रमिक योजना प्रयोजित करते समय राज्यों के लिए कुछ वित्त की भी मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि, हां तो उड़ीसा तथा बिहार राज्य को उनके पुनर्वास के लिए वर्ष 1981-82 के दौरान दिए गए वित्तीय अनुदान का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) उड़ीसा और बिहार सहित दस राज्यों ने श्रम बंधित पद्धति की विद्यमानता के बारे में सूचित किया है।

राज्य सरकार बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 को कार्यान्वित करती हैं। राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करने तथा मुक्त कराए गए बंधित श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, 1978-79 में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित एक योजना शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राज्यों को 50 : 50 आधार पर बराबर-बराबर की सहायता देने की व्यवस्था की गई है। मुक्त कराए गए श्रमिकों के लिए

उड़ीसा और बिहार राज्यों को योजना के अधीन वर्ष 1981-82 (31-1-82 के दौरान दी गई राशियां निम्नानुसार है :—

राज्य	अन्तर्गत लाए गए श्रमिकों की संख्या	दी गई राशि
उड़ीसा	4938	49,33,000/
बिहार	361	3,61,000/

इलेक्ट्रोनिक व्यापार एवं प्रोद्योगिकी विकास निगम के माध्यम से तकनीकी जानकारी

श्री चिन्तामणि जैना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने इलेक्ट्रोनिक व्यापार एवं प्रोद्योगिकी विकास निगम (तकनीकी जानकारी) के माध्यम से देश भर में कुछ कार्यक्रम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनसे लाभान्वित होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने हेतु उड़ीसा राज्य की ओर से भी केन्द्र सरकार को कोई अनुरोध किया गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम०एम० संजीवी राव) : (क) तथा (ख) सरकार इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विस्तार को बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम ने उत्पादों के विभिन्न सेटों का विकास किया है ताकि उनका संयोजन अप्रशिक्षित तथा अकुशल श्रमिकों से कराया जा सके । इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमकर्ताओं को निःशुल्क तकनीकी जानकारी तथा साथ ही निःशुल्क प्रशिक्षण देने पर भी विचार कर रहा है । प्रत्येक उद्यमकर्त्ता जितनी मात्रा में उत्पादन करता है, उसके अनुसार उसे कच्चे-माल तथा संघटक-पुर्जों की आपूर्ति किट के रूप में की जाती है । ये उत्पाद भी इस प्रकार के हैं कि इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम और राज्य-स्तरीय निगमों द्वारा इनका या तो स्थानीय रूप से अथवा केन्द्रीकृत रूप से विपणन किया जा सकता है । इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम ने इस प्रकार के संवर्धनकारी कार्य के लिए अभी तक किन्हीं विशेष राज्यों को नियत नहीं किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

भारतीय मिनी टी० वी० सेटों का निर्यात

1813. श्री चिन्तामणि जैना :

श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क)क्या कुछ बाहरी देशों ने हाल ही में भारत में बने मिनी टी०वी० सेटों का आयात करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उप मंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां ।

(ख) अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम तथा पनामा ।

(ग) : अल्जीरिया के मामले में प्राप्त टेंडर विषयक प्रस्ताव विचाराधीन है जब कि नाइजीरिया व जिम्बाब्वे के प्रस्ताव पर बातचीत अन्तिम चरण में है ।

"चीटिंग बाई पुलिस अलेजड" शीर्षक समाचार

1814. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1982 के इण्डियन एक्सप्रेस में "चीटिंग बाई पुलिस अलेज्ड"(पुलिस द्वारा कथित धोखाधड़ी) शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें 14 जनवरी 1982 को हुई चयन परीक्षा में कई पुलिस कर्मचारियों द्वारा बच्चों की सहायता किए जाने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) मामले की जांच पुलिस आयुक्त द्वारा की गई और साक्ष्य में लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हुआ है ।

सिंचाई लक्ष्यों के लिए अतिरिक्त राशि

1815. श्रीमती प्रमिला दण्डवते :
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई मंत्रालय ने नए लक्ष्यों को पूरा करने हेतु इस वर्ष 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि माँगी है;

(ख) क्या नये लक्ष्यों में सिंचाई सुविधायें भी शामिल हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) जी हाँ; सिंचाई मंत्रालय ने चालू वर्ष के लिए राज्यों के लिए 150 करोड़ रु० की अग्रिम योजना सहायता के लिए अनुरोध किया है जिससे कि पिछले वर्ष में प्राप्त हुई 24 लाख हैक्टर की सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर चालू वर्ष में 26 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता के उत्पन्न करने की गति को बढ़ाया जा सके और 135 लाख हैक्टेयर के छठी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात को ध्यान में रखते हुए इस गति को और बढ़ाया जा सके ।

20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन सिंचाई सुविधाओं हेतु सहायता

1816. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन सिंचाई सुविधाओं की किसी नई योजना हेतु महाराष्ट्र सरकार ने सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बिक्री योग्य इस्पात के भण्डारों में वृद्धि

1817. श्री चित्त बसु : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयंत्रों में बिक्री योग्य इस्पात के भण्डारों में भारी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (टिस्को भी शामिल है) में तथा देश के विभिन्न स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

दिनांक	(हजार टन) स्टाक
1.4.1981	656.2
1.7.1981	842.0
1.10.1981	862.3
1.1.1982	1015.6
1.2.1982	1105.4

(ख) उत्पादन में वृद्धि मांग के अनुसार नहीं हुई है ।

विकास क्षमताओं के उपयोग के बारे में सार्व समूह

1818. श्री चित्त बसु : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काम उपयोग की गई क्षमताओं के बारे में क्षेत्र-दर-क्षेत्र पता लगाने के लिए एक साथ समूह की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दिशा में कोई विशेष कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) देश में सर्वेक्षण संगठनों के ऐसे समूह की स्थापना की संभाव्यता पर विचार किया गया है ताकि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, क्षेत्रवार, अवदोहित विकास की संभाव्यताओं का अभिनिर्धारण किया जा सके ।

(ख) और (ग) क्योंकि ये चर्चाएं योग्यता प्राप्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों की बेरोजगारी को कम करने के सन्दर्भ में की गई थी, इसलिए हाल ही में गठित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड इस प्रकार के समूह की स्थापना की क्रियाविधि के बारे में निर्णय करेगा ।

पालेकर पंचाट (अवार्ड) इसके कार्यान्वयन के लिए पश्चिमी बंगाल त्रिपूरा और उड़ीसा की सरकारों द्वारा समितियों का गठन

1819. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने इन राज्यों के समाचार पत्रों में पालेकर अवार्ड को क्रियान्वित करने की समस्या की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की समितियों का ब्यौरा क्या है और इन समितियों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है तथा इन समितियों के ध्यान में लाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इन राज्यों में पत्रकारों के लिए पालेकर अवार्ड के समुचित क्रियान्वयन में अब तक प्राप्त परिणाम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है । उड़ीसा सरकार ने ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है । इस सम्बन्ध में त्रिपुरा सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा गठित की गई समिति के ब्यौरे अनुबन्ध-I पर संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं ; चूंकि यह समिति राज्य सरकार, जोकि कार्यान्वयन के लिए उचित सरकार है, के प्रति उत्तरदायी है इसलिए यह विचार किए जाने वाले मामलों के बार में केन्द्रीय सरकार को सूचना नहीं भेजती रही है ।

(ग) इन राज्यों में कार्यान्वयन की स्थिति, जैसे कि राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई है, संलग्न विवरण-2 में दी गई है ।

विवरण 1

पालेकर अधिकरण की सिफारिशों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित की गई समिति के ब्यौरे ।

1. श्री अधीर चक्रवर्ती,
प्रेस एवं सूचना सलाहकार,
सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार । अध्यक्ष

2.	श्री ए० के० मुखर्जी, सहायक श्रमायुक्त, श्रम निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार ।	सचिव
3.	श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
4.	सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ; पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
5. से 10.	इन्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी (आई० ई० एन० एस०) के छः प्रतिनिधि ।	सदस्य
11—12	वेस्ट बंगाल न्यूजपेपर एम्पलाइज फेडरेशन के दो प्रतिनिधि ।	सदस्य
13—14.	इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि ।	सदस्य
15—16.	वेस्ट बंगाल नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्टस के दो प्रतिनिधि ।	सदस्य

विवरण—2

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सिफारिशों को कार्यान्वित करने वाले प्रतिष्ठान	सिफारिशों को कार्यान्वयन न करने वाले प्रतिष्ठान	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल	1. दि जयान्तर लि०	1. इकोनामिक्स टाइम्स – मामला न्यायालय में	
		2. अमृत बाजार पत्रिका (पी) लि०'	2. दैनिक आकर्षण इनके पास कोई नियमित पत्रकार या गैर पत्रकार नहीं है	
		3. आनन्द बाजार पत्रिका'		
		4. सवमार्ग हिन्दी डेली		
		5. विश्वमित्र हिन्दी डेली		
		6. सत्यजुग पब्लिकेशन्स (पी०लि०)'		

1	2	3	4	5
		7. दि गाजी	3. मालन्तर पत्रिका	
		8. दि आजाद हिन्द डेली उर्दू	4. गणशक्ति	
		9. दि डेली नव प्रभात	5. जनानिया बंगाल	
		10. देश प्राण पंजाबी डेली	6. गाजी उर्दू डेली	
		11. दि बसुमति कारपोरेशन लि०	7. आवशार उर्दू डेली	
		12. दि स्टेट्समैन	8. लोक सेवक	
		(शेष 14 लघु प्रतिष्ठानों का अभी निरीक्षण किया जाना है)		
2.	उड़ीसा	1. प्रजातंत्र*		
		2. दि समाज		
		3. दि मातरभूमि		
		4. दि धारित्री*		
		5. दि प्रगतिबादी'		
		6. दि न्यूज आफ दि वर्ल्ड		
		7. दि स्वराज्य'		
3	त्रिपुरा	राज्य में किसी भी समाचार-पत्र द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य में सिफारिशों को कार्यान्वित करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।		

' बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

* पालेकर अधिकरण की सिफारिशों को आंशिक रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

जाली औद्योगिक इकाइयां

1820. श्री नवीन रवाणी :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सैकड़ों जाली औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र तक राज्य औद्योगिक विभागों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(घ) दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) राज्यों और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अभिकरणों में पंजीकृत औद्योगिक एककों के कार्य-निष्पादन की संवीक्षा पंजीयक प्राधिकारी द्वारा समय समय पर की जाती है। यदि ऐसा पाया जाता है कि एकक ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है अथवा ऐसी परिस्थितियों से ऐसा ज्ञात होता है तो एकक का नाम पंजीकृत एककों की सूची में से हटा दिया जाएगा।

असम में दुर्भावना के साथ प्रवेश करने वाले विदेशी राष्ट्रिक

1821. श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्री ने कहा है कि ऐसे विदेशी राष्ट्रिकों को, जिन्होंने दुर्भावना तथा बुरी नीयत से असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश किया है देश से बाहर निकाल दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त राज्य में कुछ विदेशी राष्ट्रिकों की गतिविधियों को सरकार विरोधी पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कोहिमा में एक समाचार सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि वास्तविक भारतीय राष्ट्रिकों को विदेशियों के नाम पर बाहर नहीं निकाला जाएगा और विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाया जाएगा और उन्हें देश से निकाला जाएगा।

(ख) और (ग) सरकार मामले के प्रति सतर्क है। घुसपैठियों का निरन्तर पता लगाने के अतिरिक्त विशिष्ट मामलों में सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य

1822. श्री अजीत कुमार मेहता : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन में व्याप्त स्थितियां इस संगठन के उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक न होंगी तथा कुछ वैज्ञानिकों सहित अधिकारी गण बाहर की औद्योगिक इकाइयों में लगे लोगों को इसकी तकनीकी जानकारी एवं प्रोद्योगिकी देने में भी लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं केन्द्रीय वैधानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ़ ने उपकरणन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षमताएं और आधारभूत संरचना विकसित की है और कई उपलब्धियों का श्रेय इसे प्राप्त है, संस्थान की अनुसंधान परियोजनाएं इसकी अनुसंधान परामर्शी परिषद/कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जाती हैं तथा समय समय पर इसकी समीक्षा यह देखने के लिए की जाती है कि ये राष्ट्रीय लक्ष्यों व प्राथमिकताओं के और सी० एस० आई० आर० द्वारा निर्दिष्ट दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) और नेशनल रिसर्च एण्ड डवलेपमेंट कॉर्पोरेशन (एन० आर० डी० सी०) के बीच करार के संदर्भ में यह कहना है कि कि सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं, जैसे सी० एस० आई० ओ०, चण्डीगढ़ में विकसित अविष्कारों, पेटेण्टों और तकनीकी व इन्जीनियरी "जानकारी" पर अधिकार, केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां विशेष कारणों से सी० एल० आई० आर० के महानिदेशाक, एन० आर० डी० सी० के अध्यक्ष के परामर्श से इस करार की सीमा से अलग रखने का निर्णय लेते हैं, उद्योग को विमोचित करने के लिए एन० आर० डी० सी० को सौंपे जाते हैं, केवल बहुत थोड़े प्रक्रमों को छोड़कर सी० एस० आई० ओ० को कोई भी प्रक्रम प्रत्यक्ष विमोचन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योगों की समस्याएं और सुविधाएं

1823. प्रो० अजीत कुमार मेहता :
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री वी० डी० सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे माल की वसूली, डिजाइन, विकास, सुधरे हुए औजार तथा उपकरण और उत्पादों के विपणन के सम्बन्ध में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) उत्पादों और विपणन के विकास में बाधाओं को, यदि कोई हैं, दूर करने की दृष्टि से सरकार ने ग्रामीण उद्योगों को हो रही कठिनाइयों के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) ग्रामीण उद्योगों (22 प्रकार के पारंपरिक उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों की) विकास की देख रेख खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बहुत विस्तृत आधार पर ग्रामीण छोटे और लघु उद्योगों का विकास करना है, 1978-79 से चालू किया गया है। यह उद्यमियों को कच्चा माल दिलवाने और उत्पादन को बिकवाने में उनकी मदद करके और सेवा करके ग्रामीण उद्योगों की सहायता करता है, विभिन्न धंधों में प्रशिक्षु वृत्ति देकर जिला उद्योग केन्द्र विद्यमान और भावी कामगारों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है और प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को औजार किट 100% राजसहायता आधार पर जो अधिकतम 500 रु० तक सीमित है उपलब्ध कराए जाते हैं। कामगरों को कार्यशाला स्थापित करने और मशीनें खरीदने के लिए भी राज सहायता दी जाती है। डिजाइन विकास के सम्बन्ध में, उत्पाद विकास के लिए लघु उद्योग विकास संगठन के अधीन विद्यमान सुविधाएं, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, लघु उद्योग सेवा संस्थान शाखाओं और विस्तार केन्द्र तथा साथ ही साथ प्रक्रिया-सह-उत्पाद विकास केन्द्र के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों को उपलब्ध हैं। के०वी०आई०सी० ने कपास, ऊन, खाद्य और तेलों के तिलहन कमचियों और छालें स्प्लिंट्स एवं विनीयर्स के लिये कच्चे माल का बैंक खोला है। के. वी. आई. सी. की सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण उद्योगों को कच्चा माल स्टाक करने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर चालू पूंजी ऋण दिये जाते हैं और खादी ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता बदलती हुई मांगों के अनुरूप वस्तुएं बनाने के लिए आयोग प्रशिक्षण देता है। डिजाइन विकास, उत्पादकता में सुधार श्रम को घटाने तथा कारीगरों की आय बढ़ाने के लिये आयोग अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अन्तर्गत शोध और विकास कार्य भी करता है। खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन में सहायता के उद्देश्य से आयोग ने वितरण प्रणाली का जाल बिछाया है जिसमें देश के महानगरों में दर्जन भर खादी ग्रामोद्योग भवन तथा 3500 खादी ग्रामोद्योग भवन व उत्पादन स्थलों पर 7500 बिक्री केन्द्र हैं। ग्रामीण उद्यमियों की समस्याओं का अध्ययन के० वी० आई० सी० और जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा निरन्तर किया जाता रहता है तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने के तरीके भी खोजे जाते हैं।

दक्षिण में पटाखे बनाने वाली फैक्टरियों में आग तथा विस्फोट के कारण मौतें

1824. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आग तथा विस्फोट के कारण दक्षिण में पटाखे बनाने वाली फैक्टरियों में प्रति वर्ष अनेक मौतें होती हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी मौतों तथा फैक्टरियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे मामलों में सरकार तथा फैक्टरी स्वामियों द्वारा कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) ऐसी दुर्घटनायें कम से कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सम्बंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली वार्षिक योजना-1982-83 का पुनरीक्षण

1825. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**
श्री भीकू राम जैन :
श्री श्री एच० के० एल० भगत : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिए वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना को पुनरीक्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत औद्योगिक क्षेत्र, कृषि, गृह निर्माण तथा शहरी विकास, मल व्ययन के सुधार, अस्पताल, सड़क तथा पुल निर्माण और शिक्षा के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग और दिल्ली के उप राज्यपाल के बीच विचार-विमर्श के बाद दिल्ली की 1982-83 की वार्षिक योजना को हाल ही में 200 करोड़ रु० की राशि के साथ अंतिम रूप दिया गया है । इस राशि के योजना आकार में कृषि और सबद्ध सेवाओं के लिए 423.45 लाख रु० विद्युत के लिए 3140 लाख रु० उद्योग और खनिज के लिए 597.50 लाख रु०, सड़कों और पुलों के लिए 3280 लाख रु., सामान्य शिक्षा के लिए 2077 89 लाख रु०, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए 1620 लाख रु०, मल व्यवस्था और जल-पूर्ति के लिए 2842 लाख रु० तथा आवास और शहरी विकास के लिए 3543 लाख रु० की व्यवस्था की गई है ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारियों/विभागीय परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना

1826. श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग अनुभाम अधिकारियों/विभागीय परीक्षाओं का परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं करता, जबकि अन्य परीक्षाओं के मामले में ऐसा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें समाचारपत्रों में प्रकाशित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) अनुभाग अधिकारियों के विभागीय परीक्षा शुरू किए जाने का आधार क्या था; यह किस वर्ष से शुरू हुई और अनुभाग अधिकारी की परीक्षा में प्रतियोगिता में सफल होने वाले आशुलिपिकों का अनुपात क्या रहा है;

(घ) आशुलिपिकों को चयन ग्रेड दिए जाने का आधार क्या है और क्या इसके लिए कोई प्रतिशतता निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा गत्यावरोध दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान । आयोग द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं की तरह ही अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक (ग्रेड 'ख' । ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षण के परिणामों वाले प्रेस नोट की प्रतियां आयोग द्वारा प्रेस सूचना ब्यूरो को भेजी जाती हैं। ब्यूरो इन परिणामों को प्रकाशन के लिए देश के विभिन्न समाचर पत्रों को भेजता है । परिणाम की प्रतियां प्रकाशन के लिए रोजगार समाचार को भी भेजी जाती हैं ।

(ग) इस परीक्षा को शुरू करने का आधार युवा तथा उत्कृष्ट सहायकों को तेजी से पदोन्नति के अवसर प्रदान करना था । प्रथम परीक्षा 1955 में ली गई थी। सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1960 के परिणामों के आधार पर अन्तिम रूप से सफल घोषित किए गए 215 उम्मीदवारों में से 93 आशुलिपिक थे ।

(घ) तथा (ङ) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'ग' में प्रगतिरोध को देखते हुए, इसमें एक चयन ग्रेड लागू किया गया है । चयन ग्रेड की पद संख्या प्रत्येक विकेन्द्रीकृत संवर्ग की स्वीकृत पद संख्या का 20 प्रतिशत है । चयन ग्रेड के सृजन के अतिरिक्त सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) निदेशक (2000-2250 रुपये) तथा संयुक्त सचिव (2500-2750 रुपये) के बीच के मध्य स्तर के अधिकारियों को ग्रेड 'ग' आशुलिपिक के स्थान पर ग्रेड 'ख' आशुलिपिक दिए गए हैं।

(2) पांच वर्ष की नियमित अनुमोदित सेवा वाले ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को सहायकों के साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है।

वर्ष 1981-82 में विभिन्न राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों को सप्लाई किया गया सीमेंट

1827. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघशासित प्रदेशों को वर्ष 1981-82 में कुल कितने सीमेंट की सप्लाई की गई ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्माण कार्यों तथा चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उड़ीसा कर्नाटक, केरल तथा राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों को अपनी चल रही विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण तेजी से करने के लिए वर्ष 1982-83 में सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री(श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981-82 के प्रथम दस महीनों में राज्य श्रेणी के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 1,36,38,171 मी० टन सीमेंट का प्रेषण किया गया।

(ख) उड़ीसा, कर्नाटक, केरल तथा राजस्थान राज्यों सहित देश में सीमेंट की सामान्य कमी है। इस हद तक इन राज्यों में भी निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

(ग) और (घ) दुहरे मूल्यों तथा 28.2.1982 से सीमेन्ट से आंशिक नियंत्रण हटने से सम्बद्ध सीमेंट के मूल्य तथा वितरण के बारे में घोषित नीति तथा वर्ष 1982-83 के दौरान अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न होने से विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1982-83 की अवधि में देश में सीमेंट की उपलब्धता स्थिति में सुधार होने की आशा है।

साम्प्रदायिक तथा जातीय एकता के लिए होमगार्ड को सुदृढ़ बनाया जाना

1828. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव साम्प्रदायिक तथा जातीय एकता बनाये रखने के लिए विभिन्न राज्यों में होमगार्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय योजना शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई योजना वित्तीय वर्ष 1982-83 में शुरू करने का विचार है ; और

(ग) साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने हेतु विभिन्न राज्यों को भेजे जाने वाले मार्गदर्शी निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : होमगार्ड राज्य होमगार्ड अधिनियम के अधीन बनाया गया एक स्वयंसेवी बल है। साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा में प्रशासन की सहायता करना उनको सौंपे गए कार्यों में से एक है जिसको वे पहले ही निष्पादित कर रहे हैं। जब कभी राज्य सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए उनको बुलाया जाता है। अतः राज्यों में साम्प्रदायिक तथा जातीय एकता बनाए रखने के लिए होमगार्ड को सुदृढ़ बनाने के लिए एक केन्द्रीय योजना शुरू करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निम्नलिखित आधार पर होमगार्ड के सम्बन्ध में राज्यों को पहले ही मार्गदर्शी निर्देश जारी कर दिए गए है :

(1) होमगार्ड का साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और नियंत्रित करने तथा समाज के कमजोर वर्गो की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता के लिए उपयोग करना ।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय अल्पसंख्यक वर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का होमगार्ड संगठन में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व होता है ।

(3) साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस के साथ उनको अधिक संख्या में तैनात करना।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन नीति

1829. श्री बी० वी० देसाई : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की आर्थिक सक्षमता में सुधार करने की दृष्टि से उनकी उत्पादन नीति में सुधार लाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह निर्णय इन संयंत्रों के लाभ तथा उत्पादन क्षमता दोनों रूपों में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण में धीरे-धीरे हो रही कमी को दूर करने के लिए लिया था ; और

(ग) नई उत्पादन नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस योजना से किस सीमा तक लाभ हुआ है और इस्पात संयंत्रों की कार्यक्षमता में कहां तक सुधार हुआ है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) पिछले 2 वर्षों से सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार हो रहा है । 1981-82 के चालू वर्ष में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 57 लाख टन होने की संभावना है जबकि 1980-81 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन 47 5 लाख टन हुआ था । अब से उत्पादन की नीति यह होगी कि इस्पात कारखानों का उत्पादन कार्यक्रम मांग के साथ मेल खा सके । इसलिए सकल टनभार उत्पादन पर बल न देकर प्राडक्ट-मिक्स पर बल दिया जायेगा जिससे देश में विभिन्न प्रकार के इस्पात की मांग पूरी की जा सके । इस नीति के परिणाम कालान्तर में दृष्टिगोचर होंगे ।

बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन

1830. **श्री बी०वी० देसाई :**
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट :
श्री राजेश कुमार सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ था और वर्ष 1981-82 में यह कितना अधिक था ;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1980-81 के दौरान इस्पात उत्पादन हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए इस्पात उत्पादन का लक्ष्य क्या था ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के पांच इस्पात कारखानों की स्थिति नीचे दी गई है :—

(हजार टन)

वर्ष 1980-81 का उत्पादन	वर्ष 1981-82 का उत्पादन	वर्ष 1980-81 का उत्पादन	वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 का अन्तर
	अप्रैल, 81 से जनवरी, 82 तक	अप्रैल, 80 से जनवरी, 1981	(प्रतिशत)
4746*	4514*	3708*	(+) 22 (लगभग)

*बोकारो से राउरकेला को अन्तरित किए गए गर्म बेलित क्वायल और भिलाई इस्पात कारखाने के इस्को में बेलन के लिए अन्तरित किये गए बिलेट शामिल नहीं हैं।

(ग) चालू वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य वर्ष के आरम्भ में 57.3 लाख टन निर्धारित किया गया था। सितम्बर, 1981 में इस धारणा के आधार पर कि वर्ष की शेष अवधि में अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धि और अच्छी हो जायेगी, इस लक्ष्य में संशोधन करके इसे बढ़ाकर 63 लाख टन कर दिया गया था। चूंकि यह धारणा पूरी नहीं हो सकी अतः सभी व्यावहारिक कार्यों के लिए कारखानों का उत्पादन कार्यक्रम 57.3 लाख टन के आरम्भिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बना रहा।

बजाज स्कूटरों की मांग

1831. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बजाज और प्रिया स्कूटरों की भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में जनवरी, 1982 तक डीलर-वार डिलीवरी, बुकिंग तथा डिलीवरी हेतु कोटे की संख्या क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) बुक किए गए क्रयादेशों और सम्भरण के लिए बकाया मामलों के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 3466/82] निर्माताओं ने बताया है कि अन्य बातों के साथ-साथ अनुमानित उत्पादन, लम्बित क्रयादेशों, गत समय में किये गये सम्भरणों, प्रतीक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए त्रैमासिक आधार पर डीलरों को वास्तविक आवंटन किया जाता है।

स्कूटरों की मांग और उत्पादन

1832- श्री सोमजी भाई डामोर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो पहिया स्कूटरों की भारी कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के दो पहिया स्कूटरों की मांग क्या थी ;

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1978-79, 1979-80, और 1980-81 के दौरान विभिन्न किस्म के दो पहिया स्कूटरों का कितना उत्पादन हुआ ; और

(ङ) इन स्कूटरों की सरल डिलीवरी के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) यद्यपि बजाज और प्रिया स्कूटरों के लिए बड़ी प्रतीक्षा सूची है लेकिन अन्य मेक के स्कूटर आसानी से उपलब्ध हैं ।

(ग) योजना आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कार्यकारी दल के मोटर गाड़ी और सम्बद्ध उद्योगों सम्बन्धी उप-दल ने अनुमान लगाया है कि 1981-82 में स्कूटरों सहित सभी प्रकार की दो पहिये वाली गाड़ियों की मांग 5,41,000 नग होगी । इसमें से केवल स्कूटरों की मांग लगभग 2,46,000 नग होने का अनुमान था ।

(घ) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार की दो पहिया गाड़ियों का उत्पादन जैसा निर्माताओं ने बताया है, निम्न प्रकार हुआ है :—

(उत्पादन नग में)

	1978-79	1979-80	1980-81
स्कूटर	1,75,203	1,55,445	2,13,068
मोपेड	47,595	71,822	1,29,894
मोटर साइकिलें	87,427	91,108	1,04,164

(ङ) दो पहिये के स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड द्वारा क्षमता 80,000 नग से बढ़ाकर 1,60,000

नग तक करने के लिए पर्याप्त विस्तार हेतु मंजूरी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-मेसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को पुनः स्थापन और आधुनिकीकरण के लिए और उत्पादन में वृद्धि करने हेतु धन का प्रावधान सम्मिलित है।

मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स लि० द्वारा प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन

1833. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स लि० के अंशधारियों को प्राथमिकता के आधार पर लाटरी निकाल कर स्कूटरों का आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे असफल अंशधारियों की क्रमशः संख्या क्या है जिनके पास 35,50 और इससे अधिक शेयर हैं ;

(ग) क्या उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इसके कर्मचारियों तथा डीलरों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन करने का मापदण्ड क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड ने बताया है कि कम्पनी के आरम्भिक शेयरधारियों को जैसा जनता को शेयरों की बिक्री के समय विवरण पुस्तिका में बताया था प्रिया स्कूटरों के प्राथमिक आवंटन के लिए एक योजना के अधीन।

आरम्भिक शेयरधारियों को 12,000 स्कूटरों का प्राथमिक आवंटन किया गया था। 12,318 आरम्भिक शेयरधारियों ने प्रिया स्कूटरों के आवंटन के लिए विकल्प दिया था। विवरण पुस्तिका में दी गई शर्तों के अनुसार लाटरी निकालकर प्राथमिकता के आधार 12,000 शेयरधारियों को कम्पनी ने स्कूटर आवंटित किये थे तथा 318 आरम्भिक शेयरधारी प्राथमिकता के आधार पर आवंटन प्राप्त करने में असफल रहे थे। असफल शेयरधारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि विवरण पुस्तिका में दी गई योजना के अनुसार 12,000 स्कूटरों का ही आवंटन किया जाना था।

(ङ) निर्माताओं ने बताया है कि कम से कम तीन वर्ष की सेवा वाले स्थायी कर्मचारी जिसका मूल वेतन 500 रु० और इससे अधिक है, के मामले पर प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर के आवंटन के लिए विचार किया जाता है। निर्माताओं द्वारा अपने डीलरों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर आवंटित नहीं किये जाते हैं।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों द्वारा उद्योगों की स्थापना किया जाना

1834.श्रीमती जयंती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में बड़े और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार गृहों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े उड़ीसा जैसे राज्य में जहां प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, औद्योगिक विकास खनिज पर आधारित उद्योग पर निर्भर है, जो पूंजी प्रधान है तथा जब तक निवेश के लिए बड़ी राशि के साथ किसी बड़े घराने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता तब तक यहां विकास नहीं हो सकता; और

(ग) क्या वे ओद्योगिकीकरण की दिशा में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु बड़े घरानों को लाइसेंस दिए जाने की नीति में उदारता अपनाए जाने पर विचार करेंगे ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये पिछड़े क्षेत्रों तथा औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने की प्राथमिकता दी जाती है। यह प्राथमिकता एम०आर०टी०पी०/फेरा तथा गैर एम०आर०टी० पी० एवं गैर-फेरा कम्पनियों के लिये भी उपलब्ध है। तथापि, एम०आर०टी०पी० तथा फेरा कम्पनियों प्रैस टिप्पण दिनांक 2 फरवरी, 1973 के परिशिष्ट-I में सम्मिलित उद्योगों की स्थापना करने की पात्र हैं। अन्य क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये उन्हें लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित न होने वाली वस्तु के लिये 60 प्रतिशत तथा लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित वस्तु के लिये 75 प्रतिशत तक निर्यात का उत्तर दायित्व लेना पड़ता है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनेक रियायतें तथा सुविधाएं भी दी जाती हैं। इनमें केन्द्रीय निर्देश राजसहायता रियायती दर पर वित्त कम ब्याज दर पर प्रारम्भिक सीमान्त धन राशि आय कर में छूट लघु एककों द्वारा किराया खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद को अधिमान एवं परामर्श संबंधी व्यवस्था आदि शामिल है।

चन्दाका न्यूक्लीय औद्योगिक काम्पलैक्स, उड़ीसा

1835. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन पिछड़े क्षेत्रों में जहां न्यूक्लीय औद्योगिक काम्पलैक्स की स्थापना की जा रही है, आधारभूत ढांचे का विकास किया जाना वास्तव में जरूरी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार न्यूक्लीय काम्पलेक्सों में ऐसे आधारभूत ढांचे की विकास की लागत को पूरा करने के लिए राज्य को धन का आवंटन करेंगी;

(ग) क्या उड़ीसा के चन्दाका न्यूक्लीय औद्योगिक काम्पलेक्स के आधारभूत ढाचे संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु केन्द्रीय अनुदान देने के लिए कार्यकारी दल ने सिफारिश की है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों को यह अनुदान कब उपलब्ध कराया आएगा ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिए पता लगाए गए जिलों/क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न विभेदक प्रोत्साहनों तथा रियायतों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

कृतिक बल ने चाडंक के लिए सिफारिश की है कि प्रथम चरण में विकासमीन अवस्थापना की लागत लगभग 10.00 करोड़ रुपये होगी ।

उड़ीसा में संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

1836. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में कुछ कागज संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या उड़ीसा में कागज संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी दिए जाने के लिए उड़ीसा सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का वर्ष 1982-83 में उड़ीसा में कागज संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्थाव है ; और

(घ) इस संबंध में स्थान तथा अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकारी क्षेत्र का उद्यम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० छठी योजनावधि में असम और नागालैंड में सरकारी क्षेत्र में तीन समेकित लुग्दी और कागज मिलों की स्थापना करने में सक्रिय रूप से संलग्न है ।

(ख) उड़ीसा के बोलनगीर जिले में 50,000 मी० टन वार्षिक क्षमता वाली एक समेकित लुग्दी और कागज मिल की स्थापना के लिए ईण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० से एक आवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से दीर्घावधि आधार पर कच्ची सामग्री की लगातार आपूर्ति करते रहने संबंधी आश्वासन न मिलने के कारण आवेदन पर विचार करना आस्थगित कर दिया गया है।

लाइसेंस जारी करना

1837. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान क्षेत्रवार, राज्यवार और वर्षवार कितते औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ;

(ख) पिछड़े क्षेत्रों या बहुत पिछड़े राज्यों में उपयुक्त अवधि के दौरान उद्योग खोलने के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए ;

(ग) क्या लाइसेंस जारी करते समय औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को प्राथमिकता दी गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस देने संबंधी सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असन्तुलनों को ठीक करना तथा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करना है। जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में इस उद्देश्य पर जोर दिया गया है तथा विशेष रूप से बताया गया है कि सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव और एककों की स्थापना करने पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।

इस संदर्भ में, सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक अभ्युपाए किए है। सरकार अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने वाले को वरीयता देने वाले आवेदन पत्रों पर विशेष ध्यान देती है। यह भी निर्णय लिया गया है कि "विना उद्योग बाले जिलों" में स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेमों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर अन्य सभी स्थापना स्थलों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की अपेक्षा अधिक अधिमानता दी जाएगी।

विवरण

वर्ष 1980, 1981 और जनवरी, 1982 के दौरान जारी किए गए कुल औद्योगिक लाइसेंसों की क्षेत्रवार, राज्यवार सं० (क) तथा पिछड़े क्षेत्रों के अंश का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र/राज्य	स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की सं०					
	1980		1981		जनवरी, 1982	
	कुल	पिछड़े क्षेत्रों का अंश	कुल	पिछड़े क्षेत्रों का अंश	कुल	पिछड़े क्षेत्रों का अंश
1	2	3	4	5	6	7
अखिल भारतीय	475	147	476	165	44	16
उत्तरी क्षेत्र	62	21	72	28	6	—
जम्मू व कश्मीर	1	1	3	3	1	—
पंजाब	18	8	17	6	1	—
हिमाचल प्रदेश	2	1	1	1	1	—
राजस्थान	15	9	26	14	1	—
हरियाणा	20	2	22	4	2	—
चण्डीगढ़	1	—	1	—	—	—
दिल्ली	5	—	2	—	—	—
केन्द्रीय क्षेत्र	48	15	39	17	4	1
मध्य प्रदेश	18	10	15	11	—	—
उत्तर प्रदेश	30	5	24	6	4	1
पश्चिम क्षेत्र	194	51	197	56	18	7
दादरा व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
गोवा, दमन व दीव	3	2	5	5	1	1
गुजरात	85	27	78	26	3	1

1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	107	22	114	25	14	5
पूर्वी क्षेत्र	35	13	49	15	3	—
बिहार	4	2	10	1	1	—
उड़ीसा	8	5	5	3	—	—
पश्चिमी बंगाल	23	6	34	11	2	—
दक्षिणी क्षेत्र	130	45	110	44	12	8
आन्ध्रप्रदेश	42	15	39	19	3	2
कर्नाटक	40	14	25	7	1	—
केरल	11	3	15	7	1	1
पांडिचेरी	—	—	1	1	—	—
तमिलनाडु	37	13	30	10	7	5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	5	1	5	3	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
आसाम	5	1	4	2	—	—
मणिपुर	—	—	1	1	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	—	—	—	—	—
सिक्किम		—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—

महाराष्ट्र में सीमेंट का वितरण

1838. **श्री प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में केन्द्र से तदर्थ आधार पर सीमेंट के आवंटन में से सीमेंट का वितरण, राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना के द्वारा विहित कार्यविधि के आधार पर ठीक ढंग से नहीं किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र इस बात को सुनिश्चत करेगा कि केन्द्र द्वारा भेजे गए सीमेंट के तदर्थ कोटे में से महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीमेंट के वितरण के मामले में इसके द्वारा अधिसूचित कार्यविधि का ठीक ठीक पालन किया जायेगा ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट में नियंत्रक प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक राज्य को सीमेंट का इकठ्ठा आवंटन करता है । थोड़ा सा परिमाण आरक्षित होता हैं जिसमें से सिंचाई और विद्युत विभाग को और लघु उद्योगों को अलग अलग आवंटन किया जाता है । आधारित सीमेंट नियतन के साथ साथ सीमेंट नियंत्रण द्वारा तदर्थ सीमेंट का आवंटन भी राज्यों को समय समय पर किया जाता है । राज्य के आधारित आवंटन से और तदर्थ आवंटन से राज्यों में सीमेंट का वितरण राज्य स्वविवेक से करते हैं जिसमें सिंचाई और विद्युत विभाग तथा लघु उद्योग क्षेत्र का आरक्षित परिमाण भी होता है । केन्द्र सरकार ने कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं दिए हैं ।

पालेकर अवार्ड

1839. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1981 में सभी राज्य सरकारों को उन समाचार पत्रों की सूची देने के निर्देश दिए थे जिन्होंने पालेकर अवार्ड को क्रियान्वित नहीं किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार सूची क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को दोषी समाचार पत्रों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं, यदि हाँ, तो राज्यवार कितने समाचार पत्रों पर मुकावले चलाए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन छोटे एककों को पालेकर अवार्ड क्रियान्वित करने से मुक्त रखने का है जिनके पास सात से कम कर्मचारी हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा 1981-82 के दौरान भेजी गई सूचना दी गई है :

(ग) जी, हां। राज्य सरकारों द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही के बारे में उपलब्ध सूचना उक्त विवरण में दर्शाई गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3467/82]

(घ) जी, नहीं।

गल्फ देशों के लिए भर्ती करने वाली एजेंसियों के कार्यकरण को नियमित करना

1840. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचार उन गैर सरकारी एजेंसियों के कार्यकरण को नियमित करने का है जो गल्फ देशों में रोजगार के लिए श्रमिक भर्ती करने का काम रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) उत्प्रवास विधेयक को अतिन्म रूप दिया जा रहा है।

फ्रांसीसी फर्मों के मुकाबले में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1841. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के "इलैक्ट्रिक ड्राॅइव सिस्टम" की सप्लाई के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का मुकाबला एक फ्रांसीसी फर्म और अनेक अन्य यूरोपीय सप्लाईकर्ताओं से है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में सुस्थापित युक्तियुक्त क्षमताओं के बावजूद ऐसा किए जाने के क्या कारण है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न का संकेत इलैक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम्स से है जो बेलन मिल के संघटक हैं। प्रथम बेलन मिल के लिए विश्व आधार पर सीमित निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। पेशकशों का मूल्यांकन करते समय राष्ट्रीय क्षमताओं पर अनिवार्यत: उचित ध्यान दिया जाता है।

पश्चिम बंगाल सरकार का दुर्गापुर में एक स्टेनलैस स्टील रोलिंग मिल स्थापित करने का प्रस्ताव

1842. **श्री नरेश घोष** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गापुर में एक स्टेनलैस स्टील रोलिंग मिल स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उनके लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने 4 वर्ष पूर्व प्रस्तावित रोलिंग मिल के शीघ्र निर्माण के लिए एक निकाय बनाया था ;

(घ) यदि हाँ, तो परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है और निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) और (ङ) सरकार ने यह प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया था कि (i) इस्पात के बेलन के लिए पहले ही पर्याप्त क्षमता है और (ii) इस उद्योग में क्षमता का उपयोग कम है ।

गुजरात सरकार के गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम का केन्द्रीय सरकार से स्पंज आयरन परियोजना की स्थापना के लिए अनुरोध

1843. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार के गुजरात औद्योगिक पूंजी-निवेश निगम ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह प्राकृतिक गैस और "आयरन आक्साइड पैलेट्स" पर आधारित एक स्पंज लोह परियोजना की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करे ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात मन्त्रालय ने गुजरात औद्योगिक पूंजी निवेश निगम के आवेदन को व्यर्थ ही योजना आयोग को भेज दिया है ; जबकि भारत सरकार ने आवश्यक गैस की उपलब्धता की पुष्टि कर दी थी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कुल मुद्दों पर योजना आयोग की सलाह लेनी आवश्यक समझी गई थी । आशय-पत्र के लिए गुजरात औद्योगिक पूंजी-निवेश निगम का प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, लखनऊ के एक वैज्ञानिक के साथ हाथापाई

1844. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, लखनऊ के एक वैज्ञानिक को, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान से पृथक हो गए एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा 2 नवम्बर, 1981 को हाथापाई की गई थी ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि लखनऊ स्थित उस संगठन के वैज्ञानिकों की एसोसिएशन ने असुरक्षा का अनुभव करते हुए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रसाशन द्वारा कोई कार्यवाही न की जाती देखकर तथा अधिकारियों की सुरक्षा को सुनिश्चत किए जाने पर जोर देने हेतु, उसके बाद एक दिन का सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया था ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, संस्थान कर्मचारी एसोसिएशन, लखनऊ के आवंटित कमरे को 10 अक्तूबर, 1981 को उपर्युक्त अलग हुए ग्रुप के सदस्यों द्वारा तोड़ दिया गया था और उस पर बलात कब्जा कर लिया गया था ; और

(घ) कार्यालय के अन्दर वैज्ञानिकों तथा अन्य अधिकारियों की सुरक्षा को सुनिश्चत करते हुए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के लिए और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कर्मचारी एसोसिएशन को आवंटित कमरे का कब्जा वहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लखनऊ कार्यालय के दो अधिकारियों के बीच हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर को लेकर 3 नवम्बर, 1981 को विवाद हुआ था पटना में केवल दो व्यक्ति शामिल थे । लेकिन, उस पर कुछ वैज्ञानिक अधिकारियों ने एक दिन की सामूहिक आकस्मिक छुट्टी ले ली । यह सही नहीं है कि इस घटना के कारण जी. एस. आई. के लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों का कोई समूह असुरक्षित महसूस कर रहा है ।

(ग) और (घ) जी० एस० आई० कर्मचारी एसोसिएशन के एक समूह द्वारा लखनऊ में एसोसिएशन के कार्यालय कक्ष पर कब्जा करने की रिपोर्ट मिली है । व्यथित पार्टी द्वारा पुलिस में रपट दर्ज कराई गई है ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध

1845. **श्री हरिहर सोरन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों को शिक्षा संस्थानों के प्रांगणों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखायें आयोजित किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा देने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने उक्त सलाह को क्रियान्वित किया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है, यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं ; और

(घ) उक्त निर्णय क्रियान्वित कराने हेतु उन राज्यों को क्या मार्गदर्शी निदेश भेजने का विचार है और ये निदेश कब भेजने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) साम्प्रदायिक तनाव कम करने और साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे पार्कों, स्कूल भवनों इत्यादि जैसे विशेष सार्वजनिक स्थानों में, विशेषतः ऐसे क्षेत्रों में जो साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील अथवा साम्प्रदायिक दंगों के लिए प्रवृत्त जाने जाते हैं, कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा लगाने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में विचार करें। बाद में, उत्तर प्रदेश तथा केरल की सरकारों द्वारा जारी किये गये कुछ आदेशों/अधिसूचनाओं और असम विधि व व्यवस्था बनाये रखना अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी वे सार्वजनिक स्थानों और सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा लगाने के लिए केरल संशोधन की रूप रेखा पर अपने-अपने पुलिस अधिनियमों में संशोधन करने या सदृश्य राज्य अधिनियम, यदि कोई हो, में असम सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखना अधिनियम की धारा 7 के संशोधन में कोई सदृश्य उपबन्ध समाविष्ट करने अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों/अधिसूचनाओं की रूपरेखा पर अनुदेश जारी करने के सम्बन्ध में विचार करें। इन सुझावों के सन्दर्भ में आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकार ने बताया है कि वे इस मामले से अवगत हैं। कर्नाटक और मणिपुर की राज्य सरकारों ने सूचित किया हे कि इस विषय पर कानून बनाने का प्रश्न उनके ध्यान में है हरियाणा के मामले में, राज्य सरकार इस समय राज्य में प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं समझती। तथापि, जब स्थिति के लिए जरूरी होता है तो राज्य सरकार उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए सजग है। जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने कहा है कि जब उन्होंने आवश्यक समझा, अधीनस्थ प्राधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश दिये गए हैं। मेघालय राज्य सरकार समझती है कि मेघालय सरकार द्वारा यथा अपनाये गये असम सार्वजनिक बनाये रखना अधिनियम, 1953 के परन्तुक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। नागालैंड सिक्किम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने भी इन सुझावों पर विचार किया है और उनका विचार है कि इस सम्बन्ध में इस समय किन्हीं विशिष्ट उपायों की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आवश्यकता पड़ने

पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाने के लिए शक्तियां प्राप्त कर ली हैं । गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि बम्बई पुलिस अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए ऐसी शाखाओं को रोकने अथवा उन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करता है। बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायते इस्लामी, आनन्द मार्ग और अन्य ऐसे संगठनों को अनुमति प्रदान न करने का निर्णय किया है ।

(घ) विधि व व्यवस्था राज्य का विषय है । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिया गया सुझाव सलाह के रूप में है । राज्य सरकारों के स्थिति के अपने मूल्यांकन को ध्यान में रख कर इस मामले में कोई निर्णय लेना उनका काम है ।

आणविक संलयन से विद्युत बनाने की परियोजनाओं की स्थापना

1846. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आणविक संलयन से अपेक्षाकृत कम खर्च से विद्युत प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र में परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां और कब-कब स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग का विचार इस क्षेत्र में किन्हीं गैर सरकारी फर्मों से सहयोग करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, द्वारा विकसित नए प्रक्रिया एवं पेटेन्ट

1847. **श्री ए० के० राय** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद द्वारा 1 जनवरी, 1982 तक किन-किन नई प्रक्रियाओं और पेटेन्टों का विकास किया गया है ;

(ख) उनमें से सरकार द्वारा कितनी प्रक्रियाओं तथा पेटेंटों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया है अथवा निजी पार्टियों को बेच दिया गया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी राशि अर्जित हुई है, और उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) देशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद सरकार द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के कारण क्या इस संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिक कार्मिकों के बीच भारी निराशा है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं ;

(ङ) क्या इस संस्थान में नवीन अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों में हाल में काफी ह्रास हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी.एन. सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय प्रवासियों की आवश्यकता

1848. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रवासियों की आवश्यकताओं पर अध्ययन करने हेतु गठित समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या प्रवासियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए किये जाने वाले निर्णयों के संबंध में प्रक्रिया सबंधी उलझनों और नौकरशाही के विलम्बों की चर्चा भी की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भारतीय प्रवासियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया ।

(ख) से (घ) चूंकि भारतीय प्रवासियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए किसी ऐसी समिति का गठन नहीं किया गया इसलिए ये प्रश्न नहीं उठते ।

संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे० सी० एम०) के साथ हुई बैठक में चर्चा किये गए विषय

1849. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के साथ हुई अन्तिम बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी और उसमें क्या निर्णय लिए गए ; और

(ख) जे० सी० एम० की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्न में संदर्भ संयुक्त परामर्शदात्री संघ की राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15 फरवरी, 1982 को हुई हाल ही की बैठक से है। कर्मचारी पक्ष के साथ उनकी लम्बित मांगों पर चर्चा हुई थी। मामला अभी विचाराधीन है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड से लेखन सामग्री खरीदना

1850. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों ने 1 जुलाई, 1981 से 31 दिसम्बर, 1981 तक कितनी लेखन सामग्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से तथा कितनी अन्य एजेंसियों से खरीदी है ;

(ख) क्या मन्त्रालयों आदि ने समिति के अतिरिक्त स्थानीय बाजारों से भी लेखन सामग्री खरीदी है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार सभी मन्त्रालयों और विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित उनके द्वारा वित्त पोषित और नियन्त्रित सभी कार्यालयों और स्वायत्त निगमों को कठोर आदेश जारी करेगी कि केवल समिति से ही लेखन सामग्री खरीदने के लिए जारी आदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाय ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनकी प्रतियाँ सभा पटल पर रखी जाएंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली स्थित मन्त्रालयों/विभागों ने 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 1981 की अवधि के दौरान समिति से 40.08 लाख रुपये के मूल्य की लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुएं खरीदी हैं। इन आंकड़ों में दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकार के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और सरकार द्वारा नियन्त्रित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निगमों द्वारा खरीदी गई वस्तुएं शामिल नहीं है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) तथा (घ) 14 जुलाई, 1981 को इस विषय पर जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-3468/82]

———

अतारांकित प्रश्न संख्या 1660 संख्या 2.12.1981 में शुद्धि करने वाला विवरण

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : अतारांकित प्रश्न संख्या 1660 दिनांक 2 दिसम्बर, 1981 का उत्तर इस प्रकार से पढ़ा जाए :—

पहले दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर
(क) जी हां, श्रीमान ।	(क) जी हां, श्रीमान ।
(ख) और (ग) 1973 में नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त, संसद सदस्य के प्रस्ताव से उत्पन्न स्थिति पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रश्न सरल नहीं है और यह देखना होगा कि अन्य संभावित प्रतिक्रियायें क्या होंगी । स्थिति वैसी ही है । फिर भी उसको आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने का विचार किए बिना सभी भाषाओं को सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा को विकसित करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है ।	(ख) और (ग) दिसम्बर, 1972 और मार्च, 1973 में जब एक नेपाली प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री से मिला था, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप में उन्हें बताया कि हालांकि हम इस मांग से सहमत हैं, परन्तु नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से दूसरी भाषाओं के संबंध में अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। स्थिति वैसी है । फिर भी सरकार का प्रयास सभी भाषाओं को सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परम्परा का विकास करना है चाहे वे आठवीं अनुसूची में शामिल हो अथवा नहीं ।

2. प्रश्न से सम्बन्धित संशोधित तथ्य शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद ध्यान में आये । इसलिए विलम्ब हुआ ।

अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हुए ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर)* :···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा । (व्यवधान)···।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, याद कीजिए आपने स्वंय कहा था कि आप एक वकतव्य देंगे । मामला बहुत स्पष्ट है ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह मानवीय अधिकार का प्रश्न है···लोग मारे जा रहे हैं · वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे एक निवेदन करना है । मैंने हाउस में पहले भी कहा हैं, मैं आज भी उस बात पर लगा हुआ हूं, जैसा हम सलाह करते हैं, कांसेंसस करतेहैं, उस हिसाब से डिस्कशन करवा देते हैं । कल हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग की थी, आज मेरे पास एडजार्नमेंट मोशन, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि दिया है, उस पर उन लोगों के भी दस्तखत हैं, जो कल मीटिंग में शामिल थे ।

श्री हरिकेश बहादुर : हम सब नहीं थे, हम कमेटी के मेम्बर नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की तरफ से नुमाइन्दा होता हैं और उसको डैमोक्रेसी कहते हैं, (व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता कि आप नहीं कह रहे थे, यह किस ने कहा है, मैंने यह नहीं कहा कि आपने कहा, श्री राकेश ने नहीं कहा । मैं तो यह कह रहा हूं कि डैमोक्रेसी एक कासैनसस का नाम है । हम विजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठ जाते हैं, डिस्कशन करते हैं । मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, मैं अब भी यह नहीं कहता कि मैं नहीं करूंगा । मैंने एक बात कही थी, (व्यवधान)·· ।

अध्यक्ष महोदय : बीच में बोलते हैं, यह अच्छी बात नहीं है ।

मुझे नहीं पता यह माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं और वे किस नियम का अनुसरण कर कर रहे है । वह मेरी बात को ध्यान से सुनने का भी कष्ट नहीं कर रहे हैं ।

हर पक्ष के दो पक्ष होते हैं एक विरोध पक्ष होता है, एक उसके हक का होता है । कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं होती जिसका नेगेटिव, पाजिटिव नहीं होता, कोई ऐसा विचार नहीं होता जिसके उलट विचारधारा नहीं होती । (व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : मैं कब कहता हुं कि आप गलत कहते हैं ? मैंने नहीं कहा मैं तो यह कहता हूं कि जब हम विचार करते हैं, बैठते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो उस बात पर आपको बंधे रहना चाहिए । हमने फैसला किया था कि होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज को पहले ले लेंगे फिर भी आपकी तसल्ली नहीं । मैं कल अखबार में पढ़ रहा था, (व्यवधान) ।

श्री हरिकेश बहादुर : यह इयूमन किलिंग का मामला है, ह्यूमन राइट्स का सवाल हैं, होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज छोड़ दीजिए । अलग से इस पर बहस करवाइये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बीच में उठ गये हैं ।

एक माननीय सदस्य : हजारों की संख्या में···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आपके शरीर में भी एक दिल होगा, मेरे भी है, मेरे भी करुणा है, मैं भी समझता हूं इस बात को ···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते नहीं । काम चलेगा. हिसाब से चलेगा, उत्तर प्रदेश विधान सभा में कल से यही चीज चल रही है और वहां की बात वहां चल रही है, चलानी भी चाहिए उनको, अन्यथा उनका कोई मान नहीं रहता ।

अध्यक्ष महोदय : आप आवश्यक रूप से अत्यधिक उत्तेलित हो गए हैं ।

आपको तो इतना भी नहीं लगता, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे है···।

मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

आप मुझे अपनी बात ही पूरी नहीं करने देना चाहते, तो आप और क्या करेंगे ? आप कानून नहीं चलने देना चाहते, मेरा विधान नहीं चलने देना चाहते । आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं । कौन सी ऐसी बात है, जिस पर डिसकशन नहीं होगा, लेकिन सब विधान की परिधि के अन्दर ही होगा । आप बिजिनेश एडवाइजरी कमेटी की बात नहीं मानते, मेरी क्या मानेंगे ?

एक बात है : या तो मैं चलाऊं, और मैं आपके कहने से और आपकी मर्जी से चला रहा हूं । अगर कोई डिक्टेटरशिप कायम करके अपनी बात मनवाना चाहता है, तो बात दूसरी है । मैं चाहता हूं कि मैं आपकी राय से काम चलाऊं । कल मैंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से कहा था कि आप फैसला करलें, आप जो कहेंगे. वह मैं करूंगा । लेकिन जिन लोगों ने वहां दस्तखत किए, वे यहां बोल रहे हैं।

मैं किसके पास जाऊंगा ? आप मेरे पास प्रोटेस्ट करते हैं । अगर मर कर भी चैन न पाया, तो कहां जाएंगे ? अगर आपसे बात कर के भी बात नहीं बनती है, तो मैं किसके पास जाऊं ? मैं कहा जाऊं ? यह बहुत हो गया है । (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम मानते है कि आपने इस मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की थी और हम कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय से बंधे हुए हैं । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अधीन केवल कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है हमने स्थगन प्रस्ताव के अपने नोटिस में भलीभाँति स्पष्ट किया है । हमने कहा है कि डाकुओं को समाप्त करने के अभियान के दौरान हरिजनों को गोली से उड़ाया जा रहा है और इस सभा ने सदैव ही नियम 184, 193 के अन्तर्गत हरिजनों पर अत्याचार पर चर्चा करने की तथा स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी है । इसे पहले ही अनुमति दी जा चुकी है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कहा है कि होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज आ रही हैं, उसमें इस बात को डिसकस कीजिए। आप मुझ पर अनावश्यक रूप से और अनुचित रूप से दबाव डाल रहे हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने मेरे साथ बैठकर फैसला किया है, लेकिन आप उससे बंधे नहीं रहते। मैं किसी का बन्धन नहीं मानता। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह भी कहा था कि अगर उसमें तसल्ली नहीं होती है, तो फिर डिसकस कर लीजिए। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप यह विनिर्णय न दें कि हरिजनों की हत्या का प्रश्न केवल राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : क्या सुन लें ? यह तो रोज का धंधा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले फैसला कर लें कि कौन बोलेगा।

श्री राम विलास पासवान : कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हम लोगों ने कहा था कि एनकाउंटर्ज का मामला इतना गंभीर है कि ...।

अध्यक्ष महोदय : आपने फिर दोबारा उठा लिया। नहीं ...(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता लग गया है कि आप अपनी बात भी नहीं मानते। ..... (व्यवधान)...।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आयातित सीमेंट नियंत्रण (पाँचवां संशोधना, आदेश, 1981, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1980-81, भारत ओपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (पांचवा संशोधन) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 दिसम्बर 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 933 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 3426/82]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का०आ० 914 (अ), जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स आन्ध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड, मछलीपत्तनम का प्रबन्ध जारी रखने के बारे में हैं ।

(दो) का० आ० 16 (अ), जो दिनाँक 13 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और मैसर्स श्री जानकी शूगर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोईवाला, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश) का प्रबन्ध जारी रखने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3427/82]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(क) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3428/82]

(ख) (एक) भारत औपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत औपथेलमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3429/82]

(ग) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त मद (3) के (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०3430/82]

नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग (मेघालय) की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ?

(1) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलाँग (मेघालय) के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग (मेघालय) का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3431/82]

वैज्ञानिक तथा औद्योमिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे और उन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3432/82]

गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान; गांधी स्मारक विधि, अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ; ग्रामीण विकास स्वयंसेवी अभिकरणों का संघ आदि के लिए एक जाँच आयोग का गठन करने वाली अधिसूचनाएं, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (संशोधन) विनियम, 1981 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना ।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का० आ० 83 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस* द्वारा गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान; गांधी स्मारक निधि; अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ; ग्रामीण विकास स्वयं सेवी अभिकरकों का संघ: और उपर्युक्त संगठनों से घनिष्टतः सम्बन्ध अन्य संगठनों के कार्यकरण तथा गतिविधियों की जांच करने के लिए एक जाँच आयोग का गठन किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3433/82]

(2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत संग लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) (संशोधन) विनियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 73 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 3434/82]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम,1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्मलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) पहला संशोधन विनिमय ,1981, जो दिनाँक 2 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 6 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) संशोधन नियम, 1982, जो दिनाँक 30 जनवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 92 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 3435/82]

कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1982 श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि, तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (पहला संशोधन) स्कीम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनाँक 6 फरवरी 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 141 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 3436/82]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

सत्तरवां और बहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) नई सेवा/सेवा के नये साधन पर व्यय के बारे में इकतालीसवें प्रतिवेदन पर की-गई कार्यवाही सम्बन्धी सत्रहवां प्रतिवेदन।

(दो) संघ उत्पाद-शुल्कों के बारे में सत्ताईसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी बहत्तरवां प्रतिवेदन। (व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। मधुकर जी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

(श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री सदन से बाहर चले गए) (व्यवधान)।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : कल यह मामला कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठाया गया था। आप चर्चा के लिए अनुमति देने के अनिच्छुक नहीं थे। लेकिन आपने कहा था कि इस मामले को किसी उपयुक्त रूप में उठाया जाना चाहिये मैंने इसी बात का स्मरण कराया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा था कि :—

चूंकि गृह मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा की जानी है, अतः माननीय सदस्य जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए हमें इस जनसभा का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि यह भी गृह मंत्रालय की मांग है ...।

श्री समर मुकर्जी : यह कानून और व्यवस्था के बारे में नहीं है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये। (व्यवधान)।

यदि कुछ रह जाता है, यदि गृह मन्त्री किसी बात का उत्तर नही देते तो मैंने कहा था कि हम उस पर अन्य रूप में विचार करेंगे। मैंने यही कहा था। (व्यवधान)।

कार्य मंत्रणा समिति ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। मैं उस पर दृढ़ हूं। (व्यवधान)।

मेरे विचार से यह कार्य मंत्रणा समिति का सरासर अपमान है। (व्यवधान)।

मैंने कार्य मंत्रणा समिति से भी महत्वपूर्ण बातें ही रखने के लिए कहा था, ताकि हम प्रत्येक विषय पर एक-एक करके चर्चा कर सकें। (व्यवधान)**।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव । (व्यवधान)** ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने पहले ही दिन आपकी अनुमति से नियम 377 के अन्तर्गत इस ओर सदन का ध्यान दिलाया था ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति दी थी ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं होगी । यह चर्चा का प्रश्न नहीं है ·····।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री चन्द्रजीत यादव : गृह मंत्री वक्तव्य क्यों नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें गृह मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देना है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या उन्हें राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? ··· (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्ट्री की डिमांड आएगी । सबसे पहले रखवा लो, जितना आपको दर्द है । उतना मुझे भी है । मैं भी वैसा ही आदमी हूं ।

यह अनुचित बात है, एक दम अनुचित, अन्यायपूर्ण है ; यह तो विरोध की स्थिति है । मेरा विचार है यह कार्य मंत्रणा समिति का बहुत अधिक अपमान है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : गृह मन्त्री द्वारा अपनी स्वयं के ही ओर से वक्तव्य देना चाहिए था । ···(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : आप कृपया गृह मंत्री से वक्तव्य देने के लिए कहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य तभी देना है, जब आप कुछ कहेंगे ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैंने यह मामला नियम 377 के अधीन उठाया था । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आपने चर्चा में भी भाग लेते हैं ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : उन्होने गलत वक्तव्य दिया था कि कोई हरिजन नहीं मारा गया ···(व्यवधान)···।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे हो सकता है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आप कम से कम उन्हें रिपोर्ट देने के लिए तो कहिए··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा। (व्यवधान)।

आप जो करना चाहते हैं, करिये। यह आप का सदन है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यदि आप इसी तरह से समय व्यर्थ करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं कुछ नहीं कहूंगा ··· रोज ही ऐसा हो रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारी उसमें दिलचस्पी नहीं है ··· (व्यवधान)। पहले जब कभी भी नियम 377 के अन्तर्गत कोई मामले उठाए जाते थे, उन पर मंत्रियों द्वारा वक्तव्य दिया जाता था। फिर इस मामले में गृह मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य क्यों नहीं दिया गया जबकि विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस मामले को उठाया उन्हें अपनी ओर से वक्तव्य देना चाहिए था ··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कल वहां होम मिनिस्टर भी थे, और सारे लोग थे सारों ने फैसला किया है।

मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। एक बार कार्य मंन्त्रणा समिति ने जो निर्णय ले लिया है मैं उसी पर दृढ़ रहूंगा। (व्यवधान) **।

नहीं, मैं आपको अन्तिम निर्णय सुना रहा हूं निर्णय लिए जाने से पूर्व हमेशा ही चर्चा होती है। मैंने कब कहा कि डिमांड नहीं होती है। संयुक्त रूप से यह सर्वसम्मति दी गई थी। (व्यवधान)।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको एक पूर्वोदाहरण बताता हूं। जिस समय विचाराधीन भी होता है और इस समय कोई दुर्घटना हो जाती है, तब हमेशा ही रेल मंत्री अपनी ओर से वक्तव्य देते हैं ; उसी तरह अब जब कि गृह मंत्रालय की मांगें विचाराधीन हैं, तब भी मैं समझता हूं कि गृह मंत्री का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपनी ओर से वक्तव्य दें जब कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ उसका समाचार आज समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो गया है। मैं यही बात कह रहा हूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : वहां की एसेम्बली में भी चल रहा है । (व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को एलाउ नहीं किया है । (व्यवधान)** ।

हरिकेश जी मेरे को तो सिम्पैथी है, लेकिन मेरे लिए किसी को सिम्पैथी नहीं है । (व्यवधान) ।

मैं मंत्रणा समिति के निर्णय को मानता हूं । मैं कार्य मंत्रणा समिति के अनुसार ही चलता रहा हूं और भविष्य में भी चलता रहूंगा । (व्यवधान*) ।

यदि मैं आप पर दबाव नहीं डाल सकता तो मैं गृह मंत्री पर भी दबाव नहीं डाल सकता । मेरा तो दरवाजा फिर भी बंद नहीं है । (व्यवधान)* ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे अपने एडजार्नमेंट मोशन के बारे में बात करना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : बीच में नहीं, बाद में कर लेना । आप किसी वक्त भी आ सकते हैं ।

(तब कुछ माननीय सदस्य सदन छोड़कर चले गये)

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई में एयर इण्डिया के दो बोइंग 707 विमानों को रोके रखने का समाचार

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें ।

"बम्बई में एयर इंडिया के दो बोइंग 707 विमानों की उड़ान बन्द किये जाने का समाचार" ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : महोदय, बम्बई स्थित विमान सुरक्षा स्थानीय नियंत्रक ने नागर विमानन महानिदेशक को 27.2.82 को यह सूचना दी कि एयर-इंडिया के B-707 विमान को, जिसे एयर-इंडिया की विमान सेवा ए०आई०-211 पर बम्बई —दार-ऐ सलाम-लुसाका पर उडान करनी थी, विमान सेवा से हटा लिया गया क्योंकि नम्बर 3 और नम्बर 4 दोनों इंजन चालू होने के बाद त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे और चलते-चलते रुक जाते थे ।

तूरन्त प्रारम्भिक जांच के आदेश दिए गए और यह पता चला कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन के बाउजर से स्टार बोर्ड विंग टैंक को भरने के लिए जो ईंधन लिया गया था उसमें पानी तथा अवसाद मिला हुआ था।

वैकल्पिक व्यवस्था वाला B-707 विमान भी जिसमें उसी बाउजर से ईंधन भरा गया था उड़ान भरने से पूर्व दूषित ईंधन वाला पाया गया।

नए टर्मिनल काम्पलेक्स में बाउजर तथा ग्राउंड स्टोरेज टैंक का विस्तृत जांच करने के लिए सीलबन्द कर दिया गया। बाउजर AR-7 से लिए गए ईंधन के नमूनों की आई०ओ०सी० प्रयोगशाला बम्बई में जांच कराई गई और जांच से यह प्रमाणित हो गया कि उसमें पानी की मिलावट थी। नमूने में पानी की मात्रा अधिकतम अनुमेय सीमा 0.003% की बजाय बहुत अधिक यानी 25 प्रतिशत (लगभग) थी। विदूषण के मूल कारण को, जो कि नए नल का एक हिस्सा था, अलग करके सीलबन्द कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय— क्या मैं आपकी बात में व्यवधान डाल सकता हूं। हमने कार्य मंत्रणा समिति में कल यह निर्णय लिया था कि मध्याह्न भोजनकाल समाप्त कर दिया जाए। मेरा विचार है कि सदन इस बात से सहमत होगा।

कई माननीय सदस्य — जी, हां।

अध्यक्ष महोदय – अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा— सतर्कता के तौर पर विमान में ईन्धन भरने से पूर्व ईन्धन भरने वाले अन्य बाउजर्जों तथा स्टोरेज टैंकों की आजकल जांच की जा रही है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इंडिल ऑयल कारपोरेशन तथा एयर इंडिया दोनों को विमान में दुबारा ईन्धन भरने से पूर्व उसके नमूने की जाँच करनी चाहिए थी। इंडियन ऑयल कारपोरेशन तथा एयर इंडिया के इंजीनियरों द्वारा ऐसा नहीं किया गया। एयर इंडिया द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है तथा वह अधिकारी निलंबित है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने भी संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

उपरोक्त कारण के फलस्वरूप दोनों बी-707 विमान विस्तृत जाँच के लिए तथा ईन्धन प्रणाली में पानी की मिलावट दूर करने के रोक लिये गये। इसके परिणामस्वरूप तीन उड़ानों- दो मास्को को तथा एक दुबई का समय पुनः निर्धारित किया गया और वे देर से गयीं। दार-ए-सलाम तथा लुसाना की उड़ान 28.2.82 को 12.50 बजे भारतीय मानक समय दूसरे बोईंग विमान से कराई गयी।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कमला मिश्र मधुकर : उपाध्यक्ष जी, इस बयान को मैंने बड़े ध्यान से सुना है और मैं मन्त्री जी के प्रति समान प्रकट करता हुआ समझता हूं कि इस बयान को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों की रिपोर्ट और टाइम्स आफ इण्डिया की रिपोर्ट मेरे पास है। तीन दिन तक ये खामोश रहे और इनके खामोश रहने के बाद यह घटना अखबारों में प्रकाशित हुई और हमने यहां इस पर चर्चा की । उसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाया और वह कदम यह उठाया कि वहां के जूनियर आफिसर्स को सस्पेंड कर दिया और बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बयान रद्दी को टोकरी में फेंक देने लायक है।

सवाल केवल इतना ही नहीं है कि वोइंग 707 बिमान के ईंधन में मिलावट की गयी और उसमें पानी मिलाया गया। यह जो मिलावट होती है वह आपकी व्यवस्था के कारण होती है क्योंकि आपकी व्यवस्था सड़ी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, देश में मिलावट कहां नहीं होती है? दूध में, तेलों में, दालों में सभी क्षेत्रों में मिलावट होती है। कौन-सा ऐसा क्षेत्र है जहां मिलावट और भ्रष्टाचार नहीं होता है। इसमें असल में आपका दोष नहीं है। आपने जो व्यवस्था की हुई है, उसी का यह नतीजा है ।

आपके शासनतन्त्र में इसीलिए हरिजनों की हत्या हो रही है, इसीलिए आपके एम एल.ए. और एम एल.सी. द्वारा डकैतों का समर्थन किया जाता है। आजकल चम्पारण जिले में, बेतिया में डकैतों द्वारा लोगों को उठाया जाता है और फिर उन्हें छोड़ने के लिए लाखों रुपये की सौदेबाजी की जाती है, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता है। उसके बाद भी भारत सरकार वैसी है, मिलावट वैसी है, डकैत वैसे ही है। इस तरह से जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासनतंत्र ठप्प पड़ चुका है ।

आप जरा सोचिए कि अगर यह हवाई जहाज इसको डिटेक्ट करने के पहले ही उड़ जाता तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी और कितने लोगों के जीवन की हत्या हो सकती थी क्या किसी के जीवन का कोई मूल्य पैसों में आंका जा सकता है ? अगर आपके बयान को ही मान लिया जाए तो आपके विमानों के फ्यूल टेंक की सफाई वगैरह: में और और चीजों में करोड़ों रुपये लग जाएंगे। यह है आपके प्रशासन का हाल ।

मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि इस प्रकार की घटना पहली नहीं है ? इससे पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बारे में अखबारों में निकल चुका है। एक हवाई जहाज काठमांडु जाने वाला था उसमें भी ऐसी घटना हुई थी ; आपके यहां ईंधन की चोरी होती है और उस चोरी में आपके छोटे लोग शामिल नहीं होते हैं उसमें आपके इंडियन एयर लाइंस के चेअरमेंन और इंडियन आयल के चेअरमेंन का भी हाथ रहता है। एक टन फ्यूल

का दाम 3500 रुपये होता है और एक टैंक में 50 से 70 टन का फ्यूल रहता है। इस तरह का हिसाब लगाइए कि कितने लाख रुपयों का गबन होता है और इस तरह की गड़बड़ी होती है। पता नहीं आपकी आँख क्यों बन्द रहती हैं। अगर आपकी आंख बन्द न होती तो आप अवश्य तत्परता दिखाते। समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ईंधन की चोरी केसमाचार पहले भी मिले हैं, तब इस बारे में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

विमानों में समुचित मात्रा में तथा मिलवाट का ईंधन डाला जाए, इसके चैक-अप की कोई व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं की गई है। यदि की गई है तो यह घटना क्यों हुई ?

इस काण्ड में चार जूनियर अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया है, लेकिन एयर-पोर्ट टर्मिनल मैनेजर को क्यों नहीं कोई सजा दी गई ? क्योंकि एयर-पोर्ट की देख रेख की सारी जिम्मेदारी उसकी होती है।

जब बोइंग 707 में मिलावट भरा ईंधन डाला गया तथा पता लग गया तो फिर दूसरे विमान में इसी ईंधन को क्यों डाला गया ? समय रहते इस कार्यवाही को क्यों नहीं रोका गया ?

जब ऐसे दुराचार का पता चल गया तो भी तीन दिन तक आप खामोश क्यों रहे ?

क्या ईंधन की चोरी एवं मिलावट में कुछ बड़े अधिकारियों का हाथ है जो इस तरह के कुकर्म का धन इकट्ठा करते हैं और विमान यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं ?

क्या ऐसा कार्य देशद्रोह नहीं है ? यदि है तो जब सरकार हड़ताल करने वाले मजदूरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करती है तो ऐसे देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध कौन सा कानून लाया जा रहा है ?

क्या ईंधन के अंडर ग्राउंड टैंकों की समय समय पर नियमित जांच की व्यवस्था है ? यदि है तो क्या है और नहीं तो क्यों नहीं है ?

ईंधन के अंडर ग्राउंड टैंकों को सेग्रगेट करने की कोई व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की ?

क्या सरकार कोई गारंटी दे सकती है कि ऐसी कदाचार की घटना फिर नहीं दोहराई जाएगी तथा इसके लिए आपके पास कौनसी व्यवस्था है।

पैट्रोलियम मन्त्री जी भी यहां पर बैठे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि न केवल इंडियन एयर लाइंस, बल्कि पैट्रोलियम डिपार्टमैंट भी इसमें इन्वाल्व है, इसलिए आप भी जवाब दीजिये कि पेट्रोलियम विभाग का इसमें हाथ है या नही है, जिसकी वजह से मिलावटी पैट्रोल सप्लाई किया गया और समय रहते इसको चैक-अप क्यों नहीं किया गया ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ बातें ऐसी कहीं हैं जो इस कालिंग-अटेंशन से सम्बन्धित नहीं हैं । वे बातें तथ्यपूर्ण हैं या नहीं, वे स्वयं समझ सकते हैं ।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है कि देर से कार्यवाही क्यों की गई ? मैं माननीय सदस्य और माननीय सदन की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि कार्यवाही में कोई देरी नहीं हुई है । जैसे ही इस बात का पता चला, उसी वक्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई । प्रिलिमिनरी इन्क्वारी की गई और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए गए, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उसी समय सदन में बयान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कमला मिश्र मधुकर : ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहाँ तक इस तरह की घटनाओं के पहले होने की बात है, यह बिल्कुल गलत है । इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, सिवाए एक घटना । ··(व्यवधान) ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी — उन्होंने इन्तजार क्यों किया ? मन्त्री महोदय ने संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का इन्तजार क्यों किया ? उन्होंने अपनी ओर से वक्तव्य क्यों नहीं दिया ? (व्यवधान) ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा - मैं रविवार को सदन में नहीं आ सकता था। (व्यवधान) मैं रविवार को सदन में नहीं आ सकता । यह घटना शनिवार को हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय— रविवार को छुट्टी थी ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सोमवार को आप अपनी ओर से वक्तव्य दे सकते थे ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा . मधुकर जी के सवाल··· के जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई देर नहीं हुई है । तुरन्त कार्रवाई की गई है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है——

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या की गई है ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उन्होंने खुद कहा है कि निलम्बित किया है । आगे जाँच चल रही है ।

उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाएं होती रही है । यह बात गलत है । इस तरह की घटना पहली बार हुई है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : एक और हो चुकी है ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : आगरा में क्या हुआ था ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : 1976 की घटना का जिस का इन्होंने जिक्र किया है वह इस तरह की घटना नहीं थी । उस में कम फ्यूल भरने की बात थी । उसके सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई अगर आप चाहें तो उसकी रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रख सकता हूं ।

माननीय सदस्य ने पूछा हैं कि कोई प्रौसीजर है या नहीं । मैं बताना चाहता हूं कि निश्चित प्रौसीजर है । इसकी जिम्मेदारी दोनों कोरपोरेशंज के लोगों के ऊपर है, इंडियन आयल कारपोरेशन के एम्प्लायीज के ऊपर भी है और एयर इंडिया का जो इंजीनियर वहां होता है, उसके ऊपर भी है । प्रौसीजर में पढ़ कर सुना देता हूं ।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन स्टोरेज टैंक से बाउजर्ज में ईंधन भरने से पहले और बाद में ईंधन की जांच करता है । जब बाउजर्ज भरे जाते हैं उसके पहले इंडियन ऑयल कारपोरेशन के एम्प्लाईज उसको चैक करते हैं ।

"ईंधन भरते समय, ईंधन की जांच की जाती है कि उसमें मिलावट तो नहीं है । यस्तुतः ईंधन भरे जाने से पहले होस नोजल से एक जार में थोड़ा सा ईंधन भर लिया जाता है, जिसमें मिलावट की संचालक द्वारा जांच की जाती है, यहां संचालक का अर्थ है एयर इंडिया का इंजीनियर ।"

"उसमें एक पाउडर डाला जाता है । अगर वह गुलाबी रंग में बदल जाता है तो उसका अर्थ होता है कि ईंधन में पानी मिला हुआ है ।" यह प्रौसीजर है । इसके मुताविक चेकिंग होनी चाहिए । इसमें फैल्यौर हुआ है और दोनों की जिम्मेदारी है । इसीलिए अभी यह कार्रवाई की गई है ।

आपने कहा है कि इससे खतरे हो सकते थे । मैं यह कहना चाहता हूं कि खतरे हो सकते थे या नहीं हो सकते थे यह तो अभी मैं नहीं कह सकता लेकिन फिर भी यह गलत बात हुई है । यह बहुत बड़ी गलती हुई है, दोनों कारपोरेशंज के कर्मचारियों की तरफ से इसलिए डायरेक्टर जनरल सिविल एवियेशन की तरफ से इनक्वायरी की जा रही है ।

इन्होंने यह भी कहा है कि अगर यह हवाई जहाज टेक आफ कर गया होता तो उसके बाद कितने बड़े खतरे थे, टेक आफ का जहां तक सवाल है, मैंने स्टेटमेंट में बताया है कि इंजन का चलना बन्द हो गया, इसलिए टेक आफ होने का कोई सवाल नहीं था ।

आपने यह भी कहा है कि एयर टर्मिनल मैनेजर या एक्सपोर्ट मैनेजर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की बात है, इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात नही है क्योंकि उसका इससे कोई संबंध नहीं है ।

टैंक का जहाँ तक सवाल है यह बिल्कुल लाजिमी बात है कि इसकी बराबर देखभाल और जांच होती रहती है। इस बात का इससे पता चल जाता है कि जो बाउजर नम्बर सैवेन एयर था उसके अन्दर से जो पैट्रोल निकला उसमें ही खराबी थी औरों में खराबी नहीं थी। दो इंजनों में यह भरा गया और दो बाउजरों से भरा गया। दूसरे में कोई खराबी नहीं निकली। इसलिए समय समय पर इसकी जांच भी होती है।

मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि यह एक बहुत सीरियस घटना है, इंसीडेंट है। इसी रूप में हम इसको ले भी रहे हैं। इसकी इनक्वायरी हो रही है। इनक्वायरी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : ध्यानाकर्षण नोटिस के प्रत्युत्तर में मंत्री महोदय ने एअर इण्डिया के इन्जीनियरों की असावधानी को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि ईंधन में पानी की मिलावट थी पेट्रोल तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में पानी की मिलावट एक बहुत गंभीर मामला है। संयोगवश से आज पेट्रोलियम मंत्री यहीं पर हैं। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बारे में बहुत सी शिकायतें की गई है इस मंत्रालय को इण्डियन आयल कारपोरेशन को तथा अन्य तेल कम्पिनियों को पेट्रोल में पानी की मिलावट तथा मिट्टी के तेल में डीजल तथा चिकनाई की मिलावट के संबंध में अनेक शिकायतें मिल रही हैं। बार-बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया हैं। मिट्टी के तेल को रंगीन बनाने पर भी वार्ता चल रही है। लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। परिवहन प्रणाली के लिए मिलावट एक खतरनाक बात है। इस मामले में सावधानीपूर्वक छानबीन किये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस घटना से न केवल एअर इण्डिया की बल्कि तेल कम्पनियों की भी आंखें खुलेंगी।

एअर इंडिया द्वारा दुबारा ईंधन भरने की प्रणाली की सूक्ष्म जांच की जाने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि मंत्री महोदय संबंधित इन्जीनियर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे। और वह निलंबित किया जा चुका है। लेकिन क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उनके विचार में केवल निलंबित कर देना ही पर्याप्त है ? आखिर, यह घोर असावधानी का, मृत्यु की ओर ले जाने वाली असावधानी का मामला है ऐसे मामले में, क्या केतन निलम्बन ही पर्याप्त होगा ? मैं निजी तौर से यह महसूस करता हूं कि ऐसे मामलों में केवल निलंबित करने तथा अनुशासनिक कार्यवाही करने से ही न्याय नहीं हो जाएगा वरन उस व्यक्ति को कठोर सजा भी दी जानी चाहिए। उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयास किए जाने चाहिए तथा उसे इस अपराध की सजा दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस सम्बन्ध में एक भी शब्द नही कहा गया है। क्या मंत्री महोदय दोषी व्यक्ति के विरुद्ध दंड विधान अथवा किसी अन्य अधिनियय के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं, ताकि उसे दण्डित किया जा सके ?

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

दूसरे, क्या यह तथ्य है कि एअर इंडिया तथा इंडियन-एअर लाइन्स के विभागों में कम ईंधन भरे जाने के भी अनेक समाचार प्रकाशित हुए हैं। यह सूचना दी गई है कि कम ईंधन भरने की बात एक नियमित प्रक्रिया बन गई है, क्योंकि ईंधन का मूल्य बहुत अधिक है; अनुमानतः 3300 रुपए प्रति टन। प्रत्येक विमान को प्रत्येक ट्रिप के लिए 60 या 70 टन ईंधन की आवश्यकता होती है। इसीलिए केवल 3 या 4 टन तेल ईंधन कम भरने का अर्थ होगा बहुत सी धनराशि का हड़पा जाना इसी प्रक्रिया का अनुशरण किया जा रहा है इंडियन एअर लाइन्स तथा एअर इंडिया दोनों, इंडियन आयल कारपोरेशन तथा अन्य तेल कम्पनियों के साथ सांठ-गांठ और मिली भगत करके यह घृणित खेल खेल रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रेस या अन्य किसी माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इन शिकायतों की ओर खींचा गया है, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विमान को ईंधन सप्लाई की जांच की जाती हो। जब कोई विमान एक विशेष दूरी तक उड़ान करता है, तो एअर इंडिया और इंडियन एअर लाइन्स दोनों को ईंधन की खपत की जानकारी होनी चाहिए। क्या यह पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में ही ईंधन की अधिक या कम सप्लाई हुई है ईंधन की मात्रा के लेखे की परीक्षा या जाँच की जाती है ? यदि ऐसा नहीं किया गया है तो क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे कि विमान को ईंधन की कम सप्लाई करने की शिकायत सच है और यदि हां, तो क्या उसके लिए उचित कार्यवाही करेंगे ? मुझे कोई संदेह नहीं कि इसके परिणाम स्वरूप एअर इंडिया और इण्डियन एअर लाइन्स दोनों को बहुत अधिक ईंधन की बचत होगी।

असावधानी करने के प्रश्न के सम्बन्ध में सौभाग्य से मंत्री महोदय द्वारा यह बात स्वीकार कर ली गई है कि इसके लिए इन्जीनियर जिम्मेदार ठहराये गये हैं। लेकिन क्या यह असावधानी बरतने का एक मात्र मामला था अथवा पिछले कई वर्षों से ऐसा होता रहा है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दोनों ही विभागों की जांच नहीं की गई थी। क्या वह यह पता लगायेंगे कि दुबारा ईंधन भरते समय इण्डियन एअर लाइन्स द्वारा इस मिलावट की जांच क्यों नहीं की गई ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका तात्पर्य निरन्तर जाँच करने से है ?

श्री नबल किशोर शर्मा : इस मामले में 25 तेल में प्रतिशत पानी मिलाया हुआ पाया गया था।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : केवल नमूने में।

श्री नबल किशोर शर्मा : वह नमूना विमान में से ही लिया गया था। इसलिए जिस बात से मुझे परेशानी है और जिस पर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए वह यह है कि क्या किसी विमान में 5 प्रतिशत 2 प्रतिशत या फिर 1 प्रतिशत पानी की मिलावट करने से वह

उड़ सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति को इस प्रश्न की जांच करनी चाहिए। क्योंकि ईंधन के अधिक मूल्य के कारण हमेशा ही उसमें मिलावट का डर रहेगा।

मैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं। मुझे आशा है मंत्री महोदय यह कहकर ही संतुष्ट नहीं हो जायेंगे कि इन्जीनियर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। मेरा विचार है कि इस मामले में कुछ और भीकरना होगा। केवल अनुशासनिक कार्यवाही ही नहीं की जानी चाहिए बल्कि तीव्रता से कार्यवाही की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : केवल छोटे अधिकारियों का ही नहीं बड़े अधिकारियों का भी पता लगाया जाना चाहिए।

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ठीक ही कहा गया है, इण्डियन आयल कारपोरेशन के मामले में केवल छोटे व्यक्तियों को ही निलंबित किया गया है। उसके इन्जार्च को निलंबित नहीं किया गया है, उसके विरुद्ध केवल अनुशासनिक कार्यवाही ही की जा रही है। यद्यपि, मंत्री महोदय ने बहुत अधिक किया है। लेकिन प्राप्त समाचार के अनुसार, केवल 4 व्यक्तियों, छौटे व्यक्तियों को ही निलंबित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से सुस्पष्ट आश्वासन लेना चाहूंगा।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य, श्री नवल किशोर शर्मा का ध्यान उस बात की ओर पुनः आकर्षित करना चाहता हूं जो कि मैंने शुरू में कही थी; अन्तिम प्रश्न का उत्तर वही है कि अधिकतम .0003 प्रतिशत पानी मिलाने की अनुमति है। इतने अधिकतम की ही अनुमति है। यदि पानी उससे अधिक होता है तो निश्चित ही उस पर कार्यवाही की जाने की आवश्यकता होती है।

श्री नवल किशोर शर्मा : प्रश्न यह है कि क्या अधिकतम सीमा के बाबजूद भी अधिक मिलावट होने पर विमान उड़ सकता है उस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : महोदय, मैं समझता हूं इसका वही अर्थ होना चाहिए। मैं विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन उसका अर्थ यही होना चाहिए कि अधिकतम .0003 प्रतिशत मिलावट की ही अनुमति है।

अध्यक्ष महोदय : मिश्रण नही, दूषण। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नमी है।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : महोदय, इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं। मेरे सहयोगी ने कई प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के बारे में सामान्य प्रश्न

पूछा है । महोदय, यह प्रश्न बहुत ही सीमित है । यह प्रश्न एअर इण्डिया में हुई इस विशेष घटना तक ही सीमित है । इसीलिए मैं नहीं समझता कि यह ध्यानाकर्षण नोटिस के अन्तर्गत आएगा ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उन्होंने अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का प्रश्न उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अधिक समझदार हैं कि पेट्रोलियम मंत्री यहां आपके साथ हैं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह ठीक है, लेकिन मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को भी देखें कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सबके बारे में नहीं, यह केवल ईंधन के बारे में है ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी, हां, महोदय । यह प्रश्न उस ईंधन तक ही सीमित है जो कि बम्बई के इंडियन आयल कारपोरेशन के वाउजर्ज से एयर-इण्डिया द्वारा लिया गया था।

उन्होंने इन सभी मामलों में एअर-इण्डिया की कठोर जांच का प्रश्न उठाया है । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विमान के टैंक में पेट्रोल डालने से पहले एअर इण्डिया के इंजीनियर द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए । क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया था इसी कारण उसे ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है । अतः, कठोर कार्यप्रणाली निर्धारित की हुई है तथा उसी के कारण उसे जिम्मेदार ठहराया गया है । अन्य बातों के लिए पेट्रोलियम से संबंध व्यक्ति जिम्मेदार ठहराए गए हैं तथा इण्डियन ऑयल कारपोरेशन ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है ।

महोदय, उन्होंने यह प्रश्न भी पूछा है कि क्या केवल निलम्बन कर देने मात्र से ही मुझे संतुष्टि हो जाएगी । मैं पहले भी कह चुका हूं कि निलम्बन तो पहला कदम है । जाँच पड़ताल चल रही है जांच-पड़ताल की रिपोर्ट उपलब्ध होने तथा उसकी जिम्मेदारी के किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों पर निर्धारित हो जाने के पश्चात्.....।

श्री नवल किशोर शर्मा : वह पहले से ही निश्चित है, आपने यह स्वीकार किया है कि उसकी जांच नहीं की गई थी । फिर, आपने क्या जांच पड़ताल की है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे मित्र वकील हैं, वह जानते हैं कि उस व्यक्ति को भी जो कि एक माना हुआ अपराधी है, अपनी रक्षा करने का अधिकार प्राप्त है । अतः वह व्यक्ति जिसे निलंबित किया गया है, उसकी जांच-पड़ताल जारी है तथा उस पूछताछ में उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है । इसलिए, हमने कार्यवाही की है तथा मैं माननीय सदन तथा माननीय

सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि पूछताछ की रिपोंट आने के बाद, इस मामले में दोषी पाये गए व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाऐगी ।

अध्यक्ष महोदय : एक व्यक्ति नहीं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने व्यक्ति' 'व्यक्तियों' कहा है ।

महोदय, उन्होंने दण्डनीय असावधानी के बारे में कहा है । मैं फिर से यह कहूंगा कि वह वकील हैं और अगर वह विमान नियमों को देखें, तो उन्हें पता चलेगा कि इस मामले में केवल विमान नियम, 1937 ही लागू होंगे, यह मामला दण्डनीय असावधानी की कोटि में नहीं आता । अतः, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जाँच पड़ताल हो रही है तथा मैं पुनः साश्वासन देता हूं कि इस मामले में दोषी व्यक्ति' अथवा 'व्यक्तियों' के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

उन्होंने ईंधन कम भरने का प्रश्न उठाया है । मैं श्री मधुकर जी को दिए गए उत्तर में यह बता चुका हूं कि पहली बार ऐसी घटना हुई है । अतः जहाँ तक समय समय पर ईंधन कम भरे जाने का प्रश्न है, इस बारे में मेरे समक्ष कोई ठोस उदाहरण नहीं आया है । लेकिन जब कभी भी कोई रिपोंट समाचार-पत्र या अन्य किसी माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, तब उनकी जाँच पड़ताल की गई है और वह रिपोंट ठीक नहीं पाई गई । जहाँ तक ईंधन कम भरने का संबंध है उस बारे में यह स्थिति है ।

महोदय, उन्होंने कहा हैं ईंधन कम भरने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है । जैसा कि मैंने पहले कहा है, आज तक ऐसा केवल एक ही मामला, 1976 में हुआ था और वह ईंधन कम भरने की बात ठीक थी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की गई थी । उसके बाद, कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है ।

उन्होंने ईंधन की खपत का प्रश्न उठाया है । उसकी मात्रा निर्धारित है और उसी के अनुसार विमान को ईंधन दिया जाता है । न उससे कम न अधिक । निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ईंधन दिया जाता है । मैं अपने माननीय सहयोगी को बताना चाहता हूं । कि इस तरह का यह एक मात्र मामला है । लेकिन उन्होंने बार बार ही यह पूछा है कि क्या पहले भी कभी ऐसी घटना हुई है अथवा नहीं । यह पहला अवसर है जबकि ऐसी बात हुई है । और हमने सारी बात को गंभीरतापूर्वक लिया है ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, इस घटना से हमारे देश के तीन प्रतिष्ठान-एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइन्स और इंडियन आयल की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है । मैं समझता हूं न केवल हमारे देश में ही बल्कि देश के बाहर के जो एयर क्राफ्ट हमारे देश में लैंड करते हैं उन कम्पनियों को भी आज आशंका पैदा हो गई है । जैसा कि अभी राजेश पायलट जी बता रहे थे कि 0.5 परसेंट पानी की मात्रा होने पर भी इंजनस्टार्ट हो सकता है ।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : यदि मन्त्री महोदय अनुमति दें तो मैं उन से केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा । सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा । सामान्यतः उड़ान से पूर्व, इंजनों को भूमि पर ईंधन दिया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण में हम किसी को पूछने की अनुमति नहीं दे सकते । यह अन्य लोगों के लिए खराब उदाहरण होगा ।

एक माननीय सदस्य : एक विशेष मामले के रूप में·····।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : वह पैट्रोलियम मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से मिलाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कार्य संचालन कर रहे व्यक्तियों के बारे में उत्तर दे सकते हैं जिन्हें जांच करनी चाहिए तथा पर्यावेक्षण करना चाहिए था । यदि उन्होंने जांच नहीं की, तो इन्हें कार्यवाही करनी चाहिए थी । यह बहुत गम्भीर मामला है । उन्हें मामले को समझना चाहिए ।

श्री हरीश रावत : यह सवाल केवल इस घटना के तकनीकी पक्ष का ही नहीं है । हो सकता है इसके विषय में मन्त्रालय के लोग संतोष दिलवा दें लेकिन इस घटना से प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा पर जो जाँच आई है उसको आप कैसे दूर करेंगे— सवाल इस बात का है । मुझको जो जानकारी मिली है वह यह है कि मन्त्रालय के लोगों ने मन्त्री जी को भी इस घटना की जानकारी एक तारीख की शाम को दी जबकि बाम्बे से प्रकाशित किसी अखबार में यह समाचार छपा । इतनी गम्भीर घटना हो जाए और उसकी जानकारी मन्त्री महोदय को न दी जाए जोकि इस सदन और जनता के प्रति उत्तरदायी हैं तो निश्चित तौर से यह एक गम्भीर मामला बन जाता है । मैं समझता हूं मन्त्री जी को बड़ी गम्भीरता के साथ इस घटना को लेना चाहिए ।

मैं उनके माध्यम से पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की मिलावट की बात उनके मन्त्रालय के लिए कोई नयी बात नहीं है । इस देश की साधारण जनता मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल में मिलावट की भुक्तभोगी है लेकिन अगर इंडिया एअर लाइन्स और एअर इंडिया भी उनकी इस नेग्लिजेंस को भुगत रहे हैं तो यह उनके लिए गम्भीर रूप से सोचने की बात है ।

अभी हाल ही में पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज कमेटी के समक्ष एक मामला आया था जिसमें रोहतक की घटना का जिक्र था जहां 14 हजार लीटर पानी इंडो वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी के एक टैंक में पाया गया । इसी प्रकार की कई दफा घटनायें घटित हुई हैं । मेरा पैट्रोलियम मंत्री जी से भी निवेदन है कि वे अपने यहां भी कार्यवाही करें और मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एयर लाइन्स और एयर-इंडिया के लोगों को निर्देश दें कि तेल लेने से पहले टैंक में भी प्रापर चैकिंग की जाए, जो ग्राउन्ड टैंक होता है । उसके बाद एयरक्राफ्ट तक तेल भरने की चेकिंग करने का सिस्टम आपका है । मैं चाहता हूं कि उसको प्रापरली किया जाए । उम्मीद है कि मन्त्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

इसके अतिरिक्त न्यूजपेपर में यह भी निकला है, जैसा कि एयरपोर्ट अथारिटी ने कहा है कि न तो उनके पास इतना स्टाफ था और न इंडियन आयल कम्पनी के पास इतना स्टाफ था कि वे एक साथ कई फ्लाइट्स को चैक कर पाते हैं। यह तो मैंडटरी चैकिंग है, वह हमेशा रैगुलरली चैक नहीं की जाती है। क्या यह सत्यता है कि मामले को एक दूसरे के सिर पर डालकर हल्ला करने की कोशिश की जा रही है। इसको वे कृपा करके देखने का कष्ट करें। आपने कहा है कि यह प्रारम्भिक एन्क्वायरी है, जैसा कि आपने सदन में बताया, लेकिन इसकी डिटेल एन्क्वायरी से भी क्या आप सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ? टैंकर में पानी मिलने की वजह से उस दिन और भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी फ्लाइट्स उस दिन कैंसिल हुई और उससे अण्डरटेंकिंग को कितना नुकसान हुआ ? कहा गया है कि अण्डर ग्राउंड टैंक में लिकेज हुआ है क्या इसकी भी प्रापरली चैकिंग की गई थी या नहीं की गई थी कि पानी वहीं पर तो नहीं पहुंच गया, इस विषय में भी कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें ?

अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रतिष्ठान के वर्कशाफ की हालत बहुत खराब है। उसके इन्जीनियर्स प्रापरली चैकिंग इत्यादि नहीं करते हैं। इस प्रकार के नैगलिजेंस के मामले न आये हों, लेकिन अगल प्रकार के मामले लाइट में आते रहे हैं। पीछे भी नैगलिजेंस के ऊपर कई बार इन्क्वायरी हुई है, उन इन्क्वायरीज में कितने लोगों को सस्पैंड किया गया और कितने लोगों को परमानेंटली नौकरी से निकाला गया— इसको भी कृपया स्पष्ट करें ? हमको यह आशंका है कि इसके बाद जो इन्क्वायरी होगी, उस इन्क्वायरी पर साधारण-सी विभागीय कार्यवाही करके कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है। मामला काफी गम्भीर है, और ऐसे मामले पर साधारण-सी विभागीय कार्यवाही करके छोड़ दिया जाए, तो जनता के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस विषय में किस तरह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का आप का प्रस्ताव है ? क्या सुझाव आप पैट्रोलियम मन्त्रालय को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए देंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना कि इस तरह की घटनाओं से हमारे संस्थान की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। यदि इस तरह की कभी कोई घटना होती है, तो वह लोगों की गलती से होती है और उन गलतियों को हम सुधारने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : गलती है या सैबोटाज है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वह तो बाजपेयी जी, जब रिपोर्ट आएगी, तो मालूम होगा कि उसके अन्दर क्या है। अभी तो प्राइमाफैस हमको मालूम हुआ है कि जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नही किया है, उसी के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : यदि उस फ्लाइट में प्रधान मंत्री होती, तो सैबोटाज हो जाता।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : आप इस संबंध में बातें करिए ; बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कोई विदेशी हाथ भी हो सकता है ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वाजपेयी जी विदेश मन्त्री थे, इसलिए उनको विदेशी नजर आते हैं, इस में हम क्या करें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमें तब नजर आते थे, आज आप को नजर आते हैं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह जो देर से सूचना मिलने की बात है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में पहली कार्यवाही की गई है, लेकिन चूंकि शनिवार और रविवार का दिन था····।

श्री हरीश रावत : आप को कब पता लगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं इस बात को कह रहा हूं कि मुझे देर से सूचना मिली, लेकिन उसका एक कारण यह था कि उस दिन शनिवार और रविवार था, फिर भी सूचना हमको मिल जानी चाहिए थी । मैंने इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की है कि जिस वक्त इस तरह की घटना हो, मुझे तुरन्त सूचना मिलनी चाहिए ।

जहां तक रोहतक की बात है कि वहां पैट्रोल में पानी मिलाया गया, मैं समझता हूं यह बात इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखती है । फिर भी आप ने जिस सूचना के लिए कहा है, मेरे साथी पैट्रोलियम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वह जरूर इस बात की देखभाल करेंगे कि यह बात ठीक है या गलत है ।

आपने कहा कि एयर-इंडिया के लोग अलग से जाकर इन टैंकों को चैक क्यों नहीं करते हैं—एयर इंडिया के लोग टैंक्स को चैक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन के लोग हैं··· ।

श्री हरीश रावत : आप जैनरल इंस्पैक्शन की व्यवस्था कर सकते हैं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वह व्यवस्था है ।

श्री हरीश रावत : यदि मैंने टैक्नीकल वर्ड्स में नहीं कहा है तो इस का यह मतलब नहीं है कि आप एक्सप्लेन न करें ।

श्रध्यक्ष महोदय : चोर के साथ चोर की मां को भी पकड़ो ।

श्री हरीश रावत : मैं केवल क्लेरिफिकेशन के लिए एक बात पूछना चाहता हूं--इस घटना से एअर इण्डिया की प्रतिष्ठा पर आँच आई है, देश की प्रतिष्ठा पर आँच आई है। बाहर से जो विदेशी यात्री यहां आते हैं उनके मन में जब हिन्दुस्तान का जहाज फयूल लेकर चलता होगा तो यह आशंका रहती होगी कि जहाज कहीं रास्ते में फेल न हो जाय, क्योंकि यहाँ फयूल में पानी मिला होता है। इसके लिए टाप से लेकर बाटम तक सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एअर इण्डिया के चेअरमैन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिससे एअर-इण्डिया की प्रतिष्ठा बनी रह सके और देश यह जान सके इस प्रकार की नेग्लिजेंस करने वाले चेयरमैन तथा अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वहाँ पर जिम्मेदारी अलग-अलग बटी हुई है। जब एअर-क्राफ्ट से सम्बन्ध होता है और पैट्रोल एअर-क्राफ्ट में चला जाता है तो एअर-इण्डिया के लोग चेक करते हैं, लेकिन उस के पहले इण्डियन आयल कारपोरेशन के लोग चैक कर के देते हैं। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी होती है।

आपने पूछा कि वहाँ पर काफी कर्मचारी हैं या नहीं हैं ? इसका अन्दाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दो एअर-क्रेफ्दास थे तो इन्जीनियर्स भी दो थे। एक इन्जीनियर उन को नहीं देख रहा था। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वहाँ पर आदमियों की कमी है।

आपने किसी और घटना के बारे में जानना चाहा है--मैं कहना चाहता हूं कि इस के सिवा अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। आगे का ईश्वर मालिक है !

श्री हरीश रावत : इस प्रकार की नहीं हुई है, लेकिन अन्य दुर्घटनायें तो हुई हैं। आप ने दोषी लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इसे आपको स्पष्ट करने में मुझे यह कठिनाई है कि हम आम दुर्घटनाओं या आम घटनाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न तक ही रहें।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस तरह इन्सीडेन्ट एयर-इण्डिया के साथ कभी नहीं हुआ है। यह पहली घटना है। चूंकि इस तरह की घटनायें भूतकाल में कोई नहीं हुई हैं इसलिए लोगों के खिलाफ कार्यवाही की बात कहाँ उठती है ? अब यह घटना हुई है तो इसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और जो लोग दोषी पाये जायेंगे वे दण्डित किये जायेंगे—ऐसा आश्वासन मैं देना चाहता हूं।

श्री हरीश रावत : दूसरी चीज यह है कि जब पेट्रोल बाउजर से फ्यूल टेंक में ले जा कर डालते होंगे तो वहाँ भी चैकिंग की व्यवस्था होती होगी। फिर जब एयर क्राफ्ट के टेंक में डाला

जाता होगा तब चैकिंग करते होंगे। पाइलोट के आते वक्त चैकिंग होती होगी जब तीन-चार मौके आपके चैकिंग के थे, उस वक्त आपके इंजीनियर इसको लोकेट नहीं कर सके, जब कि उन मौकों पर इसका पता लगाया जा सकता था। इन तीन-चार मौकों पर किसी ने इसको लोकेट नहीं किया, किसी को इसका पता नहीं लगा कि फ्यूल में पानी मिला है या नहीं मिला है। इस विषय पर तो आप कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने पहले ही कहा है कि इस आप्रेशन में नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी होती हैं। जिस काम के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हीं से जवावतलब किया जा सकता है। जो लोग इस सम्बन्ध में जिम्मेदार पाए गए उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। उसके साथ डी०जी०सी०ए० की एक इंक्वायरी बैठी हुई है। उसे इंक्वायरी की रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाएगी और उसके फलस्वरूप जो हमें पता चल सकेगा कि कहां-कहां किस-किस की जिम्मेदारी है, किस की नहीं है, उन सारी बातों को देखते हुए हम फिर कार्यवाही करेंगे।

इन्होंने चैकिंग की बात कही। चैकिंग का प्रोसीजर डिटेल्स में पहले ही बता चुका हूं। जहां तक इसका पता लगने या न लगने का प्रश्न है कि यह कब पता लगा, यह तब पता लगा जबकि इंजिन स्टार्ट किया गया।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : जब स्टोर से बाउजर्ज लिया जाता है तो उसका एक विशेष निर्धारित विवरण होता है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं बता चुका हूं कि विशेष निर्धारित विवरण होता है। वाउजर्ज से ईंधन एक जार में लिया जाता है मैं यह भी कहा था कि उस समय उसमें कोई पदार्थ डाला जाता है तथा यदि उसका रंग गुलाबी हो जाए तब ही आपको पता चल सकता है कि उसमें पानी है। मैंने इन सभी बातों को स्पष्ट कर दिया है।

श्री राजेश पायलट : वह अन्तिम जांच है।

अध्यक्ष महोदय : यह इण्डियन ऑयल वाले करते हैं या एयर इण्डिया वाले करते हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इण्डियन ऑयल वाले पहले करते हैं और लास्ट में एयर इण्डिया की रिस्पांसिबिलिटी है कि वह इसकी चेंकिंग करे।

अध्यक्ष महोदय : चैकिंग के वक्त कोई नहीं था ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सर मुसीबत तो यह है कि इस तरह से लोग कहते हैं कि अगर कुए में भंग पड़ जाय।.....(व्यवधान)।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ) : यह गलत सलत जवाब दे रहें हैं आपकी एजेंसी ने पता लगा लिया लेकिन जिसकी एजेन्सी ने पता नहीं लगाया, वह जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : मैं कह रहा हूं कि उनकी एजेन्सी वालों ने भी पता लगाया तभी उनके आदमी सस्पेंड हुए। अभी इंकवायरी हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपके लोगों ने जो लास्ट चेक किया, उससे पता चला। जो फर्स्ट ओर सैकिंड चेक हुआ था उसमें पता नहीं चला। क्योंकि वे जिम्मेदार थे, उन्हें निलंबित किया गया है, वह ठीक है।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : अगर पहले चेक के लिए लोग दोषी नहीं ठहराये जाते तो उन्हें सस्पेंड क्यों किया जाता। पहले चेक करने की जिम्मेदारी आयल इंडिया की है, बाद में एयर इण्डिया की जिम्मेदारी है। इसीलिए दोनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ने आंखों पर पट्टी बाँध ली थी।

श्री अन्नत प्रसाद शर्मा : सर, आई एग्री विदायु ; मैं तो यह कह रहा था कि अगर कुए में भंग पड़ जाए तो सारा पानी उथला हो जाएगा। दोनों एजेंसियां करने वाली हैं और दोनों की ही गलती है। दोनों के खिलाफ इंक्वायरी करायी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : दोनों मंत्रालयों का यही आश्वासन है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उनको खड़े हो कर अश्योंरेंस देनी चाहिए थी।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं जब कह रहा हूं तो आपको इस बात को मान लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी की बात को मान लो। श्री रामअवतार शास्त्री।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, बोइंग 707 के दो विमानों में पेट्रोल में पानी मिलाने के बाद जो हमारे देश की प्रतिष्ठा घटी है..... ।

(श्री चरणजीत यादव पीठासीन हुए)

उसके लिए हम सब लोगों को बहुत अफसोस है। अब तक तो हम लोग समझते थे कि रेल गाड़ियों में ही सफर करना ही ज्यादा खतरनाक बात है, लोग समझने लगे थे कि रेल दुर्घटना से बचने के लिए हवाई जहाज से सफर करना चाहिए। लेकिन 707 बोइंग की इस घटना के बाद इतनी भारी आंच प्रतिष्ठा पर आपके विभाग ने और माननीय शिव शंकर जी के विभाग ने लगाई है। इसको कैसे आप ठीक कीजिएगा ? सवाल यह है। आपने कहा कि हमने

प्रारम्भिक इन्क्वारी करवायी है । कुछ छोटी मछलियों को तो आपने कड़ाही में डालकर तल दिया, लेकिन मगरमच्छ जो जवाबदेह हैं जिनकी तरफ रावत जी ने आखिर में इशारा किया, क्या कोई जवाबदेही इण्डियन आयल कारपोरेशन के चेयरमैन की है या नहीं ? इनकी नेकनामी हिन्दुस्तान में कितनी बढ़ी है, इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है "ब्लिट्स" में निकल चुका है 3-3 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में । (व्यवधान) ।

**आप इनका नाम जानना चाहते हैं ? उनका नाम है । इनको कोई नहीं पकड़ रहा है ।

मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं, कि माननीय शर्मा जी से और उनके बगल में बैठे मन्त्री जी से कि आप दोनों के विभागों की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और हवाई जहाजों से यात्रा करने वाले यत्रियों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए क्या यह आवश्यक नहीं कि फौरन से पेश्तर इन्डियन ऑयल कारपोरेशन के चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए ? क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते ? क्या यह बात भी सही है कि इनका ट्रांस्फर इस विभाग से हो गया था, लेकिन ये अभी तक आसन जमाए हुई बैठे हैं ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, चोरी करे बेटा और बाप को गिरफ्तार कर लेना चाहिए ?

श्री रामवतार शास्त्री : अगर वे न रहते तो हो सकता है यह घटना न होती । वे अपना आसन यहाँ जमाए रखना चाहते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं आगे भी घटती रहें ।

आप ने कहा कि जाँच करवा रहे हैं, लेकिन किस तरह की जांच करवा रहे हैं ? अखबारों में निकला है कि उच्चस्तरीय जाँच, लेकिन आपके ब्यान में उच्चस्तरीय जाँच की कहीं चर्चा नहीं है । तो क्या विभागीय जांच करवा रहे हैं या सचमुच में उच्चस्तीय जांच करवा रहे हैं । क्या आप समझते हैं कि विभागीय जांच से इस तरह की घटना का पता लगाने का काम हो सकेगा ?

एक सवाल और मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे किसी किस्म का कोई षडयंत्र तो नहीं था । 130 यात्री थे, जैसा कि अखबारों में छपा है । 130 यात्रियों में कुछ प्रमुख लोग भी थे ? अगर यह बताने की स्थिति में आप हों तो इसको भी बताएं । 130 की जान तो इम्पार्टेंट थी ।

बहुत आवश्यक होने पर ही कोई हवाई जहाज से यात्रा करने की बात सोचता है । ये यात्री समय पर बम्बई से लुसाका नहीं जा सके, दारेसलाम होते हुए। उनको कितनी क्षति हुई होगी ? आर्थिक भी हुई होगी । मानसिक भी हुई होगी, उनकी क्षती पूर्ती का भी आप कुछ विचार रखते हैं या नहीं ?

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

एक हवाई जहाज में कितना तेल डालने की क्षमता होती है ? कैपेसेटी तेल डालने की कितनी होती है और क्या इन दोनों हवाई जहाजों में कैपेसेटी के मुताबिक तेल डाला गया था या नहीं ?

आपने कहा है कि 25 प्रतिशत पानी था । किन लोगों ने इसकी जांच करके यह पता लगाया कि इतना पानी था ? हो सकता है कि 50 प्रतिशत पानी हो । यह भी हो सकता है कि पानी में तेल मिलाया गया हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो ।

इन तमाम बातों की जानकारी देश आप से लेना चाहता है । हवाई-जहाज में यात्रा करने वाले इस चीज को जानना चाहते हैं । जब तक इन तमाम बातों का सन्तोषजनक उत्तर आप नहीं देंगे । आपकी कमाई पर भी इसका असर पड़ सकता है लोग कम हवाई यात्रा करेंगे । हमारी आमदनी इससे कम होगी । विदेशी मुद्रा की कमाई भी कम होगी । इस वास्ते इन तमाम बातों को आप ठीक से बताए ताकि लोगों का विश्वास आपके प्रति और हमारे राष्ट्र के प्रति जमा रह सके ।

एक और बात है । हवाई जहाज लेट बहुत चल रहे है, इसके बारे में भी कुछ बोल दीजिए ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सबसे पहले तो मैं शास्त्री जो को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जीवन यात्रा, हवाई यात्रा बराबर सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी..... ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : आप कैसे दिला सकते हैं, यह तो ऊपर वाले के हाथ है ।

आचार्य भगवान देव : ये कम्युनिष्ट हैं । ये भगवान को मानते ही नहीं हैं ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं शास्त्री जी और अन्य माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात होती है तो हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगता है । मैंने रावत जी के सवाल के जवाब में माना है इस बात को । अब मेरा निवेदन यह है शास्त्री जी से कि इसकी बहुत ज्यादा चर्चा करके और उस धक्के को बढ़ाने की कोशिश न करें । मैंने कहा है कि जो ह्यूमनली पासिबल बात हो सकती है की जाएगी ··· ।

श्री रामावतार शास्त्री : चैअरमैन के बारे में भी कहिये ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : चेयरमैन के बारे में भी कह रहा हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : ये नहीं, जिस चेयरमैन का मैंने गुणगान किया है अभी, उसके बारे में ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी इस तरह की घटना हो जाती है, मनुष्य के जीवन में भी हो जाती है, हम जो काम कर रहे हैं उस में हो जाती है। यह कोई जानबूझ कर करता नहीं है। मैंने पहले कहा है गलती हुई है। अब इसकी बार-बार चर्चा करके और इसको और बढ़ा कर अपनी मर्यादा को ज्यादा धक्का पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

दूसरे जो आपने चर्चा की आई०ओ०सी० के चेयरमैन और बड़ी बड़ी मछलियों की, आपको यह खयाल होना चाहिए कि इसमें जो सम्बन्ध रखने वाले हैं कोई ऐसी मछली नहीं हैं जिसकी बकालत आप अपनी ट्रेड यूनियन से करें। यह सारे जिम्मेदार बड़े बड़े लोग हैं ···।

रामावतार शास्त्री : ट्रेड यूनियन को आप इसमें न लाइये।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जो भी इस सम्बन्ध में दोषी होगा उसी को सजा देंगे। तो यह कार्यवाही की जा रही है और इनक्वायरी बतायेगी कि कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है। और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

आपने कुछ पंक्चुएलिटी की बात की। मुझे इस बात को कहते हुए दुख होता है कि आपने इधर पंक्चुएलिटी को देखा नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो कल ही आया हूं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : यह हो सकता है कि जिस दिन आप आये हों उस दिन देर हो गई हो। यह आपका दोष है। मेरा क्या दोष है ?

सभापति महोदय : कृपया मंत्री को उत्तर पूरा करने दीजिये। यदि कोई बात अनुत्तरित रह जाती है तब आप अंत में उसे कह सकते हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि आज कल इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया की पंक्चुएलिटी का जहां तक सवाल है हमें इस बात की दाद मिली है कि पक्युएलिटी, मेन्टेन हो रही है, जिसकी अपने आलोचना की है। आजकल 85 परसेंट से ज्यादा पंक्चुएलिटी हो गई है बशर्ते जो इसमें कमी होती है वह मौसम वगैरह की वजह से अगर हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पंक्चुएलिटी हमारी बढ़ी है। और लोगों के आने जाने की जो बात आप करते हैं हालत यह है कि आज किसी भी हवाई जहाज में पूरे टिकट हम लोगों को नहीं दे सकते, और पिछले दिनों में हमारा एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ा है। इसीलिए ज्यादा हवाई जहाज खरीद रहे हैं और आपकी सुविधायें बढ़ा रहे हैं।

सभापति जी, इन्होंने पूछा कि जहाज की फ्यूअल लेने की क्या कैपेसिटी है। तो मै कहना चाहता हूं कि अलग अलग जहाजों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। आपने जो पूछा है

कि जहाजों की कितनी क्षमता होती है ईंधन लेने की, अगर यह जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बतला दूंगा कि किस जहाज में कितनी ईंधन लेने की क्षमता होती है। इस समय हमारे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री : मुझे खबर है कि इन दोनों जहाजों में एक लाख लिटर तेल डाला गया ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं इस बात को अस्वीकार करता हूं कि बहुत सी बातों में शास्त्री जी को मुझसे ज्यादा खबर है। लेकिन कुछ हमारी बात भी मान लीजिए। तो यह सूचना अभी हमारे पास नहीं है। इस जहाज की और अन्य सारे जहाजों में कितनी क्षमता तेल लेने की है वह मैं बतला दूंगा सदन के जरिये से ।

एक बात उन्होंने पूछी यह जांच कहां हुई ईंधन की ? यह आई० ओ० सी० की लेबोरेटरी में जांच हुई है किसी आदमी ने नहीं की। और जो जांच करा रहे हैं इस चीज की वह डायरेक्टर जनरल, सिविल ऐविएशन करा रहे हैं जो इसके सम्बन्ध में अथौरिटी हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स ऐक्ट के अधीन रूल 77 (सी), 1937 एयर क्राफ्ट रूल्स हमारे देश के हैं जिनके अधीन इन सारी बातों को देखते हैं। उसको देखते हुए जाँच हो रही है, कोई विभागीय जाँच उसके सम्बन्ध में नहीं हो रही है ।

सभापति महोदय : इसमें एक चीज और बता दीजिए, चूंकि दो विभाग इसमें शामिल हैं, एक तो इंडियन ऑयल है, क्या उनका अधिकार होगा इनकी जांच करने का ? उनका रिप्रैजेन्टेशन कैसे होगा ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : सभापति जी, हमने अपने डिपार्टमेंट की इन्क्वायरी भी अलग से सैट-अप की है एयर इंडिया की, लेकिन ओवर एंड अवव सारे इंसीडैंस की जांच कल 77-सी के तहत हो रही है ।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : अभी हाल ही में मकालू के सम्बन्ध में भी ऐसी ही घटना हुई थी। उस घटना के पता लगने के तुरन्त बाद ही गृह मंत्री ने आकर सदन में अपना वक्तव्य दिया। लेकिन, इस मामले में, घटना का पता शनिवार को लग गया था। फिर भी अभी तक सरकार का कोई भी मंत्री इस घटना के सम्बन्ध में कुछ भी कहने के लिए आगे नहीं आया। यह बहुत गंभीर बात है। यह हम सब के लिए भारी चिन्ता का विषय है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का जीवन उन बहुत से यात्रियों से अधिक कीमती है जिन्हें 24 घंटे तक वहां रोका गया ? किसी भी मंत्री ने आगे आकर सदन में वक्तव्य देने की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लम्बा भाषण देकर समय व्यर्थ किये बिना, मैं सीधे एक प्रश्न पूछूंगा, जो कि विभिन्न भागों में बंटा हुआ है ?

क्या कृपया मंत्री महोदय बताएंगे कि केवल कनिष्ठ अधिकारियों को ही = किया गया तथा टर्मिनल मैनेजर को (जो कि इंचार्ज है) उसे केवल ड्यूटी से ≡ गया ?

जांच-पड़ताल किस तारीख को और किस समय पर की गई ?

विभिन्न अधिकारियों के निलम्बन किए जाने की तारीख और समय क्या है

यह सुनिश्चित करने देने के लिए इस समय कौन कौन से तरीके और प्र• ईंधन में मिलावट नहीं है ?

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस जांच-पड़ताल की रिपोर्ट सदन के समक्ष =

क्या मैं यह जान सकता हूं क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी जब कि ▮ लाइन्स के कर्मिदल ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन के साथ सांठ गांठ करके, कुछ प्राप्त करने के लिए, विभिन्न स्टेशनों पर कम ईंधन लिया हो ?

अतः, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सदन को स्थिति की जा• मेरे सभी प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर दें ।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं इन्हें विशिष्ट तथा छोटे प्रश्न पूछने के देता हूं ।

उन्होंने पहले हुई एक घटना की ओर संकेत किया है जब कि यह म वक्तव्य दिया था ।

अब, महोदय, वह घटना इस से कुछ अलग थी । यह घटना एय नियमों के अंतर्गत आती है । इस जांच का आदेश इन नियमों के नियम 77 दिया गया है । इसमें छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं है, जिसे भी उत्तरदायी स निकाल दिया गया । एयर इंडिया का यह इंजीनियर जिसकी जिम्मेदारी जांच अपने कर्तव्य में विफल रहा, और इसलिए उसके विरुद्ध कार्यकारी की गई । कोई अन्य व्यक्ति जिम्मेदार है, और अन्य व्यक्तियों पर कोई उत्तरदायित्व जाना है, तो वह कार्यवाही निश्चित रूप से ही जाँच रिपोर्ट के आधार पर की जैसे ही हमें जाँच रिपोर्ट मिलेगी और कोई अन्य व्यक्ति, उत्तरदायी प उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी ।

माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि क्या नागरिक विमानन महा-नि जा रही इस जांच का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा । ऐसे मामलों में, ज पर होता है, हम नागरिक विमानन के महानिदेशक से उनकी टिप्पणियों सहि प्राप्त होने के बाद और सरकार द्वारा उसके स्वीकृत किये जाने के बाद जाँच सदस्यों की जानकारी के लिए ग्रंथालय में रखते हैं ।

एयर इंडिया तथा भारतीय तेल निगम दोनों ने तुरन्त कार्यवाही की है। उसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जहां तक हमें यहां जानकारी दिये जाने का प्रश्न है। मैंने यह स्वीकार किया है कि इसमें कुछ विलम्ब हुआ है, परन्तु उनके द्वारा तुरन्त प्रारम्भिक अध्ययन किया गया था और कार्यवाही की गई थी। निःसन्देह, एयर इंडिया ने जाँच में तीन दिन का समय लगा दिया और इसलिए 2.3.1982 को कार्यवाही की गई।

जहां तक भारतीय तेल निगम का प्रश्न है, जैसे ही विमानन इंधन में मिलावट पाई गई, मार्केटिंग डिवीजन के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा स्थल पर जांच की गई, तथा उस अध्ययन के आधार पर निम्न कार्यवाही की गई।

एयर पोर्ट टर्मिनल मैनेजर को 28.2.82 से उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया। हवाई अड्डे का कार्यभार संभालने के लिए एक अन्य अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया।

मैं एक और जानकरी देना चाहता हूं ; शायद श्री मधुकर ने उसकी बात की थी। एयर टर्मिनल मैनेजर एयर इंडिया का अधिकारी नहीं था ; वह भारतीय तेल निगम का अधिकारी था तथा उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

फिर तीन अधिकारियों को जिनका ईधन सेवा से सीधा संबंध था, 28.2.1982 से, तथा एक को 1.3.1982 से विस्तृत जांच होने तक निलम्बित कर दिया गया। कार्यवाही करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ। जैसे ही इसका पता चला, तुरन्त कार्यवाही की गई।

श्री सुधीर गिरि : मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि निलम्बल आदेश दिये जाने का समय बताये। यह घटना शनिवार को हुई तथा निलम्बन आदेश 2.3.1982 को जारी किया गया, अर्थात जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। निलम्बन आदेश उसके बाद दिया गया था।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैंने एयर इंडिया तथा भारतीय तेल निगम के व्यक्तियो के बारे में जानकारी दे दी है। अब यह माननीय सदस्य के लिए है कि वह अपने निष्कर्ष स्वयं निकाले।

कार्य मंत्रणा समिति

छब्बीसवां प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से, जो 2 मार्च 1982 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के छब्बीसवें प्रतिवेदन से जो 2 मार्च 1982 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 377 के अधीन मामले

सभापति महोदय : श्री कमल नाथ—उपस्थित नहीं हैं । जिन माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन विशेष बात कहनी हैं । उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे सभा में उपस्थित रहें । यह अच्छी बात नहीं है कि वक्तव्य देने पर आग्रह करने के बाद वे उपस्थित नहीं रहते ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : कठिनाई यह है कि उन्हें समय का पता नहीं होता ।

सभापति महोदय : यह कोई बहाना नहीं है । उन्हें समय का पता होना चाहिए :

श्री संतोष मोहन देव : श्रीमान, इस समय लंच का समय है । माध्यहन् भोजन अवकाश आज प्रातः से ही बंद किया गया । अध्यक्ष महोदय ने आज प्रातः ही घोषणा की कि मध्याहन् अवकाश समाप्त किया जाता है । इसलिए वे उपस्थित नहीं हैं ।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य पत्रों का अवलोकन करें तो वे देखेगें कि आज के पत्रों में अधिसूचित किया गया था कि लंच में कार्यवाही जारी रहेंगी । इसलिए मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि भविष्य में ऐसी भूल न हो । यदि कोई सदस्य अनुपस्थित है तो उसे अध्यक्ष महोदय को लिखकर भेजना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वह उपस्थित नहीं है ।

(एक) नई दिल्ली में रेडक्रास भवन के पीछे कूडेदान में खून के पैकेटों का मिलना

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : हाल ही में समाचार छपा है कि इण्डियन रेडक्रास भवन, नई दिल्ली, के पीछे कूडाघर में मानवीय खून के कुछ पैकेट पाये गये ।

दुर्घटना आदि में पीड़ित व्यक्तियों की खून देकर जीवन रक्षा करने के लिए लोगों द्वारा रक्तदान किया जाता है। यह विचित्र बात है। कि भारतीय रेड क्रास को दान दिये गया रक्त प्लास्टिक के पैकेटो में कूड़ाघर में पाया जाये।

ऐसा लगता है कि पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के अभाव में दान दिये गये रक्त को 21 दिन से अधिक नहीं रखा जा सका और इसलिए रेड-क्रास द्वारा उसका कुछ अंश विनष्ट कर दिया गया।

समाचारों के अनुसार कूड़ाघर में पाये गये पैकटों में रक्त केवल प्लाज्मा रहित रक्तकण थे तथा उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि रक्त 21 दिन से अधिक पुराना था।

प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि भारतीय रेड क्रास संगठन रक्त का 21 दिन के भीतर उपयोग नहीं कर सकता था तो इसने रक्त अन्य रक्त—बैंकों को स्थानान्तरित क्यों नहीं किया गया, जहां पर कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी अथवा जहां पर उचित भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध है। दिल्ली जैसे बड़े नगर में खून की भारी कमी रहती है और निश्चय ही रक्त का रक्त बैंकों अथवा अस्पतालों में न भेजकर जहाँ पर कि उसे सुरक्षित रखा जा सके। रक्त पैकटों के रूप में कूड़ाघर में फेंका जाना भारी लापरवाही की बात है। यदि किसी रक्त ग्रुप के लिए मांग न भी हो तो भी सम्बद्ध अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि दान किये गये रक्त को भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखें।

यह भी समाचार था कि कुछ रक्त पैकिट इसलिए फेंक दिये गये क्योंकि यह संदेह हुआ कि रक्तदान करने वालों को पीलिया था। ऐसी दशा में उन रक्दाताओं से रक्त लिया नहीं जाना चाहिए था।

प्रकाशित समाचारों के अनुसार कूड़ाघर में पाये गये एक रक्त पैकिट में अत्यन्त दुर्लभ किस्म का रक्त भी पाया गया था और ऐसा लगता था कि प्लाज्मा सहित है। इस रक्त बैंक के प्रभारी व्यक्तियों की गम्भीर लापरवाही के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। वह रक्त, जिसमें से प्लाज़मा निकाल लिया जाता है, उसे भी फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे रक्त का प्रयोग कुछ बिमारियों से पीड़ित बच्चों में खून चढ़ाने के लिए किया जाता है।

नई दिल्ली स्थित रेड क्रास के ब्लड-बैंक के कार्य में कुछ अनियमितताएं पहले भी देखी गई थीं।

अतः सारे मामले की तुरन्त जांच करने की आवश्यकता है। स्वयं सेवकों द्वारा दिये मूल्यवान रक्त को फेंक नहीं देना चाहिये।

(दो) पश्चिम बंगाल में पटसन मिल मालिकों द्वारा कथित तालाबन्दी को ध्यान में रखते हुए पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : पश्चिम बंगाल जूट उद्योग में तालाबन्दी के कारण 47,000 जूट श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। 13 जूट मिलें — लुडलो, नार्थब्रुक, डलहौजी, हुगली, एम्पीरा, बैली नम्बर 1 बैली नम्बर 2, गंगा श्री राम, गौरीशंकर, केल्विन, प्रवर्तक, नस्करपारा जूट मिलें — तालाबन्दी घोषित कर चुकी हैं। यह प्रक्रिया जारी है। इन 13 मिलों में से 5 मिलों की तालाबन्दी इसी वर्ष, जिसे कि उत्पादकता वर्ष माना गया हैं। जनवरी और फरवरी में की गई। इन तालाबन्दियों के कारण कई श्रमिक भूख से मर गये हैं तथा 47,000 श्रमिकों के परिवार के सदस्य घोर विपति में हैं। यह याद होगा जूट मिल मालिकों को पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जूट उत्पादकों से कच्चा जूट खरीदने के लिए करीब 80 करोड़ रुपये दिये गये थे। उस उद्देश्य के लिए उस धन के बहुत कम अंश का उपयोग किया गया था तथा जूट उत्पादकों को उनके उत्पाद का बहुत कम मूल्य मिलने के कारण उन्हें बहुत अधिक हानि हुई थी।

इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आई.जे.एम.ए.) ने एक खुला वक्तव्य देकर सरकार से कहा है कि वह जूट उद्योग को रुग्ण उद्योग घोषित कर दें। स्पष्ट है कि जब तक सरकार नहीं रोकेगी वे आगे भी तालाबन्दी करते रहेंगे।

जूट उत्पादकों, जूट श्रमिकों तथा आम लोगों का यह अनुभव है कि गैर-सरकारी जूट उद्योग के मिल मालिक उद्योग को केवल लूट रहे हैं तथा इस प्रकार उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों को विपत्ति में डाल रहे हैं। जिन वर्षों में आशा से अधिक लाभ हुआ उसमें उन्होंने कोई विभिन्न व्यवहार नहीं किया तथा अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मन्दी का फायदा उठाते हुए जूट उद्योगों को रुग्ण उद्योग घोषित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि उन्हें सरकार से और अधिक धन प्राप्त हो सके।

लेकिन फेडरेशन ऑफ चटकल मजदूर यूनियन (ए.आई.टी.यू.सी. से सम्बद्ध) सहित सभी जूट मिल श्रमिक संगठनों ने जूट उद्योग को शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने के मांग की हे। मैं सरकार से, वाणिज्य मंत्रालय से, इस संबंध में शीघ्र कदम उठाने का निवेदन करती हूं।

(तीन) तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बीच कावेरी जल-विवाद का निपटारा

श्री के० रामामूर्ति (कृष्णागिरि) : यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि तमिलनाडु की आत्मा कावेरी नदी का पानी है। यदि कावेरी नदी का पानी एक भी खेती के मौसम में रोक दिया जाता है, तो संपूर्ण तमिलनाडु शुष्क क्षेत्र बन जायेगा। तमिलनाडू का अन्न भंडारण, अर्थात् तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु के लोगों के लिए कब्रिस्तान बन जायेगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ 1924 का कावेरी जल समझौता इन दोनों राज्यों के बीच राजनैतिक मतभेद का विषय बन गया है। भारत सरकार

तमिलनाडु के लोगों को बार-बार यह आश्वासन देती रही है कि कावेरी नदी घाटी प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी । इस आश्वासन के अभी तक वास्तविक रूप लेना शेष है ।

तमिलनाडु ओर कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों के बीच वार्ता के कई दौर हो चुके हैं । हाल ही में ज्ञात हुआ है कि कर्नाटक सरकार केन्द्रीय योजना आयोग की स्पष्ट अनुमति के बिना एक बांध बना रही है, जिसका अर्थ होगा कि तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी की सप्लाई में बहुत अधिक कमी हो जायेगी ।

इसके अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार तमिलनाडु में होगंनेकल थरमल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी आपत्ति कर रही है । इससे तमिलनाडु के लिए परिहार्य समस्याएं पैदा हो जायेगी, जहां कि बार-बार बिजली में कटौती की जाती है जिसके कारण उद्योग चलने बन्द हो गए हैं ।

केन्द्रीय सरकार को शीघ्र ही तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए तथा दशकों से चले आ रहे मतभेद को हल करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि तमिलनाडु के 4.5 करोड़ लोगों का जीवन जोखिम में नहीं पड़ेगा ।

(चार) होमगार्डों को पुलिस सिपाहियों के समान वेतन देना

श्री मुकन्द मंडल (मथुरापुर) : इस तथ्य के बावजूद भी कि होमगार्डस संगठन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किया गया था, पूरे देश में होमगार्ड के लोग सबसे अधिक उपेक्षित वर्ग के लोग हैं । उनसे यह आशा की जाती है कि वे पुलिस के सहायक की तरह काम करें तथा सामान्य रूप से आन्तरिक सुरक्षा बनाने में सहायता करें, लेकिन उन्हें पुलिस के सिपाहियों के बराबर काम करना पड़ता हैं । इसके अतिरिक्त उनका काम किसी भी आपत्ति जैसे विमान दुर्घटना, अग्निकांड, बाढ़, महामारी, भूकम्प, चक्रवात आदि में समाज की सहायता करना है । उन्हें सामाजिक-आर्थिक तथा कल्याण कार्यों में भाग लेना होता है जैसे- प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, विकास योजनाएं तथा अन्य ऐसे कार्य जो सांप्रदायिक एकता को बढ़ाने के लिए उचित समझे जाते हैं तथा समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने में प्रशासन की मदद करते हैं । सारे देश में करीब 5 लाख होमगार्ड हैं । लेकिन यह दुभाग्य की बात है कि उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है तथा उनकी नौकरी कुछ पुलिस अधिकारियों की इच्छा तथा मनमानी पर निर्भर करती है । अपने से बड़े लोगों द्वारा उनके साथ दास का सा व्यवहार किया जाता है ।

सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' एक मूल अधिकार है तथा इस रूप में लागू किया जाना चाहिये, मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करें तथा आवश्यक धन दें तथा सिफारिश करें ताकि उनके वेतन एवं सेवा की शर्तों को कांस्टेबलों के स्तर पर लाया जा सके ।

(पांच) सरकारी विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में धन का अन्धाधुंध व्यय किया जाना

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मार्च के अन्त में किये गए अनाप शनाप खर्च के बारे में प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा विभाग और अन्य प्रशासकीय विभाग गम्भीर आपत्तियां उठाकर अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। फिर भी अब तक कोई ठोस सुधार नजर नहीं आया है। लोक निर्माण, सिंचाई, गृह निर्माण, विद्युत प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि बड़े विभागों में 31 मार्च को मेला लगा रहता है। खर्च के इस महापर्व के दिन महीनों चलने वाली सरकारी कार्यालयों में क्रय करने की जटिल प्रक्रिया कुछ घंटों में ही पूरी करली जाती है। इससे केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग ही नहीं होता, बल्कि वित्तीय अनुशासन में भी शिथिलता आ जाती है। अनेक प्रकरणों में अनियमित भुगतान हो जाते हैं तथा भीड़ के कारण इस आपाधापी में गबन की घटनाएं भी घट जाती हैं।

बजट पारित होने के बाद धनराशि का आवंटन छोटे छोटे कार्यालयों तक काफी देर से पहुंचता है। अब तक मौनसून आ जाने के कारण कई योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पाती। बजट प्रावधान समय पर मिल भी जाए, तो भी पुनर्विनियोजन के कारण वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त में ही कार्यालयों को खर्च के लिए धनराशि प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप पूरे वर्ष में योजनाबद्ध रूप से धन व्यय नहीं हो पाता। व्यवस्था इस प्रकार की हो कि कर्मचारियों को किसी एक दिन देर रात तक दफ्तर खुला रख कर भुगतान का शिलशिला जारी रखने की विवशता न हो। वर्ष के अन्त में भारी धनराशि तथा अनियमित व्यय की तुलना में धन की वापसी को प्रोत्साहित किया जाना, किसी भी दृष्टि से गलत नहीं होगा। दावों के भुगतान सम्बन्धी विनियमों में भी कुछ ऐसे उदार संशोधन किए जाने चाहिये, जिससे वर्ष के अन्त में उनकेभुगतान की अनिवार्यता न रहे और शेष बचे दावों के भुगतान के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में उपयुक्त प्रावधान हो सके।

(छः) छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए सिंचाई की सुविधाए

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, जो मैंने नियम 377 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य दिया था उसमें इतना संशोधन कर दिया गया है कि उसे अब मैं पढ़ना उचित नहीं समझता हूं। छोटा नागपुर में अपर सकरी जलाशय योजना और तिलैया डैम डाईवर्शन योजना अगर बनती हैं तो उस क्षेत्र से लोगों का बहुत बड़ा अहित होगा। इनसे बीस हजार एकड़ जमीन डूब जाएगी, 60 गांव डूब जाएंगे और 150 ट्यूबवेल्स डूब जाएंगे। यह योजना यहां की जनता के लिए बड़ी अहितकर है और वहां की जनता की आकांक्षाओं के प्रतिकूल है। इसलिए मैं इस वक्तव्य को नही पढ़ता हूं *।

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत जो हम नोटिस देते हैं उनको संशोधित करने में उनकी मूल भावना को बदला जाता है। जब हमारे नोटिस की भावना को बदला जाता है उस वक्त कम से कम सम्बन्धित मेम्बर को कांफिडेंस में तो लेना चाहिये। एक तो आपके स्टाफ में हिन्दी जानने वाले कम हैं। हम हिन्दी में जो भाव व्यक्त करते हैं उसको अंग्रेजी में करके फिर उसे काँटा-छांटा जाता है। इस से जिस उद्देश्य से हम नियम 377 के अन्तर्गत अपना नोटिस देते हैं उसका उद्देश्य ही नहीं रहता। आपके सेक्रेटेरियेट को चाहिए कि जब भी वह हमारे नोटिस में काट-छांट करे तो हमें कांफिडेंस में लेवे और बतावे कि इस तरह की बात हम इसमें नहीं रखना चाहते हैं।

सभापति महोदय : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

(सात) कृषकों को बिजली सप्लाई करने के लिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को निदेश देना

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के किसानों को पूरे दिन में मुश्किल से 4 से 5 घंटे बिजली दी जाती है। इतनी थोड़ी मात्रा में सप्लाई भी रात्री को कुछ समय दी जाती है। फसलों को इस नाजुक स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों से इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाना चाहिये कि वे हर रोज कम से कम 8 घंटे बिजली दें और यदि संभव हो तो दिन के समय भी दें। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम रात और दिन में घंटों के उचित अनुपात में बिजली दी जानी चाहिए।

(आठ) धोबियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

श्री कुमबुम एन० नटराजन (पेरियाकुलम) : मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धोवी समुदाय को आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, महाराष्ट, पांडिचेरी, चण्डीगढ़, गोआ, लक्षद्वीप तथा हरियाणा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। 22 राज्यों तथा 9 संघ राज्य क्षेत्रों में से 16 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति की सूची में शामिल लोगों को मिलने वाली रियायतें धोबी समुदाय को भी दी जा रही हैं, लेकिन 6 राज्यों तथा 4 संघ राज्य-क्षेत्रों में उन्हें भारतीय संविधान में उल्लिखित विशेष रियायतों का अधिकार नहीं मिल रहा है।

आर्थिक रूप से इस समुदाय का 99 प्रतिशत भाग पिछड़ा हुआ तथा निर्धन है तथा समाज में उनके साथ गन्दे काम में लगे हुए अछूतों की तरह व्यवहार किया जाता है।

तमिलनाडु में, कन्याकुमारी जिले तथा तिरूनेवेली जिले के शेनकोट्टाह तालुक को छोड़कर धोबी समुदाय के काफी लोग, जिन्हें वन्नन कहा जाता है, अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किये गये हैं, जिससे इन दो क्षेत्रों में रहने वाले तथा राज्य के अन्य भागों में इसी समुदाय से सम्बद्ध अन्य लोगों के बीच अन्तर पैदा हो गया है।

नवम्बर 1980 में तमिलनाडु वाशरमैन सेंट्रल यूनियन ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया था तथा उनका एक प्रतिनिधिमंडल माननीय गृह मंत्री जी से भी मिला था। माननीय मंत्री महोदय ने इस असंगति को स्वीकार किया था और उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को यह आश्वासन दिया था कि सभी राज्यों में धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया जायेगा तथा पारित किया जायेगा।

इस बात पर बल देने की आवश्यकता नहीं कि धोबी हमारे समाज के आवश्यक अंग बन गए हैं फिर भी उनके साथ समाज के अछूत लोगों की भाँति व्यवहार किया जा रहा है। धोबियों को देश के सभी राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिएं।

———

बजट (रेल) 1982-83 सामान्य चर्चा

सभापति महोदय : अब हम रेलवे बजट पर आम चर्चा जारी रखेंगे। श्री नारायण चौबे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे की रामायण बहुत बड़ी है और मेरे लिये समय बहुत कम है। जैसा कि मुहावरा है, कला बड़ी है लेकिन जीवन छोटा है। अत: मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ समय दीजिए मैं सारी बातें नहीं कहना चाहता।

रेलवे मंत्री ने अपने बजट भाषण में जो मुख्य बात कही है वह यह है कि 'यात्रा तभी करो जब जरूरी हो'। इसका अर्थ है—'यात्रा नहीं करो और यदि आप यात्रा करना ही बंद कर दें तो तभी समस्याएं सुलझ जायेंगी, तथा इसमें दुर्घटना से मृत्यु होने की भी संभावना नहीं रहेगी।

वास्तव में यह बजट पूर्ण रूप से जनता विरोधी है। यह विश्व बैंक से आदेश पर तैयार किया गया है। यह 700 मिलियन डालर का ऋण लेने के लिए विश्व बैंक का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयास है। विश्व बैंक के मालिकों ने यह शर्तें रखी हैं कि जब तक भाड़े और किराए नहीं बढ़ाए जाते जब तक रेलवे अपनी विकास लागत तथा विदेशों से आई० बी० एम० के आयात का 40 प्रतिशत लागत नहीं देती तब तक विश्व बैंक ऋण नहीं देगा। रेलवे मंत्री का भाषण और बजट विश्व बैंक के मालिकों को संतुष्ट करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है।

बजट में यात्री किराये से 172.60 करोड़ रुपये सामान से 12.60 करोड़ रुपये और भाड़े से 76.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का पूर्वानुमान है। वास्तविक पूंजीवादी सरकार की भांति, यह झुकाव आम आदमी के विरुद्ध है तथा धनवान और उद्योग-

पतियों के पक्ष में है । यहां तक कि नमक, भोजन, सब्जियां, आदि भी उपभोक्ताओं को मंहगी पड़ेंगी । हमें आंकड़ों को देखना चाहिए । इस्पात संयंत्रों तथा धोवनशाला के लिए कोयले के 27 70 मिलियन टन से 94.40 करोड़ भाड़ा मिलेगा, लेकिन जनता के उपयोग के लिए 50 मिलियन टन कोयले से रेलवे को 479.25 करोड़ रुपए मिलेंगे । 20.5 मिलियन टन अनाज से रेलवे को 250.50 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे तथा लोगों के काम आने वाली अन्य 45 मिलियन टन वस्तुओं से रेलवे को 780.50 करोड़ रुपए लाभ प्राप्त होगा ।

यदि हम आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका इस्पात संयंत्रों, धोवनशालाओं तथा उद्योगों की तरफ कितना अधिक झुकाव है लेकिन आम उपभोक्ता के विरुद्धहै ।

द्वितीय श्रेणी के यात्रियों के विरुद्ध यही भेदभाव किया गया है । न केवल अधिभार पर 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की छूट को ही समाप्त कर दिया गया है, बल्कि अब उन्हें 400 किलोमीटर तक प्रति 5 किलोमीटर के लिए 4 पैसे अधिक देने पड़ेंगे । प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित टु टीयर के लिए 250 किलोमीटर तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 251 किलोमीटर और उससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 2 पैसे बढ़ाए गए हैं । 1980-81 में यात्री भाड़े से प्राप्त कुल 827.5 करोड़ रुपयों में से 78·73 प्रतिशत राशि उपनगरेतर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त हुए । और विशेषकर कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्री ही रेलवे मंत्रालय का निशाना बनते हैं तथा उन्हीं को हानि पहुंचायी जा रही है ।

सत्तारुढ़ सरकार द्वारा आम आदमियों के लिए यह सहानुभूति दिखाई गई है ।

मैं इस से सहमत हूं कि रेलवे को शीघ्र ही बहुत अधिक धन की आवश्यकता है । रेलवे को नवकलेवर की आवश्यकता है । पुरी के भगवान जगन्नाथ का 12 वर्ष के बाद नवकलेवर किया जाता है । आप को कम से कम 700 किलोमीटर नई रेल लाइनों की शीघ्र आवश्यकता है । आप को नए वैगनों, नए रैकों तथा नए इन्जनों की आवश्यकता है । आपको नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है । लेकिन रैकों को, लाइनों को परिवर्तित नहीं किया जा रहा है न ही पुराने ईंजनों के स्थान पर नए लाये जा रहे हैं । केवल मंत्रियों का प्रतिस्थापन हो रहा है । श्री कमलापति गए और श्री केदार पांड़े आए । श्री केदार पांडे गए तो श्री सेठी आए । लेकिन पुरानी खतरनाक पटरियां, और पुराना अनुपयुक्त रोलिंग स्टाक वैसा ही बना हुआ है । इन पुरानी चीजों के स्थान पर नई लाने के लिए आपको सबसे पहले अधिक धन की आवश्यकता है हजारों करोड़ों रुपए की यहां रेलवे प्रणाली के साथ जो कि हमारी आर्थिक विकास का मूलाधार है, अन्याय किया जा रहा है । रेलवे को छठी पंचवर्षीय योजना के लिए कम से कम 11000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है । लेकिन योजना आयोग ने केवल 5000 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है । सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने से इसकी वास्तविक कीमत क्या रह जायेगी ? क्या यह रेलवे के लिए पर्याप्त होगा ? इतनी खराब स्थिति में भी आप लाभांश के रूप में सामान्य राजस्व में 405.12 करोड़ रुपए दे रहे हैं । मैंने संसद में यह मांग करते हुए कि योजना आयोग को रेलवे को 11000 करोड़ रुपए देने ही

चाहिए तथा भारतीय सरकार को कम से कम आने वाले 10 वर्षों में रेलवे से कोई लाभांश नहीं लेना चाहिए ।

रेलवे मंत्री तथा अन्य कई सदस्यों ने रेलवे द्वारा 220 मिलियन टन भार ढोने पर तथा 1982 में 230 मिलियन टन माल ढोने की आशा पर गहरा संतोष प्रकट किया है । यह अच्छी बात है । लेकिन वह किस तरह तथा किस मूल्य पर ले जाया गया है । रेलवे बोर्ड और सभापति वास्तव में बूढ़े घोड़े को चारा, पानी और आराम दिए बिना कोड़े लगाते जा रहे हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहते हैं जिसका वास्तव में अर्थ है । रेलवे आस्तियों का अधिकतम विनाश । सभापति महोदय, ने सुरक्षा नियमों की ओर ध्यान नहीं दिया है, वह हमेशा कहते हैं नियमों को छोड़ो, गाड़ियां चलनी चाहिएं । लेकिन यह अदूरदर्शी नीति है । निश्चय ही हमारे सभापति बहुत से मामलों में कार्यकुशल है लेकिन कभी-कभी कार्यकुशल व्यक्ति ही अपने बारे में इतना अधिक सोचता है कि अधिक-उत्साह में गलत काम कर बैठता है ।

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने का क्या परिणाम हुआ बहुत सी दुर्घटनाएं । 1980-81 में दुर्घटनाओं की संख्या 12885 थी और अनुवर्ती दुर्घटनाओं की संख्या 1013 थी, जो कि पिछले 13 वर्षों में सर्वाधिक थी । इसमें 2.95 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति नष्ट हुई तथा 172 व्यक्तियों की जानें गई ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मृत व्यक्तियों संबंधी ये आंकड़े ठीक नहीं है ।

श्री नारायण चौबे : मैं इसी बात पर आ रहा हूं । अन्य आर्थिक क्षेत्र में यातायात के अवरोध के कारण जो हानि हुई उसकी जानकारी नहीं है, किंतु इसका मूल्य करोड़ों रुपयों तक अवश्य होगा ।

रेलवे ने ये आंकड़े दिए हैं—1-1-81 से 30-11-81 अधिकारिक रूप से 538 व्यक्ति मारे गए तथा 1161 लोग घायल हुए लोगों का कहना है कि आंकड़े इससे बहुत अधिक हैं । 19 फरवरी के 'इकनामिक टाइम्स' में यह कहा गया है कि जनवरी 81 से जनवरी 82 के बीच हुई दुर्घटनाएं उपकरणों के फेल होने तथा सुरक्षा यंत्रों आदि को सप्लाई न किए जाने के कारण हुई । जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो रेलवे बोर्ड कहता है कि वह मानवीय गलती के कारण हुई । जी हाँ, यह मानवीय गलती है । लेकिन वह मानव कौन है ? वह व्यक्ति रेलवे बोर्ड का सभापति तथा सुरक्षा नियमों का पालन न करने के उसके आदेश हैं । क्या आप ब्रेक पावर के नियमों को मानते हैं । नहीं । क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्यूम हैं ? नहीं । क्या आपके पास ठीक रेलवे लाइनें हैं ? नहीं । क्या आप चालकों को ब्रेकों की जांच करने की अनुमति देते हैं । नहीं । यदि वे आपको रिपोर्ट देते हैं तो आप उनकी बात सुनते नहीं हैं । आप साधारण तौर पर उन्हें मौखिक आदेश दे देते हैं । आप उन्हें खराब इंजनों त्रुटिपूर्ण रैकों तथा वैगनों से ही गाडिया चलने के लिए कहते हैं । यदि वे आपके आदेशों को नहीं मानते, तो आप उन्हें सजा देते हैं ।

और यदि दुर्घटना हो जाती हैं, और दुर्घटना में वे मरने से बच जाते हैं तो आप उन्हें नौकरी से हटा देते हैं। नियमों के अनुसार कोचिंग गाड़ी के पीछे वैक्यूम ब्रेक वाला एक सामान रखने का डिब्बा अवश्य होना चाहिए। क्या आप इसका पालन करते हैं ? आप नहीं करते। बहुत से सहयोगियों ने बिलासपुर क्षेत्र में कटनी बिलासपुर खंड में 33 डाउन की दुर्घटना का उल्लेख किया था समाचार पत्रों के अनुसार जिसमें करीब 300 व्यक्ति मर गए थे। क्या इस भाग्यहीन माल के गाड़ी चालक ने यह नहीं बताया कि उसका इंजन खराब था तथा वैकयूम अपर्याप्त था। आपने क्या किया ? आपने उसे उसी तरह ही चलाने पर दवाब डाला और उसका परिणाम था वह मंयकर दुर्घटना। पुन: 27 जनवरी 1982 को हुई आगरा दुर्घटना को लीजिए। दक्षिण एक्प्रेस 4 घंटे 30 मिनट लेट थी। आपने चालक बुद्धूलाल पर समय पूरा करने के लिए दवाब डाला और उसका परिणाम हुआ दुर्घटना। फिर मिदनापुर में बंगालदेश तीर्थयात्री विशेष गाड़ी की 18-2-82 को दुर्घटना हुई। उसका इंजटन डब्ल्यू जी 9257 शंटिग इंजन था। चालक, केदाननाथ मालगाड़ी का चालक था ...।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : केदार पाँडे ?

श्री नारायण चौबे : जी नहीं? केदारनाथ। उसने कभी भी यात्री गाड़ी नहीं चलायी थी। पहले फायरमैंन की मृत्यु हो गयी थी। चालक और दूसरे फायरमैंन को निलम्बित कर दिया गया था लेकिन 18 बोगी वाली यात्री गाड़ी को शंटिग इंजन से चलाने की अनुमति किसने दी तथा उसके लिए माली गाड़ी के चालक को किसने नियुक्त किया ? डी० एम० ई० (पावर) खड़गपुर ने। उसके साथ आपने क्या किया ? क्या उसे हटाया गया है ? मैं मानता हूं उसे नहीं हटाया गया हो। संभवत: उसकी पदोन्नति की जायेगी, क्योंकि रेलवे बोर्ड के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध हैं।

आप अपने यार्डो को कैसे रख रहे हैं। यार्डों में, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यार्डों में, इंजनों और डिब्बों की बहुत भीड़ रहती है तथा यार्ड राख और कंकड़ों से भरे रहते हैं उसमें पर्याप्त बिजली नहीं है। उसके प्वाइंटस ठीक से काम नहीं करते। मैंने स्वयं देखा है कि प्वाइंट्स को ठीक करने के लिए हथोड़ों का उपयोग किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। खड़गपुर में, 1979 में 14 दुर्घटनाएं हुई थी। जबकि 1981 में 37 दुर्घटनाएं हुई ; नीमपुरा में 1979 में 104 दुर्घटनाएं हुई लेकिन 1981 में इनकी संख्या 375 थी। अधिकारियों की गलती के कारण श्रमिक घायल होते हैं और मारे जाते हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निश्चय ही रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के बेटे और बेटियां नहीं मारे जाते। दिल्ली में ही, रेल भवन की ठीक नाक के नीचे, कृपया दिल्ली सराद रोहिला सी० एन्ड० डबल्यू विभाग में जाइए और देखिए। वहां ब्रेक ब्लाक नहीं है, वियरिंग स्प्रिग नहीं है; हुक्स, नहीं है न पिन कॉटर हैं न स्क्रू कपलिंग हैण्डल हैं। आप बैगनों की मरम्मत कैसे करेंगे ? इन परिस्थितियों में यदि डिब्बे पटरियों से नही उतरेंगे और दुर्घटनाएं नहीं होगी, तो क्या वैगन पटरियों पर उड़ेंगे ?

रेलवे में होने वाले भ्रष्टाचार की जानकारी सबको है । कुछ सदस्यों ने बुकिंग में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया है । जी हां, उसे समाप्त किया जाना चाहिए, लेकिन वह भ्रष्टाचार रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय हेडक्वार्टरस तथा विभागीय हेडक्वार्टस में व्याप्त भ्रष्टाचार से बहुत कम है समुद्र में बूंद के बराबर है । रेलवे के बड़े लोगों के भ्रष्टाचार को प्रकाशित करके समाचर पत्र, संडे, ने देश के लिए बहुत बड़ी सेवा की है ।

चूंकि आप नए मंत्री हैं, मैं आप से निवेदन करूंगा कि अपने स्टोर विभाग को अधिक कार्य कुशल बनाएं । स्टोर विभाग से न केवल कम सामान प्राप्त होता है बल्कि साथ ही बल्कि वह सामान घटिया भी होता है । स्टोर विभाग के अधिकारी कभी-कभी उन बड़ी कम्पनियों के साथ सांठ-गाँठ कर लेते हैं जो आपको घटिया सामान सप्लाई करती हैं ।

कृपा संचालन विभाग को कार्यकुशल बनाइए । बैगनों के आवटन के मामले में वहां के अधिकारियों ने बड़ी कम्पनियों के साथ सांठ-गांठ की हुई है । कभी कभी, आपके रेल अधिकारियों को बैगन नहीं मिलते हैं कभी-कभी सरकारी उपक्रमों को बैगन नहीं मिल पाते । लेकिन गैर-सरकारी लोगों को बैगन इसलिए मिल जाते है वे संचालन विभाग के अधिकारियों को संतुष्ट कर देते हैं ।

भ्रष्ट लोगों को रेलवे में संरक्षण दिया जा रहा है । जो लोग जो भ्रष्टाचार का भेद खोलते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के नाम बताकर सरकार की सहायता करते हैं, उन्हें पदच्युत कर दिया जाता है तंग किया जाता है और सजा दी जाती है । मैं आपको खड़कपुर रेलवे बॉइज हाई स्कूल के प्रिंसिपल का उदाहरण दे सकता हूं । जिन अध्यापकों ने प्राध्यापक के भ्रष्ट कार्यों का भेद खोला उनका स्थानांतरण किया जा रहा है । उन्हें न्यायालय में जाने के लिए वाध्य किया जा रहा है ।

जहां तक यात्रियों की सुख सुविधाओं का प्रश्न है, भोजन प्रवंध विभाग स्वयं रेलवे द्वारा चलाया जा रहा था तथापि उनकी सेवा ठीक नहीं थी, अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शिकायत हम कर सकते है । अब संपूर्ण खान-पान सेवा ठेकेदारों को सोंप दी गई है । मैं चाहता हूं कि खान पान सेवा में सुधार किया जाना चाहिए तथा इसे विभागीय रूप से ही चलाया जाना चाहिए ।

रेल डकैती अव एक रोजमर्रा की घटना वन गई है । रेल यात्रियों की बिलकुल सुरक्षा नहीं है । इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए ।

कल के 'इवनिंग न्यूज' में एक असाधारण समाचार प्रकाशित हुआ है । वह व्यक्ति जिसने संपादक को पत्र लिखा वह है श्री एच० सी० वत्रा, 101 बी, मयूर विहार, दिल्ली । उन्होंने अपने पत्र में राजधानी एक्सप्रेस के लिए हावड़ा तथा दिल्ली दोनों में आरक्षण के हो रहे भ्रष्टाचार के वारे में लिखा है । मुझे आशा है, इसकी जाँच की जाएगी ।

भारतीय रेलवे भारतीय है । पूर्वी रेलवे का संबंध भारतीय रेलवे से पश्चिमी रेलवे का संबंध भी भारतीय रेलवे से है । लेकिन ए०सी०सी० एक्सप्रेस जो हर मंगलवार को हावड़ा से चलती है बैड राल्स सप्लाई नही करती क्योंकि उनके अनुसार, बोगिया पश्चिम रेलवे की हैं। ऐसा क्यों होता है ? मुझे आशा है इसकी जाँच की जाएगी ।

मैं रेलवे मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वे अपने कुछ बचनों को पूरा करें । आप जानते ही हैं कि हावड़ा, विशेषकर पूर्वी रेलवे के लिए बहुत ही भीड़-भाड़ वाला स्थान है पदमापुकार में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए पृथक कोच टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव था । लेकिन पिछले 10 वर्षों से बातचीत ही चल रही है और किया कुछ भी नहीं गया है ।

नीमपुरा डीजल शैड के बारे में जिसका उल्लेख इस ज्ञापन की मद 271; पृष्ठ 18 पर किया गया है, । आपने रेलवे बोर्ड के आदेश पर सदन को यह कहकर गुमराह किया है कि 1981-82 तक इस पर 15 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं । अपने अनुभव से मैं जानता हूं कि एक दमड़ी भी खर्च नहीं की गई है, तनिक सी भी जगह की खुदाई नहीं की गई है और एक भी पत्थर नहीं तोड़ा गया । अब आपने इसके लिए 5 लाख रुपये आवंटित किए हैं। मैं निवेदन करता कि यह कार्य अब शीघ्र ही होना चाहिए ।

मैं निवेदन करता हूं कि बिजली के इंजनों का पी० ओ० एच० खड़गपुर वर्कशॉप में शुरू किया जाना चाहिए जहाँ पर इसके लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं ।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि खड़गपुर-आद्रा लाइन के संचालन के प्रति उपेक्षा न बरती जाए । पश्चिम बंगाल से काँग्रेसियों का एक दल यहाँ आया और उनके एक प्रतिनिधिमंडल ने आपसे भेंट की तथा यह निवेदन किया कि खड़गपुर आदा खंड पर अधिक यात्री गाड़ियाँ शुरू की जानी चाहिए । मुझें खुशी है कि आपने उनसे इसका वायदा किया । यदि आप इस लाइन का उचित रूप से संचालक नहीं करने देते तो आप कोयला क्षेत्रों की आवश्यकता कैसे पूरी करेंगे जो कि बाँकुरा में विकसित हो रहे है ?

खड़गपुर रेलवे कालोनी भारत की सबसे बड़ी कालोनी है जिसमें 14000 क्वार्टर हैं। लेकिन वहाँ सभी कुछ खराब हालत में हैं। आप कोई अपनी पूंजी बनाये बिना ही पूंजी को हड़पे जा रहे हैं ।

पंडित नेहरू ने इस कालोनी का कई बार दौरा किया था और खड़गपुर के रेल-कर्मचारियों के लिए अच्छे मकान बनाने का वायदा किया था । कम से कम उनके वचन को ही रख लीजिए और खड़गपुर रेलवे कालौनी के लिए प्रर्याप्त मात्रा में विशेष धन की व्यवस्था कीजिए ।

पुरुलिया-कोटसिला लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जैसा कि इस सदन में माननीय रेल मन्त्री महोदय द्वारा वचन दिया गया था ।

इसके बाद, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध समुद्र-तट दिघा को हावड़ा से जोड़ा जाना चाहिए।

अब मैं रेलवे कर्मचारियों की बात करूंगा विपक्षी दल के बहुत से सदस्यों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की है कि अब भारतीय रेलों में शांति है तथा हड़ताल घेराव नहीं होते।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको रेलवे कर्मचारियों की बात पहले करनी चाहिए थी। आप उनकी बात अन्त में कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : अगली बार मैं आपका सुझाव मानूंगा। विपक्ष के सदस्यों ने कहा है कि वे पूर्णतः अनुशासन में है। सब बातें छोड़कर मैं इस बात की पुष्टि करूंगा कि रेलवे में आज जिस तरह की शांति है वह शान्ति कब्रिस्तान की शांति है या फिर शमशान भूमि की शांति। वास्तव में, रेलवे में आपात्तकालीन स्थिति पैदा हो गयी है।

1974 की हड़ताल के बाद बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था यदि उसके बाद जनता सरकार ने सत्ता नहीं संभाली होती और उसने उन सबको नौकरी नहीं घर पुनः न ले लिया होता तो वे सब अभी तक बेरोजगार होते। किसी व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जब से उन्हें पुनः नौकरी दी गई है वहां अनुशासनहीनता बढ़ गयी है मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

रेलवे अधिकारी रेल कर्मचारियों के साथ ऐसा वर्ताव कर रहे हैं जैसे कि वे बंधुआ मजदूर हों। इससे मुझे एक मुहावरा अथवा कहानी की याद आ रही है। एक आदमी कुछ भोजन मांगने एक औरत के घर गया। उस औरत ने उसे भोजन नहीं दिया बल्कि उसकी बजाय कुत्ते की जंजीर खोल कर उसे उस आदमी को पकड़ने का संकेत दिया जोकि भोजन पाना चाहता था। आदमी ने कहा, "कृपया, भले ही मुझे खाना मत दीजिए। लेकिन कम से कम अपने कुत्ते को बांध लीजिए"। इसी तरह, रेल कर्मचारी अन्य सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारियों के समान वेतन चाहते हैं। आपने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया है। अब निवेदन यह है कि "कम से कम उस नियम 14 (2) को उन पर लागू करना बंद कीजिए जिसके अन्तर्गत आप कर्मचारियों को नौकरी से हटाकर या बरखास्त कर उन्हें सजा दे रहे हैं।" सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रेलवे में मूल वेतन सब से कम है। इसके बावजूद इस अन्तर को खत्म करने की बजाय, आप लगातार उन पर नियम 14 (2) लागू कर रहे हैं, कि मैं पहले ही रेलवे बोर्ड के कुशल अध्यक्ष का ध्यान इस ओर दिला चुका हूं कि लोकोमैनों की बात तो अलग रही आप गैंगमैन को भी, नियम 14 (2) के अन्तर्गत नौकरी से हटा रहे हैं। आप अपने लोकोमैनों को तो हटा ही चुके हैं और अब आप गैंगमैन को भी हटा रहे हैं।

रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टर नहीं दिए गए हैं, जहां उन्हें क्वाटर दिए भी गए हैं; उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। उनके बेटे-बेटियों को रेलवे में रोजगार नहीं मिलता इसी कारण रेलवे कालोनियाँ समाज विरोधी तत्वों का अड्डा बनती जा रही है।

रेलवे में 3 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं। आप उनके साथ दासों का सा व्यवहार कर रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने दक्षिणी रेलवे के रोबर्ट डिसूजा, जिसने कि 30 वर्ष तक रेलवे की सेवा की, के मामले में अपना निर्णय दिया है। उसका एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानान्तरण किया जा रहा था। उसने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया और 'निर्माणकार्य कर्मचारी संघ' का गठन किया। उसका फिर से स्थानाँतरण कर दिया गया और अन्त में नौकरी से निकाल दिया गया। वह मामला उच्चतम न्यायालय में गया और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उसे छंटनी लाभ दिए जाने चाहिए। अब भी रेलवे में लाखों की संख्या में नैमित्तिक श्रमिक हैं जो कि नियमित हुए बिना ही या सेवामुक्त किए जा रहे हैं या मर रहे हैं। क्या आप उनकी नौकरी नियमित करने का छोटा सा काम भी नहीं कर सकते ? आखिर उन्होंने 20 साल तक आपकी सेवा की है।

अब मैं रेलवे अस्पतालों की बात करूंगा। उनकी इमारतें बहुत अच्छी हैं। लेकिन वहाँ अधिकतर अधिकारियों को ही दवाइयाँ मिलती हैं और रेल कर्मचारियों को केवल नुस्खा दिया जाता है। स्वभावतः रेलकर्मचारियों का मनोबल टूटता हे और वे निराश हो जाते हैं। कृपया उनके साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की भाँति व्यवहार मत दीजिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए समय पर कदम नहीं उठाए गए तो उनका नैराश्य गुस्से और संघर्ष में बदल जाऐगा। कृपया रेल कर्मचारियों के साथ किए जा रहे घृणित व्यवहार को रोकिए। अन्यथा जो ऊपरी शाँति और खामोशी आप महसूस कर रहे हैं उसका किसी दिन विस्फोट हो जाएगा।

कृपया केवल मान्यता प्राप्त संघों पर ही निर्भर मत रहिए क्योंकि वे सभी रेलवे कर्मचारियों की इच्छा और विचारों को प्रतिबिम्बित नहीं करते हैं। अतः केवल उन्हीं पर निर्भर मत रहिए, जैसा कि रेल मन्त्री कर रहे हैं। कृपया, समय समय पर रेल कर्मचारियों के अन्य अमान्यता प्राप्त संगठनों की भी बैठक बुलाया करें और उनके विचार मालूम करें जैसा कि श्री ललित नारायण मिश्र करते थे, जब वह रेल मंत्री थे।

कृपया देश को बचाने के लिए, रेलवे को बचाइये। विश्व बैंक के दबाव में मत आइए। रेलवे के लिए अधिक धन योजना आयोग से लीजिए। सामान्य राजस्व को दिए जाने वाले लाभांश के भुगतान को कम से कम 10 वर्षों के लिए बंद कर दीजिए। रेलवे का सामाजिक भार आम बजट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। आप दुकानों, शेडों तथा डिपओं को उचित माल दें। सुरक्षा नियमों का अनुसरण करें। उनके साथ अक्खड़ पन से व्यवहार नहीं कीजिए। भारतीय रेलवे में, मुख्यतः अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकिए। रेल कर्मचारियों के साथ न्याय कीजिए, जो कि रेलवे की सबसे बेहतर सम्पत्ति है। अन्यथा जो वह रेलवे के लिए यह उत्पादकता वर्ष नहीं होगा। यह दुर्घटनाओं, अवपधन और टक्कर आदि का वर्ष होगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

श्रीमती मोहसिना किदवई (मेरठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त रेलवे बजट पर जो चर्चा इस सदन में हो रही है, मैं उसका खैरमकदम करने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं माननीय मन्त्री जी को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि इस दफा बावजूद किराये बढ़ाये गए हैं, मुसाफिरों के ऊपर थोड़ा-सा बोझ पड़ा है, फिर भी हर पहलू को इस बजट में टच किया गया है; रेल्वेज को सिर्फ एक कामर्शियल कन्सर्न की तरह से नहीं, बल्कि उसका जो खास मकसद है— पब्लिक सर्विस— उसकी तरफ ध्यान दिया गया है। कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ा गया है जिस को टच न किया गया हो। उनकी बजट स्पीच से हम यह उम्मीद कर सकते हैं और मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पिछले ढाई-तीन सालों के अन्दर हमारी इण्डियन रेल्वेज की कारगर्दगी पर जो धब्बा आया था— चाहे मुसाफिर गाड़ियों का एक्सीडेन्ट हो, चाहे इनएफिसियेंसी का मामला हो, ओवर क्राउन्डिग का मामला हो सारी चीजों की तरफ हमारे इस वक्त जो मन्त्री जी हैं उनका ध्यान गया है और हम उम्मीद करते हैं कि वे जल्द से जल्द उन काले धब्बों को अपने रेल मन्त्रालय से हटाने की कोशिश करेंगे। हिन्दुस्तान की तरक्की में इण्डियन रेलवे एक बहुत अहम मुकाम रखती है जिसने इस देश की तामीर और तरक्की में, देश की सुरक्षा के लिए या ट्राउट के जमाने में अनाज पहुंचाने में या फलड के जमाने में बहुत शानदार काम किया है। आजादी के बाद हमारे पास इतने ज्यादा संसाधन बढ़े कि हमने बहुत सी मुसीबतों पर काबू पाया जो भयंकर रूप में हमारे सामने बनी रहती थी। मैं एक मिसाल देना चाहूंगी— उस वक्त हमारे पास इतने ज्यादा आमदो-रफ्त के जराये नहीं होते थे। भुखमरी पर काबू पाने के लिए या जिस वक्त बंगाल में कहत पड़ा था, आपको याद होगा, हालांकि उस वक्त गेहूं सस्ता बिक रहा था, लेकिन हमारे पास इतने जराये नहीं थे कि हम एक जगह से दूसरी जगह अनाज पहुंचा सकते और अनाज न पहुंचने की वजह से उस वक्त हजारों लोग भुखमरी के शिकार हुए। लेकिन आज मार्डनइजेशन के बाद, ज्यादा से ज्यादा रोड ट्रांसपोर्ट या रेलवे ट्रांस्पोर्ट हो जाने से, हमने इस मुसीबत पर काबू पा लिया है और आइन्दा भी इस तरह की मुसीबत का सामना कर सकेंगे।

मैं इस मौके पर दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। हमारी रेलवे दो हिस्सों में बटी हुई है -1- एडमिनिस्ट्रेटिव विंग और 2-आपरेशनल विंग। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि बहुत दिनों के बाद हमारे रेल मंत्री जी ने उन कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ देखा है जिन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मेरा मतलब क्लास 4, क्लास 3 और क्लास 2 कर्मचारियों और अधिकारियों से है। इस किस्म के लोग जो आपरेशनल विंग में काम करते हैं उनको बुलाकर मन्त्री जी ने उनके साथ बात की और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। पिछले बजट में ज्यादा जोर और मालगाड़ियों और फ्रेट पर दिया दिया था, लेकिन यह पब्लिक सैक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और मैं समझती हूं कि दुनिया के किसी मूल्क में ऐसी नहीं होगी। पब्लिक सैक्टर की जो इंडस्ट्री होती है उसको बड़ी भारी परेशानी होती है क्योंकि उसको सारा कारोबार मुनाफे को देखकर ही नहीं करना होता है, उसको पब्लिक सर्विस का मोटिव मद्दनजर रखकर करना होता है और इन दोनों के बीच रास्ता

निकालना मुश्किल होता है । लेकिन जिस तरह की बात आप कर रहे हैं उससे मुझे उम्मीद है कि आप आगे बढ़ेंगे । और इसको और ज्यादा गम्भीरता और संजीदगी के साथ आप देखेंगे ।

आपने अपनी बजट स्पीच में बहुत सी बातें कही हैं कि आप लोगों की फेसिलिटीज बढ़ाने के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं । वे सब हमें मंजूर हैं । हम समझते हैं कि आप उन पर अमल-दरामद करेंगे जिससे कि लोगों को रेलवेज पर फेथ बढ़ता चला जाए ।

रेलवेज में रिजर्वेशन में गड़बड़ी और ओवरक्राउडिंग से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है । इस तरह की बातें हमारे अपोजिशन ने भी कहीं हैं । उनमें थोड़ी-बहुत सच्चाई जरूर है । उसके बारे में कहा जाता है कि हमें तभी सफर करना चाहिए जबकि बहुत जरूरी हो । मैं समझती हूं कि जो लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके सफर करते हैं वे तभी सफर करते हैं जबकि वहुत जरूरी होता है । बाकी जिनके पास फ्री पास हैं या जिनका किराया सरकार की जेब से जाता है उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकती लेकिन जो तबका अपनी जेब से पैसा खर्च करके रेलों में सफर करता है वह तभी करता है जबकि उसके लिए जरूरी होता है । आपको ऐसे तबके की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए ।

रेलवे रिजर्वेशन के बारे में मेरा जातीय तजुर्वा है कि उसमें क्या क्या होता है । कोई फैमिली अपना रिजर्वेशन कराती है और रिजर्वेशन का पैसा खर्च करके कराती है उनके टिकटों पर डब्ल्यु० एल० लिख दिया जाता है । अब फैमिली सारी की सारी स्टेशन पर आकर जाने के लिए खड़ी है और उसको बताया जाता है कि आपके नाम कोई रिजर्वेशन नहीं है । अब दिल्ली से रिजर्वेशन करायी गयी अलीगढ़ से गाड़ी पर चढ़ने के लिए । अलीगढ़ में गाड़ी दो मिनट खड़ी होती है । वहां फैमिली खड़ी है, कंडक्टर आपका कह देता है कि कोई रिजर्वेशन नहीं है । फैमिली का लड़का कंडक्टर से कहता है कि हमारे यहां मौत हो गई है, हमें जरूरी जाना है । वह कंडक्टर को चार्ट में भी दिखाता है कि उनकी रिजर्वेशन सब से ऊपर है । लेकिन उनकी सीट पर दूसरे साहब बैठे हैं । इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं जो कि पब्लिक के कंसर्न की बातें हैं और ऐसी बातों से ही लोगों को लगता है कि सरकार के काम करने का तरीका गलत है या सही है । इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इनको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें ।

एक बात मैं लेडीज के बारे में कहना चाहती हूं । रेल गाड़ियों में उनके लिए जगहें बहुत कम होती हैं । सैकिंड क्लास में कोई छोटा-सा डिब्बा किसी थ्री टायर कम्पार्टमेंट में उनके लिए रख दिया जाता है । उसमें बहुत थोड़ी सी सीटें होती हैं । मैं कहना चाहूंगी कि जैसे पहले लेडीज कंम्पार्टमेंट्स होते थे उसी तरह के कम्पार्टमैंट का उनके लिए इंतजात करें । उनके डिब्बे में गार्ड जरूर हो ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो सके । महिलाओं की परेशानी दूर करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए ।

आपने रेलों में माडरेनाइजेशन के लिए लखनऊ में एक सेन्टर कायम किया है । इसकी मुझे खुशी है । लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं और मुझे बाहर की रेलों का तजर्वा है । आपको

भी बाहर की रेलों का तजुर्बा करना चाहिए । हमारे प्लेटफार्म्स पर इस कदर गन्दगी होती है कि वहां पर खड़ा होना मुश्किल होता है । बाहर की रेलों में टायलेट्स में आटोमेटिक लोकस लगे होते हैं और जब गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी होती है तो वे आप से आप बन्द हो जाते हैं और उनको कोई पेसेंजर यूज नहीं कर सकता है । इस तरह से आप भी कुछ सोचिए ताकि आपके प्लेटफार्मस पर जो गन्दगी होती है वह न हो । अगर आप भी ऐसा तजुर्वा करेंगे तो आपको इस तरह से होने वाली गन्दगी से निजात मिलेगी ।

आप जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने जा रहे हैं, मैं समझती हूं कि यह आपका बहुत अच्छा मकसद है । आप ज्यादा से ज्यादा रेलों में इलेक्ट्रिफिकेशन करें और पुराने तरीके को दूर करें ।

बहुत सी इंडस्ट्री जो मुख्तलिफ प्रदेशों में हैं उनसे रेलवे का ताल्लुक पड़ता है । उनके लिए रेलों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है । मैं इस बात से सहमत हूं कि रेलों के लिए जो एलोकेशन किया गया है वह कम है । इसको और बढ़ाया जाना चाहिए । हाउस इस मामले में एक राय का है । प्लानिंग कमिशन को एलोकेशन जो रेलवे के लिए है वह कम नहीं करना चाहिए था । इसको और ज्यादा बढ़ाने की बात सोची जानी चाहिए । यह जो माँग की गई हैं इसका मैं भी समर्थन करती हूं ।

टूरिस्ट्स के लिए एक बहुत अच्छी ट्रेन अभी थोड़े दिन पहले चलाई गई है, पैलेस आन व्हील्ज । यह बड़ी खुशी की बात है । इससे टूरिस्ट एट्रैक्ट होंगे । इस तरह की ओर ज्यादा ट्रैनज चलाई जानी चाहिए । मेरा सुझाव यह है कि एक ट्रेन हट आन व्हील्ज चलाई जानी चाहिए । गरीब जो लोग हैं, जिन्होंने अपना मुल्क नहीं देखा है, उनको मुल्क को देखने का मौका मिलना चाहिए । मैं सीरियसली इस बात को कह रहा हूं । जो लोग इस ट्रेन में मुल्क देखना चाहें उनको थोड़ा कंसेशन भी आपको देना चाहिए । मुल्क ने जो तरक्की की है उसको देखने का लोगों को मौका मिलना चाहिए । आज तमिलनाडु का आदमी यू पी. में नही जा सकता । पंजाब का आदमी तमिलनाडु में नहीं जा सकता है । आपको खास तौर से नौजवानों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस तरह से स्कूली बच्चों को आप कंसैशन फार्म देते हैं उसी तरह से इन लोगों को भी मिल सकें । जो बड़े-बड़े काम हुए हैं, जिन के बारे में पंडित नेहरू कहा करते थे कि ये हमारे पवित्र स्थान हैं, जैसे भाखड़ा नंगल है कालाग का कच्चा डैम है, जमुना टनल है, भिलाई के कारखाने हैं या रांची के कारखाने हैं, उनको देखने का नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, स्टूडेंट्स के अलावा दूसरे लोगों को भी इनको देखने का मौका मिलना चाहिए । आप कोई ऐसा समय मुकर्रर करें जिसमें लोगों को घूमने का मौका मिले और कम खर्च में मिले और वे भारत दर्शन कर सकें ।

अब में अपनी कंस्टिट्युएंसी के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहती हूं । मेरठ से लड़ कर और चुन कर मैं आई हूं । यह बदकिस्मती की बात है कि आज तक वहां एक भी नई गाड़ी नहीं दी गई है । जो वहाँ से डैली पैसेंजर आते हैं उनकी तादाद कम से कम सात आठ हजार के ऊपर

होगी। 1947 में जितनी गाड़ियां चल रही थी, शटल ट्रैनज चल रही थीं वही नौ की नौ अब भी चल रही हैं। पूरा चार्ट मैं पढ़ना नहीं चाहती। और जगह गाड़ियां बढ़ गई हैं। मेरठ जो बिल्कुल करीब है और जिस को सैटलाइट टाउन हमारी सरकार ने घोषित किया है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। यह रेल मन्त्रालय की लापरवाही है यह तो मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि उधर नजर नहीं गई है और इस सम्बन्ध में एक शेर अर्ज कर देना चाहती हूं।

गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी
ऐ खानाए बरअन्दाजे चमन कुछ तो इधर भी

मेरठ इस वक्त सब से अलग अलग है रेली के बारे में। कोई डायरेक्ट लाइन नहीं है वैस्टन साइड में। आठ हजार किलोमीटर का इलाका यह है। लोगों को इलाहाबाद मुकदमे लड़ने के लिए जाना पड़ता है लेकिन कोई डायरेक्ट लाइन नहीं है। चन्द बोगीज हापुड़ स्टेशन से लगती है और मुजफ्फर नगर बुलन्दशहर, मेरठ वगैरह के लोगों को वहां आना पड़ता है। लखनऊ के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। संगम जरूर चली थी 1976 में जो इलाहाबाद ले जाती है। वह शाम को पांच बजे चलती है और दूसरे दिन बारह बजे पहुचती है। इस तरफ आपका जरूर ध्यान जाना चाहिए।

हस्तिनापुर एक बहुत ही पुराना तारीखी शहर है। उसका सर्वे तक नहीं हुआ है। दंडवत जी से मैं सहमत हूं जब उन्होंने कहा :—

"जहां चाह, वहां राह, जहां इच्छा नहीं होतीं, वहां संर्वेक्षण भी नहीं होता"।

पहले जो मन्त्री थे वह वहां गए थे और कह कर आए थे बड़ी मेहरबानी से कि हम इसका सर्वे करेंगे। मैं चाहती हूं कि मंत्री जी सर्वे न करवा कर वहां बड़ौत से हस्तिनापुर तक की लाइन दे दें और कुछ गाड़िया मेरठ से डायरेक्ट चलवा दें ताकि राजधानी से तो उसको कम से कम मिलाया जा सके और वहां के लोगों को कुछ सहूलियत हो सके।

किराया बढ़ाते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं तो आप यह भी देखें कि सही खर्च हो और लोगों को सहूलियतें मिलें, सुविधाये मिलें। लोगों को परेशानी होती है जब वे देखते हैं कि किराया तो आप बढ़ाते हैं लेकिन उनको सहूलियते आप नहीं देते हैं। उनकी परेशानियों की तरफ तवजह करते है तो किसी को नहीं खलता किराया बढ़ना, वशर्ते कि उसको यकीन हो जाय कि यह हमारे ही काम आने वाला है।

दूसरी बात यह कि इसमें अपोजीशन के भाईयों का सहयोग चाहा है, और मैं समझती हूं कि इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है उसमें जरूरत इस बात की है कि जो नीचे का कर्मचारी है, पिसता है और जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि रेल का पहिया जाम करा देना तो आसान है, लेकिन उससे मुल्क का कितना नुकशान होता है यह भी देखना चाहिए।

इसलिए इन लोगों को अपने हकूक के साथ अपनी ड्यूटी को भी समझना चाहिए और मुस्तैदी से अपना काम अंजाम देना चाहिये । यह हमें और आप सब को समझना चाहिए । साथ ही जो नीचे के कर्मचारी हैं, लाइनमैन, गार्ड, स्टेशन मास्टर उनकी जो सर्विस कंडीशन्स हैं और जिस तरह से रहते हैं उसकी तरफ भी आपको तवज्जह देनी चाहिए । और जो आपने दी है मैं समझती हूं कि वह सही है और थोड़े दिनों में उनकी दिक्कतें जो इस वक्त हैं वह भी दूर होने वाली हैं ।

आपने बच्चों की उम्र 5 साल से घटाकर 3 साल की है मेरी राय में यह मुनासिब नहीं हैं । सरकार का इस पर फिर से विचार करना चाहिए और 5 साल ही उसको रखना चाहिए । एक सुझाव यह है कि हम आये दिन देखते हैं कहीं न कहीं ऐक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं । कोई न कोई ट्रेन में लोग बीमार होते हैं । तो मेरी राय है कि एक वैल इक्विप्ड डिस्पेंसरी टाइप बोगी हर फास्ट ट्रेन में चलनी चाहिए । ताकि ऐक्सीडेंट के वक्त या किसी के बीमार पड़ने पर उसको तुरन्त इमदाद पहुंचायी जा सके । अगर आप इसका तजुर्बा करें तो यकीनन उसके अच्छे परिणाम होंगे ।

प्रो० मधु दंडवते : अगर उसी बोगी का ऐक्सीडेंट हो जाय तो क्या करें ?

श्री मोहसिना किदवई : अब यह तो खुदा की मर्जी है, या इन्सानी गलती हो सकती है । जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ इन्तजाम आपने कर रखा है । मेरी राय है कि हर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट पर भी रिर्जवेशन का इंतजाम होना चाहिए । क्योंकि मैंने देखा है कि यहां तो चले आते हैं लेकिन उसके बाद उनको रेल रिज़र्वेशन मिलने में दिक्कत होती है, और खासतौर से लेडीज को पता नहीं होता कि उनको रिजर्वेशन के लिए कहां जाना है । इसलिए हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी बुकिंग का इतना हो तो टूरिस्ट और अट्रैक्ट होंगे ।

एक बात आपने डबल डैकर की कही है । मैं समझती हूं कि डबल डैकर बोगीज को कम से कम फासले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे गाजियाबाद. सहारनपुर, मेरठ से दिल्ली के लिए या लखनऊ के आस पास कानपुर या उन्नाव से आने के लिए । इससे ज्यादा फायदा लोगों को हो सकता है और जगह की दिक्कत भी खत्म हो सकती है और लोगों को भी आराम मिलेगा ।

बाराबंकी मेरा होम टाउन है जो एक छोटा जिला है वहां से कई मैल ट्रैन्स गुजरती हैं और सफदरगंज एक मंडी है । पिछले रेल मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी ने वहां एक स्टापेज दिया था लेकिन वह बन्द हो गया । मैं चाहूंगी कि फास्ट ट्रैन्स का स्टापेज आप दे दें । इसी तरह से वहाँ हैंडलुम के छोटे छोटे व्यापारी बहुत हैं और मछली का काम करने वाले लोग भी हैं । पहले पैसेंजर ट्रैन्स में उनके लिए जगह और वक्त मिलता था । लेकिन इस वक्त ज्यादातर ट्रैन्स में माल का लदान बन्द हो गया है । इसलिए इस बारे में आम इंस्ट्रकशनस दें क्योंकि लाखों रुपये का सामान पड़ा रह जाता है । इससे आपको भी फायदा होगा और लोगों को भी होगा । अभी डिवीजन लेविल पर डिसीजन हो जाता है जिससे लोगों को परेशानी होती है और आप तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं अपनी कठिनाई बताने के लिए रेलवे को भी रेवेन्यू कम मिलता है ।

गोमती एक्प्रेस के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कानपुर से दिल्ली आते हुए अलीगढ़ रास्ते में पड़ता है। अगर आप उसका स्टापेज अलीगढ़ कर दें, 2.3 मिनट का तो उससे काफी समस्या हल हो सकती है। ज्यादातर स्टूडेंस सफर करते हैं अलीगढ़ से कानपुर और दिल्ली से। दूसरी गाड़ी अलीगढ़ में दिल्ली से जाते हुए या लखनऊ से आते हुए इतनी वेवक्त वहाँ पहुंचती है कि दिल्ली से जाते हुए रात को 12 बजे और लखनऊ से आते हुए सवेरे 4 बजे अलीगढ़ पहुंचती है। इससे गर्ल स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी होती है, लखनऊ कानपुर से आनेवाली स्टूडेंस को बड़ी परेशानी होती है। अगर गोमती का स्टापेज अलीगढ़ में हो जाये तो मैं समझती हूं कि यह बुरा नहीं है।

हमारे उत्तर प्रदेश के जो सनती टाउन्स हैं, इंडस्ट्रीयल टाउन्स हैं, जैसे कानपुर हैं, तमाम गाड़ियाँ वहां से गुजरती हैं, लेकिन कानपुर के लिये मखूसस कोई ट्रेन नहीं हैं, न कलकत्ता के लिए और न दिल्ली के लिए। एक तो गोमती में 2,3 कोचेज बढ़ाये जायें जिसमें कानपुर का भी हिस्सा हो। जो नई ट्रेन चलाई है 29—अप, हमारे लखनऊ से यह चलती है। गोरखपुर की बोगी उसमें लगाई है, मैं समझती हूं कि गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया यह ऐसे हिस्से है जहां से पूरी ट्रेन चलनी चाहिए। इस बोगी से पूरा मखसद हल नहीं होता है।

आजमगढ़ के बारे में भी मैं कहना चाहती हूं, वहां बहुत दिनों से मांग हो रही है। यह एक बहुत बड़ा टाउन है, हैंडलूम का बिजनेश यहां बहुत होता है, बाहर भी जाता है, एक्सपोर्ट भी होता है। यह अभी तक लिंक—अप नहीं हो पाया है। मंत्री जी इसके बारे में भी बतायें। एक योजना थी इसे मऊ बनारस से जोड़ देने की, अगर उसमें कोई प्रगति की गई हो, उसका विचार कर रहे हों तो यह भी एक ईस्टर्न यू० पी० के लिये बहुत बड़ी चीज होगी।

मैंने बहुत सी बातें कह दी हैं, अब उपाध्यक्ष जी की नजर ऐसी है, कि मुझे और नहीं बोलना चाहिए इसलिए मैं अपने चन्द सुझावों के साथ फिर इस वजट का खैर यकदम करती हूं

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की चर्चा आवंटित समय के अनुसार समाप्त हो जानी चाहिए। मंत्री महोदय, 4.45 बजे म. प. अथवा 5,00 बजे म. प. उत्तर देगे। अतः मेरा प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे 7 से 9 मिनट से अधिक समया न लें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरे दल को···समय आवंटित, किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय · आपके दल को समय दिया गया है। यह ठीक है। मैं मंत्री महोदय से 4.45 बजे म. प. उत्तर देने के लिए कहूंगा। उस समय तक सभी दलों के जिन्हें समय आवंटित किया गया है सदस्य बोल चुकेंगे।

श्री डी० पी० यादव को पहले ही 8 मिनट आवंटित किये गये हैं। तथापि उन्हें कम से कम 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय के बजट पर मैं कोई बहुत बड़ी तकरीर करने के पक्ष में नहीं हूं। माननीय मंत्री जी को केवल कुछ बातें याद दिला देना चाहता हूं जिन पर प्रायर्टी से तवज्जह देने की जरूरत है।

एक चीज जहन में रखने की यह है कि हमारी नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी क्या कहती है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है नेशनल ट्रांसपोर्ट पालिसी और योजना आयोग द्वारा प्रकाशित छटे प्लान के डाकयुमेंट में स्पष्ट लिया है—

परिवहन सेवाएं वस्तुओं से भिन्न हैं। इनका न तो व्यापार हो सकता है और न इनका भण्डार बनाया जा सकता है।

और ट्रेडैबल है और इसका स्टोरेज किया जा सकता है। ये दो वाक्य आपके लिए गाइड लाइन्स होने चाहियें और आपके अधिकारियों के लिए भी गाइडलाइन होने चाहियें।

जितनी चर्चा हुई है, उसमें बहुत सारे बिन्दु कवर हुए हैं और मैं तो रेलमंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य भी हूं, यदा कदा अनोपचारिक बातें वहाँ होती हैं। अपना विचार देता रहता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ खास मुद्दों की ओर ही दिलाना चाहता हूं।

रेलवे के पास डेवेलपमैंट की जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है, क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं ? इस पर चर्चा करुंगा। इस सम्बन्ध में हमारे मेजर पालिसी आबजेक्टिव्ज में हुआ है :—

"उत्पादकता में वृद्धि कर विद्यमान परिसम्पत्तियों का अधिकतम उपयोग करना।"

इस समय रेलवे के अपने 46 कारखाने हैं और मेरी समझ से आने वाले कम से कम पंद्रह बीस सालों तक वे रेलवे की डिमांड्ज की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं, चाहे कोच मैनुफैक्चरिंग हो, री कन्डीशनिंग हो, कम्पोनेन्ट मैनुफेक्चरिंगइंजन निर्माण या वैगन रिपेयरिंग हो। लेकिन दुर्भाग्यवश, कुछ राजनैतिक कारणों से नए कारखाने बना दिए जाते हैं और पुराने कारखानों को छोड़ दिया जाता है। मुझे अपने क्षेत्र का अनुभव है। वहां एक रेल कारखाना है—जमालपुर वर्कशाप। भारतीय रेलवे का सबसे पहला रेल कारखाना 1862 में जमालपुर में शुरू हुआ। उसमें शुरू से लेकर आज तक रेल वर्कर्ज की संख्या घट कर 14,092 रह गई है। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि स्टीम लोकोमोटिव के फेज आउट होने पर उसके बदले जो रिप्लेसमैंट होना चाहिए था, जैसे डीज़ल लोकोमोटिव, क्रेन मैनुफैक्चरिंग और वैगन रिपेयरिंग का काम, वह वहां नहीं हो रहा है। नतीजा यह है कि दूसरा कारखाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन इस कारखाने की पोटेंशेलिटी का पूरी तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

मैं इस कारखाने के हर एक मुद्दे में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस कारखाने, और इस प्रकार के अन्य 46 कारखानों, के बारे में एक नैशनल पर्सपेनिटव प्लान बनाया जाए, एक टैक्नो-इकानोमिक सरवै कराया जाए और उनका आप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाय ।

छठी योजना पुस्तिका में एक जगह कहा गया है :—

"यह अनुमान लगाया गया है कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों में प्रयोग किये जाने कोयले की भाप से चलने वाले इंजिनों में सीधे प्रयोग किये गये कोयले से पांच गुना अधिक क्षमता होती है ।"

इसका मतलब यह है कि सरकार की पालिसी इलैक्ट्रिफ़िकेशन की दिशा में जाने की है । इसलिए जिस जिस राज्य में इलेक्ट्रिसिटी की प्रचुरता है, जैसे केरल, महाराष्ट्र आदि, वहा पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिफिकेशन अपनाया जाए और अन्य जगहों में भी जहां बिजली उपलब्ध हो, वहां इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ़ जाना चाहिए । कहलगांव और फ़रक्का जैसे बड़े बड़े सुपर-थर्मल स्टेशन आ रहे हैं । उनके आने पर देश के नार्दर्न और ईस्टर्न भाग में इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम करना होगा और उसके मुताबित ही नये कारखाखों को ढालना होगा ।

रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के कुछ अफ़सरों के बारे में एक कान्ट्रोवर्सी चल पड़ी है । मैं जमालपुर को रिप्रेजेन्ट करता हूं वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय की सलाह पर 1927 में इंस्टीट्यूट बनाया गया था । वहां से जो स्पेशल क्लास एप्रेन्टिस निकले हैं, वे बहुत ही अच्छे और लायक इंजीनियर साबित हुए है । मैं अनुभव करता हूं कि उनको जो जगह रेलवे मंत्रालय में मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है । जमालपुर से ट्रेन्ड इन अफ़सरों की संख्या मात्र 500 होगी और वे क्लास वन रेल अफ़सरों में मात्र 7 परसेंट ही हैं । लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक रेल अफ़सरों को जो छः पद्मश्री मिले है, उनमें से चार पद्मश्री स्पेशल क्लास एप्रेन्टिस ले गए हैं ।

1947 में देश आजाद हुआ था और अंग्रेजों के जाने से बहुत सारे पद खाली हो गए थे । बड़ी से बड़ी पोस्ट पर कोई इंजीनियर नहीं था । स्पेशल क्लास एप्रेन्टिस वहां लगा दिए गए । उनका काम सराहनीय रहा है । आज प्रोमोशन, ट्रांसफर और पोस्टिंग में उनको जेनरल इंजीनियर्स के बराबर वही तरजीह देनी होगी, जो उन्हें पहले दी जाती थी ।

दूसरी बात मैं यह समझता हूं कि रेलवेज के लिए फर्स्ट क्लास एपरैंटिस, ट्रेड एपरैंटिस स्कीम का प्राविजन रेलवे कल्चर और रेलवे टेक्नालाजी के हित में पूर्ववत रखे और उसको प्रोत्साहित करें । जहां 1862 से कारखाना बना हुआ है । उस होल एरिया में रेलवे टेक्नालाजी ऐंड डेवलपमैंट की कल्चर बन गई हैं । आप वहां के कर्मचारियों के सारे बच्चों को एप्वाइन्टमेंट दीजिए । क्योंकि वे बच्चे ऐसे परिवारों में पैदा हुए हैं जहां पर रेलवे टेक्नालाजी का संस्कार बन गया है ।

इसके अलावा रेलवे में जो क्लास (टू) के कर्मचारी हैं वे बड़े बे सहारा हैं। क्लास (थ्री) और क्लास (फोर) के लोग तो झंडे लेकर अपनी मांगे पूरी करवा लेते हैं और क्लास (वन) वाले तो सारी सर्विस को रेग्युलेट ही करते हैं। रेल कर्मचारियों के वेज स्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, जैसा कि चौबे जी ने भी कहा है, अदर पब्लिक सेक्टर्स के साथ उनको रखना चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा था तो एक टी०टी० ने बताया कि एक ई०एफ०टी बुक जो होती है वह एवेलेबल नहीं है जिससे कि वे टिकट काट सके। इतना ही नहीं, इसकी सप्लाई के लिए टी० सी० और टी०टी०ई० को डिवीजन आफिसेज में घूस देनी पड़ रही है। तो इस प्रकार की हालत हो रही है।

दूसरी जगह योजना आयोग ने एक बात कही है :

पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे सुदूरवर्ती और उपेक्षित क्षेत्रों की परिवहन आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना। असम, मेघालय, अरुणाचल-इन सारे प्रदेशों को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से जोड़ा जाए क्योंकि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टड एरियाज यही हैं।

कन्प्यूट्राइजेशन के बारे में मैं भी कहना चाहता हूं कि यह विज्ञान का युग है, इसमें साइन्स और टेक्नालाजी का डेवलपमेन्ट होना चाहिए। (व्यवधान) मैं समझता हूं नौकरी से किसी को नहीं निकाला जायेगा। आज वेस्टर्न कन्ट्रीज और सोशलिस्ट कन्ट्रीज दोनों ही कंप्यूटर टैक्नालाजी में बहुत आगे हैं। दोनों में कॉपिटीशन है। आज साइन्स और टेक्नालाजी के मामले में इडिन्या भी थर्ड लार्जेस्ट मैन पावर है। इसलिए यहां भी कंप्यूट्राइजेशन को एडाप्ट करना चाहिए।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्लान के अन्तगंत ट्रैक रेन्युवल के लिए 500 करोड़ की राशि रखी गई है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा आप भिलाई स्टील प्लान्ट से कहें कि वहां पर ट्रैक के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। ताकि कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर आपको ट्रैक फिटिंग्ज का सामान ही न मिल सके। आप लांग टर्म पालिसी बनाईए तथा ट्रैक रेन्युवल पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही सिगनलिंग के सम्बन्ध में जो माडर्न टेकनालाजी है उसकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। डीजल और एलेक्ट्रिक इंजन पर ज्यादा लोड देने की जहांतक बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन रेलवे में स्टैट्यूटरी टेस्टिंग का जो नियम है उसको आप एवायड मत कीजिए। साथ ही आप रोड-सिस्टम के साथ रेल सिस्टम को कोआर्डिनेट कीजिए।

अन्त में मैं दो-तीन बातें नार्थ बिहार के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। नार्थ बिहार में ट्रैफिक लोड बहुत ज्यादा है और वहां पर रेलवेज का सबसे कम डेवलपमेन्ट हुआ है। इसलिये नार्थ बिहार को कभी नेग्लेक्ट मत कीजिये। इसका बहुत बड़ा इलाका नैपाल, बंगलादेश और भूटान से टच करता है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप एक बार अपनी टीम के साथ मेरे क्षेत्र जमालपुर चलिये और खुद उसकी पोटेन्शियेलिटी का सर्वे कीजिये। आप एक के बजाय

दो दिन वहां रहिये । इसमें मेरी ही सहायता नहीं होगी बल्कि रेलवे मंत्रालय भी लाभान्वित होगा ।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ आप ने मुझे जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं । पी०सी० सेटी साहब को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस निर्माणाधीन परियोजना अर्थात् मनमाड-औरंगाबाद लाइन के परिवर्तन की परियोजना के लिए की गई व्यवस्था को देखकर धक्का लगा है । इस परियोजना पर कुल अनुमानित व्यय 29.74 करोड़ रुपये का है । यह परियोजना वर्ष 1974 में आरम्भ की गई थी और 1981-82 तक हमने 2.04 करोड़ रुपये व्यय किए हैं । इस वर्ष के लिए केवल 45 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

गत समय मराठवाड़ा का प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन रेल मंत्री से मिला था जिन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि वह इस परियोजना के शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करेंगे । मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि समस्त मराठवाड़ा क्षेत्र यह महसूस करता है कि जब तक वर्तमान छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला नहीं जाता तब तक वे अन्य विकसित क्षेत्रों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं ।

पिछली बार सम्भवत: दिसम्बर में रेल मंत्रालय में उप-मंत्री ने मुझे आश्वाशन दिया था कि 1982-83 में वह परभानी—अदिलाबाद की रेल लाइन के परिवर्तन और अदिलाबाद पिपलखुटी के बीच नई लाईन बिछाने के बारे में सर्वेक्षण करायेंगे । किन्तु मैं देखता हूं कि इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अपने बजट भाषण में मंत्री महोदय ने कहा है कि समय की कमी के कारण वह विवरण नहीं दे पाये हैं । आशा है वह इस वर्ष सर्वेक्षण करेंगे ।

महोदय, यात्री सुविधाओं के लिए कुल जितनी राशि की व्यवस्था की गई है वह लगभग 5 करोड़ रुपये है । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि यह राशि रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है । अच्छे पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी आपको अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये । मैं जानता हूं कि रेल मंत्री को कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं और इसीलिए उन्होंने भाड़े और अन्य मदों में वृद्धि की है । किन्तु महोदय, कतिपय ऐसी बातें हैं जिनकी रेलवे अपनी ओर से कुछ खर्च किए बिना व्यवस्था कर सकती है । उदाहरण के लिए लगभग डेढ़ बजे पहले मैंने खंडवा-पुर्ना सेक्शन पर सिरली चोंडी फाटक का मामला रखा था । सर्वेक्षण कार्य के लिए महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग ने 2000 रुपये जमा किये हैं । यह राशि गत वर्ष जून के करीब जमा की गई थी किन्तु अब तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है । मैंने औरंगाबाद डिवीजन के मुख्य इंजीनियर से बात की थी वह यह राशि जमा कराने के लिए सहमत हो गये थे और इस फाटक का निर्माण करने के लिए रेलवे प्राधिकारी इस रकम को जमा करने के लिए कह सकते हैं ? मैं नहीं जानता कि ऐसी बातों में विलम्ब क्यों होता हैं ? रेलवे को कुछ भी अदायगी

नहीं करनी होती है सर्वेक्षण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। रेलवे फाटक का निर्माण-व्यय भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आपको कोई अदायगी करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्यों इसे तत्काल आरम्भ नहीं करते।

एक गांव है जिसका नाम कारखेली है गाँव पंचायत इन्जनों के लिए पानी देने को तैयार है। मराठवाड़ा क्षेत्र में ऐसे बहुत से स्टेशन हैं जहां आपको इंजनों के लिए पानी नहीं मिलता है। यही कारण है कि आपने कई यात्री गाड़ियों को रद्द किया है। कारखेली गांव आपको पानी देने के लिए तैयार है। आप यदि इसे लेते हैं तो आपको इसके लिए अदायगी करनी है। आपको कोई पाइप लाइन नहीं बिछानी है। किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि रेलवे पानी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे पानी लें और इस प्रकार अपनी सहायता करें तथा रेल यात्रियों की भी सहायता करें।

काचीगुडा-मनमाड सेक्शन में उभारी पर एक 'हाल्ट' की आवश्यकता है। इसमें किसी धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। फिर भी इन बातों को रेलवे द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। (व्यवधान) महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जारी रखिये और 5 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री उत्तम राठौर : हां, यह एक काँग्रेसी का बचन है। इस 'हाल्ट' विशेष को बनाया जाना चाहिए क्योंकि लोगों में इस बारे में उत्तेजना है। मैने कई बार मंत्री महोदय को इस बारे में लिखा है। मुझे आशा है कि विभाग इसे गम्भीरता से लेगा। तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण ने निजामाबाद से मनमाड तक एलोरा एक्सप्रैस चलाई थी। मराठवाड़ा से बम्बई यात्रियों को ले जाने के लिए दूसरी पंचवटी एक्सप्रैस नाम की गाड़ी चलाई गई थी। एलोरा और अजन्ता एक्सप्रैस गाड़ियों से मराठवाड़ा से दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं हैं। सभी यात्रियों को दो मंजिले डिब्बों में रखा जाता है जिनमें यात्रियों को समान रखने की कोई जगह नहीं होती है। इन यात्रियों को जिनके पास एक या दो गठरियां हों, सभी डिब्बों में दूसरी श्रेणी में अपना सामान रखने के लिए कुछ जगह दी जानी चाहिये। यह दो मंजिले नहीं होने चाहिये। वे ऐसे होने चाहियें जिनमें उन्हें अपना सामान रखने के लिए जगह मिले।

एक और बात है जिसे मैं रेल मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। इसमें भी रेल विभाग को कुछ खर्च नहीं करना है। दुर्भाग्य से मराठवाड़ा बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है। मुझे आशा है कि श्री सेठी इस क्षेत्र में जायेंगे और लोगों की दशा देखेंगे। जो गाड़ियों की छत पर सफर करते हैं। यात्री गाड़ियों में केवल चार डिब्बे होते हैं। सभी यात्रियों के लिए उनमें जगह मिलनी कठिन है। अतः वे डिब्बों के छतों पर यात्रा करते हैं। अधिक डिब्बे देकर आप लोगों को अधिक आराम से सफर करने की व्यवस्था क्यों नहीं करते ? यही मेरा निवेदन है। केवल तीन

या चार डिब्बे और लगाकर आप वास्तव में उनकी यात्रा अधिक आरामदायक बना सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह करें। यदि वे दुर्घनाग्रस्त होते हैं तो निसन्देह आपको मुआवजा देना है। वास्तव में आपको इन घटनाओं की भी कोई चिन्ता नहीं है। किन्तु मैं समझता हूं कि जैसा मैंने सुझाव दिया है, आपको कुछ और डिब्बे लगाकर इन यात्रियों की सुविधा के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिये।

रेलवे विभाग द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। रेलवे लाइन के आस पास की जमीन रेलवे कर्मचारियों को दी जाती है। मैंने पिछले रेल मंत्री श्री पांडे से इस बारे में बात की थी। मैंने उनसे कहा है कि यह जमीन आस पास के किसनों को दी जाये जो इस पर खेती करें। वे आपको जो रकम माँगेंगे, देंगे। मैं नहीं समझता कि क्यों यह नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि ये बातें कैसे होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जमीनों के बारे में रेल कर्मचारियों के साथ कोई करार किया गया है। रेलवे के लोग वहां अपने मवेशी चराते हैं। ये गायें पास की जमीन में जाती हैं और किसानों के लिए कठिनाई पैदा करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस झगड़े से बचने के लिए यह जमीन आस-पास के कृषकों को दी जानी चाहिये।

मराठवाड़ा क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र है। स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा दी जानी चाहिये तथा बिजली टेलीफोन और सिगनल के नये तरीके आरम्भ करने जैसी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।

मेरा यह निवेदन है कि पुर्ना में एक नया डिवीजन बनाया जाना चाहिये। पिछली बार भी मैंने इस सम्बन्ध में निवेदन किया। यह दक्षिण-मध्य रेलवे में है। जैसे त्रिवेन्द्रम डिवीजन बनाया गया है उसी तरह से खंडवा-पुर्ना, पुर्ना-पुर्ली, निजामाबाद-मनवाड और मुदखेद अदिलाबाद सक्शनों का एक डिवीजन बनाना चाहिये। इन सबका जोड़ 1000 किलोमीटर बनता है और एक पूरा अर्थदाम डिविजन बन जाता है। मैं आपको यह भी कह दूं कि इस डिवीजन पर 30 से 40 करोड़ रुपये से अधिक व्यय नहीं होगा। पुरना में जमीन तथा इमारतें भी उपलब्ध हैं।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को मान लें और मराठवाड़ के लोगों के लिए कुछ करें।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय श्री प्रकाश चन्द सेठी द्वारा प्रस्तुत बहुत प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और प्रधान मंत्री को भी बधाई देनी चाहिये, जिन्होंने हमारे ग्रार्थिक विकास के संकटकाल में, श्री सेठी जैसे व्यक्ति को रेल मंत्री नियुक्त किया। श्री सेठी अपने राज्य के एक योग्य प्रशासक रहे हैं और पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के द्वारा भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, इस बात को विपक्ष के लोग भी मानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आपके चुनाव-क्षेत्र में कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जानी हैं ।

डा० कृपासिन्धु भोई : हाँ, बाद में उसकी चर्चा भी करूंगा । चर्चा को शुरू करने वाले द्रोणाचार्य जी प्रो० मधु दण्डवते ने कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं और यदि उन सुझावों को कार्यान्वित किया जाता है तो रेलवे में काफी सुधार होगा । आजादी से पहले की दो जिम्मेदारियाँ थीं ; पहली जिम्मेदारी ब्रिटेन को उसके उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल होना और दूसरी जिम्मेदारी रक्षा सम्बन्धी तथा सेना को लाने ले जाने की थी । अब रेलवे की जिम्मेदारी बढ़ गयी है और रेलवे की अब तीन प्रकार की जिम्मेवारियां हैं । इसे जनोपयोगी सेवा होना चाहिए, इसे मजबूत वित्तीय आधार के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और एक वाणिज्यिक संगठन के रूप में एक आदर्श नियोजक होना चाहिए । यदि रेलवे इन तीन प्रकार की जिम्मेवारियों को पूरा करने की स्थिति में है तो निश्चिय ही हमारी अर्थव्यवस्था तथा देश के बुनियादी ढाँचे सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा और हम समाजवाद के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ।

मैं उड़ीसा का निवासी हूं और इससे सभा मुझसे ये सहमत होगी कि हमारी संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति है :—

सर्वे भवन्तु सुखिना :
सर्वे भवन्तु निरामय :
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु :
मा कश्चित् दुःखभाक् भवेत् ।।

मुझे आशा है कि रेल मन्त्री निश्चय ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सही मार्ग पर लाकर बढ़ावा देंगे । जो जनता शासन के दौरान मार्ग से बिचलित हो गयी थी ।

माननीय रेल मन्त्री के भाषण से हमारी यह धारणा बनी है कि वे रेलवे के कार्य-निष्पादन से बहुत संतुष्ट हैं । लेकिन इनका तथ्यों द्वारा समर्थन नहीं होता । इसका कारण यह है कि यद्यपि संशाधन बढ़ गए हैं, व्यय प्राप्त करने वाला भाड़े के यातायात की सम्भावनायें वही हैं अर्थात् 22 करोड़ टन । यदि आप 1976-77 की कार्यकुशलता को देखें तो आप इस वर्ष की अपनी अनुमानित आय से संतुष्ट नहीं होंगे । इस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्यों का हवाला देना चाहूंगा जिससे आप स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं । आय प्राप्त करने वाला रेलवे यातायात जो 1950-51 में 7 करोड़ 32 लाख टन था 1976-77 में बढ़कर 21 करोड़ 26 लाख टन हो गया और 1980-81 में घटकर 19 करोड़ 59 लाख टन हो गया । अब 1981-82 में रेलवे मन्त्रालय को 22 करोड़ टन भाड़े के यातायात की आशा है । 1976-77 में यह यातायात 21 करोड़ 26 लाख टन था और यह 1980-81 में घटकर 19 करोड़ 59 लाख टन हो गया । निश्चय ही प्रो० मधु दण्डवते ने रेलवे को बढ़ावा दिया था, लेकिन जिसे बढ़ावे का वे दावा कर रहे हैं । ह काँग्रेस (आई) सरकार की देन था । बाद में, यद्यपि इन्होंने रेलवे को बढ़ावा देने की

भरसक कोशिश की थी, फिर भी इनके जनता सरकार के सहयोगियों ने बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया और देश की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचायी । उदाहरण के लिए 1976-77 में आय प्राप्त करने वाले भाड़े का यातायत 21 करोड़ 26 लाख टन था । 1977-78 में यह 21 करोड़ 8 लाख टन था । 1978-79 में यह घटकर 19 करोड़ 96 लाख टन हो गया और 1979-80 में यह और भी घटकर 19 लाख 31 लाख टन हो गया । हमारी सरकार आने के बाद इसमें वृद्धि होने लग गयी है और बुनियादी ढांचे की सुविधायें इस समय मिलने से यह बढ़कर 22 करोड़ टन हो गया है, जैसे कि रेलवे विभाग ने सोचा था । संशाधनों के बढ़ने से बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधायें भी बढ़ गयी हैं । 1976-77 में 8,345 लोकोमेटिव, 1903 स्टीम तथा 847 डीजल तथा बिजली इंजन थे । 1980-81 में 7469 स्टीम, 2403 डीजल तथा 1036 बिजली के इंजन हो गए । अतः यह स्पष्ठ है कि जब रेलवे के संशाधन बढ़ गए थे, इसके वैगनों की संख्या में भी वृद्धि हो गयी थी । तो फिर कार्य निष्पादन इतना असंतोषजनक क्यों है ? आप उसकी तुलना करें ।

दूसरी बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूर्णतः यातायात की वृद्धि पर निर्भर करती है । आप देखेंगे कि वजट आवंटन करते समय 1982-83 के लिए वैगन प्राप्त करने सम्बन्धी योजना में कटोती की गयी है और इनकी संख्या 15,000 रखी गयी है । 1981-82 में इनकी संख्या 18,250 थी । अतः यदि वैगनों की प्राप्ति अधिक नहीं हो तो आप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी तरह काम नहीं कर सकते । आप इस्पात कोयले तथा ऐसी बुनियादी ढांचे संबंधी अन्य वस्तुओं का परिवहन नहीं कर सकते उनके देश के अधिकाधिक आवश्यकता पड़ती है । अतः समूची अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी । अतः मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस वैगन प्राप्ति योजना के लिए सरकार को योजना आयोग से अधिक राशि देने के लिए कहना चाहिए ।

एक अन्य मुख्य बात जिसके बारे में बल देना चाहता हूं, रेलवे की वित्तीय स्थिति है । रेलवे के वित्तीय संसाधनों का 58 प्रतिशत भाग का भुगतान कर्मचारियों को किया जाता है और शेष का उपभोग कार्यो के नवीकरण तथा नई लाईनें बिछाने के लिए किया जाता है । राष्ट्रीय परिवहन नीति स्फीति का दस्तावेज के लिए मुझे ज्ञात हुआ है कि योजना आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है । इसमें विस्तारपूर्वक बताया गया है कि रेलवे मार्ग में कैसे सुधार लाया जा सकता है और हम अपनी तीन प्रकार की जिम्मेवारियों को कैसे ठीक ढंग से निभा सकते हैं । रेलवे सचमुच जनोपयोगी सेवा है जो सरकार के प्रति उत्तरदायी है । यह एक आदर्श नियोजक भी है और एक व्यापार जैसी संस्था भी है । इस पर अनेक सामाजिक कर हैं जिसके लिए रेलवे बजट से 3000 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करना पड़ता है ।

श्री एन० डी० रंगा (गुन्टूर) : और फिर कार्य संचालन व्यय बढ़ते ही जायेंगे ।

डा० कृपा सिन्धु भोई : आपको दखल देने की जरूरत नहीं । आप मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हैं ? मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, जो मेरे मित्र कह चुके हैं । मैं अपनी मुख्य बात पर

बल दूंगा कि देश के संसाधनों को जुटाने के बारे में हर व्यक्ति चिंतित है, संसाधन केवल उन्हीं क्षेत्रों में जुटाए जा सकते हैं जहां भारत सरकार द्वारा गैर-कर राजस्व का अर्जन किया जा सकता है। सरकार इस प्रकार के राजस्व का अर्जन खनिज तथा वन संसाधनों से कर सकती है। ये वन तथा खनिज संसाधन बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः इन राज्यों को एशिया का रुहर कहा जाता है। अतः यदि खनिज संसाधनों का उपयोग किया जाए, उद्योग स्थापित किए जायें और तैयार शुद्ध माल का निर्यात किया जाए तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए हजारों करोड़ विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। लेकिन रेलवे संचार के मामले में इन तीन राज्यों की उपेक्षा की गई है। समय समय पर मैंने नई लाईनों के बारे में कहा है। राष्ट्रीय परिवहन नीति स्फीति ने भी अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 162 में कहा है :—

"अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार रेलवे लाईनों का अभाव है। उदाहरण के लिए तेलचर से सम्बलपुर को जोड़ने वाली नई लाईन द्वारा कटक और भुवनेश्वर से दिल्ली के बीच फासला बहुत कम हो जाएगा और साथ-साथ कटक तथा खड़गपुर के क्षेत्र के बीच की भीड़ समाप्त हो जाएगी·····।"

उन्होंने स्पष्ठ कहा है कि इस रेलवे लाईन का कार्य शुरू किया जाए। इससे सम्बलपुर तथा तेलचर के बीच सम्पर्क ही नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी उड़ीसा तथा तटवर्ती उड़ीसा के लिए भी मार्ग खुलेगा और उड़ीसा में व्याप्त भावात्मक विघटन की भावना भी दूर होगी।

ससूचे पूर्वी तट में प्रगति अनुरोध है—हाल्दिया और कलकत्ता पत्तनों पर। अतः यदि हम अधिक यातायात चाहते हैं ; तो परादीप का छतीसगढ़ तथा पश्चिमी उड़ीसा के भीतरी भाग से जोड़ा जाए।

दूसरे तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने सर्वेक्षण करने के बाद, कहा है कि प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में, बात ऐसी नहीं है क्योंकि पहले बुनियादी ढांचा बनाना पड़ेगा अर्थात सम्बलपुर— तेलचर रेलवे लाईन बनानी पड़ेगी।

पश्चिम उड़ीसा तथा छतीसगढ़ क्षेत्र में, बहुत खनिज हैं लेकिन खान विभाग एक कठिनाई पैदा कर रहा है। इस सम्बलपुर तेलचर रेलवे लाईन के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है। कोयले के भण्डार कोई रुकावट नहीं है। ये रेलवे लाईन बनाने के लिए कभी भी रुकावट नहीं रहे हैं। अतः कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। योजना आयोग ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है अतः मेरे विचार में मन्त्री महोदय को इस रेलवे लाईन को बनाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अब मैं अपने चुनाव क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा करता हूं। सम्बलपुर अथवा झारसग्ध में एक मंडलीय मुख्यालय बनाने का बचन भूतपूर्व मन्त्री ने दिया था। लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। उड़ीसा में एक रेलवे सेवा आयोग स्थापित किया

जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप उड़ीसा के कामगारों के प्रतिशत को देखें तो आप पायेंगे कि यद्यपि हम भारत की 4% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें उसमें केवल 0 02%, की हिस्सेदारी मिलती है अतः उड़ीसा में रेलवे सेवा आयोग होना चाहिए। जिससे हमें लाभ मिल सके। दक्षिण-पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है, जबकि पश्चिम-बंगाल में तो इसका सेवा-क्षेत्र केवल 10% ही पड़ता है। अतः इसको उड़ीसा में स्थानान्तरित क्यों नही कर दिया जाता है।

मैं हावड़ा राउरकेला एक्सप्रैस के टिटलागढ़ तक बढ़ाये जाने, हटिया यात्री गाड़ी को टिटलागढ़ तक बढ़ाए जाने और कलिंगा एक्सप्रैस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग करता हूं। कलिंगा और उत्कल एक्सप्रेसों में सम्बपुर और बोलंगीर तक के लिए एक यात्री डिब्बा (बोगी) लगाया जाना चाहिए। रूपसा और वांकरी पोसी लाईन को बड़ी लाइन में बदलना है। वाल्टेचर – छत्तीसगढ़ सम्पर्क तो था और उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। बिना किसी व्यवधान के यह दिल्ली तक चलती थी। अब वाल्टेचर और सम्बलपुर—बिलंगी के लोगों को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें छः घंटे तक रायपुर में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में मंत्री महोदय से कहा है। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें यह देखना होगा कि आगामी समय अनुसूचि में पहले की ही समय-सारणी को बनाये रखा गया है।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय और प्रधान मन्त्री महोदय से एक बार फिर अधिक धनराशि आवंटित करने का आग्रह करूगा, क्योंकि समिति ने देश में 5000 कि० मी० लम्बी नई लाइने बिछाने का जो सुझाव दिया है उनके लिए 1250 करोड़ रुपए की राशि बहुत ही कम है क्योंकि जो धन उन्होंने दिया है वह पर्वत पर पत्थर फेंकने के ही समान है अतः इसे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय आधारभूत ढांचे में सुधार किया जा सके और जनता शासन के दौरान अर्थ-व्यवस्था में जो अस्तव्यस्तता आ गई थी उसे फिर से सुधारा जा सके तथा हम रेल मन्त्री महोदय के हाथों सुरक्षित अनुभव करेंगे।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सेठी साहब ने जब बजट रखा था, उसके पहले मुझे उम्मीद थी कि उनका बजट दूसरे मंत्रियों के बजट से भिन्न होगा। कम से कम वह अपने प्रथम बजट में जनता के ऊपर कोई ऐसा भार लादने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे आम लोगों की तबाही हो। अपने भाषण में जिस ढंग से उन्होंने बजट की व्याख्या की है, वह सुनने में बहुत अच्छी लगी और ऐसा लगा कि मंत्री महोदय के पास इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि बिना किराये और दूसरी चीजों में वृद्धि किये हुए उनका काम चलता। उन्होंने कर वृद्धि 261.45 करोड़ रुपए की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना इस वृद्धि के किये हुए भी वह अपना बजट रख सकते थे और पहले बजट में जनता को राहत दे सकते थे।

उन्होंने अपने बजट में 400 करोड रुपये से अधिक का डिवीडेंड डिक्लेयर किया है। जहां तक मुझे जानकारी है, पब्लिक सैक्टर में सरकार की जो 18,000 करोड़ से ज्यादा की

सम्पत्ति लगी हुई है, और बराबर हजार करोड़ के घाटे में जा रही है, आज तक वह अपना डिवीडेंड भी डिकलेयर नहीं करती है। जनरल रैवेन्यु में क्या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती थी कि 261 करोड़ से ऊपर जो रुपया जनता से लिया है, बिना उसको लिए हुए भी कुछ समय के लिए 400 करोड़ से अधिक का डिवीडेंड डिक्लेयर न करती, और जब आपकी माली हालत अच्छी हो जाती तो इसे लौटाने का काम करती ?

इसके अतिरिक्त कभी तो अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष आप मनाते हैं 5 वर्ष तक के बच्चे को किराये में छूट देते हैं, उस समय एक बच्चा बहुत आपको प्यारा हो गया और अब दूसरा बच्चा दुश्मन हो गया कि आपने इस एज को 5 साल से घटाकर अब 3 साल कर दिया ?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह आपकी पहली कर वृद्धि नहीं है । आपने 3 बार कर वृद्धि की है और 901 करोड़ रुपए की आपने किराये में वृद्धि की है। इसके पहले दिसम्बर में 320 करोड़ की वृद्धि आपने की है, अब आपने , 261 करोड़ की वृद्धि की है। मैं कहना चाहता हूं कि जो 400 करोड़ आड रुपया डिविडेंड का था, उसे बिना दिये हुए, बिना किराये में वृद्धि किए हुए आप इसको कर सकते थे ।

सबसे बड़ा मामला एक्सीडेंट्स का है । मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि कम से कम आपके शासन काल में देश की जनता को यह विश्वास हो जाये कि अब रेल सफर करना उनके लिए मौत से जूझना या खेलना नहीं है । आज तो जब भी कोई आदमी रेल पर जाने लगता है, तो उसका दिल काँप जाता है। अगर कोई अत्यावश्यक काम हो, तभी वह रेल में सफर करता है । आज तक हम आश्वस्त नहीं हो सके हैं कि जब हम रेल में जाएं, तो हम समय पर पहुंच सकेंगे या मीटिंग को एटेंड कर सकेंगे । डीरेलमेंट तो आज इतनी साधारण बात हो गयी है कि समाचारपत्रों में दो लाइनों में उसका समाचार दे दिया जाता है । एक्सिडेंट में दो चार आदमियों के मरने को तो कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है । जब कोई मेजर एक्सिडेंड हो, तब कुछ खबर दी जाती है ।

मैं रेलवे कनसल्टैटिव कमेटी का मेम्बर हूं । कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और मिनिस्टर की बुद्धि पर ताज्जुब होने लगता है । हमारे यहां बिहार में बदलाघाट में रेलवे एक्सिडेंट हुआ, जिसमें तीन हजार से अधिक लोग मरे। सरकार कह सकती थी कि एक्सिडेंट का क्या कारण था, कोई आदमी या पशु सामने आ गया, ट्रैक पुराना है, जब गाड़ी उस पर चलती है, तो डिब्बे झूलते हैं, ब्रेक लगाने से एक्सिडेंट हो गया, आदि । लेकिन बजाये यह कहने के यह तर्क दिया गया कि ऐसी आंधी आई कि पूरी ट्रेन ही पानी में चली गई। उसके बगल में झोंपड़े हैं. हम लोगों के घर बगल में हैं । वह ऐसी आंधी थी, जिसमें झोंपड़े तो नहीं उड़े लेकिन पूरी ट्रेन उड़ गयी । जब मंत्री ने यह स्टैटमैंट दिया, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कैसे पीछे रहते ? वह कहते हैं कि रेलगाड़ी एक खिलौने की तरह उड़ गई । मैंने कनसल्टैटिव कमेटी में भी कहा था कि इधर उधर की बातें छोड़ कर ईमानदारी से कुबूल किया जाए कि इस दुखद दुर्घटना का कारण क्या था ।

जब इस प्रकार का एक्सिडेंट होने पर हम लोग मांग करते हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दें, तो उसका कारण यह होता है कि रेल मंत्री का अपने अफसरों पर ग्रिप नहीं है। जब माननीय सदस्यों को मालूम हो जाएगा कि रेल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार किसी वरिष्ठ अधिकारी को पकड़ा गया है, वहां के जी एम या डी आर एम को ससपेंड किया गया है या अगर आवश्यक हो, तो रेलवे बोर्ड के किसी उच्चाधिकारी को सैक कर दिया गया है, तो वे रेल मंत्री द्वारा इस्तीफा देने की माँग नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि जब कोई रेलवे एक्सिडेंट होता है, तो मंत्री अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। मंत्री महोदय ने अभी रेलवे का कार्य भार सम्भाला है, इसलिए मैं अपेक्षा रखूंगा कि वह अफसरों पर निश्चित जिम्मेदारी फिक्स करेंगे।

जहाँ तक गाड़ियों की टक्कर का सम्बन्ध है, अभी माननीय सदस्य जनता पार्टी के शासन की बात कह रहे थे। हमारे समय में भी डीरेलमेंट होती होगी, दुर्घटना होती होगी। लेकिन उस समय तो दो गाड़ियों में टक्कर होती थी। जब से गवर्नमेंट दैट बर्क्स आई हैं, तब से तीन गाड़ियों के बीच टक्कर होती है। तीन तरफ से गाड़ियों के आने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस विषय में संडे मैगजिन में लेख आ रहे हैं। उनमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के सम्बन्ध में क्या कहा जा रहा है? रेल विभाग में सैक्यूरीटी मैजर्ज को ताक पर रख दिया है और पैसेंजरों की उपेक्षा कर के गुड्ज ट्रेनों को बढ़ाया जा रहा है। आखिर टक्कर की जिम्मेदारी कहीं न कहीं फिक्स होनी चाहिए। जब तक मंत्री महोदय इन दुर्घटनाओं के लिए हायर आफिसर्ज को जिम्मेदार नहीं ठहरायेंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

आज रेलवे प्रशासन ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मैंने तो साफ ऐलीगेशन लगाया था कि मिनिस्टर्ज के यहां या रेलवे बोर्ड में नियत कर दिया गया है कि 20 रुपये देने पर रिजर्वेशन होगा। सबसे दुखद बात तो यह है कि जब शिकायत की जाती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। रेलवे कनसल्टेटिव कमेटी की बैठक में श्री हरीश गंगबार ने कहा कि एक सहायक स्टेशन मास्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। श्री मुहम्मद इसरार अहमद ने कहा कि टिक्ट क्लैक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। ये 5 अप्रैल और 14 अप्रैल की घटनाएं हैं। दिसम्बर में जबाव दिया गया कि इस बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है और कर्मचारियों से पूछ-ताछ की जा रही है। तो जब कोई एम पी चाहे रूलिंग पार्टी का या अपोजीशन का, शिकायत करता हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती हैं, उसके लिए यह रेलवे बोर्ड एक अरबी घोड़ा बन गया है। अगर वहां का कोई अफसर चलेगा तो उसके लिए सैलून चलेगा। गरमी के दिनों में हम लोगों का सफर में धूल और पसीने से बुरा हाल हो जाता है लेकिन जो ट्रेन सुपरिडेन्डेंट होता है उससे अगर आप मिलेंगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे वह अभी अभी नहा धोकर आया हो।

मैं आपको बताना चाहता हूं अभी पिछली 12 तारीख को एक घटना घटी जिसके कारण 14 तारीख को मुझे अपने परिवार के साथ घर जाना था।

उपाध्यक्ष महोदय : निरीक्षण कार्य के अतिरिक्त, कोई भी अधिकारी सैलून में नहीं जाता है ।

श्री राम विलास पासवान : चूंकि 13 तारीख को शनिवार था इसलिए मैंने सोचा शायद संसद का रिर्जवेशन बन्द होगा । मैं 13 तारीख से ही रिजर्वेशन की कोशिश कर रहा था । क्योंकि एक एक्सीडेंट का समाचार आया था इसलिए मुझे परिवार के साथ जाना था । नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सुपरिन्टेडेन्ट हैं उन्होंने कहा कि आप अपना आदमी भेज दीजिए । यह मेरे पास उनका लिखा हुआ है जिसमें लिखा है :

"सी आर एस : कृपया उन्हें इस आदेश पर चार सीटें प्रदान कीजिए ।

तिनसुखिया रात में जाता है । उन्होंने कहा था आप आधा घंटा पहले आ जाना । मैं एक घंटा पहले वहाँ पर पहुंच गया । मैं काउन्टर पर गया और यह कागज दिखाया तो उन्होंने इसको फेंक दिया । फिर मैं डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट के पास गया वहाँ कुछ भी नहीं हुआ । एक दूसरे व्यक्ति ने वहाँ पर उनसे कहके कि ये तो पासवान जी, हैं एम पी हैं, तुम्हारी पार्लमेंट में खिंचाई हो जायेगी । तब उन्होंने मुझ से कहा कि चलिए लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने लिखित कंप्लेन्ट की । आपके पास भी कंप्लेन्ट भेजी और प्राइम मिनिस्टर के पास भी भेजी । बाद में मुझे प्लेन के टिकट लेकर सुबह घर जाना पड़ा । आप समझ सकते हैं कि जब एम पीज के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, एक रेलवे कर्मचारी के द्वारा जो कि रेलवे का नौकर है, तब जनरल पब्लिक के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा ? इसलिए जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको आप बिना कड़ाई के दूर नहीं कर सकेंगे । चूंकि यह चिट्ठी आफिशियल थी इसलिए मैंने स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाई और उसकी कापी भेजी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक नाम का उल्लेख किया था । आप केवल 'स्टेशन अधीक्षक कह सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : क्योंकि उसने अपने हस्ताक्षर किए हैं अतः मैंने नाम का उल्लेख किया था ।

मैं यह कहना चाहूंगा कि रेलवे में जहां तक खान पान का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कितने प्राइवेट लोगों को केटरिंग का काम दिया गया है । मेरे साथी ने यहां पर ठीक कहा है कि यात्री को तो खाना खाने से ही मतलब रहता है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने अपनी मानोपोली बना रखी है । अभी कल प्रधान गंगा ब्रिज का उदघाटन करने के लिए गई हुई थीं । वहाँ महेन्द्रघाट और पहलेजाघाट के बीच में प्राइवेट आदमी का स्टीमर कभी खराब हालत में नहीं रहता लेकिन रेलवे का स्टीमर अक्सर खराब ही रहता है । कारण यह है कि उस व्यक्ति से उनकी साठ-गांठ रहती है ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इसी प्रकार से आपके यहां 2.88 लाख कैजुअल लेबर हैं। आज तक आपने कभी यह नीति नहीं बनाई कि कैजुअल लेबर कहां रखे जायेंगे ? कैजुअल लेबर की बहाली का यह हाल हैं कि अगर किसी एम० पी० का दो आदमी जाय तो उसके लिये जगह नहीं है, लेकिन किसी रेलवे के बड़े अधिकारी या इन्जीनियर का आदमी जाय तो उसको रख लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में कोई नीति तय कीजिए।

आप सेफटी मेजेर्ज की बात को लीजिए। सेफटी मेजर्ज का यह हाल है आप मुगल सराय से बरोनी चले जाइये, बेगूसराय, खगरिया, खागा चले जाइये, पूरी बिहारी बेल्ट बिलकुल अन-सेफ है। वहां पर लोग टिकट लेकर गाड़ी में बैठना पाप समझते हैं। जो टिकट लेकर चलता है उसको बुद्धु समझा जाता है। आपने कह दिया कि कण्डक्टर देखेगा। कण्डक्टर क्या देखेगा ? क्या उसकी हिम्मत है कि छूरे वाले को रोक दे ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेफटी मेजर्ज की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स की नियुक्तियों का प्रश्न है आप ने हाल में जो रेलवे कन्सलटेटिव कमेटी की बैठक हुई थी उसमें 31-3-1980 तक की फिगर्स दी थीं। जिसमें आप ने बताया था कि क्लास 1 में शेडयूल्ड कास्ट्स की संख्या 7.79 प्रतिशत है शेडयूल्ड ट्राइब्स की 1.43 प्रतिशत है। क्लास 2 में शेडयूल्ड कास्ट्स 10.86 प्रतिशत है तथा शेडयूल्ड ट्राइब्स 2.30 प्रतिशत, क्लास 3 में शेडयूल्ड काट्रस 11 31 प्रतिशत तथा शेडयूल्ड ट्राइब्स 2.3 प्रतिशत हैं। क्लास 4 में सफाईवालों को छोड़कर शेडयूल्ड कास्ट्स में 17.69 प्रतिशत तथा शेडयूल्ड ट्राइब्स में 5.33 प्रतिशत है तथा सफाईवाले शेडयूल्ड कास्ट्स 83 17 प्रतिशत तथा शेडयूल्ड ट्राइब्स 1.58 प्रतिशत हैं। जहां लाखों की संख्या में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स बेरोजगार हैं फिर भी उन का कौटा पूरा नहीं हो पा रहा है। आज मिशनरीज लोग गाँव-गांव में जाकर उन को एजूकेट कर रहे हैं, फिर भी जहां तक तृतीय श्रेणी का ताल्लुक है जिस में सिर्फ मैट्रिक पास मांगा जाता है उसके लिए भी आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। आप ने सफाई वालों को 83 प्रतिशत रख लिया है यह सफाईवाला काम आप ब्राह्मणों को दे दीजिए, हायर कास्ट्स को दे दीजिए, हम को नहीं चाहिए। क्या उसमें कोई काम करेगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : करेगा। किसी को भी दो सब करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : कैसे करेगा हमको मालूम है। सफाई वाले के नाम पर उसकी बहाली की जाएगी लेकिन काम लिया जाएगा-क्लिनर का। टेबिल साफ करने वाले का काम लिया जायगा। इस देश में लोग मरना पसन्द करते हैं कोठे पर बैठना पसन्द करते हैं, लेकिन स्वीपर और दाई का काम करना पसन्द नही करते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा—आप नये मंत्री बने है, आप के राज्य में, आप के शासन-काल में जो बैक-लाग है वह अवश्य पूरा हो।

कल प्रधान मंत्री जी हाजीपुर गई थीं। हम लोग बहुत दिनों से यह माँग कर रहे हैं कि बिहार में रेलवे का जोनल आफिस खुलना चाहिए। गोरखपुर में जोनल आफिस है लेकिन हमारे यहां बिहार में एक भी जोनल आफिस नहीं हैं। डिवीजनल आफिस जो है वह तो सिर्फ पोस्ट-आफिस का काम करता है, इसलिए वहां जल्द से जल्द एक जोनल आफिस खुलवाने की व्यवस्था करायें। गंगा पर रेल का पुल बनाने के लिए आशा है आप ने सब कार्यवाही पूरी कर ली होगी, अब उस में क्या देरी है, कब से उसका सर्वेक्षण करायेंगे ? इस काम को तुरन्त करवाइये। हाजीपुर से डायरेक्ट कोई गाड़ी दिल्ली तक नहीं है। एक जयन्ती-जनता एक्सप्रेस चलती है जो समस्तीपुर तक रह जाती है। इसलिए कम से कम हाजीपुर से सीधी गाड़ी की व्यवस्था करें। हमारे यहां बहुत ज्यादा सीड-मर्चेन्ट्स (बीज-विक्रेता) हैं जो रजिस्टर्ड हैं। पहले उनको पार्सल के रेट में छूट दी गई थी, लेकिन आप ने उस कन्सेशन को फिर से खत्म कर दिया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप उसे बहाल कर दें।

हमारे यहां हाजीपुर में वाशिंग यार्ड के लिए बहुत जगह है, अगर आप वहां पर इस यार्ड को बनायेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

मैं आप से यह मांग नहीं करूंगा कि आप नई रेलवे लाइन खोलें या सुपर-फास्ट ट्रेन्ज चलायें, लेकिन इतनी अपील जरूर जरूर करूंगा कि जो सुपर-फास्ट ट्रेन्ज इस समय चलती हैं या जितने रेलवे लाइन्ज के ट्रेक्स हैं उनकी सही तरीके से मरम्मत कराइये, वैगन्ज की मरम्मत कराइये, इन्जिन्ज वगैरह की व्यवस्था करें जिस से लोगों को भविष्य में यात्रा करने में सेफटी महसूस हो। लोग यह न कहें पुराने समय के मुताबिक, जैसा कि वे अभी तक कहते जा रहे हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वह मिनिस्ट्री आफ एक्सीडेंट्स हैं। इसलिए मेरा आप से आग्रह है कि इस मिनिस्ट्री का जो नाम मिनिस्ट्री आफ एक्सीडेंट्स लोगों ने रख दिया है, इस को आप बदलने की कोशिश कीजिये।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष और सत्तारूढ़ दल दोनों ही के बहुत से सदस्यों को बोलना बाकी है। यदि प्रत्येक सदस्य पाँच मिनट से अधिक नहीं लेता है तो मैं सूची में से सभी को बोलने का अवसर दे सकता हूं। फिर मैं 5 बजे शांय मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा। यदि किसी को कहीं बुलाया गया है तो यह मेरी गलती नहीं हैं, इसका कारण यह है कि आपने 5 मिनट से अधिक समय लिया है। अतः इसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी।

अब मैं श्री आर० एन० दूबे को बोलने के लिए कहता हूं। श्री हरिकेश बहादुर को छोड़कर अन्य सदस्यों को केवल 5 मिनट का ही समय मिलेगा। और श्री हरिकेश बहादुर 11 मिनट लेंगे। (व्यवधान)।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मेरा क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए तीन मिनट है, परन्तु आपको 5 मिनट दिए जायेंगे। **(व्यवधान)** मैं आपको बता चुका हूं और वास्तव में मैं चाहता हूं कि सभी बोलें। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आपमें से हरेक को अपने चुनाव-क्षेत्रों को जबाव देना होगा, परन्तु आप अपने चुनाव-क्षेत्रों की बात नहीं करते, आप तो आम-नीति बात करते हैं। अतः आप अपने चुनाव-क्षेत्रों के बारे में बोलें।

श्री नवलकिशोर शर्मा (दौसा) : महोदय, आपने मुझे नहीं बुलाया है, परन्तु आपने कहा है कि हम अपने चुनाव-क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख कर सकते है। क्या उपाध्यक्ष महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि हमारी चुनाव-क्षेत्रों की समस्याएं हल की जायेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दूबे जी यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति बोल सकते हैं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें 70 लाख कर्मचारी काम करते है महोदय, एक करोड़ से भी अधिक व्यक्ति अर्थात हमारी जनसंख्या का $\frac{1}{60}$ वां भाग प्रतिदिन हमारी रेलों में यात्रा करता है, और सारे देश में 60,000 किलोमीटर में फैली हुई है भारतीय रेलवे के भौगोलिक विस्तार, कुल लम्बाई और कर्मचारियों की कुल संख्या की विशालता के इस स्वरूप आधार पर इसके लिए बाकी की अर्थव्यवस्था एवं समाज से अलग एकाकी रूप में कुशलता से काम करना सम्भव नहीं हैं जैसा कि आज वह कार्य कर रही है। अतः जो तत्व हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं वे हमारी रेलवे प्रणाली और हमारे रेलवे प्रशासन पर भी उसी प्रकार का प्रभाव अवश्य ही डालेंगे। वास्तव में काम आने वाली सामग्री रेलवे में जिस दर से वृद्धि हुई है उसके अनुरूप किराये और भाड़े की दर में वृद्धि नहीं हुई है। ऐसा विशेषरूप से 1966 से ही होता चला आ रहा है। इसके पीछे यह कारण है कि अधिकांश उन्नत देशों के समान हमारे देश में रेलें निजी क्षेत्र के अधीन न चलाई जाकर सार्वजनिक-क्षेत्र द्वारा चलाई जाती हैं। निजी क्षेत्र में तो इसके पीछे लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। हम रेलों को लाभ के उद्देश्य से नहीं चला रहे हैं, बल्कि हम तो सेवाभाव से चला रहे हैं। इसलिए रेलों के किराये और भाड़े में वृद्धि के साथ-साथ रेलों में काम आने वाली सामग्री में वृद्धि नहीं हुई है हमारा रेल परिवहन विश्व में सबसे अधिक सस्ता है और यही कारण है जो कि रेल प्रशुल्क जांच समिति ने 1980 में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में रेलों के किराये और भाड़े में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए हमारे रेलवे प्रशासन और रेलवे प्रणाली को वित्तीयरूप से सक्षम बनाने के लिए जोरदार सिफारिश की थी।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, मन्त्री महोदय कहां हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे अभी-अभी बाहर गये है। वे सारा समय बैठे ही रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उप-मन्त्री और राज्य मन्त्री सहित तीन मन्त्री हैं वे भी उपस्थित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अब आ रहे हैं। उन्होने मुझ से अनुमति ली है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : रेल प्रशुल्क जांच समिति की जोरदारी सिफारिशों के बावजूद भी सरकार ने इन्हें क्रियान्वित नहीं किया है। परन्तु इसे चरणबद्धरूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान बजट में भी परिचालन की बढ़ती हुई लागतों को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास किरायों-भाड़ों में वृद्धि करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अतः उन्होंने साधनों में वृद्धि करने के लिए लम्बी दूरी की यात्री गाड़ियों के किरायों मे वृद्धि की है जिसकी रेलवे को बहुत ही आवश्यकता है वर्तमान वित्तीय दबावों के अधीन रेल मन्त्री महोदय ने किरायों में वृद्धि करते हुए वार्षिक रेलवे योजना में 1137 करोड़ रुपये की राशि का नियतन करने के बाद 100 करोड़ रुपये से भी अधिक लाभ दिखाकर एक सन्तुलित बजट प्रस्तुत करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। यह सब रेलवे की कार्य निष्पत्ति में सुधार के कारण सम्भव हो सका। विशेषकर राजस्व कमाने वाले माल यातायात में जो पहले के सभी रिकार्डों को तोड़कर 2200 लाख् टन जा पहुंचा हैं और लक्ष्य से 50 लाख टन अधिक है, वृद्धि कर सम्भव हुआ है।

किराये और भाड़े के खर्च-भार को संशोधित करते समय भी रेल मन्त्री महोदय ने यह ध्यान रखा है कि उनका प्रस्ताव सही है अर्थात "किराये और भाड़े के व्यय-भार में किसी प्रकार की अभिवृद्धि आम आदमी के ऊपर अनावश्यक भार नहीं बननी चाहिए। अतः उन्होंने मासिक यात्रा पासों को इससे विमुक्त रखा है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उपनगरीय और गैर-उपनगरीय टिकटों तथा केले और संतरों की ढुलाई के लिए लागू भाड़े के व्यय-भार विशेष छूट कुछ और समय तक जारी रखी है। वर्तमान बजट को एक सर्वाधिकार अच्छी बात है दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जांच और नियन्त्रण योजना की घोषणा करना है। कल रेलवे बजट में हस्तक्षेप करते समय, रेल राज्य मन्त्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस बारे में हर सम्भव प्रयास कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि इससे सुरक्षा चेत्तना का वातावरण निर्मित बनेगा। यदि योजना को भली-भाँति लागू किया जाए तो भारत में हमारी सब से विशाल परिवहन प्रणाली में जनता का विश्वास फिर से पैदा करने में यह बड़ी सहायता मिलेगी। किराये और भाड़े में मामूली वृद्धि को तो लोग सहन कर सकते हैं परन्तु वे दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। अतः वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता और व्यवसायी लोग जो चाहते हैं वह किराये और भाड़े में कटौती नहीं है, अपितु वे दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी चाहते हैं। अर्थात प्रशासक को यह देखने के लिए सावधानी बरतनी होगी कि विश्वास की भावना फिर से स्थापित हो। आज भी भारतीय रेलवे में 22,000 ऐसे रेलवे फाटक है, जहाँ पर चौकीदार नहीं है, इनमें सही ढ़ंग से कर्मचारी लगाए जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त रेलवे में अधिकाधिक स्वचालित चेतावनी देने की प्रणाली को लागू किया जाना चाहिये।

अतिरिक्त जब आप सुरक्षा की बात करते हैं तो रेलवे सुरक्षा वल को भी यदि अधिक नहीं तो आम पुलिस के समान तो शक्तियाँ दी जानी चाहिए। हमने इस वर्ष को इसे उत्पादकता वर्ष घोषित किया है अतः वर्ष रेलवे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उत्पादन और वितरण के सन्दर्भ आगे बढ़ने में गतिशील होना चाहिए। जब तक योजना परिव्यय मैं उचित धन राशि का नियतन नहीं किया जाता है तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसकी राष्ट्र अपेक्षा कर रहा है।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पिछले बजट के दौरान मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मैं नई लाइन की माँग नहीं कर रहा हूं। मैंने यह बात बार-बार स्पष्ट कर दी थी मैं एक हटाई गई लाइन को फिर से बिछाने की मांग कर रहा हूं। आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी-गोदावरी जिले में एक रेलवे लाइन थी। व ककीनाड़ा से कोप्टी पल्ली तक थी जिसका फासिला केवल लगभग 40 किमी० लम्बा था। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटिश शासन में उन्होंने रेलवे को कभी भी देश की अखण्डता के साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया अपितु व्यवसाय के साधन के रूप में प्रयोग किया और जिस क्षण उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो रेलवे लाइन को हटाने और तोड़ने से कभी नहीं हिचके। परन्तु इस विशिष्ट रेलवे लाइन के लिए जिस आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है वह तो अभी है दक्षिण मध्य रेलवे ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि थोड़े से ही निवेश से यह विशिष्ट रेलवे लाइन काकीनाड़ा से कोटी पल्ली तक फिर से आरम्भ की जा सकती है। मैं फिर कहता हूं कि मैं किसी नई लाइन की मांग नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी नई लाइन की माँग नहीं कर रहा हूं, अपितु हटाई गई लाइन को फिर से चालू करने की माँग कर रहा हूं। और जब पिछली वार 20 सांसदों ने इस उचित मांग का समर्थन किया था तो रेल मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस रेलवे लाइन को फिर से बिछाने के कार्य को आरम्भ करने से पहले इसका सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जायेगा जिसे रेल लाईन कम से कम खर्चे में यह फिर से विछाया जा सकता है।

वास्तव में प्राक्कलन समिति की 69 वीं रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि उचित संचार सुविधाओं से रहित किसी पिछड़े और घनी आवादी वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर रेलवे लाइन दी जाती है तो इससे देश के सन्तुलित विकास में काफी सहायता मिलेगी। यदि आप इन बातों को ध्यान में रखें तो 10 लाख आवादी वाले इस उपेक्षित द्वीप की सहायता हेतु पुनः रेल लाइन चालू की जानी चाहिए। अतः मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि इस लाइन को जिसे शामिल नहीं किया गया है।, वर्तमान वजट के दौरान पुनः चालू किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश एवं सप्रेस का भी मामला है। मैं नहीं जानता कि इसे आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस कहा जाए या हैदराबाद एक्सप्रेस क्योंकि आन्ध्र प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिसमें एक करोड़ से अधिक आवादी है तथा जिसमें आन्ध्र प्रदेश के सभी तटीय जिले आते हैं, यह गाड़ी नहीं जाती। पिछली बार भी मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस को काजीपेट पर दो भागों में बाटा जा सकता है जिसका एक भाग

विशासापत्तनम तक जा सकता है ताकि तटीय जिलों वाले इस घनी आवादी वाले क्षेत्र के एक करोड़ से अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यह बिना अतिरिक्त व्यय है तथा बिना अतिरिक्त गाड़ी चलाए किया जा सकता है। गाड़ी के केवल एक भाग को विशाखापत्तनम तक बहुत ही सुरक्षित और सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है क्योंकि हाल ही में इस गाड़ी पर दो इंजन लगाए गये हैं, अत: इस गाड़ी के एक भाग को हैदराबाद तक तथा दूसरे को विशाखापनतम तक चलाने में कोई कठिनाई नहीं है इस क्षेत्र में कोई सुपर फास्ट गाड़ी भी नहीं है। यह वहाँ के लोगों की वास्तविक आवश्यकता है। लोगों ने अनेक अभ्यावेदन दिए हैं और मैंने भी पिछली बार इस बारे में लिखा था। सरकार ने मुझे यह करने का आश्वासन दिया था परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मुझे आशा है, माननीय रेल मंत्री शीघ्र ही इसे पूरा करेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करता हूं कि पाँच वर्ष तक के बच्चों को दी गई छूट को पुन: लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्य पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए छूट की मांग कर रहे हैं। अब इस छूट की घोषणा करके मेरे विचार में मंत्री महोदय यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने कोई बड़ी रियायत दी है।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : पहले यह रियायत दी जाती थी, मै चाहता हूं इसे पुन: दिया जाय।

जहाँ तक रेलवे प्रशासन के एक महत्वपूर्ण पहलू का सम्बन्ध हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी रेलवे प्रशासन में कानून का सर्वाधिक पालन करने वाले कर्मचारी हैं। वे कभी किसी हड़ताल में भाग नही लेते हैं। परिणामस्वरूप यूनियन उनके लिए अनेक कठिनाइयां पैदा करती हैं वे इन सभी कठिनाइयों को इसी आशा में सहन करते जाते हैं कि सरकार उनकी रक्षा करेगी तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर प्रदान करेगी। दुर्भाग्यवश उन्हें पदोन्नति के अवसर नहीं दिए जाते और सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है इस प्रकार वे दोहरी भार का शिकार होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। सरकार को इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उचित या वास्तविक हितों की ठीक ढंग से रक्षा की जाय और उन्हें प्रदोन्नति के अवसरों से वंचित न किया जाए। मुझे अनुसूचित जाति। जन जाति कल्याण संगठनों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, मुझे आशा है सरकार उनकी समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें समय पर पदोन्नति के अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाय।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस जन विरोधी बजट का मैं विरोध करता हूं। यह जन विरोधी बजट ही नहीं हैं बल्कि देश की जनता का खून चूसने का भी ऐसा लगता है कि इस सरकार ने निर्णय कर लिया है। अपने पिछले दो सालों के शासनकाल में इस सरकार ने चार

बार यात्री किराया और भाड़ा बढ़ाया है और ऐसा करके लगभग 901 करोड़ रुपये का बोझा जनता पर लादा है। फिर भी रेलें घाटे में चलती हैं किसी के जीवन की कोई सुरक्षा नहीं है, हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। डकैतियों की स्थिति यह है कि शासक दल के दो सांसद जो गोरखपुर से दिल्ली आ रहे थे उन्हें भी लुटने का प्रयास हुआ है आज रेलों में यात्रा करना कतई सुरक्षित नहीं रह गया है। रेलों की स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती चली जा रही है। रेल मंत्री ने अब की बार बच्चों तक को नहीं छोड़ा है जनता पार्टी के शासन काल में पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे को मुफ्त यात्रा करने की सुविधा दी गई थी। उसे भी घटा कर तीन वर्ष कर दिया गया है। मैं दन्डवते जी को बधाई दिए बगैर नहीं रह सकता हूं कि तीन बार उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किए और एक बार भी किराया नही बढ़ाया और तीनों बार सरपलस बजट मुनाफे का बजट पेश किया। इस सरकार ने कोई भी रेल बजट ऐसा अभी तक पेश नहीं किया जिस में किराया न बढ़ाया हो बल्कि वह बीच बीच में, बजट के पहले भी बढ़ाती रही है ऐसा लगता है कि जनता के ऊपर बराबर बोझ वढ़ाने की कोशिश की जा रही है केवल किराया बढ़ाने तक ही इस चीज को सीमित नहीं रखा गया है—

श्री सी० टी० दण्ड पाणि (पोल्लाची) : माननीय सदस्य सभा को यह सूचना दे रहे हैं कि काँग्रेस शासन के दौरान लाभ का बजट नहीं था। पिछले वर्ष लाभ का बजट था।

श्री हरिकेश बहादुर : वे असंगत बात कह रहे हैं, सम्राट से अधिक वफादार है। किराया बढ़ाकर मुनाफा दिखाना ..... (व्यवधान)।

श्री सी०टी० दण्डपाणि : श्री हरिकेश बहादुर जी गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मेरा मुद्दा यह है कि वे सरकार का बचाव करने में असंगत बात कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर जी गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री सी०टी० दण्डपाणि : उन्हें गलत सूचना नहीं देनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : संभवतः उन्हें पता नहीं है। किराया और माल भाड़ा बढ़ाकर सरकार कुछ लाभ दिखा देती है। अन्त में अगले बजट का समय आने पर वे पुनः कह देते हैं कि हानि हो रही है। यही प्रवृत्ति है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो चल रही है। श्री दण्डपाणि की सूचना के लिए मैं, उन्हें ये बातें बताना चाहता हूं।

मैं कह रहा था कि इससे केवल किराया बढ़ाकर ही जनता पर बोझ डालने की कोशिश नहीं हुई है बल्कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ेंगी जिससे देश की जनता पर बोझ बढ़ेगा।

आज ऐक्सीडेंट्स की क्या स्थिति है ? एक वर्ष में लगभग 1 हजार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और अभी वर्ष समाप्त होने में समय है, लगता है कि 1013 की जो लिमिट रही है 1980-81 की वह भी यह पार कर जायेंगे। लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। लोगों के मरने की स्थिति के बारे में पासवान जी ने बताया कि किस प्रकार बागमती नदी में ट्रेन गिर गई थी तो कहा गया कि तूफान की वजह से गाड़ी गिर गई जब कि उस पुल की बगल में ही झोंपड़ियां ज्यों की त्यों खड़ी रहीं। इस तरह की बातें यहां कही जाती हैं, और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कारगर प्रयास नहीं हो रहे हैं।

अभी श्री वी०पी० शास्त्री, कमिश्नर फौर रेलवे सेफ्टी, सदर्न सर्किल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वैगन्स खराब होने के बाद भी चलाये जाते हैं इससे भी दुर्घटनायें बढ़ती हैं। इसके बारे में काफी बातें, "सनडे मैगजीन" में निकली हैं, और मुख्य रूप से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के बारे में बातें कही गई हैं जो कि एक तानाशाह की तरह से बात करते हैं। यात्रियों की सुख सुविधा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि जब श्री केदार पांडे रेल मंत्री बनाये गये थे उस समय रेलवे बोर्ड के अन्दर वह अधिकारी जो ऐक्सटेंशन पर काम कर रहे थे उनका ऐक्सटेंशन टर्मिनेट किया गया और सभी अधिकारी हटाये गये। लेकिन अभी हमारे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमें नहीं मालूम हैं कि क्या बजह है कि उनको ऐक्सटेंशन दे कर रखा हुआ है और जितनी भी अनियमितताएं और गड़बड़ियां हैं उसके लिए मेरी दृष्टि में वही जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की ऐक्सटेंशन पौलिसी सारे अधिकारियों को डामोर लाइन कर रही हैं और अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अगर इस ऐक्सटेंशन पौलिसी को समाप्त नहीं किया गया तो रेल की दक्षता को नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अभी कुछ दिन पहले टिकट चैकिंग स्टाफ के लोग अध्यक्ष को एक पत्रक देना चाहते थे जब वह लखनऊ गये थे। लगभग एक साल पहले की घटना है। उन्होने वह पत्रक लेने से इन्कार किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया उसके बाद अध्यक्ष ने पत्रक लिया। लेकिन वहां से लौटने के बाद तुरन्त ही उन्होंने एक बहुत ही द्वेषपूर्ण भावना से प्रेरित होकर लोगों का स्थानन्तरण किया और तमाम लोगों को दंडित किये जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज तक यह प्रक्रिया चल रही है। लोगों ने कोर्ट से स्टे आर्डर लिया है लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा हैं, जब कि वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से रेल को केवल घाटा होगा, मुनाफा नहीं होगा। और यह प्रवृत्ति स्पष्ट करती है कि कर्मचारियों के प्रति रेल प्रशासन की मनोवृत्ति पूर्णतः दोषपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रवृत्ति पर मंत्री जी अंकुश लगायें।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। औटोमैटिक वार्निन्ग सिस्टम सभी रेल मार्गों पर लागू किया जाय और साथ ही जितने भी लेविल क्रसिंग्स है अनमैन्ड उन सभी पर कर्मचारियों को रखा जाय। अभी 40 हजार में से 14,000 पर ही कर्मचारी काम करते हैं, बाकी अनमैन्ड हैं। कर्मचारियों की नियुक्त से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आयेगी।

कर्मचारियों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। 19 जनवरी को जब स्ट्राइक की बात हुई थी, उस समय गोरखपुर, एन०ई० रेलवे का जो हैडक्वार्टर है, वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी। एक कर्मचारी श्री गुलाब चन्द्र त्रिपाठी ने वैज लगाया हुआ था। उस दिन के लिए उसने आकस्मिक अवकाश माँगा था लेकिन सिर्फ वैज लगाने की वजह से उसको उस दिन का आकस्मिक अवकाश नहीं दिया गया और उसकी सेवा को खंडित कर दिया गया और कहा गया कि अब आपको नये सिरे से सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से रेल कर्मचारियों के प्रति रेल प्रशासन का कार्य करने का तरीका बहुत ही दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है।

एक बात मैं मंत्री जी के सामने और रखना चाहूंगा। 1974 से 1977 तक गोरखपुर एन० ई० रेलवे के तमाम पदों पर, जिसमें खासतौर से क्लर्क, गार्ड, ए०एस०एम०, ला एसिस्टेंट टाइपिस्ट आते हैं, 261 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और 1977 के बाद जब रेल बोर्ड का एक सर्कुलर गया तो उसमें से कुछ को तो नियमित सेवा में ले लिया गया, लेकिन अभी तक 90 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

हमारे रेलवे में बहुत से आकस्मिक श्रमिक, केजुअल लेवरर्स कार्य करते हैं। उनकी क्या दशा है, इसका मैं सिर्फ एक उदाहरण सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्णय से उद्धृत करना चाहता हूं, जो कि "इंडियन एक्सप्रैस में 19 फरवरी, 1982 को छपा हुआ है।

एक डीसूजा कर्मचारी, जिसने बहुत बरसों तक रेल की सेवा की है, उसको केवल इसलिए कि वह चाहता था कि उसकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाये, नौकरी से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नाम कार्यवाही वृतांत में नहीं आएगा।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं यह कोई आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'एक व्यक्ति' कहिये बस।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह एक आरोप है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। कृपया कार्यवाही वृतांत देखिये। (व्यवधान)।

और उसके बाद ही अनुदेश दीजिए कि इसे 'कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए' अथवा 'कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाए'।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं जानते। यह नियमों के अनुसार है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं ।

**डिसूजा को नौकरी से हटा दिया गया । सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो दिया है, मैं उसे यहां उद्धृत करता हूं ।

"आज रेलवे के पास दशाब्दियों तक चलने वाली भावी योजनाएं हैं यदि एक परियोजना पूरी हो जाती है तो दूसरी आरम्भ करनी पड़ती है ।

**डीसूजा ने 20 वर्षों तक काम किया जिसका अर्थ है वहाँ पर एक दिहाड़ी मजदूर के लिए लगातार 20 वर्षों तक काम करने को था परन्तु उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया ।

"अब यह उचित समय है जब इन सामाजिक-आर्थिक न्याय से वंचित करने वाले बिल्कुल अनुचित उपबन्धों में उचित संशोधन किये जाने चाहिये तथा उन्हें न्याय की आधुनिक धारणा के अनुरूप बनाया जाना चाहिए तथा रेलवे प्रशासन में निम्नतम कर्मचारी के साथ न्याय किया जाना चाहिये ।"

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो आकस्मिक श्रमिक कार्य करते हैं, उनकी सेवाओं को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है पिछले 10,15,20 वर्षों से जो लोग काम करते हैं, उनकी सेवाओं को भी नियमित नहीं किया है । यह उनके साथ घोर अन्याय है । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय ऐसे श्रमिकों को शीघ्र स्थायी नियुक्ति देने की कृपा करें ।

- रेलवे के बारे में हम सभी जानते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हैं । अगर यह ठीक ढंग से काम नहीं करे तो हमारे स्टील, सीमेंट उद्योग और बिजली पैदा करने वाले बड़े-बड़े कारखाने और साथ ही साथ कोयला उद्योग, यह सब ठीक से कार्य नहीं कर पायेंगे, इनके कार्यकलाप ठप्प पड़ सकते हैं । इसलिए रेलवे का विकास सही ढंग से होना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए प्लानिंग कमीशन को चाहिए कि वह रेलवे के विकास के लिये उसकी माँग के अनुरूप धनराशि दे ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे में वेस्टफुल एक्सपेंडीचर होता है, उसको रोका जाए । ऐसी योजनाओं को तत्काल पूरा किया जाए, जिनसे रेलवे की पैसा कमाने की क्षमता बढ़ती है । अखबारों में यह समाचार छपा है कि रेलवे की 27 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में काफी देर हुई है । जो प्राजेक्ट्स रेलों को अधिक धन कमाने के साधन देती हैं, उन्हें शीघ्राति-शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अन्त में मैं कुछ मांगें मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। गोरखपुर नार्थ-ईस्टर्न रेलवे का हैडक्वार्टर है। गोरखपुर को बड़ी लाईन के जरिये दिल्ली से जोड़ा गया है, लेकिन गोरखपुर से दिल्ली तक कोई सीधी ट्रेन नहीं चलाई गई है। मेरी पहली माँग यह है कि गोरखपुर से दिल्ली, गोरखपुर से बम्बई और गोरखपुर से हावड़ा तक सीधी रेल-सेवा चालू की जाए। मैंने पिछली बार मांग की थी कि गोरखपुर से दिल्ली तक लार्ड बुद्धा एक्सप्रैस चलाई जाए। मैं इस मांग को फिर दोहराता हूं।

एन ई रेलवे को अभी तक डीजल इंजिन नहीं दिये गये हैं। उसे दूसरी रेलों के पुराने रिजेक्टिड स्टीम इंजिन दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की वजह से एन ई रेलवे की इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। समझ में नहीं आता कि रेलवे बोर्ड ने इस प्रकार का दुसग्रहपूर्ण रवैया क्यों अपनाया हुआ है एन ई रेलवे के अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज तक न वहां नये कोच दिये गये हैं और न इंजिन। भले ही सरकार 1982 को प्राडक्टिविटी यीअर घोषित करे, लेकिन इस स्थिति में एन ई रेलवे की उत्पादकता, प्राडक्टिविटी, नहीं बढ़ेगी अगर मन्त्री महोदय सचमुच प्राडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हे आवश्यक साधन देने पढ़ेंगे। मैं मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि एन ई रेलवे को नये डीजल लोकोमोटिव और कोच दिए जाएं।

बाराबंकी से गोरखपुर तक मीटरगेट का ब्राडगेज में कनवर्शन किया गया है, मगर वहां ट्रेनों की गति बहुत ही कम है। उसे तभी बढ़ाया जा सकता है, जबकि उसके लिए कुछ आवश्यक कार्य पूरे कर लिए जाएं।

आठ नौ महीने हो गए होंगे, लेकिन अभी तक वे कार्य पूरे नहीं किए जा सके हैं। इस लिए मैं चाहता हूं कि उन कार्यों को शीघ्र पूरा करके ट्रेनों की गति को बढ़ाया जाए।

जिन कार्यों के लिए पहले प्रावधान किए गए थे, उन्हें पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए जैसे गोरखपुर को हावड़ा से जोड़ने के लिए 21-अप और 22-डाउन का उल्लेख पहले रेलवे टाइम-टेबल में किया गया है, लेकिन वह ट्रेन अभी तक नहीं चल सकी है, क्योंकि रेलवे ने रेक और इंजन नहीं दिए हैं। इस कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिए।

राप्ती-गोमती एक्सप्रेस, जो गोरखपुर और लखनऊ के बीच चलती है, की गति को बढ़ाना चाहिए।

गढ़वाल क्षेत्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कोटद्वार से बद्रीनाथ तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सरवे किया गया था या किया जा रहा था, लेकिन उसे रोक दिया गया है। उस कार्य को तत्काल पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार वहां पर रेलवे लाइन नहीं देना चाहती और श्री बहुगुणा को इस सदन में नहीं आने देना चाहती। यह उचित नहीं है। अगर सरकार सचमुच पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, तो वह वहां पर रेलवे लाइनों की सुविधा प्रदान करे और श्री बहुगुणा को यहां लाकर देश का उत्थान कराए।

नरकटियागंज में रेल-कर्मियों के बच्चों की शिक्षा हेतु एक रेलवे स्कूल खोलने का आश्वासन भूतपूर्व रेल मन्त्री ने दिया था। वर्तमान रेल मन्त्री कृपया उस आश्वासन को पूरा करें।

केरल में कायमवुलम और पुनलूर के बीच बड़ी लाइन बनानी चाहिए। साथ ही साथ क्वीलोन से तुलनूर के बीच बडी लाइन की सुविधा दी जानी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ओलवाकोट से ट्रिवेन्ड्रम के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है। मेरा यह भी निवेदन है कि ट्रिवेन्द्रम में एक रेलवे का जोन बनाया जाना चाहिए तथा रेलवे सर्विस कमीशन का आफिस भी ट्रिवेन्ड्रम में खोला जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस जनविरोधी रेल वजट का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि मन्त्री जी शीघ्र चेयरमैन का इस्तीफा लें और रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ायें।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, आज मैं उन शिकायतों का जिक्र नहीं करूंगा जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं जैसे कि उत्तरी सीमान्त रेलवे की उपेक्षा की जाती है, और उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। वहां कैसे दोहरी लाइन और रेलवे लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया गया, किस प्रकार नए कूच बिहार से सिलायदाह के बीच नई गाड़ी चलाने के लिए उन्हें मना किया गया है। बालूरघाट से मालदा और नई मयनाग्नी से सिताई के बीच गाड़ी चलाने के लिए कैसे मना किया गया है और चंग्रबन्धा – दमोदनी रेलवे लाइन को पूरा करने की मांग किस प्रकार अस्वीकार कर दी गई है महोदय, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में मेट्रो रेलवे के लिए आवंटित धनराशि 5 करोड़ रुपए से भी कम है।

महोदय, मैं जानता हूं कि वे उत्तरी बंगाल से यात्रियों के आवागमन को बन्द कर देना चाहते हैं परन्तु मैं उन्हें बता सकता हूं कि वहां अन्य लोग गाड़ियों के आवागमन को रोकने के लिए तैयार हैं। कूच बिहार में जल्दी ही रेल रोको आन्दोलन चलाया जाएगा। मन्त्री महोदय को पहले ही बता देना चाहता हूं ताकि बाद में वे हमें दोष न दें। मैं जानना चाहता हूं कि असम और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र को अलग क्यों किया गया है।

महोदय, आज मैं रेल मन्त्रालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे कुछ कहना चाहता हूं। एक कहावत है कि यदि रेलवे में भ्रष्टाचार न हो तो रेल पटरियां आयात की बजाए सोने की हों। उत्तर-पूर्वी रेलवे भ्रष्टाचार का गढ़ है। उत्तरी बंगाल उत्तर-पूर्वी रेलवे में आता है। उत्तरी बंगाल एक तरफ बंगलादेश और दूसरी तरफ नेपाल, चीन और भूटान के बीच भूमि की एक छोटी पट्टी है। उत्तरी बंगाल ही एक ऐसा क्षेत्र है जो उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र और शेष भारत को मिलाता है।

महोदय, उत्तरी बंगाल अपने कच्चे जूट की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है। यह चाय, लकड़ी और तम्बाकू के लिए भी प्रसिद्ध है। जूट, चाय लकड़ी और तम्बाकू की ढुलाई के लिए

रेलवे वैगन चाहिए । परन्तु रेलवे वैगन उपलब्ध नहीं कराये जाते । इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान सिलीगुड़ी से प्रकाशित एक बंगला दैनिक 'उत्तर बंग संवाद' दिनांक 30 जुलाई, 1981 में छपे समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं ।

"जहां कच्चे जूट के लिए वैगन नहीं है वहीं अतृतसर और हरियाण के लिए मालदा में कोयले से वैगन भरे जा रहे हैं ।"

महोदय, मालदा आमों के लिए प्रसिद्ध है परन्तु माननीय मन्त्री महोदय श्री गनी खान चौधरी की कृपा से यह अब कोयले को धोखाधड़ी के लिए प्रसिद्ध हो गया है । यह हार्ड कोक कहां से आता है । पूछताछ के बाद पता चला कि कोयले से भरे ट्रक आसनसोल और रानीगंज से आ रहे हैं और तत्पश्चात् मालदा और निकट के स्टेशनों पर उनमें कोयला लादा जाता है । आंकडों से यह पता चला कि 31 मई से 6 जून तक मालदा में 51 वैगनों में कोयला भरा गया। मैं ये फोटो अपने साथ लाया हूं ।यद्यपि कागज में यह 'रद्द किया गया कोयला' दिखाया है परन्तु वास्तव में यह हार्ड कोक है । मैं आपको कुछ वैगन नम्बर देना चाहूंगा ।

4-6-81 को	एस० ई० सी०	332113
	एस० आर० सी०	23887
	डब्लयू० आर० सी०	34408
	ई० आर० सी०	21045
	डब्ल्यू० आर० सी०	60282
5-6-81 को	एस० ई० सी०	73740
	एन० आर० सी०	23602
	एस० आर० सी०	17351
	सी० आर० सी०	63820
6-6-81 को	ई० आर० सी०	81454
	ई० आर० सी०	49451 आदि

महोदय रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कोयले का घोटाला जो एक अवैध कार्य है मालदा तथा उत्तरी बंगाल के कुछ अन्य स्थानों पर चल रहा है । तथा रेल प्रशासन मुद्रा के बदले इस अवैध व्यापार में सहायक हो रहा है ।

एक ओर तो आप दिखायेंगे कि वैगनों की कमी है तथा दूसरी तरफ ऐसे अवैध कार्यो के लिए वैगन बहुतायत में उपलब्ध हैं ।

यह कोयला आसनसोल या रानीगंज कोयला खानों से क्यों नहीं लादा गया था ?

क्या आवंटन, बुकिंग तथा प्रेषण पर प्रतिबन्ध लगाना भारतीय रेल अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है ?

हार्ड कोक कोयले के चूरे या अस्वीकृत कोयले के नाम पर क्यों भेजा जा रहा है ? क्या इससे भाड़े में हानि नहीं हो रही है ?

जब हार्ड कोक के अभाव में रेल गाड़ियां रद्द की जा रही हैं तो रेलों को आवंटित किया गया हार्ड कोक, व्यापारियों के झूटे नामों पर माल्दा से पंजाब क्यों भेजा जा रहा है ?

वास्तविकता यह है कि रेल तथा कोयला विभाग के कुछ उच्चाधिकार इन अवैध कार्यों में शामिल है ।

इस सम्बन्ध में आपका ध्यान 8 अगस्त, 1981 के "स्टेट्स मैन" में छपी रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले अंक में छपी थी । शीर्षक में छपा था । "45 याचिकायें अस्वीकृत कर दी गयीं" यह कलकत्ता उच्चन्यायालय साँविधिक याचिका के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हुआ । जब माननीय न्यायमूर्ति पी० सी० बरूच ने निर्णय दिया । यह दिनांक 21 जून 1981 का है । मैं उद्धृत करता हूं :

> 1980 तथा 1981 के दौरान स्वयं को कोयला व्यापार में लगे बताने वाले व्यक्तियों फर्मो तथा कम्पनियों द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक हजार से भी अधिक आवेदन दिए गए थे ।
>
> ऐसी 45 याचिकायें जिनमें चंदीदास डे तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मुकदमा भी सम्मिलित थे, 5 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी० सी० बरुच के समक्ष अन्तिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गयीं थीं तथा ये सभी याचिकाएं वरख्वासत कर दी गयीं थीं उन पर जारी किए गए नियम बर्खास्त कर दिए गए तथा वैगन आवंटित करने के लिए निदेश देते हुए रेलवे प्राधिकारियों को दिए गए अन्तरिम अधिदेशात्मक आदेश वापिस ले लिए गये । "

क्या रेलवे बोर्ड के सदस्य इससे मना कर सकते हैं ? इस प्रकार के भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं और स्वयं रेलवे बोर्ड इन कार्यों में लगा हुआ है ।

हमें गैर सरकारी फर्मों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है । जब पश्चिमी बंगाल सरकार के वस्त्र निगम ने बैगनों की मांग की तब भी रेलवे बोर्ड हमेशा 'ना' करता रहा । बोर्ड हमेशा बुकिंग के आबंटन पर प्रतिबन्ध लगाता है । बड़ी लाइन तथा मीटर गेज लाइनों पर इमारती लकड़ी तथा लठ्ठों के लिए कोई वैगन आबंटित नहीं किया जायेगा वे इस बात पर अड़े रहते थे कि इमारती लकड़ी रेकों द्वारा भेजी जानी चाहिए अर्थात एक ही बार में 75 वैगन ।

इन रेकों के दिये जाने के बाद चार दिन के अन्दर अन्दर ये लाद दिये जाने चाहिए। महोदय यह कैसे सम्भव है ? यह भी एक बेहूदा बिचार है।

एक अक्टूबर 1979 का तथा दूसरा 8 नवम्बर 1980 का जो आदेश है, जरा उन्हें नोट कीजिए। रेलवे बोर्ड का आदेश सं० आर० पी०एस०सी०/529/80 परन्तु यदि उन्हें धन दे दिया जाता है तो रेलवे बोर्ड तुरन्त अपना निर्णय बदल देगा तथा विशेष संदेश भेजेगा। मैं उन में से एक का संदर्भ देना चाहूंगा। यह रेलवे बोर्ड का 3 अक्तूबर, 1981 का पत्र संख्या पी० XIII है। यह रेलवे बोर्ड का वह आदेश है। इसमें लिखा है।

> 3-10-81 का पी० XIII इस प्रकार हैं (०) प्रारम्भ (०) बोर्ड के दिनांक 3-6-81 के संदेश संख्या 81/11/III/6 को आवश्यक कार्यवाही के लिए नीचे दोहराया जा रहा है (०) प्रारम्भ (०) लाभी टिम्बर स्टोर नई दिल्ली ने मई तथा जून 81 में साप्तगाँव से दिल्ली सराय रोहिल्ला को ऐशियाई खेलों के लिए इमारती लकड़ी लाने के लिए 25 (पच्चीस) बी० सी० जी० वैगनों के लिए निवेदन किया है (०) इसको प्रतिबन्धों के बावजूद भी, यदि कोई हों तो तदर्थ प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का प्रबन्ध किया जाय (०) समाप्त (०) क्योंकि यह पार्टी निर्धारित समय के अन्दर चार से अधिक बी० सी० जी० वैगनों को नहीं लाद सकती अतः बोर्ड की इच्छानुसार यायायात का प्रबन्ध किया जाये (०)।

जरा देखिए वे किस प्रकार से आदेश दे रहे हैं कि चार दिन के अन्दर लकड़ी लादने के लिए रेक्स प्रदान किए जाने चाहिए। इस आदेश में उन्होंने यह भी कहा है जितनी बार पार्टी को आवश्यकता पड़े उतनी ही बार; इसकी कोई सीमा नहीं है। तथा वे ऐसे कार्य करने में गर्व महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार रेलवे बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है और वहां ऐसी बातें हो रही हैं। मैं माननीय सदस्य से इस पर ध्यान देने का निवेदन करूंगा।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं आपके बजट का समर्थन नहीं कर सकता।

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) : सभापति जी, मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इन परिस्थितियों में जो रेल बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए वे सचमुच बधाई के पात्र हैं। विगत वर्षों में रेल विभाग द्वारा जो माल ढोने का कीर्तिमान कार्य किया है, उसके लिए रेल विभाग बधाई का पात्र है। इसके साथ रेल विभाग ने यात्रियों को सुविधापूर्वक जाने आने की उपेक्षा की है, जो कि एक बड़ी दुखद बात है। माल ढोने में तो उन्होंने तत्परता दिखलाई, कार्य क्षमता दिखलाई, लेकिन यात्रियों को सुविधा देने में, यात्री गाड़ियों को समय पर चलाने में उन्होंने पूर्णतया उपेक्षा की है। जिसके कारण हमारे देश की जनता को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस दुर्व्यवस्था के कारण रेल विभाग को बहुत बड़ी बदनामी मिली है। जिसकी वजह से रेल विभाग पर जो लोगों को विश्वास था, वह उठ सा गया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे

सेठी जी के जमाने में, जो विश्वास उठ सा गया था, पुनः जीवित हो गया है और यात्रियों की जो सुविधाएं हैं, वे सुखद और अच्छी हो जाएगी।

इसके साथ-साथ मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यहां सदन में मेंटिनेंस, विभाग इंजन मैंटिनेंस, माल डिब्बों के मेटिनेंस और यात्री गाड़ियों के मैंटिनेंस के बारे में बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं, जो कि निहायत ही जरूरी हैं। इसके साथ साथ रेल विभाग की जो प्रापर्टी है, जैसे रेलवे का सामान और लोहा इत्यादि, जो कि रेलवे लाइन के किनारे पर पड़ा रहता है, उसको एकत्रित करने की जरूरत है, संभालने की जरूरत है। रेलवे को प्रापर्टी जो कि चोरी चली जाती है, उसको भी रोकने की जरूरत है। जो यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं, उनको भी चैक करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यदि इन दिशाओं की तरफ रेलवे द्वारा कदम उठाये जायेंगे, तो रेलवे की अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी आप कभी तकलीफ करें, जहां पर माल गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, उन गाड़ियों में जो सामान होता है वह बाहर निकाल दिया जाता है, आर० पी० एफ० या रेलवे के कर्मचारियों द्वारा चोरी करके उनको बेच दिया जाता है, जिनकी बजह से रेलवे को लाखों रुपयों का मुआवजा देना पड़ता है, जिससे कि रेलवे को नुकसान होता है। मैंने एक बार रेलवे विभाग का ध्यान तुगलकाबाद की ओर आकर्षित किया था, जहाँ पर कि लाखों रुपयों का सामान पड़ा हुआ था, जिसको कि बाद में रेलवे विभाग द्वारा उठा लिया गया। इस तरह के बहुत से गुड्स यार्ड हमारे देश में हैं, जहां से माल की चोरी होती है और रेलवे को भुगतान करना पड़ता है।

इसके साथ ही मैं यह अनुरोध करूंगा कि हमारा जो रेल विभाग है, उसमें अधिकारी अधिक हैं और छोटे कर्मचारी जो हैं, वे बहुत कम हैं। एक आर० एम० के साथ तीन तीन डी० आर० एम० लगा दिये गए हैं। उनसे पूछिए कि वे क्या काम करते हैं और क्या व्यवस्था करते हैं। वह तो ऐश करते हैं सरकारी खर्च में और उनके पास उतना कार्य नहीं है, जितना होना चाहिए। अगर कोई समस्या उनके पास मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी लेकर जाता है, तो वे सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर खास तौर पर ध्यान दें कि कम से कम मेम्बर आफ पार्लियामेंट अगर किसी बात की शिकायत करे, तो उस पर वे गौर करें। यहां पर रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, वे इस बात को ध्यान में रखें बरना ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि हम लोग आन्दालन करना शुरू कर देंगे। मैंने एक शिकायत की थी कुछ महीने पहले कि रेलवे कर्मचारी ने मेरे साथ कानपुर में दुर्व्यवहार किया था। अभी तक रेल मंत्री जी का कोई उत्तर नहीं आया, यह बड़े दुख की बात है। किसी चीज की हम शिकायत करें और उसका कोई उत्तर नहीं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस तरह की स्थिति अगर पैदा होगी और रेल के कर्मचारी और रेल अधिकारी अपने को ही सुप्रीम समझेंगे और रेल के कर्मचारी अनुशासन को नही मानेगें, तो फिर रेलों में कोई सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

खान पान की व्यवस्था के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि रेल विभाग को इसको पूर्णतया अपने हाथ में लेना चाहिए और जो ठेकेदारी व्यवस्था इस में चली आ रही है, उसको खत्म करना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से मोनोपली बनाई हुई है और तमाम रेलवेज में इस के माध्यम से दुनिया भर का भ्रष्टाचार होता है। इसलिए इसको आप को अपने हाथ में लेना चाहिए।

ट्रेनों की लेट रनिंग के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और इसको मैं दोहराऊंगा नहीं लेकिन मेरे क्षेत्र से यह सम्बन्धित है, इसलिए मैं इसके बारे में यह बतलाना चाहूंगा कि झांसी से बांदा होकर, जो कि मेरी कांस्टीटूयैन्सी है, बुन्देलखंड एक्सप्रेस गाड़ी मुगलसराय को जाती है और वह पिछले दो वर्षों से 8-8 घंटे और 6-6 घंटे लेट चल रही है। मैं ने अनेकों चिट्ठियां रेल विभाग को इस बारे में लिखी हैं लेकिन रेलवे की क्षमता नहीं है कि वह उस को समय पर चला सकें। मेरे जनपद हैडक्वार्टर पर वह गाड़ी रात को 12 बजे जाती है, 12 बजे उसके आने का वहाँ पर टाइम है लेकिन सुबह 8 बजे पहुंचती है और वहां से चलती है। वहां पर यात्री रात को 11, 12 बजे स्टेशन पर आ जाते हैं और तमाम रात प्रतीक्षा करने के बाद सुबह को उन को ट्रेन मिलती हैं। इससे उनको बहुत तकलीफ होती है। इसलिए ये जो गाड़ियों की लेट रनिंग है, इसमें सुधार करने की जरूरत है। लेट रनिंग के कई कारण हैं। एक तो चैन पुल करके ट्रेन को लेट कर दिया जाता है और यह एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है। आज के समाज में रेल विभाग को इस न्यूसेंस से लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हर जगह पर जंजीर नहीं खींची जाती है बल्कि कुछ निर्धारित क्षेत्र हैं. जहां पर जंजीर खींची जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जाए की जंजीर न खींची जा सके। आफिस का टाईम होता है और ट्रेन को दिल्ली पहुंचना होता है लेकिन बीच में जगह जगह पर चैन खींच कर गाड़ी को रोक लिया जाता है। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसी जगहों पर चैन को ब्लाक कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ लोग हौज पाइप निकाल लेते हैं और गाड़ी को रोक देते हैं। फायरमैन इसका पता लगाने के लिए एक डिब्बे में जाता है, तो फिर दूसरे डिब्बे का हौज पाइप निकाल देते है। मैं यह चाहूंगा कि हौज पाइप में कोई बोल्ट सिस्टम हो या क्लैम्प सिस्टम लगाया जाय, जिस से आसानी से वे न निकाले जा सकें। पैसेन्जर ट्रेन्स में ऐसा करना संभव हो सकता है लेकिन गुड्स ट्रेन में यह करना संभव नहीं है क्योंकि वह काफी लम्बी होती है और बहुत काफी उसको जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए. तो हम इस न्यूसेंस से लड़ सकते हैं और ट्रेनों में समय पर चलने की क्षमता भी बन सकेगी।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी ट्रेनें हैं जो एक टर्मीनल पर आकर 22-22 घंटे रुकी रहती है। गोरखपुर से झांसी जाने वाला जो झांसी मेल है, वह झांसी पर 22-22 घंटे रुका रहता है और इस तरह से वह अनयूटेलाइज्ड रहता है। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि अगर इसको आगे तक बढ़ा दिया जाय, तो इस ट्रेन का इस्तेमाल और अच्छी तरह से हो सकेगा। इसी तरह से झांसी से मानकपुर जाने वाली जो पैसेन्जर ट्रेन है, वह मानकपुर पर पहुंचने के बाद 17 घंटे यहाँ पर रुकी रहती हैं। इसको इलाहाबाद तक

बढ़ा दिया जाए या फिर जबलपुर तक बढ़ा दिया जाए । बांदा रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज मंजूर हो चुका है जिसका सर्वे भी हो चुका हैं लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है । बांदा जिले में मानिकपुर स्टेशन से गंगा कावेरी ट्रेन निकलती है । मानिकपुर चित्रकूट के समीप है । दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों के लिए गंगा-कावेरी का मानिकपुर स्टेशन पर रुकना बहुत जरूरी है ।

इसके साथ ही झांसी मानिकपुर और बांदा-भीकसैन लाईन पर इन्टर लौकिंग सिस्टम किया जाए ताकि गाड़ियाँ तेज गति से चल सकें । इसी तरह से कुतुब एक्सप्रेस को भी 25-30 किलोमीटर की स्पीड से चलना पड़ता है । अगर इसमें भी इन्टर लौकिंग हो जाए तो इससे इसकी स्पोड बढ़ेगी और उससे देश के लोगों का समय बचेगा ।

उत्तर प्रदेश में इटावा से मध्य प्रदेश में गुना तक का सर्वे होना था । उसको पूरा किया जाए ।

कानपुर से लखनऊ रेलवे लाईन का विद्युतीकरण किया जाए और उसको डबल लाईन किया जाय । इस लाईन पर बहुत ट्रैफिक है । इसकी बहुत आवश्यकता है ।

एक मेरा विशेष अनुरोध है कि लखनऊ से मानिकपुर चलनेवाली एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन के लिए हमारे क्षेत्र के और अन्य क्षेत्रों के कम से कम दस संसद सदस्यों और विधायकों ने लिखा है और जहां तक मेरी जानकारी है मुख्य मंत्री ने भी लिखा है कि इसके समय में परिवर्तन किया जाए लेकिन आपके रेल कर्मचारी इसका समय परिवर्तन करने को तैयार नहीं हैं । इससे वहां की जनता को भारी असुविधा होती है । मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसका समय परिवर्तन किया जाए ।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे विभाग को कंसोलिडेट करना चाहिए और अपने में सुधार लाना चाहिए ।

श्री एडु आडो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और मैं मुझे दिए गए पांच मिनट की समय सीमा का पाबन्द रहूंगा ।

श्री एम० एम० लारेंस (इदुक्की) महोदय, जब उस तरफ का एक सदस्य बोल चुका है । तो आपको इस तरफ के सदस्य से बोलने के लिए कहना चाहिए था ।

सभापति महोदय : मैं आपको भी अवसर दूंगा मैं इस ओर से दो को बुला रहा हूं और फिर आपकी तरफ से ।

श्री एडु आर्डो फैलीरो : महोदय, जो देश के छोटे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी ओर से हमेशा इस सभा में एक शिकायत सुनी जाती है कि उनकी आवाज इतनी पतली तथा

कमजोर होती है कि सुनी नहीं जाती । (व्यवधान) जो कुछ मेरे विशिष्ट मित्र कह रहे हैं वह बहुत उत्साह वर्द्धक है अर्थात् यह कि हमें उनका समर्थन प्राप्त है; परन्तु हम सभा विशिष्ट के सदस्यों को समर्थन की आशा नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी कथाओं को नहीं कहते ।

इस मामले को प्रस्तुत करते समय मैं अपने आपको सीमा में रखूंगा । मैं देश के ऐसे भाग से हूं जो कि देश के सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में आता है यह स्थिति आंकड़ों के अनुसार है । फिर भी आर्थिक रूप से यह देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ।

महोदय अगर आप वहां जाएं तो आप देखेंगे कि वह आर्थिक तथा औद्योगिक रूप से सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । इसका कारण खोजना कठिन नहीं है यहां संचार साधनों की पूर्णतया कमी है । यह देश का ऐसा भाग है जो बाकी देश से एक दम कटा हुआ है; क्योंकि वह पड़ौसी राज्यों से ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा पृथक है सड़क संचार की हालत बहुत खराब है । सड़क संचार तो खराब है ही रेल सुविधायें भी बहुत कम है । महोदय क्या आप विश्वास करेंगे कि गोवा और बम्बई के बीच की मुश्किल से 600 कि०मी० की दूरी तय करने में रेलगाड़ी में 22 या 24 घंटे लगते हैं ? रेलगाड़ी द्वारा इस 22 घन्टे की यात्रा में लोगों को 2 या 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं । जो लोग कोंकण के दूसरे क्षेत्र के हैं उनकी हालत और भी खराब है । यह हालत इसलिए है क्योंकि गाड़ी की सुविधायें बहुत कम हैं । हमने गोवा को विकसित करने की परियोजना बनाने का प्रयत्न किया है हम समय समय पर सभा में यह सुनते रहते हैं कि कोंकण क्षेत्र को, दूसरे पिछड़े क्षेत्रों की भांति ही जो औद्योगिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, विकसित किया जाना चाहिए तथा इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । अब आप इस कार्य को किस प्रकार करने की उम्मीद करते हैं जब तक इस क्षेत्र में परिवहन प्रणाली उपलब्ध नहीं की जाती जिससे कि कच्चा माल बाहर से लादा जा सके तथा तैय्यार वस्तुएं बिक्री के लिए बाहर भेजी जा सके, तब तक इस क्षेत्र का आर्थिक तथा औद्योगिक विकास कैसे किया जा सकता है ? जब तक व्यापार विकसित नहीं होता है उद्योग कैसे विकसित हो सकते हैं; व्यापार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास उचित संचार प्रणाली न हो । आधार रूप में वहां रेलों का समुचित विस्तार होना चाहिए ।

मैं तथा कोंकण क्षेत्र के अन्य सदस्य भी सभा में मांग करते आ रहे हैं कि हमें यथाशीघ्र कोंकण रेलवे लाईन बनानी चाहिए । पो० मधु दंडवते ने जोकि शायद इस क्षेत्र के प्रमुख सदस्य हैं और जोकि इस विभाग के प्रभार मंत्री भी रहे हैं इस परियोजना में काफी रुचि ली थी । परन्तु किसी कारण से यह परियोजना उस गति से नहीं चल सकी जिससे कि उसे चलना चाहिए ।

धन का आवंटन नितांत कम रहा है आवंटन बिल्कुल नाममात्र का रहा है अत. मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह आवंटन को बढ़ाए । यह धन के अभाव का मामला नहीं है, यह मामला किसी परियोजना को उपलब्ध बजट में उच्च प्राथमिकता अथवा निम्न प्राथमिकता दिये जाने का है । इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए; क्योंकि वहां पर संचार के कोई साधन नहीं है तथा परिवहन के कोई अन्य साधन नहीं है जैसा कि मैंने बताया इस क्षेत्र

का आर्थिक अथवा औद्योगिक दृष्टि से विकास तब तक नहीं हो सकेगा जब तक कि शुरू में रेल प्रणाली का मिराज तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदल कर, विकास नहीं किया जाता। और साथ ही कोंकण क्षेत्र का अधिक तीव्र गति से विकास नहीं किया जाता है। मिराज क्षेत्र में अत्यन्त शीघ्र वर्तमान लाइन की जगह बड़ी लाइन डाली ही जानी चाहिए। यदि हम इस क्षेत्र का कोंकण क्षेत्र के समान विकास करना चाहते हैं तो यही समय है कि हम घिसे-पिटे उत्तर से तथा नौकरशाही प्रक्रिया से बचे जो हमें कहीं नहीं लेजायेगी। मेरे पास भूतपूर्व रेल मंत्री श्री केदार पांडे का पत्र है। इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। मेरे पास शक्तिशाली व्यक्ति का 19 जून, 1981 का पत्र है। उसमें लिखा है। "मिराज लोंढ़ा गौमा मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के लिए सर्वेक्षण पहले ही किया जा रहा है। जोकि इस क्षेत्र में दक्षिण-मध्य रेलवे की मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिये मुख्य सर्वेक्षण कार्यक्रम का एक अंग है। तथापि इस लाइन के बदलने के बारे में अंतिम निर्णय सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है और वह वित्तीय सक्षमता एवं संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।" इससे मुझे भूतकाल की कटु याद आती है, क्योंकि जब 1977 में जब मैं इस सभा में आया था मैंने सुनिश्चित रूप से इस मामले को उठाया था, तब मुझे ठीक यही उत्तर दिया गया था। इससे प्रकट होता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, वे बार-बार वही उत्तर दे रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पुनः आग्रह करता हूं। वह हमें बतायें कि क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, और यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब लिया जायेगा। ये बात है, कि जिन पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए।

वास्तव में, जहां पर केवल दो सदस्य हैं; एक मैं, और एक अत्यन्त योग्य दयालु मधुरभाषी नम्र महिला सदस्य हैं। हमारी पुकार व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मंत्री महोदय इस बारे में शिकायत करने वाले व्यक्तियों की संख्या पर ध्यान न दें।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा क्षेत्र आपके निर्वाचन-क्षेत्र से 30 कि०मी० की दूरी पर है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो: प्रो० मधु दण्डवते से अधिक अच्छी तरह कोई इस मामले को नहीं उठा सकता। मुझे उम्मीद है कि अगली बार आप इस प्रश्न को अच्छी तरह उठा सकेंगे। गतिशील तथा शक्तिशाली मंत्री महोदय इस मामले को उचित प्राथमिकता देते हुए इस मामले में शीघ्रता करें। धन्यबाद।

***श्री ई. के इम्बीचि बाबा** (कालीकट) : सभापति महोदय, श्रीमान, इस सरकार को देश की जनता की आर्थिक क्षमताओं के बारे में कतई परवाह नहीं है। तथा वह ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न हैं। जिससे उन पर भार ही बढ़ता है। मैं यात्री भाड़े में हाल ही की गई वृद्धि का उल्लेख कर रहा हूं जिसका कि रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया। देश की आम जनता इस भार को वहन नहीं कर सकती। गरीबी की रेखा से नीचले स्तर पर जीवन-यापन कर रहे आम

*मन्त्रालय में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

लोगों पर यह भार पड़ा है। सरकार की इस कार्यवाही का औचित्य किसी भी हालत में सिद्ध नहीं किया जा सकता। मन्त्री महोदय अत्यन्त योग्य तथा सक्षम व्यक्ति हैं इसलिए मैं दृढ़ता पूर्वक उनसे निवेदन कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि वह बजट वहस का उत्तर देते समय उत्साह-पूर्वक दृढ़ घोषणा करें कि वह बढे उस किराए को वापस लेते हैं।

श्रीमान, केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों के यत्रियों को भाड़े की इस बृद्धि से सबसे अधिक हानि होगी। इस भार के मुख्य अंश का उन्हें ही वहन करना पड़ेगा। इसलिए इस समस्या का समाधान खोजना अत्यन्त आवश्यक है। मैं इस बारे में एक निवेदन करना चाहूंगा। केरल तथा दक्षिण के अन्य राज्यों, जैसे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लोगों को विशेष रियायत दी जानी चाहिए। अन्यथा उन व्यक्यिों के लिए भारी किराए खर्च करके राजधानी आना असंभव हो जाएगा। दुर्भाग्य से हमारी राजधानी देश के उत्तरतम भाग में है। निःसंदेह मैं यह सुझाव नहीं दे रहा कि देश की राजधानी को यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जाए। मेरा निवेदन केवल यही है कि मन्त्री महोदय उन लोगों पर डाले गए भार से उन्हें मुक्त करें। यदि वह बढ़ाए गए भाड़ों को बनाए रखना भी चाहते हैं, तो भी उन्हे रियायतें दी जानी चाहिए।

अब मैं केरल में रेलों के विकास के प्रश्न पर बात करना चाहूंगा। यह दुःखद वास्तविकता है कि रेलों में केरल का हिस्सा राष्ट्रीय औसत से कम है। जबकि अन्य राज्यों में एक लाख जनसंख्या पर 10 किलोमीटर रेलवे लाइन है, केरल में केवल 4 किलोमीटर रेलवे लाइन है। जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, हम देखते हैं कि न तो रेल मन्त्री और नहीं केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर पाई है। केरल के विकास से सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं जिन्हें हम इस सभा में और इसके बाहर भी उठाते रहे हैं। परन्तु वे सभी समस्याएं अभी सुलझाई जानी हैं। उदाहणार्थ प्रस्तावित एलप्पी-एर्णाकुलक तटीय लाइन का मामला ही ले लें। इसके सर्वेक्षण का कार्य कछुए की चाल से चल रहा है। मैं माननीय मन्त्री से रेलवे लाइन पर काम को तेज करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह कार्य इसी पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जा सके।

दूसरी रेलवे लाइन कयमकुलम से पुनालूर बरास्ता एलप्पी है। इस लाइन का सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है। एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि इन लाइनों के सर्वेक्षण और निर्माण के कार्य को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

केरल में गुरुवायुर मन्दिर नामक एक प्रसिद्ध मन्दिर है। प्रधान मन्त्री और उनके परिवार के सदस्यों और वास्तव में लगभग सभी मन्त्रियों, विशेषकर श्री कमलापति त्रिपाठी, ने इस मंदिर की यात्रा की है और इसमें पूजा की है। वापस आने से पहले उन्होंने निरपवाद रूप पे स्वयं गुरुवायुरघन, से जो इस मंदिर का मुख्य देवता है, वायदा किया था कि कुट्टीपुरम गुरूवायुर रेलवे

लाइन का निर्माण किया जाएगा । सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, परन्तु उसके बाद कुछ नहीं किया गया है । यदि इस लाइन को इडाप्पल के साथ मिलाते हुए बनाया जाए तो इससे पोन्नानी बन्दरगाह से सीधा सम्पर्क स्थापित हो सकता है । अत: मैं रेल मन्त्री से इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं ।

नई रेलवे लाइनों के विषय में ही बात करते हुए मैं कालीकट मैसूर लाइन बरास्ता वयानाड का एक अन्य प्रस्ताव करूंगा । यह एक महत्वपूर्ण लाइन है । वास्तव में, मैं माननीय मन्त्री से स्पष्ट आश्वासन की अपेक्षा करता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

एक और महत्वपूर्ण बात मैं केरल में रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के विषय में कहना चाहता हूं । हम प्राय: कोयले की कमी और इसके कारण रेलों के रद्द किए जाने की शिकायतें सुनते हैं । परन्तु केरल कोयले पर निर्भर हुए बिना इसका प्रतिबन्ध करने की स्थिति में है । हम विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं। वास्तव में, हम पड़ोसी राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों है कि सरकार केरल में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रही है । यह बहुत औचित्यपूर्ण मांग है । यदि ऐसा किया जाता है तो जो कोयला केरल को सप्लाई किया जाता है वह किसी अन्य राज्य, जिसे इसकी आवश्यकता हो, को सप्लाई किया जा सकता है महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा ।

अन्त में, मैं एक और प्रस्ताव करूंगा और वह कोचीन मदुरै रेल लाइन के विषय में है । इस पर भी माननीय मन्त्री को विचार करना चाहिए । मैं इस आशा के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि अपने भाषण में मैंने जो बातें उठाई हैं उन पर माननीय मंत्री ध्यान देंगे ।

*श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : सभापति महोदय, हमारे नए रेल मन्त्री श्री सेठी अपनी कर्मठिता और योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं और उनका पहला रेलवे बजट उनकी योग्यता को भलीभाँति प्रदर्शित करता है । पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री के रूप में उनके लगातार प्रयत्नों से हमारा तेल उत्पादन बढ़ गया है उनके 'मीडास स्पर्श' से देश को अधिक काला सोना अर्थात् तेल मिला है । मुझे विश्वास है कि वे रेल मन्त्री के रूप में अपने नए पद पर भी सफल होंगे । उनके द्वारा रेल मन्त्री का पद ग्रहण करने से देशवासियों में आशा के एक युग की घोषणा हो गई है ।

जहाँ तक तमिलनाडु का प्रश्न है, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे ने राज्य के औद्योगिक विकास में कुछ भी योगदान नहीं दिया है जब भी इस्पात और लोहा और कोयला भी, जो प्रमुख कच्चे माल हैं, दक्षिणी राज्यों को भेजे जाने होते हैं, उनका दो से अधिक स्थानों पर

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

वाहनान्तरण करना पड़ता है क्योंकि दक्षिणी राज्यों में मीटर गेज लाइनें हैं और उत्तरी राज्यों में ब्राड गेज लाइनें हैं। अतिरिक्त खर्चों के साथ-साथ इन वाहनान्तरण वाले स्थानों पर असाधारण विलम्ब भी होता है। तापीय संयंत्र और उर्वरक संयंत्र उत्तरी राज्यों से कोयले की निरंतर सप्लाई पर निर्भर रहते हैं। दक्षिण के अनेक उद्योग पूरी तरह से उत्तरी राज्यों कोयले की सप्लाई पर निर्भर करते हैं। जब कोयले की सप्लाई में ऐसा असाधारण विलम्ब होता है तो परिणामतः उन राज्यों में, विशेषकर तमिलनाडु में, बिजली आपूर्ति में कमी हो जाती हैं। उत्पादन का चकला धीरे-धीरे जाम हो जाता है। यह सर्वविदित है कि उत्तरी राज्यों को माल ब्राड गेज लाइनों से भेजा जाता है। इसी प्रकार, केरल के अतिरिक्त दक्षिणी राज्यों में केवल मीटर गेज लाइन है। मैं माननीय मन्त्री से अपील करूंगा कि दक्षिणीराज्यों, विशेषकर दक्षिण रेलवे में अन्य रेलवे मंडलों के बराबर लम्बी ब्राडगेज लाइनें होनी चाहिए केवल तभी आवश्यक कच्चे माल के परिवहन में चल रही कमियों को दूर किया जा सकेगा।

मद्रास और तिरूचिरापल्ली के बीच ब्राडगेज लाइन होनी चाहिए। करूर-डिन्डिगल लाइन को अधिक निधि दी जानी चाहिए। डिंडिगल-मदुरै-तूतीकोरन के बीच मीटज गेज को बदलने का काम इसी वर्ष किया जाना चाहिए। केवल तभी ये सूखा पीड़ित भाग निवास योग्य बन सकेंगे। मुझे याद है करूर-डिंडिगल लाइन कई दशकों से तमिलनाडु राज्य में चर्चा का विषय रही है। पिछले वर्ष इसे बजट प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया था और 2 करोड़ रुपयों की राशि भी आवंटित की गई थी। इस वर्ष इस परियोजना के लिए 70 लाख रुपयों की थोड़ी सी राशि आवंटित की गई है। उस हिसाब से तो इस विशाल परियोजना की पूर्ति में कुछ और दशक लगेंगे।

मेझे पूरी आशा है कि हमारे रेल मन्त्री जो अपनी प्रवीणता के लिए प्रसिद्ध है इस करूर-डिंडिगल ब्राडगेज लाइन के लिए अधिक निधि आवंटित करने के लिए रास्ते निकालेंगे और साधन जुटायेंगे। मुझे विश्वास है कि वे ऐसा करके तमिलनाडु की जनता के प्रिय बन जायेंगे।

तमिलनाडु में चल रही रेलगाड़ियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है आज भी वहां उतनी ही रेलगाड़िया चल रही हैं जितनी कि 15 वर्ष पहले चल रही थीं, यद्यपि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई है। जीर्ण-शीर्ण अवस्थावाली डीजल गाड़ियाँ जो लगभग तीन दशक पहले आरम्भ की गई थीं, वो अब भी तमिलनाडु में दक्षिण रेलवे में चल रही हैं। जब तक हमारे रेल मन्त्री तमिलनाडु में रेल परिवहन की समास्यों के प्रति अधिकारियों के रवैये में आमूल परिवर्तन नहीं लाते हैं, तब तक यदि तमिलनाडु औद्योगिक विकास में सबसे पीछे रह जाए तो यह आश्चर्यजनक बात नहीं होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सी०टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : चूंकि मेरे लिए समय कम है, इसलिये मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन करूर-डिंडिगल से बात आरम्भ करूंगा। पिछले वर्ष, इस लाइन के लिए 2 करोड़ रुपये निश्चित किये गये थे। परन्तु उस राशि को उसी रेलवे में किसी अन्य

काम पर खर्च कर दिया गया था। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मद के लिये निश्चित राशि को बिना देर किये इसी पर खर्च किया जाना चाहिये।

रेलवे लाइन बिछाने के मामले में रेलवे बोर्ड द्वारा तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि आप आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे समान जनसंख्या और रेल लाइनों वाले राज्यों की तमिलनाडु के साथ तुलना करें तो आप पायेंगे कि तमिलनाडु में रेलवे लाइनों की लम्बाई कम है अर्थात् 3764 मील है। मैं माननीय मन्त्री से तमिलनाडु के लोगों द्वारा दिये गये प्रस्तावों, विशेषकर उस लाइन के बारे में जो निमपुट से धारापुरम होती हुई पालानी जाती है, पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। उस लाइन का सर्वेक्षण पंडित नेहरू के समय में किया गया था। इस लाइन पर काम का उद्घाटन पंडितजी द्वारा किया जाना था। परन्तु मुझे नहीं पता कि क्या बात हो गई थी। यह लाइन मट्टुपलायम से पालादम धारापुरम होती हुई पालानी तक जानी है। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यदि इस लाइन का निर्माण कर दिया जाता है, तो मैसूर, कोयम्बतूर और मदुरै जिलों को आसानी से जोड़ा जा सकेगा।

मंत्री महोदय ने कुछ प्रस्ताव किये हैं मैं यह नहीं कहता कि किराया और माल भाड़ा बढ़ाना गलत है, क्योंकि मैं मंत्री महोदय की कठिनाई को समझता हूं। उन्हें कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की पांच किस्तें देनी हैं। यह राशि 110 करोड़ रुपये होगी। ईंधन पर व्यय भी 100 करोड़ रुपये बढ़ गया है। राज्य बिजली बोर्ड रेलवे से अधिक टैरिफ मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें पेंशननिधि में अधिक धनराशि देनी होगी, क्योंकि पेंशन प्राप्त करने वालों को दी जाने वाली पेंशन की धनराशि में वृद्धि की गई है। इस समूचे खर्च को पूरा करने की दृष्टि से उन्हें किराया और मालभाड़ा बढाना होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि मंत्री महोदय चोरी के मामले रोकने के सम्बन्ध में और बड़े बड़े व्यापारियों से बकाया राशि की वसूली के लिए, जो कि काफी समय से बकाया पड़ी है और वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, कुछ कार्यवाही करते तो किराये और माल भाड़े में वृद्धि करने से बचा जा सकता था।

एक और बात भ्रष्टाचार की है। हम रेलवे के किसी भी डिविजन में जाते हैं तो हम वहाँ भ्रष्टाचार का बोलवाला पाते हैं। मैं नहीं जानता कि इसके लिए मैं किसको दोष दूं। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय इस मामले में समुचित कार्यवाही करें।

रेलवे प्रणाली के लागत के बारे में रेलवे बोर्ड रख-रखाव पर होने वाले व्यय में कमी करने के लिए कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है। रेलवे बोर्ड की लेखा रखने और तुलनपत्र तैयार करने की एक विशेष प्रणाली है। उस प्रणाली के बारे में रेलवे टैरिफ समिति ने यह बताया है कि वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं और यूनिट लागत पर रेलवे द्वारा किये गये कुल व्यय का हिसाब यातायात यूनिटों के अनुसार कुल उत्पादन के आधार पर लगाया जाता है परन्तु इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि इस प्रणाली के विभिन्न भागों में लागत आवश्यक है या अनावश्यक, उचित है या अनुचित है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन का सम्बन्ध हैं, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक पहलू को ध्यान में रखें। संविधान के अनुच्छेद 269 और रेल यात्री किराया अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत रेलवे द्वारा लगाये गये कर का एक भाग बड़ी और छोटी दोनों लाइनों की मील दूरी और गैर-शहरी क्षेत्रों के यात्रियों से होने वाली कुल आय के अनुसार विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किया जाता है। इस प्रावधान के अन्तर्गत उन्होंने 16 करोड़ रुपये की तदर्थ राशि निर्धारित की है जबकि यह 70 करोड़ रुपये से अधिक होगी, यदि इसका हिसाब सूत्र के अनुसार लगाया जायेगा। इस धन का वितरण ही रेलवे और राज्य सरकारों के बीच काफी समय तक झगड़े का एक कारण रहा है। इस समस्या के समाधान के बारे में मेरा एक सुझाव है। उस धन का वितरण विभिन्न राज्य सरकारों को करने के वजाय रेलवे उसे अपने पास रख सकता है परन्तु इसे सम्बन्धित राज्यों में कमा सकता है। इस तरह से किसी राज्य सरकार को कोई शिकायत नहीं होगी। रेल मन्त्री इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं और यदि यह सुझाव उचित लगे तो वह इसे लागू करने के लिए सभा के समक्ष एक नया विधान पेश कर सकते हैं।

*श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानोर) : मुझे यह कहने में खेद होता है कि अनुभवी मंत्री श्री सेठी द्वारा प्रस्तुत किए गए इस वर्ष के बजट से उन लोगों में निराशा उत्पन्न हुई है जो कि बड़ी आशा लगाये हुये थे। उसका कारण यह है कि उन्होंने 176 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिये जो तरीका अपनाया है, उसको जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। आमतौर पर सभी रेल मंत्री एक नीति के रूप में यात्रीकर में वृद्धि करते हैं, इस वर्ष के वजट में एक विशेष वर्ग के यात्रियों पर सबसे अधिक बोझ डालने का प्रयास किया गया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किराये में इस वृद्धि से मुख्य रूप से लम्बी दूरी के यात्रियों पर प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि केरल और अन्य दूरवर्ती राज्यों से आने वाले लोगों को भारी बोझ उठाना पड़ेगा। केरल जाने वाले दूसरी श्रेणी के एक यात्री को टिकट, आरक्षण प्रभार अधिकर, आदि के रूप में 25 से 30 रुपये तक अतिरिक्त प्रभार देना पड़ता है। एक बार में इतनी अधिक वृद्धि को रोका जाना चाहिये था। एक आम व्यक्ति, जो मूल्य वृद्धि और अन्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण बड़ा कष्ट उठा रहा है, के लिये निस्सन्देह यह असहनीय बोझ है। अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय दूसरी श्रेणी के यात्री कर में वृद्धि के मामले पर पुनर्विचार करें।

रेलवे में असुरक्षा की स्थिति के बारे में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं दुर्घटनायें बहुधा हो रही हैं। इससे जनमानस में बड़ी आशंकायें उत्पन्न हो गयीं हैं। परन्तु दुर्घटनाओं के अलावा, चलती गाड़ियों में डकैती और चोरी भी लगभग रोज की बातें हो गयीं हैं। इससे भी लोगों

*मलयालम में दिए गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के मन में बड़ी असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गयी है। अतः मेरा निवेदन है कि सुरक्षा के उपाय कड़े किये जाने चाहिये।

एक और समस्या बिना टिकट यात्रा की है। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री लम्बी दूरी की गाड़ियों में चढ़कर कठिनाई पैदा करते हैं। वे आरक्षित सीटों पर बैठ जाते हैं और लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। इस समस्या का हल बड़ी गाड़ियों में अधिक संख्या में टिकट परीक्षकों की नियुक्ति करके किया जाना चाहिये।

रेलवे में खानपान सेवा के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विभाग को सफाई के साथ भोजन देने की ओर ध्यान देना चाहिये। भोजन की मात्रा और कीमत पर विचार न करते हुए इसकी सफाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। इस मामले पर विचार किया जाये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि रेलवे हरिजनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। किसी भी विभाग की अपेक्षा रेलवे ही इस वर्ग को अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है। यह विभाग अशिक्षित और हृष्ट पुष्ट हरिजनों को भी रोजगार प्रदान कर सकता है। अतः रेलवे में हरिजनों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाना चाहिये।

अब, मैं अपने राज्य केरल के सम्बन्ध में कुछेक सुझाव देना चाहता हूं।

केरल में तेलीचेरी-मैसूर लाइन एक आवश्यक लाइन है। इस संसद में इस लाइन की माँग 1952 में उठाई गयी थी। यह उत्तर केरल के लोगों के लिए अधिक उपयोगी होगी। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिये।

एक और सुझाव मंगलौर-बम्बई सीधी गाड़ी सेवा के बारे में है। इससे इस क्षेत्र और बम्बई के बीच में दूरी भी कम हो जायेगी और समय भी कम लगेगा। इस क्षेत्र से हजारों लोग बम्बई की यात्रा करते हैं। इस लाइन से यात्री और माल यातायात के आने जाने में बहुत सहायता मिलेगी। अतः मेरा निवेदन यह है कि कम से कम अगले वर्ष के बजट में इस लाइन के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिये। एक और बात कुट्टीपुरम-गुरुवयूर लाइन के बारे में है। इस लाइन के लिए बजट में केवल सांकेतिक प्रावधान किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो प्रसिद्ध गुरुवयूर मन्दिर से मिलती है और मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस लाइन का निर्माण शीघ्र करायें।

महोदय, अन्त में कुछ अन्य समस्यायें हैं जिन पर मंत्री महोदय को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बीडी उद्योगों को बीड़ी पत्तियों के न मिलने के कारण घाटा हो रहा है। केरल को बीड़ी पत्तियां भेजने के लिये कोई माल डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं। रेलवे विभाग ने केरल

को माल डिब्बे सप्लाई करने के प्रश्न के मामले में हमेशा उदासीनतापूर्ण रवैया अपनाया है। इस रवैये को बदला जाना चाहिये।

एक और बात यह है कि मेरे राज्य में इमारती लकड़ी व्यापार का एक बड़ा प्रसिद्ध केन्द्र है। यह वेलारपटनम में हैं। इमारती लकड़ी के व्यापार के मामले में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। परन्तु वहां भी माल डिब्बों की पर्याप्त सप्लाई की बड़ी गंभीर समस्या है मेरा निवेदन है कि रेल मन्त्री वहाँ माल डिब्बों की शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करें।

अंत में मुझे आशा है कि मैंने जिन समस्याओं को उठाया है' उन पर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री ए० जो० सुब्बुरमण (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री मदुरै होकर करूर-डिंडिगल-तूतीकोरिन लाइन के लिए अधिक धन की व्यवस्था करें।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा खेलों के लिए दी जाने वाली रियायतें वापस ली जा रही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इन रियायतों को पुनः प्रदान करके खेलों को प्रोत्साहन दें क्योंकि इस वर्ष एशियाई खेल होने जा रहे हैं और भारत सरकार इन खेलों का आयोजन कर रही है। इसका कारण यह भी है कि बम्बई में हाल के हुए हाकी कप मैचों में हम हार गये हैं। अब, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल गोल्डकप टूर्नामेंट कलकत्ता में चल रहे हैं। शुरू में ही हम मैच हार गये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी तरह की सुविधायें प्रदान करें।

पहले त्रिवेन्द्रम को दक्षिण रेलवे के मदुरै डिविजन में शामिल किया गया था। अब त्रिवेन्द्रम को एक अलग डिविजन बनाया गया है। अतः तिरुनेलवेली, मदुरै, रामनद और कन्याकुमारी में तमिल भाषी कर्मचारियों के लिए रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इसकी जाँच करें और इन कर्मचारियों के लिए रोजगार की सुरक्षा प्रदान करें।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मन्त्री जी ने इस सदन में जो रेल बजट प्रस्तुत किया है वह आम लोगों के लिए मंहगा बजट है और मैं इसका विरोध करता हूं। इसके सम्बन्ध में बहुत सारे विचार यहां पर रखे गए हैं। मैं भी अपने कुछ सुझाव यहां पर रखना चाहूंगा।

यह सारा जो रेल मुहकमा है इसको ठीक करने के लिए निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम बनाने होंगे और पुराने काम को सुधारना होगा। रेलवे एक्सीडेन्ट्स होते हैं रेल फ्रैक्चर्स को सुधारने के बजाय रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण करना होगा और एक्सीडेन्ट्स को रोकना होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इंसान की जिन्दगी की कीमत पर किसी भी उपलब्धि को मंजूर

नहीं किया जा सकता है, इसलिए मनुष्य के जीवन की सुरक्षा और संरक्षण का ध्यान रखते हुए, सारी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे समय से हमारा मध्य प्रदेश उपेक्षित रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि रेल मंत्री हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सारा क्षेत्र जहां पर कि रेल सुविधाएं कम है, वहां पर इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। मैं मंत्री जी का ध्यान अजमेर औरखंडवा मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और माँग करता हूं कि नीमच-चित्तोड़गढ़ ब्राड गेज निर्माण का काम रेल विभाग द्वारा तेजी से किया जाना चाहिए। इन्दौर ओर उज्जैन, औद्योगिक नगर। इन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली कोई फास्ट ट्रेन नहीं है। इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, ताकि यात्रियों को आने-जाने में सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार से इन्दौर और दिल्ली के बीच में व इन्दौर और बम्बई के बीच नई रेल सेवा शुरू करने की जरूरत है एक नेरो-गेज रेल लाइन आपातकाल के जमाने में उज्जैन और आगरा की बीच में थी, उसे आपातकाल के दौरान हटा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसके एवज में एक ब्राड गेज रेल लाइन उज्जैन और कोटा को जोड़ने के लिए आगर-सुसनेर-सौमंत झालवाड़ से रामगंज मंडी तक निर्मित की जानी चाहिए। जिसका फांसला 213 किलोमीटर का होता है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइन का सर्वेक्षण करवा करके इसके निर्माण का आदेश देना चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि रेल मंत्री जी ने नागदा और भोपाल लाइन के इलैक्ट्रिफिकेशन की स्वीकृत दी है। किन्तु रतलाम और भोपाल के बीच में कोई तेज गति की रेल गाड़ी नहीं है, इस मार्ग पर तेज गति की गाड़ियां चलाई जानी चाहिए 111-112 रेल यात्री गाड़ी रतलाम में आकर टरमिनेट हो जाती है, इस गाड़ी को उज्जैन तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। जैसा कि मैं आप को एक पत्र पहले भी लिख चुका हूं। गुना उज्जैन यात्री गाड़ी को नागदा तक बढ़ाया जाए, जिससे कि रात्री में जनता फ्रन्टियर और डीलक्स के यात्री उज्जैन और भोपाल यात्रा कर सकें। तथा सर्वोदय एक्सप्रेस का नमदा में स्टापेज दिया जावे। रेल बजट में जो आम जनता पर कर लगाए गए हैं, उसको वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब कम दूरी की मात्रा के लिए 5 पैसे से 70 पैसे और तेज रेल गाड़ी में एक रुपए के स्थान 1.50 रुपये किराया देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों तक पहुंचने की/सुविधा में छूट देनी ही चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रोज कभी एक स्थान पर तो कभी दूसरे स्थान एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, उनको रोकने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। रेल यात्रा में खान-पान की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा और अन्य सुविधायें, जो ठीक नहीं हैं, उनको सुधारने की तरफ भी ध्यान देना होगा। आरक्षण की व्यवस्था में और जहां जहां भी भ्रष्टाचार है, उसको भी सुधारना चाहिए। वेटिंग लिस्ट में लोगों को आरक्षण के लिए पांच रुपया देना पड़ता है, जिसके लौटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रतीक्षा सूची में आरक्षण के लिए आरक्षण शुल्क दो रुपये करना चाहिए। रेल गाड़ियों में यात्री

डिब्बों को बढ़ाया जाना चाहिए । इन सारी बातों पर यदि मंत्री जी ध्यान देंगे, तो रेल व्यवस्था ठीक से चल सकेगी और लोगों को सुविधा होगी । इसके साथ-साथ जो आये दिन रेल गाड़ियों में चोरी-डकैती, लूटपाट आदि घटनाएं होती हैं, इनको रोका जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ में अपनी बात कहते हुए; आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रेल मंत्री इससे सहमत होंगे कि आज; दुर्भाग्य से भारत में-रेल यात्रियों का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है । अत: रेल मंत्री का पहला काम उनमें पुन: वह विश्वास पैदा करना है । मुझे आशा है कि सेठी जी, जो कि एक अनुभवी और योग्य प्रशासक है इसे प्रथम और अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए उसका ध्यान रखेंगे– यह एक बहुत ही चुनौती भरा काम उन्हें सौंपा गया है ।

मैं यह सुझाव दूंगा कि उन्हें शीघ्र ही सभी स्तरों के कर्मचारी संघों तथा रेलवे कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेना चाहिए तथा उन्हें स्वयं रेल यात्रा करनी चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहिए और निचले स्तर के इन लोगों से बात करनी चाहिए जिनका इससे गहरा ताल्लुक है । मैं समझता हूं कि रेलवे प्रबंध तथा रेलों को चलाने में कर्मचारियों की भागेदारी सही अर्थों में लागू की जानी चाहिए । रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा संगठन है तथा उसमें सभी स्तरों पर बिना किसी संघ के साथ भेदभाव बरतते हुए कर्मचारियों की भागेदारी होनी चाहिए । यहां तक कि वह संघ के नेताओं और अन्य संगठनों के साथ अनौपचारिक वार्ता कर सकते हैं ।

दूसरे, मैं समझता हूं कि रेल भाड़ों में की गई वृद्धि उचित नहीं है मैं रेल मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि रेल भाड़ों में की गई कम से कम थोड़ी सी वृद्धि तो वापिस ली जाए । उन्हें यह रिपोर्ट मिल चुकी होगी कि बम्बई में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था मैं समझता हूं उसका नेतृत्व श्रीमती दंडवते और अन्य कई लोगों ने किया था । यह दलों का प्रश्न नहीं है । लोगों ने यह महसूस किया है कि रेल भाड़ों की कुछ श्रेणियों में की गई वृद्धि को वापिस लिया जाना चाहिए ।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि वास्तविक कमजोरी कहाँ है ? रेलवे को बहुत ही उपेक्षा की गई है । जहां तक पटरियों के सुधारने और उनका आधुनिकीकरण तथा पुरानी मशीनरी को बदलने का प्रश्न है, मैं उनकी कठिनाइयां जानता हूं, इसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता है । लेकिन यह कार्य तो किया ही जाना है मैं तो चाहूंगा कि वह नयी रेलवे लाइनों को अभी और विस्तार करना बंद कर दें । लेकिन इससे आम यात्रियों को नुकसान नहीं होना चाहिए । वे सभी पटरियां सभी मशीनरी और यंत्र जो कि पुराने पड़ गए हैं, उनको बदला जाना चाहिए ।

हमारी रेलवे संभवत: विश्व में सबसे बड़ा संगठन है । लेकिन आज इसमें सर्वाधिक खराब हालत है मैं यह चाहता हूं कि वह छोटी छोटी चीजों जैसे—प्लेटफार्मों पर सफाई, शौचालयों की

सफाई तथा अन्य बातों पर ध्यान दें । इन सभी छोटी-छोटी बातों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । यदि आप गाड़ी से यात्रा करें तो कभी-कभी आप देखेंगे कि उच्च श्रेणी, प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित कोचों तक में भी बहुत खराब स्थिति है । आप अपने केबिन को ताला नहीं लगा सकते । आप देखेंगे कि स्विच खराब है । इन छोटी-छोटी चीजें की बहुत खराब स्थिति में है । यदि उन पर पूरा ध्यान दिया जाए तो इन में सुधार किया जा सकता है ।

मैं समझता हूं कि इसमें, जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है कर्मचारियों का तथा कर्मचारी संघों का सहयोग सब से महत्वपूर्ण बात है ।

मैं यह कहूंगा कि जहां तक माल ढ़ोने का संबंध है अब तक इसमें कुछ सुधार किए गए हैं । हमें यह तथ्य स्वीकार करना होगा कि उसमें कुछ सुधार किए गए हैं । मै जानता हूं कि संभवत: इस सर्वाधिक खराब स्थिति में ही आपको सुधार का भरसक प्रयोग करना है । लेकिन आपको योजना आयोग पर दवाव डालने का प्रयत्न करना चाहिए कि वे आपको आवश्यक संशाधन प्रदान करें । योजना मंत्री आप के पीछे ही बैठे हैं और वह मुस्करा रहे हैं । मैं उनकी कठिनाइयां जानता हूं । लेकिन भारत जैसे देश में, रेलवे यातायात और संचार का बहुत महत्वपूर्ण साधन है । जहां रोजाना एक करोड़ लोग गाड़ियों से यात्रा करते हैं और जहाँ रोज 65 लाख टन माल ढोया जाना है मैं जानता हूं कि निकट भविष्य में यह बोझ बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा अत: रेलवे की कोई दीर्घ कालीन योजना होनी चाहिए । मैं यह सुझाव दूंगा कि रेल मंत्री को अब से लेकर शताब्दी के अंत तक इसका ध्यान रखना चाहिए । ताकि दीर्घ कीलीन योजना बनाई जा सके तथा संशोधनों का उपयोग हो सके ।

ये कुछ सुझाव हैं तथा, अन्त में, जैसा कि आप कह रहे थे, वेशक ही मैं कहूंगा कि आजमगढ़ भारत के सबसे बड़े जिलों में से हैं । जनसंख्या के अनुसार भारत के 12 बड़े जिलों में से यह एक ऐसा जिला है जिसमें कि अभी तक मीटरगेज रेलवे हैं । कृपया उसका सर्वेक्षण कीजिए और देखिए कि उस मीटर-गेज लाइन को, जो कि सचमुच बहुत पुरानी हो गयी है—मैं उसे यहां कहना नहीं चाहता लेकिन जैसा कि आपने कहा कि मैं उस जिले का प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा हूं बड़ी लाइन में बदला जाये ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : यात्रा समाप्त होने के बाद आप कुली को देखते हैं । इसी भांति इस बाद विवाद की समाप्ति पर मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कुलियों की सामाजिक सुरक्षा, उनके काम करने की शर्तों के विनियमन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है क्या आपने इस बारे में कोई व्यवस्था की है ?

मैं रेलवे के कुलियों की काम करने की खराब परिस्थितियों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे ।

रेल मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, मेरे सहयोगी श्री सी० के० जाफर शरीफ को मिलाकर दोनों पक्षों के 44 माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है तथा अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं ।

रेलवे जैसे विभाग में, यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य की अपने क्षेत्र के निवासियों तथा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, दोनों के लिए ही कोई आकांक्षा हो । और, इसीलिए, नई रेलवे लाइनों तथा नई गाड़ियों और लाइनों को बदलने की मांग बनी रहती है और बनी रहेगी । तथापि, मैं इस प्रश्न को अपने भाषा के अन्त में उठाऊंगा ।

मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रेलवे के लिए अतिरिक्त आवंटनों की मांग करते हुए तथा अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने की अनिवार्यता बताते हुए रेलवे का समर्थन किया है ।

एक माननीय सदस्य : विकास के लिए ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने थोड़ी बहुत आलोचना को छोड़कर पूरे बजट का समर्थन किया ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैंने इसकी आलोचना की है ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मैं जानता हूं कि आपने इसकी आलोचना की है और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है ।

लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सदस्य ने, जो स्वयं रेल मंत्री थे और जो कि रेलवे के कार्यों के बारे में जानते हैं, इसकी आलोचना नहीं की है ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मेरे बजट भाषण में यह उल्लेख किया जा चुका है कि भाड़ों में केवल उस हद तक वृद्धि की जाएगी जितनी कि बजट को संतुलित करने के लिए आवश्यक होगी ।

वास्तव में, कई क्षेत्रों में, तथा कुछ प्रमुख लेखों और कुछ प्रमुख समाचारपत्रों के अग्रलेखों में आलोचना की गई थी कि हम उस सीमा तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ तक हमें पहुंच जाना चाहिए था, तथा प्रस्तावित भाड़े उस स्तर से नीचे हैं जिस स्तर तक वे आर०टी०ई० सी० की अद्यतन सिफारिशों के आधार पर समिति द्वारा बताए गए वृद्धि सूत्र को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाने चाहिए थे ।

प्रस्तावित भाड़े भी कम हैं, बसों के किराये की तुलना में बहुत ही कम, जिनमें कि प्रतिवर्ष और प्रतिमाह वृद्धि होती रही है ।

नए क्षेत्रीय हेडक्वार्टर कार्यालयों और विभागों की स्थापना की अनेक माँगें की गई हैं ।

जैसी की सदन को जानकारी है इन मामलों पर पहले से ही रेलवे सुधार समिति द्वारा जांच की जा रही है । उस समिति की सुविचारित सिफारिशों के प्राप्त होने पर मैं उपयुक्त कार्यवाही करूंगा ।

जैसा कि मैंने कहा है नई लाईनें बनाने तथा लाईनों के रोज बदलने के लिए कई मांगें की गई हैं । संसाधनों की अप्र्याप्तता के कारण सभी मांगों को पूरा करना मेरे लिए संभव नहीं है । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इन सभी मांगों को ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा और उचित अवधि के बाद माननीय सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से उत्तर भेज दिए जायेंगे । मैं जितनी जल्दी संभव होगा मैं उनको उत्तर भेजने का पूरा प्रयत्न करूंगा । मुझे यह भी कह देना चाहिए कि हमारा प्रयास यह होगा कि जहाँ तक संभव हो चालू पःरियोजना को पूरा करें । अतः बहुत से नए काम शुरू करने की संभावनाएं बास्तव में बहुत कम हैं, लेकिन मैं उन्हें निकाल नहीं सकता । मुझे विश्वास है कि मध्यावधि मूल्यांकन में योजना आयोग हमारी ओर दयादृष्टि रखेगा और हमें कुछ अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे ।

यह सच है कि 1980-81 से 1982-83 तक 3 वर्षों के दौरान 900 करोड़ रुपए से भी अधिक प्राप्त करने के लिए किराये और भाड़ों की दरों में वृद्धि की गयी है । इसका अर्थ है औसत 300 करोड़ रुपए की वृद्धि । यह बृद्धि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से जरूरी थी मूल्य ह्रास आरक्षित विधि में 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान; पेंशन विधि के लिए 85 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान, सामान्य राजस्व को लाभांश 112 करोड़ रुपए; आंशिक रूप से लाभांश की अदायगी करते हुए विकास निधि कार्यों पर व्यय 110 करोड़ रुपए अतिरिक्त महंगाई भत्ता 243 करोड़ रुपए; उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस-54 करोड़ रुपए । कुल मिलाकर यह 904 करोड़ रुपए बनते हैं । थोक मूल्य सूचकांक 1978-79 में 185.8 से बढ़ाकर आज 277.9 तक पहुंच गया है अर्थात इन वर्षों में 50 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई । इसका अकेले कार्य संचालन व्यय पर 800 करोड़ रुपए से अधिक का प्रभाव पड़ेगा ।

जब हमने सत्ता संभाली थी रेलवे की वित्तीय अवस्था उतनी सशक्त नहीं थी जिसका कि प्रो० मधु दंडबते ने दावा किया है । रेलवे को 1979-80 में 66.24 करोड़ रुपए की हानि हुई तथा 'टन भार' जो कि 1976-77 में अधिकतम स्तर 2120 लाख टन तक पहुंच गया था वह कम होकर 1978-79 में 1996 लाख टन तथा 1979-80 में 1936 लाख टन रह गया । इससे अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा । रेलवे की क्षमता को बढ़ाने के लिए भगीरथ प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ी और अब इसके परिणाम नजर आ रहे है । 1981-82 में अब तक की सर्वाधिक 2200 लाख टन की उच्चतम सीमा प्राप्त हो सकेगी । 1982-83 में 2300 लाख टन होने की आशा है । अर्थात 24 महीनों में 300 लाख टन की वृद्धि ।

एक प्रश्न उठाया गया था कि रेलवे के 126 वें वर्ष में 126 करोड़ रुपए की बचत की गई थी। यह सम्भवत: पुर्ववास की कीमत पर हुआ था। उस वर्ष मूल्यह्रास आरक्षित निधि में केवल 140 करोड़ रुपए का योगदान दिया गया था। हमने इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया है तथा 1979-80 में 200 करोड़ रुपए करके 1982-83 में 500 करोड़ रुपए तक कर दिथा है अर्थात 3 वर्षों में 300 करोड़ रुपए की वृद्धि। इसी तरह पेंशन निधि के लिए आवंटन 65 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1982-83 में 150 रुपए कर दिया गया है।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : दुर्घटनाओं के लिए ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : करीब इतना ही।

श्री जार्ज फर्नांडीस : चालू बजट में आपने दुर्घटनाओं पर मुआबजा 12 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। दूसरे शब्दों में आप अधिक दुर्घटनाओं और अधिक मौतों का पूर्वानुमान कर रहे हैं (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज किसी दुर्घटना की आशा नहीं करते।

प्रो० मधु दंडवते : श्री जार्ज ने केवल यह कहा है कि मंत्री महोदय ने अपनी दूर दृष्टि से यह देखा है कि दुर्घटनाओं में वृद्धि होगी और इसीलिए उन्होंने अधिक मुआवजे की व्यवस्था की हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी श्री जार्ज फर्नांडीस सहायता और सहयोग तथा नए विचारों से संभवत: हमें कम खर्च करना पड़े।

श्री जार्ज फर्नांडीस : तो आप बताते क्यों नहीं है कि 12 करोड़ का 20 करोड़ क्यों हुआ ?

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : आपको क्या पता कि इन्हीं के साथी एक्सीडेंट करवाते होंगे।.....।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति. शांति।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जनवरी 1982 के अन्त तक भाड़े का माल ढोने के जो आंकड़े अब उपलब्ध है उनसे पता चलता है कि रेलवे ने अकेले जनवरी के महीने में ही 199.9 लाख टन का सर्वाधिक लदान किया है। इसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि रेलवे ने गत वर्ष जो 1960 लाख टन का लक्ष्य प्राप्त किया था। उसकी तुलना में इस वर्ष मूलत: बजट में निर्धारित 2150 से 2200 लाख टन तक राजस्व अर्जित करने वाले यायायात करने का लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त कर लिया जायेगा. अर्थात एक वर्ष में लगभग 240 लाख टन अधिक यह एक सराहनीयप्रयास है। केवल इतना ही नहीं, वैगनों के उपयोग की संचालन क्षमता का सूचक डिब्बों का लदान फेरा हैं, जो कि दो आनुक्रमिक लदानों के बीच लगने वाले इस समय का परिचायक है, जो नवम्बर 1980 में 15.44 दिनों की तुलना में घटकर नवम्बर 1981 में 12.94 हो गया है।

जनवरी 1982 में यह और भी कम होकर 12.65 दिन तक हो गया और इस वर्ष हमने इसे 11 दिन तक लाने का लक्ष्य रखा है।

इसी तरह, बड़ी लाइन पर वैगनों के उपयोग के आंकड़े शुद्ध टन किलोमीटर में 1045 के मुकाबले नवम्बर 1981 में 1238 तक पहुंच गए, जो कि पिछले 5 वर्षों में सबसे अच्छा कार्य निस्पादन था। इंजनों के उपयोग में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

बड़ी लाइन पर सभी प्रकार का कर्षण नवम्बर 1981 में प्रति इंजन 7843 शुद्ध टन किलोमीटर रहा जब कि नवम्बर 1980 में यह 6807 था अतः यह देखा जा सकता है कि रेलवे संचालन की उत्पादकता और क्षमता दोनों में असाधारण सुधार हो रहा है तथा मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि रेलवे को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक पहुंचने की संभावना है।

यात्रियों की सुरक्षा, समय पालन तथा यात्री सेवाओं के बारे में जो काफी चिंता व्यक्त की गई है वह ठीक है। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं। प्रत्येक यात्री को सुरक्षा के स्तर ,तथा सेवा स्तर में सुधार की आशा रखने का अधिकार है। मैंने उन विभिन्न उपायों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है जो रेल दुर्घटनाओं, रेलों में लूटमार तथा अपराधों, और माल को चोरी तथा उठाईगिरी की घटनाओं को कम करने के लिए तथा मुआवजे संबंधी दावों के भुगतान करने के लिए आरम्भ किये गये हैं। मैंने यह भी कहा है कि गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने पर मैं शीघ्र ही ध्यान दूंगा।

रेल मंत्री का पद संभालने के तुरन्त बाद मैंने सबसे पहले सुरक्षा और समय की पाबंदी पर ध्यान दिया। सुरक्षा और समय का पालन बनाए रखने के लिए रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलवे तथा प्रभागों में उच्चतम स्तर पर मोनीटरिंग टीमों का गठन किया गया है। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने तथा जल्दी से जल्दी लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए हर तरह से प्रयास किया जा रहा है।

सुरक्षा के पहलू के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कुछ अन्य अधिकारियों की कड़ी आलोचना की गई है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इसकी उपेक्षा की है .....।

श्री नारायण चौबे : उन्होंने ऐसा ही किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एक सक्षम और योग्य अधिकारी है। तथापि...।

श्री जार्ज फर्नांडीस : मंत्री ही सक्षम नहीं हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : कैसे आपने सर्टीफिकेट दे दिया परमवीर चक्र दे दीजिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि श्रीपासवान ने चाहा है कि मैं कहूं, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा और यह कहूंगा कि जिस तरह की भी दुर्घटनाएं हो उनके लिए उच्च स्तरों पर भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा और मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। प्रमुख सुरक्षा पहलुओं पर स्वयं मैं तथा मेरे सहयोगी निगरानी रखते हैं। मंत्रियों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के अन्य तकनीकी सदस्यों के स्तर पर समय समय पर जांच तथा मोके पर निरीक्षण किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारी कार्य करने के छोटे तरीके और प्रणालियां नही अपनायें, महत्वपूर्ण उपकरणों और प्रति स्थापनाओं की मरम्मत और रख रखाव का कार्य प्रभावी रूप से किया जाय पटरी का विस्तृत निरीक्षण किया जाये, बैगनों कोचों और इंजनों की मरम्मत और रख रखाव के लिए वर्कशापों और शैडों का अधिकतम उपयोग किया जाये। चालू उत्पादकता वर्ष में रेलवे में सभी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत सुधार ही नहीं होगा, अपतु सेवा का स्तर भी ऊंचा करने तथा यात्री और माल यातायात दोनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने का लक्ष्य रखा गया है। क्षेत्रीय महाप्रबन्धक और प्रभागीय रेलवे प्रबन्धक ने कैसा कार्य निस्पादन किया है इसका निर्णय मैं इस आधार पर करूंगा कि उन्होंने क्या परिणाम दिखाये हैं तथा कितने समय में।

महोदय, इन विशाल समस्याओं का सामना करने के लिए मैं सदन के सदस्यों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले ठोस और व्यवहारिक सुझाबों का स्वागत करूंगा। सदन को यह जानकार प्रसन्नता होगी कि हाल ही में मैंने इन समस्याओं पर तथा रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए तुरन्त किए जाने वाले तथा दीर्घकालीन उपायों के बारे में विभिन्न प्रकार के परिचालनात्मक तथा रख रखाव सम्बन्धी क्षेत्रों के रेलवे कर्मचारियों तथा रेलवे के निगमित उद्यम दल के सदस्यों के साथ बातचीत की है।

श्री जार्ज फर्नाडीस : महोदय, यही तो समस्या है। वह दुर्घटनाओं को कम करना चाहते हैं, यह नहीं चाहते कि दुर्घटनाएं न हों (व्यवधान)।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, संसार में ऐसी कोई भी रेल प्रणाली नहीं है जहाँ दुर्घटनाएं नहीं होती। मैं सचमुच ही दुर्घटनाओं को पूर्णतः समाप्त करना चाहता हूं लेकिन रेलवे जैसे बड़े संगठन में कभी कभी कोई रेल पटरी से उतर जाती है अथवा किसी रेलवे के समपार फाटक पर कोई दुर्घटना हो जाती है। तथापि परस्पर टक्कर जैसी दुर्घटनाएं जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन उसका यह अर्थ नहीं कि अन्य छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहें और हम उन पर कोई ध्यान न देंगे।

महोदय, प्रो० मधु दंडवते ने यह उल्लेख किया था कि बीच बीच में से जाँच बिंदुओं को हटा देने से दुर्घटनाएं हो रही थीं। उन्हें यह बात याद दिलाने में सहायता मिलेगी कि यह प्रगतिशील कदम पहली बार उनके शासन काल तभी शुरू उठाया गया था जब वह रेलमंत्री थे। यह उचित दिशा में उठाया गया कदम है, तथा पूरे विश्व के दस्तूर के अनुरूप है और यह रेल

दुर्घटनाओं के हमारे अपने विश्लेषण पर आधारित है । दुर्घटनाओं के लिए इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ।

उन्होंने दूसरी बात यह कही थी कि हावडा-मुगल सराय मार्ग पर स्वचालित चेतावनी प्रणाली शुरू किए जाने से उस भाग में गाड़ियों की टक्कर होने की संभावना पूर्णतः दूर हो गयी है । ऐसा लगता है इस सम्बन्ध में कुछ कुछ गलत फहमी है । यह केवल हावड़ा बर्दवान सेक्शन पर लगाई गयी थी लेकिन फिटिंग्स के चोरी हो जाने के कारण यह प्रणाली आरम्भ करने के शीघ्र बाद ही वेकार हो गयी ।

देश में विद्यमान परिस्थितियों में स्वचालित चेतावनी प्रणाली असफल हो गयी है । हम अभी भी कोई व्यवहार्य योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डते : यदि मंत्री महोदय मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रणाली को दो सैक्शनों, गया-मुगलसराय तथा हावड़ा-वर्दवान, पर लागू किय गया था । इसके अतिरिक्त चोरियां तो सारे विश्व में ही होती हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इसका अर्थ यह नहीं कि हम इन्हें सहन करते जायें । इन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के बोनस देने के बारे में भी कहा था । उन्हें प्रति मास 50 रुपये राशन भत्ता दिया जाता हैं । बर्दीधारी बल होने के कारण, केवल उन्हें ही बोनस नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका प्रभाव और कर्मचारियों पर भी पड़ेगा ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने कहा है कि 3553 रेलवे पुल बुरी दशा में है और इस्पात न मिलने के कारण कुछ पुलों का काम रुका पड़ा है ।

रेलवे दुर्घटना जाँच समिति, 1978, की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 1978 को 3553 पुलों की हालत खराब थी । ये सब पुल असुरक्षित नहीं थे और इन्हें तुरन्त पुनः बनाने तथा मजबूत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आयु एवं स्थिति के आधार पर उन्हें पुनः बनाने तथा मजबूत करने का कार्यक्रम बनाया जाना था । इसी बीच, जरूरी हो तो प्रेशर-ग्राउटिंग जैसी भारी मरम्मत भी की जाती है तथा ऐसे क्षेत्रों में रफतार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, 1258 पुलों का पुनर्निर्माण किया गया तथा उन्हें मजबूत बनाया गया और खराब पड़े पुलों को पुनः बनाने तथा मजबूत करने का काम कार्यक्रम के अनुसार संतोषपूर्वक ढंग से चल रहा है ।

इस्पात की कमी के कारण किसी भी अनिवार्य पुल का काम नहीं रुकता अथवा उसमें देर नहीं होती है । संयोगवश यहां यह भी कहा जा सकता है कि अभी हाल में पुलों के ढांचे की स्थिति के कारण कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है । एसिस्टेंट इंजीनियर तथा इससे ऊंचे स्तर के अधिकारी द्वारा पुलों के वार्षिक निरीक्षण की व्यवस्था है ।

चर्चा में भाग लेने वाले अनेक सदस्यों ने कहा है कि 1982-83 के लिये बहुत आवंटन अपर्याप्त्त है मैं इस बात को अपने बजट भाषण में इस समय मान चुका हूं जब मैंने कहा था कि लागत में वृद्धि, विशेषकर रेलवे में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, के कारण बास्तविक रूप में योजना का भौतिक लक्ष्य बहुत कम हो गया है ।

यह सच है कि 1982-83 का वार्षिक योजना आवंटन लगभग 1981-82 के ही बराबर है ।

यह मैं कहूंगा कि 1981-82 के वार्षिक बजट के समय वार्षिक योजना आवंटन 980 करोड़ रुपये का था जिसमें वर्ष के दौरान 157.29 करोड़ रुपये बढ़ाकर उसे 1137.29 करोड़ रुपये कर दिया गया था ।

मैं भारतीय रेलवे के उचित विकास तथा रेलवे कर्मशालाओं तथा शैडों के विस्तार, तथा इनकी मरम्मत तथा रख-रखाव सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिये 1982-83 वर्ष में अधिक योजना राशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत हूं ।

नई लाईनें डालने, लाइनों को दोहरा करने, रोज बदलने आदि अनेक परियोजनाओं का काम धन के अभाव में रुका पड़ा है । बहुत से पुराने वैगनों, डिब्बों तथा काफी लम्बे रेल मार्गों के तुरन्त बदलने की आवश्यकता है इन सब कामों के लिए बहुत धन राशि चाहिये । मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि अर्ध-वार्षिक समीक्षा के समय योजना व्यय के लिये मैं अधिकाधिक अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करूंगा ।

फिर भी, इस समय नीति के अनुसार, मैंने मुख्यतः चालू योजनाओं को पूरा करने के लिये उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का निर्णय लिया है ।

603 करोड़ रुपये के कुल निर्माण-कार्य व्यय में से 89 प्रतिशत चालू निर्माण-कार्यों पर व्यय किया जायेगा और केवल 11 प्रतिशत नये कार्यों पर व्यय किया जायेगा । इसी प्रकार, इंजन डिब्बे आदि स्टाक के लिए आवंटित 467.29 करोड़, में से 456-10 करोड़ रुपये इन इंजन डिब्बों आदि की सुपुर्दगी लेने पर व्यय किये जायेंगे जिनके लिए पहले ही आर्डर दिये जा चुके हैं और केवल प्रतिशत 11.9 करोड़ रुपये नये स्टाक के लिए खर्च किये जायेंगे ।

इसी प्रकार, मशीनरी तथा संयंत्र सम्बन्धी 70 करोड़ रुपये के व्यय में से 68.83 करोड़ रुपये पहले दिये गए क्रया देशों पर खर्च किये जायेंगे और नए क्रयादेशों के लिए मुश्किल से 1.17 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे ।

मेरा पक्का विश्वास है कि सीमित उपलब्ध संसोधनों को कई कामों पर लगना निरर्थक है क्योंकि उसके फलस्वरूप लगायी गयी पूंजी से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

मेरी नीति चालू योजनाओं तथा परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने की रहेगी ताकि भारी पूंजी-निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सके ।

जैसाकि मैं कह चुका हूं वार्षिक योजना आवंटन का 50 प्रतिशत भाग पुनर्वास कार्यक्रमों पर खर्च किया जायेगा। मूल्य ह्रास आरक्षित निधि में विनियोग जो 1981-82 में 350 करोड़ रुपये था 1982-83 के दौरान बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप प्रतिस्थापन पर व्यय चालू वर्ष की अपेक्षा अधिक होगा। अतः मैं इस वर्ष बहुत नए सर्वेक्षण करवाने तथा नई लाईनों का काम शुरू करवाने के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं। कृपया 'बहुत' शब्द को रेखांकित कीजिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कुछ का तो किया जायेगा।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं इस बात के प्रति भी सचेत हूं कि योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान 5100 करोड रुपये से अधिक राशि का आवंटन मांगना जरूरी है। इसमें से केवल 900 करोड़ रुपये की छोटी राशि का उपयोग वहन क्षमता में वृद्धि करने के लिए किया जायेगा तथा शेष का उपयोग पुनर्वास,. नवीकरण तथा बिजली, पहिये तथा एग्जल संयंत्र स्थापित करने आदि पर किया जायेगा।

श्री भगवान देव ने दिल्ली—साबरमती लाइन के गेज को बदलने का प्रश्न उठाया है। पश्चिमी रेलवे पर इस मीटर गेज ट्रक मार्ग को जयपुर तथा अजमेर होकर बदलने के लिये लगभग 150 करोड़ रुपये लागत का कार्य स्वीकृत है। जो 1977-78 के बजट में शामिल किया गया था। इस परियोजना को कई चरणों में यातायात आवश्यकताओं तथा उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : कब ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सबसे पहले फुलेरा-किशनगढ़ सैक्शन (50.9 किलोमीटर) तथा गढ़ी-हरसारू-खलीलपुर (30 किलोमीटर) को ब्राड-गेज उप ढांचा बनाते हुए दोहरा करने का प्रस्ताव है।

आचार्य भगवान देव : धन्यवाद।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्री के० राममूर्ति मद्रास के लिए एम० टी० पी० योजना के बारे में जानना चाहते थे। मैं उन्हें सूचित करता हूं कि मद्रास के लिए मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम योजना की स्वीकृति अभी योजना आयोग से प्राप्त होनी है और इसलिए इसे 1982-83 के बजट में शामिल नहीं किया जा सका। फिर भी यदि स्वीकृति आजायेगी, तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री सी०टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : पिछले वर्ष के बजट में, इस योजना के लिए कुछ राशि का नियतन किया गया था। योजना आयोग की स्वीकृति के बिना उस राशि का नियतन कैसे किया गया ?

एक माननीय सदस्य : सर्वेक्षण किया जा चुका है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं इस बात की जांच करूंगा और माननीय सदस्य को अवश्य ही लिखूंगा ।

श्री जमीलुर्रहमान ने कहा था कि आंध्र प्रदेश अन्य न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और रेलवे बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है और यह कि अपील वापिस ली जानी चाहिये और उच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ।

रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी श्री एल०ए० खांन द्वारा एक वरिष्ठ वेतन स्तर पद के लिए नियुक्ति सम्बन्धी दायर रिट अपील का जिक्र किया गया है । श्री खांन, जो सहायक सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, के नाम पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 23-2.72 को बुलायी गयी विभागीय पदोन्नति समिति, ने सुरक्षा अधिकारी के स्थायी तथा अस्थायी पद पर नियुक्ति करने के लिये विचार किया था । उनके नाम की सिफारिश केवल अस्थाई नियुक्ति के लिए की गयी थी । इसके आधार पर उन्हें अक्तूबर, 1973 में सुरक्षा अधिकारी के अस्थायी पद पर काम करने के लिये पदोन्नति किया गया था ।

आगामी विभागीय पदोन्नति समिति ने 6 सितम्बर, 1976 को अन्य सुयोग्य अधिकारियों के साथ उनय नाम पर, सुरक्षा अधिकारी के स्थायी पद पर नियुक्ति करने के लिए विचार किया । उनके नाम की सिफारिश नहीं की गयी । विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों में ऐसे अधिकारियों के नाम शामिल थे जो सहायक सुरक्षा अधिकारी के रूप में श्री खांन से कनिष्ट थे । अन्त में श्री खाँन के नाम की सिफारिश सुरक्षा अधिकारी के स्थायी पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति ने 11 नवम्बर, 1979 को ही की ।

श्री डी०पी० यादव : सेठी जी इतना पर्सनली क्या जरूरत है, छोड़िए । एक आदमी के लिए लोक सभा का इतना समय क्यों बर्वाद करते हैं ?

श्री जमीलुर्रहमान : यह मामला उच्च न्यायालय के निर्णय से सम्बन्धित है । गड़बड़ी मत डालिए ।

जहां हम लोगों की बात आती है, तो आपकी आवाज निकलने लगती है । आप खामोश नहीं रह सकते हैं । आप ठीक तरह से सुन नहीं सकते हैं ?

श्री डी० पी० यादव : यह सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी । मैं दोनों पक्षों से प्राप्त सुझावों का ध्यान रखूंगा और कहूंगा कि निर्णय के कार्यान्वित करने से कुछ प्रशासकीय समस्यायें उत्पन्न होंगी और इसीलिए भारत के महान्यायवादी की सलाह से उच्चतम न्यायालय में बिशेष अनुमति याचिका दायर करके अनुमति देने की प्रार्थना की गयी है । मामला उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है ।

श्री नारायण चौबे : उच्चतम न्यायालय में जाने में क्या बुराई है ?

श्री जमीलुर्रहमान : एक साधारण वादी की तरह बात मत करो। मामला 1973 से ही लटकता चला आ रहा है : यह तो कई वर्षों का प्रश्न है क्योंकि एक अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य इससे सम्बद्ध है। इसलिए इस मामले में इस तरह कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है क्योंकि यह मामला अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य से सम्बन्धित है इसलिए हम उच्चतम न्यायालय के पास गए हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : महोदय मैं एक सूचना लेना चाहता हूं। मैं कार्यवाही में बाधा डालूंगा। सेठी जी ने कहा है कि जयपुर-अहमदाबाद-दिल्ली लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की स्वीकृति दे दी गई है। उनके कहने के अनुसार इसकी अनुमति 1977 में दे दी गई थी। पांच वर्ष के बाद केवल दो ही खण्ड सम्मिलित किए जा सके हैं और वह भी दोहरी लाइन बिछाने के लिए उन्होंने चरणबद्ध कार्यक्रम का भी उल्लेख किया है। क्या मैं उनके द्वारा तैयार किए गए चरणबद्ध कार्यक्रम के बारे में जान सकता हूं जिससे कि हम पटरियों के दोहरी बिछाने या छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रति निश्चिन्त हो सकें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जैसा कि मैंने बताया है दोहरी लाइन बड़ी-लाइन ही होगी।

जहां तक सम्पूर्ण कार्यक्रम का सम्बन्ध है, जब तक मेरे पास इन प्राप्तियों का पूरा कार्यक्रम नहीं होगा जो मुझे इन लाइनों के विकास के लिए प्राप्त होगा, तब तक समय-सीमा के बारे में पूर्वानुमान करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ समय बाद मन्त्री महोदय से मिलिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यात्री किराए में वृद्धि के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है कि इसका मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा।

आरम्भ में ही मैं यह बता देना चाहता हूं कि अपने प्रस्तावों को तैयार करते समय मैंने इस पहलू को पूर्णतया दृष्टिगत रखा था। यद्यपि आर्थिक बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक सीजन टिकटों के किराए में उचित वृद्धि की जानी चाहिए थी, परन्तु मैंने जानबूझ कर इन मासिक टिकटधारियों को नहीं छुआ है जिसमें दैनिक मजदूरी कमाने वालों, दफ्तरों में जाने वालों, मिल कर्मचारियों, छात्रों, फैरी वालों आदि का बाहुल्य है। 1981-82 के दौरान, समाज का यह महत्वपूर्ण अंग रेल यात्रा के लिए भारी मात्रा में किराया उपदान का लाभ उठाता रहेगा, जिसकी मात्रा 45 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। सच तो यह है कि यात्रा का यह दैनिक स्वरूप ही तो है जो कि प्रत्यक्षरूप से घरेलू बजट को प्रभाएित करता है और जीवनयापन मूल्य पर भार बनता है।

एक बात यह भी कही गई है कि प्रथम श्रेणी में यात्रा के मुकाबले द्वितीय श्रेणी के किरायों में प्रस्तावित वृद्धि अनुपात में अधिक है। यद्यपि वर्तमान प्रस्तावों से सतहीरूप से ऐसा लगता हो, परन्तु ऐसा वास्तव में है नहीं। यह बात याद रखनी होगी कि बिगत में उच्छ श्रेणियां निम्न श्रेणियों के मुकाबले न केवल बहुधा किराये में संशोधन का शिकार रही हैं, अपितु वृद्धि की दरें भी बहुत ऊंची रही हैं। इसके परिणामस्वरूप ये सभी उच्छ श्रेणियां संतृप्ति बिन्दु पर पहुंच चुकी है। फिर भी 250 कि० मी० तक के उच्च श्रेणी। (प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित टू-टायर और वातानुकूलित चैयरकार) के किरायों में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं किया गया है चूंकि आजकल इन श्रेणियों के किरायों का अनुपात द्वितीय श्रेणी के सामान्य किरायों के मुकाबले कहीं अधिक ऊंचा है जिनकी कि सिफारिश रेलवे टेरिफ जांच समिति ने की है।

एक दूसरी बात यह कही गई है कि लम्बी दूरी की यात्रा के मुकाबले छोटी दूरी के यात्रियों के किरायों में वृद्धि अत्यधिक हुई है। मैं अपने बजट भाषण में पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति और रेल टैरिफ जांच समिति दोनों ने ही किराए के ढांचे को युक्तिसगत बनाने और लागत के अनुपात में उचित रखने की तात्कातिक आवश्यकता पर बल दिया है। सेवाओं के लिए लिये गए मूल्य और प्रदान की गई सेवा के मूल्य में कुछ तालमेल आवश्य होना चाहिए।

यह आलोचना की गई है कि माल यातायात के कुछ वर्गों को दी गई छूटों को वापिस लेने से कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को प्रश्रय मिलेगा।

जैसा कि सदन को पता है, कम-दर भाड़े की वस्तुओं के कारण रेलवे ने 1981-82 में 119,12 करोड़ रुपया का घाटा उठाया। रेलवे की वर्तमाम कठिन आर्थिक दशा में इन भारी घाटों को लगातार उठाते जाना कतई मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसें कारणों से जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं रेलवे के परिचालनखर्च बढ़ते जा रहे हैं। अतः, न केवल अतिरिक्त परिचालन व्यय अपितु छठी पंचवर्षीय योजना से सम्बद्ध योजनागत व्यय की बढ़ती हुई माँग के लिए धन जुटाने हेतु अतिरिक्त राजस्व जुटाना अपरिहार्य हो गया है इसके परिणामस्वरूप, इनमें से कुछ वस्तुओं को सीमान्त छूट से हाथ धोना पड़ेगा। वापिस ली गई छूटों के प्रभाव का विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि यदि यह मान भी लें कि 100% उत्पादन की रेलों द्वारा ढुलाई की जाती है तो भी 800 कि० मी० की औसत बढ़ोतरी के लिए यह केवल 2 से 3 पैसे प्रति किलो मीटर बैठता है।

माल-भाड़े में यह नाममात्र की वृद्धि, उल्लेखनीयरूप से उत्पादन लागत को और अन्तिम कीमतों को प्रभावित नहीं करेगी, जिसका निर्धारण विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है। इसके होते हुए भी, रेलों द्वारा इन वस्तुओं की ढुलाई फिर भी परिवहन के अन्य साधनों से सस्ती ही रहेगी।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि छूटों को वापिस लेते समय भी, मैंने जलाने की लकड़ी, दवाइयों, चारे मिटटी के तेल और दियासलाइयों जैसी मदों को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। केलों और सन्तरों की ढुलाई के लिए प्रदान की गई रियायती शुल्क दर को, वैद्यता की वर्तमान अवधि की समाप्ति के बाद, वापिस लेने के मेरे प्रस्ताव पर कुछ माननीय सदस्यों ने टिप्पणियाँ की हैं। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा इस विषय पर व्यक्ति की गई उनकी भावनाओं को मैं भलीभाँति समझता हूं। तथापि, जून मास के बाद 9.90 करोड़ रुपए(व्यवधान) के राजस्व को खोना इस समय मेरे लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री इरि अनबरासु (चिंगलपट्टु) : मैं एक बात की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। श्री के० टी० कौशलराम करूर से डिन्डिगल तक की रेलवे लाइन के लिए बहुत ही उत्तेजित हो रहे थे। वास्तव में, गतवर्ष तमिलनाडु के लगभग सभी सदस्यों ने प्रधान मन्त्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उसे स्वीकार भी कर लिया गया था। मुझे भी सूचित किया गया था कि कुछ धनराशि स्वीकृत कर की गई है। मुझे दुःख है, खेद है कि करूर-डिंडिगल का इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। (व्यवधान)।

श्री के० टी० कौशलराम : मैं यह समझूंगा कि आप करूर-डिन्डिगल—तूतीकोरियन बड़ी लाइन के लिए कम से कम पाँच करोड़ रुपये के आवंटन पर सहानुभुतिपूर्वक विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान कोशलराम जी केवल सहानुभूति ही पर्याप्त नहीं होगी। क्या आप केवल इससे संतुष्ट हो जाएंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं आपको केवल उस बारे में आश्वाशन दे सकता हूं जिसकी श्री केदार पाण्डे ने अपने पूरक बजट में घोषणा की थी। यद्यपि औपचारिक रूप से हमें योजना आयोग से अनुमति नहीं मिली है। हमने साँकेतिक राशियों की व्यवस्था की है, जिससे कि यह लाइन यूंही न रह जाएं। जैसे ही हमें स्वीकृति मिल जाएगी, इसके लिए उचित धन का प्रावधान किया जाएगा।

श्री ईश अनबरासु : एक बात और भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है। कृपया एक ही बात रहने दीजिए तभी ठीक रहेगा।

श्री के० टी० कोशलराय : करूर-डिन्डिगल-तूतीकोरियन लाइन को योजना आयोग स्वीकृति प्रदान कर चुका है। योजना आयोग से स्वीकृति मिले बिना गत वर्ष 2 करोड़ रुपए और इस वर्ष 70 लाख रुपए कैसे आवंटित किए गए ? भला योजना आयोग से स्वीकृति लिए बिना यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पूरक बजट में इसकी घोषणा की गई थी। जहां तक आपकी लाइन का सम्बन्ध है, इसको 70 लाख रुपये मिल चुके हैं। यह वास्तव में प्रस्ताव में है। जैसे ही

हमें धन प्राप्त हो जाएगा, हम पूरक बजट में धनराशि की मात्रा में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। पहले उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दो।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि साधनों में बढ़ोतरी करने के लिये आंतरिक और बाह्य लक्ष्ण लिए जा सकते हैं। चूंकि वित्त मन्त्रालय सभी सम्भव साधनों पर विचार कर चुका है रेलवे द्वारा अलग से ऋण लेने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो पहले से ही कमी वाले साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी मांगे खड़ी होंगी। जैसा कि सदन को पता है हमने रेलवे सुधार समिति से इन मामलों की जाँच करने के लिए तथा साधनों में वृद्धि के लिए अरूढ़िवादी और अब तक न आजमाये गये तरीके बताने को कहा है। हम उत्सुकता से उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि रेलवे को सामान्य राजस्व पर लामांश नहीं देना चाहिए और इस प्रकार बचाये गए धन को उलटा रेलवे के विकास में लगा देना चाहिए। यह भी कोई विशिष्ट लाभजन्य बात नहीं है क्योंकि चूंकि इन भुगतानों को तो पहले ही समग्र सरकारी साधनों में सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ भी हो, यह एक ऐसा मामला है जिस पर रेलवे अभिसमय समिति सावधानी से विचार करेगी, जोकि उपयुक्त समय पर इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

श्री के० रामामूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं सामान्य राजस्व पर लाभांश के भुगतान के बारे में पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नही जानता कि क्या मंत्री महोदय मान भी रहे हैं।

श्री के० रामामूर्ति : मैं अपने चुनाव-क्षेत्र के लिए किसी इस या उस चीज की माँग नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे उसका उत्तर दे चुके हैं। उनका कहना है कि रेलवे अभिसमय समिति अपने प्रस्ताव रखेगी।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कुछ माननीय सदस्यों ने विभिन्न स्थानों पर रेलवे सेवा आयोग की शाखाएं स्थापित करने का सुझाव दिया है। ऐसा भी सुझाव आया था कि केवल एक ही केन्द्रीय आयोग होना चाहिए।

चूंकि रेलवे सेवा आयोग केवल वर्ग-ग (तृतीय श्रेणी) वर्गों की ही भर्ती करता है, इसलिए केवल एक केन्द्रीय आयोग की स्थापना करना उचित नहीं है। इससे प्रत्याशियों को पर्याप्त कठिनाई होंगी।

हम इस पर पहले ही विचार कर रहे हैं कि सेवा आयोगों की संख्या में वृद्धि करने हेतु और आगे किस प्रकार का वैज्ञानिक पुनर्गठन करना चाहिए या विभिन्न स्थानों पर वर्तमान आयोगों की शाखाएं स्थापित करनी चाहिए।

नैमितिक मजदूरों के सम्बन्ध में अत्यधिक चिन्ता प्रकट की गई है। मैं अब यह बताना चाहूंगा कि हमने अब निर्णय लिया है कि नियमित रिक्तियों पर नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्तियाँ की जाएंगी और रेलवे द्वारा नैमितिक मजदूरों की भर्ती, जहां तक संभव हो सकेगा, नहीं की जाएगी। (व्यवधान)।

श्री नारायण चौबे : उसमें कोई नई बात नहीं है। यह पुरानी बात है।

श्री रामविलास पासवान : यह हम दो साल से सुन रहे हैं, लेकिन भरती रोज हो रही है। हम लोगों से कहा जाता है कि भरती नहीं होगी, लेकिन अफसर लोग रोज भरती कर रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : माननीय सदस्य को यही चिन्ता है कि जिस किसी बात की घोषणा·····(व्यवधान)।

श्रीरामावतार शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, 4-6-1980 को पंडित जी ने कन्सलटेटिव कमेटी में कहा था कि आज से यह तय हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोग एबजार्ब हो गए हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं आगे यह भी कहना चाहता हूं कि जहां तक नैमित्तिक मजदूरों का सम्बन्ध खुली लाइन पर 120 दिनों की सेवा के लिए उन्हें अब प्राधिकृत वेतनमान दिया जा रहा है और परियोजनाओं में 180 दिनों के लिए मासिक मजदूरी का 1/30 भाग प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री नारायण चौबे। तीस वर्षों तक काम करने के बाद भी एक व्यक्ति की सेवाएं नियमित नहीं की जाती हैं। (व्यवधान)।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कुछ ये आरोप भी लगाए हैं कि किराए और भाड़े की दरों में संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक के दबाव में आकर किया गया है। सभा निश्चित रहे। इन आरोपों में कोई तथ्य या सार नहीं है। रेलवे बजट को हमने अपनी आवश्यकताओं और नीतियों के अनुरूप बनाया है। परन्तु 45 सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं है। मैंने जैसा कि कहा है कि प्रत्येक को उत्तर भेज दूंगा। (व्यवधान)।

श्री राम बिलास पासवान : हमने दो प्वाइंटस उठाये थे— एक तो पटना में गंगा पर रेलवे ब्रिज और दूसरे बिहार में जोनल आफिस।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जोनल आफिस का तो मैंने जैनरल बतलाया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री मोदय ने कहा है कि वे आपकी सभी समस्याओं का उत्तर देंगे जिन्हें आप पहले ही रख चुके हैं । आप को उनसे उत्तर मिल जाएगा । आपने जब इतनी देर तक पहले प्रतीक्षा की है तो आप कुछ देर और प्रतीक्षा कर सकते हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरे लिए इतने कम समय में सभी सदस्यों को उत्तर देना संभव नहीं होगा । मैं उन्हें पृथक-पृथक लिखित उत्तर दूंगा । उन्होंने जो कुछ कहा है मैंने उस पर गौर किया है इसके अतिरिक्त मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सभा के कार्यवाही वृत्त से ले लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लारेंस जी, आप कोई भी स्पष्टीकरण तभी मांग सकते हैं जब कि मंत्री महोदय तैयार हों । यदि वे तैयार हों तो, आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं ।

श्री एम० एम० लारेंस : केरल में कुछ लाइनों के कम से कम एक भाग का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए । अपने उत्तर में आपने इस संबंध में कुछ नहीं कहा है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं जैसा कि कह चुका हूं कि प्रत्येक लाइन के बारे में बताना कठिन है (व्यवधान) ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं समाप्त करने से पूर्व मैं सभा की इच्छाओं का सम्मान करते हुए कुछ रियायतों की घोषणा करता हूं मैं किराये में कोई प्रमुख रियायत देने की स्थिति में नहीं हूं । मैं सम्मानीय सभा को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि यद्यपि मैं पर्याप्त कटौती करने की स्थिति में था परन्तु मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस धनराशि का उपयोग परियोजनाओं के विकास तथा नए निर्माण कार्यों के लिए करूंगा । अतः जो थोड़ी बहुत रियायतें संभव है मैं उनकी घोषणा कर देता हूं :

(1) मुफ्त यात्रा करने के लिए बच्चों की आयु-सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

यह आयु-सीमा पांच वर्ष ही रहेगी । स्लीपर प्रभार.....(व्यवधान) ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसका अर्थ हुआ पुरानी या मूल आयु सीमा ही जारी रहेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, पांच वर्ष ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : दूसरी रात के लिए स्लीपर प्रभार मौजूदा 5 रुपये की दर पर ही बने रहेंगे । और बढ़ी हुई 8 रुपये की दर केवल पहली रात के लिए ही लागू होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, यह एक बहुत अच्छी बात है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार से कलाकारों के मान्यता प्राप्त संगठनों और मान्यता प्राप्त खिलाड़ियों के संघों को 25% की बजाय 50% रियायत दी जाएगी । (व्यवधान) ।

श्री डी०पी० यादव : अध्यापकों के संगठनों को भी 50 प्रतिशत रियायत दी जानी चाहिए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्हें 25 प्रतिशत रियायत ही मिलती रहेगी । भारत कृषक समाज अथवा इसी प्रकार की अन्य किसी संस्था द्वारा आयोजित सम्मेलनों में भाग लेने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत रियायत प्राप्त होगी ।

श्री नवल किशोर शर्मा : किसान रैली के लिए नहीं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : पार्सल यातायात के लिए एक अलग नए स्केल को रखने का प्रस्ताव है । (व्यवधान)।

ये रियायतें हैं । 90% जनरलवार्सल स्केल के 90% पर या एक अलग से नया स्केल रखने का प्रस्ताव है जिसका अर्थ है निम्नलिखित वस्तुओं के लिए दरों में 10 प्रतिशत की कटौती :—

औषधियों, माचिस, दूध का पाउडर, बेबी मिल्क पाउडर और कन्डेन्सड (संघनित) दूध, चाय, काफी, बीड़ी और सिगरेट, सभी प्रकार के साबुन, सिंथेटिक डिटर्जेन्टस, खेल का सामान, मोमबत्तियां, टूथ पेस्ट, टूथ ब्रुश, शेविंग क्रीम ब्लेडस, कापियाँ, रबर, पेन्सिल, बाल प्वांइट पेन जिसमें रिफिल्स भी सम्मिलित हैं, पेन की स्याही और चश्मों के फ्रेम ।

निम्नलिखित वस्तुओं को सम्मिलित करने के लिए एक और पृथक स्केल रखने का प्रस्ताव है जिससे दस प्रतिशत कटौती हो सकेगी :

हथकरघा उत्पादन, पुस्तकें जिनमें पाठ्य पुस्तकें भी सम्मिलित है । ब्रेड और दूध ।

इन रियायतों की कुल कीमत का पता नहीं है, यह लगभग.....(व्यवधान) ।

एक माननीय सदस्य : आप पान पर भी विचार कर सकते हैं ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मैं सब्जियों पर विचार करूंगा ।

एक अन्य माननीय सदस्य : केले पर भी ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : जी हां, मैं पहले कह चुका हूं । (व्यवधान)।

इन रियायतों की कुल कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए होगी मैंने इस धनराशि को इसलिए जुटाने का प्रयत्न किया है ताकि अधिक महत्वपूर्ण लाइनों, अधिक महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों

और परियोजनाओं को आरम्भ किया जा सके । अब इस धनराशि को देने के बारे में हम वित्त, मंत्रालय, योजना आयोग और प्रधान मंत्री के साथ परामर्श करके निर्णय करेंगे ।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय संसद सदस्यों की पत्नियों/पतियों के पासों के बारे में संसदीय कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय (व्यवधान) सभा की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और वित्त मंत्रालय को कुछ अभ्यावेदन दिए गए हैं । हमने कुछ अनौपचारिक विचार-विमर्श किया था और मुझे विश्वास है कि संसदीय कार्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय और सभा की नेता के साथ परामर्श करके इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11-00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

604 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 4 मार्च, 1982/13 फाल्गुन, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———